राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

मंगलवार,

3 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: राम, राम, नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्रीमती शिमला बावरी।

अनूपगढ़ से रायसिंहनगर रोड पर स्थित घग्घर नदी पर निर्मित पुल का नवीनीकरण

70. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ से रायसिंहनगर रोड पर स्थित घग्घर नदी पर निर्मित पुल का क्षतिग्रस्त होने के कारण नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक है?

(2) क्या सरकार उक्त पुल का नवीनीकरण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान) : (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से रायसिंहनगर रोड ग्रेफ के अधीन है। ग्रेफ के अधिकारी मेजर आफिसर कमाण्डिंग के पत्रांक 2032/R-A/38/E-2, दिनांक 23.2.2015 के अनुसार घग्घर नदी पर निर्मित पुल के नवीनीकरण की आवश्यकता है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) ग्रेफ विभाग के उक्त पत्रानुसार इस कार्य को ग्रेफ की वार्षिक योजना (Annual Work Plan) वर्ष 2015-16 में शामिल कर लिया गया है एवं इसका तकमीना अगले दो माह में उनके द्वारा ग्रेफ के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कार्य की स्वीकृति के उपरान्त ही उनके द्वारा कार्य शुरू किया जा सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को पूछना चाहती हूं, यह जो पुल है, जो ग्रेफ का बताया जा रहा है, मेरे अनूपगढ़ से लेकर रामसिंहपुर के बीच में इसी तरीके का एक पुल आता है और फिर कूंपली रोड पर इसी तरह का पुल है, दो पुल और हैं, क्या वे भी ग्रेफ में हैं? यदि ग्रेफ में हैं तो इसको पी.डब्ल्यू.डी. में लेकर तुरन्त ही इसका कार्य करवाया जाए ताकि जनता को बहुत ही राहत मिले। ये पुल बहुत ही खराब हो चुके हैं, मंत्री महोदय, कृपया जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बीकानेर से गंगानगर तक 266 किलोमीटर है, उसमें से 82 किलोमीटर सड़क ग्रेफ में आती है। माननीय सदस्य ने जिस पुल की चर्चा की है, उमली वाला पुल अगर इस 82 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है तब तो क्षेत्राधिकार ग्रेफ का है। इसके अन्यत्र है तो पी.डब्ल्यू.डी. का है। इसको भी दिखा देंगे कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अगर पी.डब्ल्यू.डी. का है और निर्माण की आवश्यकता है तो उसका पुनर्निर्माण करवाएंगे। ग्रेफ का है तो ग्रेफ से पत्राचार करके उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसका पुररुद्धार करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से लेकर सूरतगढ़ तक जो रोड है, आप सभी अभी गये थे मोदीजी के कार्यक्रम में, तो आप सभी ने देखा है कि उस सड़क की क्या हालत है। वह ग्रेफ की बतायी जा रही है, अपने मीटिंग भी हुई थी। मैं आपसे निवेदन करती हूं, मंत्रीजी, कि जल्द ही पी.डब्ल्यू.डी. में लेकर इसी बजट के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बजट देकर इस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जनता को राहत पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अनूपगढ़ से सूरतगढ़ तक की लगभग 72 किलोमीटर तक की सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त है और यह सड़क भी ग्रेफ की है। 2012 के अन्दर तत्कालीन राजस्थान सरकार ने ग्रेफ के साथ एक बैठक की थी, उसमें यह कहा गया था कि जितनी भी ग्रेफ की सड़कें हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और अन्य सम्भागों में, जो टूटी हुई हैं, अगर आप प्लान में नहीं लेते हैं तो हम उनका निर्माण करेंगे। उन्होंने इस बात को बेस मानते हुए जो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क थी, उसको प्लान में नहीं लिया। नहीं लेने की बदौलत इस 72 किलोमीटर में वास्तविकता यह है कि हालत बहुत खराब है। यह ग्रेफ की सड़क है, बी.आर.ओ. इसका मेंटिनेंस करता है और बी.आर.ओ.

(श्री युनुस खान)

ने इसको 2017-18 के प्लान में लिया है। तब तक तो सरकार इन्तजार नहीं कर सकती इसलिये हमने 19.9.2013 को ग्रेफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हम तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये इस सड़क पर दे सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास अभी राशि बजट में नहीं है। हमने यह कहा कि आप यह सड़क हमें दें दो तो हम इसको किसी न किसी योजना के अन्दर ले लेंगे। उन्होंने अब इसकी सहमति दी है, अभी हैण्डओवर-टेकओवर नहीं हुआ है। इस सड़क को हमने इसी बात को बेस मानते हुए पी.पी.पी. में लिया है। इसकी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। इसके उपरान्त भी हमने सोचा कि पी.पी.पी. में पता नहीं कोई कंसेशनर आए या नहीं आए और हालत वहां खराब है, गंगानगर जिले में अकेले में लगभग 330 करोड़ रुपये की राशि की सड़कें जो ग्रेफ के अधीन हैं, खराब हैं। अभी माननीय प्रधान मंत्री महोदय जब सूरतगढ़ आये थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके समक्ष 19 तारीख को इन सड़कों के बारे में वस्तुस्थिति बतायी थी। कहा था कि ये सड़कें सारी बी.आर.ओ. की हैं, केन्द्र सरकार इनको मेन्टेन करती है। इन सारी सड़कों को मेन्टेन करने के लिये, 330 प्लस बाकी राजस्थान की सड़कों को जोड़ते हुए 362 करोड़ की हमने उनसे मांग की है। प्रधान मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि इसको मैं व्यक्तिश: दिखवाऊंगा और इसका निर्माण...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब देने दीजिये, दखल मत दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य को आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि मैं कभी कोई गलत जवाब नहीं देता। वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क ग्रेफ की है। हमने पी.पी.पी. में भी ले रखी है। आप पी.डब्ल्यू.डी. का पोर्टल खोल कर देख लीजिये। 19 तारीख का माननीय वसुंधराजी का भाषण सुन लीजिये। हमने भारत सरकार के सामने यह मांग रखी है। इसके अलावा भी, अगर भारत सरकार हमें पैसा नहीं देगी तो भी राज्य सरकार इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाएगी। यह मैं स्वीकार कर रहा हूं कि यह सड़क टूटी हुई है। इसका काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूंगा कि मेरा भी प्रश्न है। थोड़ा लेट है। मैं मंत्रीजी से एक ही स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, बोल रहा हूं। एक ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। चौमूं-महला टोल रोड वाया जोबनेर-रेनवाल का जवाब मुझे आज आपने दिया है। यह काम दिसम्बर, 2013 में पूर्ण होना था। तत्कालीन सरकार ने एग्रीमेंट किया था पी.पी.पी. माडल के तहत। अभी आपने मुझे जानकारी दी है कि अब यह काम दिसम्बर, 2015 तक होगा। आपने उसको नोटिस भी दिया है, नहीं दिया किन्तु मैं इतनी ही जानकारी करना चाहूंगा, लगभग 20 किलोमीटर रोड पर न डामर है, न कंक्रीट है, एक साल से कांट्रेक्टर ने एक इंच भी काम नहीं किया, यह रोड चलने लायक कब बनेगी? यह काम पूरा होगा, टोल चालू होगा, वह तो तब होगा, लेकिन अभी जनता को राहत कैसे मिलेगी? यह चलने लायक कैसे रहेगी? आप स्वयं भी शायद पधारे होंगे या आप भी उसकी विजिट करें। केवल इतना-सा दे दें कि जनता को राहत कैसे मिले। इसमें चौमूं विधान सभा भी जुडी हुई है, फुलेरा भी है, झोटवाड़ा भी है, दूदू भी है, बहुत बड़ा भू-भाग इसमें जयपुर जिले का है। तत्काल हमें राहत कैसे मिले, इसका आप मुझे जवाब दे दीजिये, मंत्री महोदय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित वैसे नहीं है लेकिन माननीय सदस्य का भी एक सवाल लगा हुआ है 86 पर, तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर इनको वह देखते हुए पूरा जवाब दे दें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : हमारा भी इसी से जुड़ा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

यह सड़क चौमूं बाई-पास निकलती है, फिर रेनवाल-महलां निकलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार ने जब से काम बंद किया है, उसके बाद में कम से कम दस से पन्द्रह मौतें, दुर्घटनाएं इस सड़क की वजह से हुई हैं। क्या मंत्री महोदय उन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को जिनकी मौतें हुई हैं, मुआवजा दिलाने का भी श्रम करेंगे इस कम्पनी से जिसकी लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये। दोनों पूरक प्रश्नों के जवाब दे दीजिये आप।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक प्रश्न नहीं है। यह मूल ही प्रश्न है। दो प्रश्न के बाद में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका जवाब इतना मोटा हमने इनको भेजा है। लेकिन फिर भी आपने मेरे को अनुमति दी है तो मैं जरुर इसको पढ़ कर जो...(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : दिसम्बर, 2015 से पहले कुछ काम होगा या नहीं होगा, यह बता दें आप? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया जवाब शांति से सुन लीजिये। मैंने आपको अलाउ किया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोबनेर से रेनवाल सड़क का निर्माण कार्य चौमूं-महला सड़क के दो लेन निर्माण कार्य के लिये पी.पी.पी. में चल रहा है। जो कंसेशनर है, पूर्ववर्ती सरकार के शासन में दो सड़कें पी.पी.पी. पर दी गयी थीं...

श्री रमेश (सपोटरा) : आप अभी तक कांग्रेस, बार-बार पूर्ववर्ती सरकार बोल रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पूर्ववर्ती, तो आपके पाप हमें थोड़े ही लेने हैं। आपके पाप लेने के लिये हम...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा) : सवा साल हो गया आपको, यह मैं बता रहा हूं आपको। इस सदन को बता दें कि इस सवा साल में आपने क्या काम किया है?

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायक, आप डिस्टर्ब मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : पी.पी.पी. में आपकी सरकार देकर गयी थी, आपकी सरकार का कर्म किया हुआ है जब से यह बंद पड़ी है। बार-बार हम कंसेशनर को बुला रहे हैं। उसको हमने कानून के अन्दर, जो हमने यह एग्रीमेंट दिया है, इसमें जो प्रावधान किये गये हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप गलतबयानी कर रहे हैं। इनकी सरकार कब थी? ये तो बहुजन समाज पार्टी में थे पिछली बार, इनकी सरकार कब थी?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : देखिये, ये तो पार्टियां भी बदलते रहते हैं, खोलियां बदलते हैं। उसका तो अपन क्या करें। (व्यवधान) अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दोनों माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दीजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, यह बात सही है कि यह पी.पी.पी. की सड़क थी। कंसेशनर ने काम बंद कर दिया। बैंकों से लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में अपने गंतव्य स्थान मुम्बई, माननीय राठौड़ साहब, जो कंसेशनर है वह मुम्बई चला गया। मुम्बई में हमने उनको बार-बार नोटिस दिया... (व्यवधान) साहब, मुम्बई बोल रहा हूं तो आप मुम्बई से क्यों चिड़ रहे हो? मुम्बई बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप कृपया हस्तक्षेप नहीं करें, सुनिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मुम्बई चला गया। मुम्बई में

(श्री युनुस खान)

हमने हमारे अधिकारियों को भेजा, उनको बुलाया। इस एग्रीमेंट में जितने भी कानूनी प्रावधान हैं, उनका उपयोग करते हुए उसको नोटिस दिया है और अब अंतिम उसका कैंसिल करने का नोटिस दिया है। उसकी सुनवाई करके, इसको निरस्त करके जो 20 किलोमीटर बचा हुआ है, राज्य सरकार नियमानुसार इसका निर्माण करवाएगी। जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी।

यह बात सही है कि अब तक जनता इस सड़क की वजह से, जो काम अधूरा पड़ा है, परेशान हुई है और उसके लिए उसका जितना दोष है, उसको दंडित किया जाएगा। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि जितनी मौतें इसकी वजह से हुई हैं, तो सड़क पर तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, लगभग 25 हजार दुर्घटनाएं होती हैं और उन 25 हजार दुर्घटनाओं में लगभग दस हजार लोग मौत के ग्रास चले जाते हैं तो उसमें नियमानुसार कार्यवाही होती है। किस की गलती है? उस गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं? इंश्योरेंस क्लेम करें। उसके नियमानुसार वह करें, उनको मिलेगा। इसमें मतलब, किसी भी तरीके की नियम विरुद्ध हम कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन राठौड़, पूरक प्रश्न है। इसके बाद घनश्यामजी पूछेंगे, इसके बाद नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न का ही पूरक प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्रीजी ने परिशिष्ट- "1" में जो जवाब दिया है, उसमें माननीय विधायक ने जब प्रश्न किया, उसका हवाला देकर विभाग के अधिकारी ने ग्रेफ लिखा। तो पहली बात तो यह है कि उसका हवाला देकर ग्रेफ को लिखा। इससे पहले विभाग क्या सो रहा था? सुओमोटो विभाग ने ही ग्रेफ को पहले क्यों नहीं लिख दिया? माननीय सदस्य द्वारा इसमें हवाला दिया गया है-"रैफर्ड क्वेश्चन नम्बर 1562", यह हवाला देकर डिपार्टमेंट ने पत्र लिखा है ग्रेफ को। तो इससे पहले क्यों नहीं लिखा, इसका जवाब दें?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। इसके बाद, यह जवाब आ जाए, फिर घनश्यामजी। हो गया, दूसरा हो जाएगा यह। लेकिन क्योंकि निर्मलजी का सवाल था इसलिए मैंने अलाउ किया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों का संधारण राज्य सरकार करती है, उन प्रश्नों का उत्तर तो हम सीधा देते हैं लेकिन जिनका संधारण या तो एन.एच.ए.आई. कर रहा है या एन.एच. कर रहा है या ग्रेफ कर रहा है, या मान लीजिए, आई.जी.एन.पी. की सड़क है, या अन्य विभाग जिनका संधारण कर रहे हैं, उनसे हमारा विभाग जब भी विधान सभा में प्रश्न आता है

(श्री युनुस खान)

तो पत्र लिखकर पूछता है। इसलिए हमने पत्र लिखा, उन्होंने जवाब दिया। इसलिए इसका इसमें रेफरेंस दे दिया। वह चिट्ठी परिशिष्ट में माननीय सदस्य को दे दी क्योंकि वह इन्फार्मेशन जो ग्रेफ ने हमको प्रोवाइड करवाई है, उस मूल इन्फार्मेशन को परिशिष्ट के रूप में माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से पूछना है कि पिछली हमारी सरकार ने जो रोड्स सैंक्शन की थीं, उन रोड्स को किस कारण से निरस्त कर दिया गया है? एक दूसरा प्रश्न यह है कि मिसिंग लिंक रोड्स जो कलक्टर के माध्यम से विधायकों से मांगे गये हैं, उसमें कांग्रेस के विधायकों को क्यों वंचित किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : विराजिए। विराजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : मंत्रीजी से जवाब दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां-हां, जवाब दिलवा रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : मंत्रीजी से इस बात का जवाब दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसके बाद इस प्रश्न पर कोई पूरक प्रश्न नहीं किसी का भी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : नहीं, सिर्फ बी.जे.पी. के विधायकों से ही वे प्रस्ताव मांगे गये हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : जो हारे थे विधायक उनसे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : मेरा भी प्रश्न है। ग्रेफ की रोड है, केवल 3 मीटर की है वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छोटू सिंहजी, आप विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : कांग्रेस के जो जीते हुए सदस्य हैं, उनसे प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जनरल बहस नहीं है। जनरल डिबेट नहीं होगी, आप विराजिए। एक मिनट। मंत्रीजी, घनश्यामजी की बात का जवाब दीजिए आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकंदरा से गंगापुर

(श्री घनश्याम)

रोड पिछली सरकार ने सैंक्शन कर दी थी, उस रोड को बाद में मंत्री महोदय ने कैंसिल कर दिया। किस कारण से कैंसिल किया?

श्री अध्यक्ष : केवल आप घनश्यामजी के सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं नैक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, 2013-14 के वर्ष में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब बजट रखा था उस समय बजटरी प्रोविजन किया था 2242 करोड़ रुपये का और स्वीकृतियां जारी की थीं चार हजार करोड़ की, अर्थात् 1800 करोड़ रुपये ज्यादा की स्वीकृतियां। चुनावी वर्ष था, राजनीतिक फसल काटने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका वित्तीय प्रबंधन नहीं किया गया, सिर्फ राजनीतिक फसल काटने के लिए इन्होंने अपने चहेते को, तत्कालीन कांग्रेस के विधायकों को सड़कें बांट दीं। उन्होंने वहां जाकर बोर्ड लगा दिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो बजटरी प्रोविजन किया और न कोई वित्तीय व्यवस्था की और न किसी से लोन लेने की व्यवस्था की। इनकी सरकार बदल गयी, उसके बाद में माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में सरकार आयी तो हमने एक उप समिति बनाकर पिछले छह महीने के जो फैसले थे, वे समीक्षा में रखे। तो यह पाया कि 2242 करोड़ के अगेंस्ट में 4000 करोड़ की स्वीकृतियां जारी कर दीं। तो 1800 करोड़ की स्वीकृतियां लगभग करने की स्थिति में नहीं थीं।

एक और योजना इन्होंने निकाली-“मुख्य मंत्री विशेष सड़क योजना”, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की और इन्होंने स्वीकृतियां जारी कीं 600 करोड़ की। अब आप बताइये, ये कह रहे हैं। आप न तो बजट में प्रोविजन करो, न वित्तीय व्यवस्था करो, न लोन लो। उस स्थिति में जनता को बेवकूफ बनाया। उसी का नतीजा रहा कि आज आपको 21 की संख्या पर आना पड़ा। (व्यवधान) अब आपके जोर-जोर से चिल्लाने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने बायस्ड होकर कोई भी काम नहीं किया है। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय मंत्रीजी, मिसिंग लिंक पर भी बोलो। कांग्रेस सरकार में बी.जे.पी. के विधायकों से मिसिंग लिंक में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर शांति से सुनिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : सुन लो, सुन लो, आपके कर्म सुन लो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मिसिंग लिंक का उठाया है। वर्तमान सरकार ने दो बजट रखे हैं। वोट आन

(श्री युनुस खान)

अकाउंट लिया और उसके बाद में बजट आया और अब नौ तारीख को बजट आएगा। अभी तक किसी भी तरीके की किसी भी माननीय 200 सदस्यों को एक सेंटीमीटर भी हमने मिसिंग लिंक नहीं दी है। (व्यवधान) एक मिनट, आप बात सुनें। बात सुनें पहले। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : प्रस्ताव लिया गया है। प्रस्ताव लिया है मंत्रीजी, आपने (व्यवधान) हमारे से साइन करवाये हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : बी.जे.पी. के जो हार गये, उनसे भी प्रस्ताव लिया है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : उनसे भी प्रस्ताव लिये हैं। हमारे यहां पर हारे हुए को दे दी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : हारे हुए से भी प्रस्ताव मांगे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप विराजिये, सुनें। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अखबार में विज्ञापन लगाया है हारे हुए एम.एल.ए. ने।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : अखबार में विज्ञापन लगाया हारे हुए सदस्यों ने। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मेरी बात तो सुनो। बात तो सुनो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव दिये हैं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : सुन लो। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : वर्तमान सरकार ने, चाहे वह धार्मिक सड़क है, चाहे मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक के लिए विशेष रूप से जिला कलक्टर को राज्य सरकार ने पत्र लिखकर उसकी अध्यक्षता में यह कहा है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों से, सभी जिलों से मिसिंग लिंक के प्रस्ताव प्राप्त करें। पूरे के पूरे 200 विधान सभा क्षेत्रों से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। किसी भी विधायक से अलग से हमने नहीं किये हैं। राजनीतिक आधार पर न आज तक हमने द्वेष रखा है और न हम भेद-भाव करेंगे, यह विश्वास मैं सदन को दिलवा सकता हूं। हमने कोई भी प्रस्ताव नहीं मांगे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा। अगला प्रश्न श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : प्रश्न संख्या-71...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, एक मिनट। प्रतिपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं, कहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं मंत्रीजी से कि इन्होंने मिसिंग लिंक का नहीं रखा, यह आप बता रहे हैं। “गौरव पथ” का आपने हर माननीय सदस्य से प्रस्ताव लिया था। प्रस्ताव जरूर इनके अधिकारियों ने लिये हैं। मौजूदा जो विधायक हैं, उनके प्रस्ताव पर साइन करवा लिये और ले लिये। उसमें से इन्होंने कोई एकाध ही दी होगी, बाकी सारी काट दी। फिर आपने प्रस्ताव क्यों लिया? फिर आपने माननीय सदस्यों से प्रस्ताव क्यों लिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। प्रतिपक्ष के नेता, विराजिये। जवाब आ रहा है। शांति। शांत रहें। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने मिसिंग लिंक की बात कही है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : “गौरव पथ” की कही है। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : “गौरव पथ” पर भी आ जाता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह प्रश्न है ही नहीं हमारे सामने। यह कहां लिखा हुआ है? (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कोई बात नहीं, नहीं है तो। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, “गौरव पथ” में भी मेरे इस कार्य भार के बाद हमने तीन तरीके की स्वीकृतियां जारी की हैं। माननीया वसुन्धराजी राजे, मुख्य मंत्री महोदया की घोषणा के बाद पहली टी.एफ.सी. में पैसा दिया है मेंटिनेंस के लिए, 200 विधान सभा क्षेत्रों में दिया है। उसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 847 करोड़ रुपये हमने नाबार्ड से लोन लिया है। पूरे राजस्थान के 200 विधान सभा क्षेत्रों में न्यूनतम 3 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक सड़कों की मेंटिनेंस का दिया है। वे सड़कें जो क्षतिग्रस्त थीं...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ...(व्यवधान) वह बात करो, आपने बी.जे.पी. के हारे हुए प्रत्याशियों से लिये हैं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने हमारे अधिकारियों से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची मांगी है और उसी के अनुसार 210... (व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : बीजेपी के जो विधायक हार गये, जिनको जनता ने नकार दिया, उनसे गौरव पथ और मिसिंग लिंक के प्रस्ताव लिये इन्होंने। यह तो मानना पड़ेगा। मंत्रीजी, मैंने भी आपको फोन किया था।

एक माननीय सदस्य : तथ्य की बात करो आप। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : लोग वहां पर विज्ञापन लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप शांत रहिये, जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : भारतीय जनता पार्टी के जो एम एल ए हार गये थे, उनसे मिसिंग लिंक के और गौरव पथ के प्रस्ताव लिये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब पसन्द आए, नहीं आए, यह जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आपके हिसाब से जवाब आएगा क्या? माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र भाव से यह निवेदन करता हूं नेता, प्रतिपक्ष से कि हमने 2154 सड़कें ग्रामीण गौरव पथ के तहत स्वीकृत की हैं। 1112 करोड़ हैं, लगभग 2200 किलोमीटर हैं। 200 विधान सभा क्षेत्रों में कुल पड़ने वाली ग्राम पंचायतों का वन थर्ड, उसको थोड़ा वन थर्ड हमने कम कर दिया। लगभग 33 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को हमने इसमें लिया है और उनको स्वीकृत किया है। जो भी सड़कें बन रही हैं, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष नोखा से आते हैं, तो जो भी 10-11 सड़कें बन रही हैं, आप ही के विधान सभा क्षेत्र में बन रही हैं, मेरे तो बन नहीं रही हैं। अगर मैं मंत्री होने के नाते मेरे क्षेत्र में यह स्वीकृति जारी कर देता, ज्यादा स्वीकृतियां जारी कर लेता। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या हारे हुए बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, उनकी अभिशंसा से दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान) अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी उन लोगों से प्रस्ताव ले रहे हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानता जब्त हुई है। उनसे पूछ-पूछकर...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : वे काबिल हैं, जानकारी रखते हैं, फील्ड में रहते हैं। (व्यवधान) वे काबिल हैं, जानकारी रखते हैं और फील्ड में रहते हैं। आप तो ए.सी. में रहते हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : जमानत जब्त होने वाले प्रत्याशियों से प्रस्ताव लेकर बना रहे हैं और जवाब आ नहीं रहा है, जवाब दे नहीं रहे हैं। मतलब, मजाक बना दिया सदन को।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : यह परम्परा किसने डाली? यह परम्परा भी आपने डाली, कांग्रेस वालों। हारे हुए को विधायक कहने की भी आपने डाली। (व्यवधान) झेलते हुए क्यों डर लग रहा है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : लेकिन यह प्रस्ताव हमारी अभिशंसा से एक भी नहीं हुआ। अपनी मर्जी से कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : कांग्रेस के राज में डली परम्परा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है कि इन्होंने सब जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे, लेकिन उन जन प्रतिनिधियों से जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उनकी एक की भी नहीं मानी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : भैरोंसिंह के राज से अब तक ऐसी परम्परा आपने डाली। भैरोंसिंह जी ने तो सबको समान अवसर दिये। आपने डाली हारे हुओं से प्रस्ताव लेने की परम्परा। (व्यवधान) यह परम्परा आपने डाली है। अब दर्द क्यों हो रहा है। (व्यवधान) अब आप झेलो। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : हैण्डपम्प के कार्य के लिये तो आपने बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों से लिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : यह परम्परा आपने डाली थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है और ज्ञानदेव जी आहूजा ने पूछ लिया है। श्री ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अध्यक्षजी, या तो सरकार यह कह दे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आपके हिसाब से जवाब नहीं आएगा। बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : प्रश्न संख्या 71.

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे। मैं एक बात निवेदन करूं। (व्यवधान) आप बैठिये। नहीं, आप बैठिये। नहीं सुनूंगा। अंकित नहीं हो इनका। (व्यवधान) क्या मतलब है यह? बैठिये आप। बैठिये, मैं कह रहा हूं, बैठिये। (व्यवधान) एक शब्द नहीं जाना चाहिये इनका। एक शब्द नहीं जाना चाहिये। यह क्या मतलब है? अपने हिसाब से चाहते हैं जवाब, वह नहीं आएगा। आपके हिसाब से जवाब नहीं आएगा। आप बैठिये। आप बीच में दखल मत कीजिए। (व्यवधान) बैठिये। बैठ जाइये। मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाइये। आपकी आदत पड़ गयी है दखल करने की। बैठ जाइये। यह क्या मतलब है? बैठिये आप। (व्यवधान) हां, बैठिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। मैं निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाइये। (व्यवधान) नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है, नो। आप बैठिये। अनुशासनहीनता के कारण जो सवाल पूछते हैं, उनका जवाब नहीं। उनको भी निर्देश दूंगा। माननीय, आप धीरे-धीरे बोलिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : ×××

श्री अध्यक्ष : इनका एक शब्द भी अंकित नहीं हो। (व्यवधान) क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब करने दो।

श्री धीरत गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई जवाब नहीं, बैठ जाइए। मंत्रीजी खड़े हो गये हैं। ज्ञानदेव आहूजा।

जिला परिषदों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

71. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की जिला परिषदों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यालयों

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

में कितने कर्मचारी संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर एवं अन्य पदों पर कार्यरत हैं? नाम, पदनाम एवं नियुक्ति तिथि व वेतन, शैक्षणिक योग्यताओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में जिला परिषदों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में नियमित श्रेणी के पद होने के उपरान्त भी स्थायी भर्ती के स्थान पर संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर सहित अन्य कार्मिक लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों पर स्थायी कर्मचारी भर्ती करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त पदों पर वर्तमान में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर स्थायी करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिला परिषदों एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में लिपिकों व कम्प्यूटर आपरेटर्स का अभाव है जिसके कारण एक-एक लिपिक पर अनेक योजनाओं का कार्यभार है? यदि हां, तो जिला परिषद, अलवर में संविदा पर कार्यरत तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स को हटाये जाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अलवर सहित प्रदेश के सभी ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को अकारण ही हटाकर नये मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा नये सिरे से विज्ञप्ति जारी कर नियुक्तियां की जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं एक निवेदन करूं, हमारे मंत्री महोदय का 14 दिन पहले एक आपरेशन हुआ था, उनको शांति से सुनिये। और उनको मैं बहुत धीरे-धीरे बोलने के लिये कहूंगा। पूरक प्रश्न का भी जवाब धीरे-धीरे देना, जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल) : बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

(1) राज्य की जिला परिषदों/ग्रामीण प्रकोष्ठों में कम्प्यूटर आपरेटर एवं अन्य पदों पर संविदा पर लगे कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियमित श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की कार्यवाही वर्ष 2013 में की गयी थी बोनस अंकों की संख्या के सम्बन्ध में विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरान्त तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जिला परिषद अलवर में न तो संविदा पर तीन कार्मिकों को लगाया गया था एवं न ही किसी को हटाया गया है।

(5) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न। ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी लेना चाहता हूं, खण्ड-1 में जो परिशिष्ट दिया गया है, इसमें संविदा कर्मचारी जो लगे हुए हैं, आपने हर जिले का ब्यौरा दिया है, इसके अलावा भी कितने रिक्त स्थान हैं, यह भी जानकारी आप देने का कष्ट करें?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ जाए, फिर दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में जिला परिषदों में नियमित 720 पद पंचायत प्रकोष्ठों में तथा 278 पद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठों में अर्थात् कुल 998 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 564 पद रिक्त चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके अलावा जो रिक्त स्थान हैं, इनमें नियमित भर्ती करने के लिये और जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उनको स्थायी करने के लिये अब आगे भविष्य में तैयार है कि नहीं है यह सरकार, इसके बारे में बताएं? एक इसके साथ जुड़ा हुआ अलवर का जो उत्तर दिया है, वह गलत है। वहां तीन कर्मचारी लगाये गये। इन्होंने कहा, नहीं लगाये गये। और लगाने के बाद हटाये गये। क्योंकि जिला परिषद के सचिव और जिला प्रमुख वहां पर गड़बड़ करके उनसे पैसे लेकर लगाते हैं, और पैसे लेकर हटाते हैं। उनको हटाया तो वे हाई कोर्ट के माध्यम से...(व्यवधान) आपके जिला प्रमुख थे साफिया खान जी, हमारा नहीं था। आपके जिला प्रमुख कांग्रेस के थे।

श्री अध्यक्ष : आप शांत रहिये। निवाई से आने वाले माननीय विधायक, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मैं इन दिनों आपको ज्यादा कह नहीं रहा। आपका बहुत चिन्तन कर रहा हूं ताकि विपक्ष के साथ कृपा बनी रहे। पर वह जिला प्रमुख साफिया खान थी, वह कांग्रेस की थी, बीजेपी की नहीं थी। इनको हाई कोर्ट से वापस लगाया गया। आपने उत्तर दिया है...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : यह बताएं। यह तो खुद ही असत्य रिपोर्ट दे रहे हैं। इनको अधिकारी जी दे देते हैं कि हटाये गये, नहीं हटाये गये। इनको खुद को ही जानकारी नहीं है। सीईओ करता है, सीईओ तो आपका लगाया हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : हटाये गये और वापस हाई कोर्ट से आये, क्या यह सही है, कृपया यह जानकारी दें?

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह पूछा है कि कम्प्यूटर आपरेटर को हटाया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं, माननीय सदस्य, जिला परिषद अलवर में जिन संविदाकर्मियों को हटाया गया था, वे समन्वयक पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण समन्वयक तथा आई ई सी समन्वयक के पद पर कार्यरत थे। प्रशासनिक व्यय भार को कम करने के कारण जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलवर द्वारा उक्त कार्मिकों का अनुबन्ध आगे नहीं बढ़ाया गया था। उसके खिलाफ कर्मचारी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जिसकी पालना में इन तीनों कार्मिकों को पुन: कार्य पर रख लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि क्या नियमित नियुक्ति करने का विचार रखते हैं क्या…

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे, आराम से।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करूं कि 2013 में नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। जो मैं पद बता रहा हूं 4788- कनिष्ठ अभियन्ता 2061, सहायक कार्यक्रम अधिकारी 249 पद, कम्प्यूटर अनुदेशक 460 पद, अकाउंट असिस्टेंट 1870 पद, कोआडिनेटर आई.सी. 44 पद, कोआर्डिनेटर ट्रेन 54 पद, कोआर्डिनेटर सुपरवाइजर 50 पद और कनिष्ठ लिपिक 21,748 पद, इन पदों की भर्ती के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। कनिष्ठ लिपिक के लिए तो 25-2-2013 को विज्ञप्ति जारी करके आनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिये थे और इनकी जगह 7,709 कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दे दी गयी थी। नियुक्ति देने से पहले राज्य सरकार ने इनको एक साल के अनुभव के आधार पर 10 अंक, दो साल के आधार पर 20 अंक और तीस साल के अनुभव के आधार पर 30 अंक देने का प्रावधान करके इनको…(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तीन साल का, तीन साल का अनुभव।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री) : हां, तीन साल का।

ये जो 4788 पद थे, इन पदों की विज्ञप्ति 15.3.2013 को जारी की गयी थी। हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में डाइरेक्ट भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

थी, इनमें भी बोनस अंक देकर इनको नियमित नियुक्तियां करनी थीं। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन भी कर लिया गया था। परन्तु कुछ अभ्यर्थी राजस्थान हाई कोर्ट में चले गये और राजस्थान हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने इन नियुक्तियों के बोनस अंक के खिलाफ स्टे ले लिया था। तो फिर राज्य सरकार डबल बैंच में गयी और डबल बैंच ने यह निर्णय दिया कि चूंकि आपने दस, बीस, तीस जो बोनस अंक दिये, वो सही नहीं है, इनको अनुभव के आधार पर पांच, दस और पन्द्रह अंक देकर नियुक्तियां की जाएं।

चूंकि यह विद्यार्थियों का अहित हो रहा था इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी और एस.एल.पी. दायर की। वो एस.एल.पी. विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी और नियमित नियुक्तियां की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न, श्री बाबू सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : पूरक प्रश्न जो है, जो मूल भावना है...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। पूरक प्रश्न, बाबू सिंह जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करें। मेरी मूल भावना यह है...

श्री अध्यक्ष : आप दो प्रश्न पूछ चुके हैं, विराजिये। (व्यवधान) बात कर लेना। नहीं। पूरक प्रश्न, श्री बाबू सिंह जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : इसी का ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न में मूल भावना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना व्यक्तिगत। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : नहीं, नहीं, पूरक प्रश्न की मूल भावना नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत बात कर लो। हां, बाबू सिंह जी। (व्यवधान) विराजिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ग्राम सेवकों के रिक्त पदों के विरूद्ध एल.डी.सी. को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, क्या यह सही है? यदि हां, तो नियमित ग्राम सेवक लगाने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एल.डी.सी. को नियुक्त किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि बहुत पद रिक्त हैं, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि नयी भर्तियां शुरू की जा रही हैं और ज्यों ही भर्तियां शुरू हो जाएंगी और नियुक्तियां हो जाएंगी, उसके बाद में ग्राम सेवक लगा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : अब दो पूरक प्रश्न होंगे, एक तो जोगाराम पटेल का, दूसरा गोविन्द सिंह डोटासरा का। उसके बाद इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं आएगा। श्री जोगाराम जी। इसके बाद डोटासरा जी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार। आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार जिला परिषदों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर या अन्य नाम से जो भी पोस्ट हैं, उन पदों पर विशेष योग्यजन को तीन प्रतिशत का आरक्षण देने का विचार रखती है अथवा नहीं, एक बात?

दूसरा, जो भी आपने नियुक्तियां दी हैं या नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अण्डर चैलेंज हैं, उन सब में विशेष योग्यजन का जो बैकलाग है, वो भरने का सरकार विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन परसेंट देने का कोई राज्य सरकार का विचार नहीं है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन को अवगत कराया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसी बातचीत नहीं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय पारित करेगा उस निर्णय के अनुसार नियुक्तियों को प्रारम्भ किया जाकर नियुक्तियां की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार ने आते ही यह कहा था कि हमारे शासन में जो भी एस.एल.पी. दायर की गयी थीं, उनको हम जल्द ही लेकर बेरोजगारों को नियुक्ति देने का काम करेंगे, तो मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जो एस.एल.पी. दायर की गयी हैं भर्ती के मामले में उनको कब तक वापस लेकर बेरोजगारों को नियुक्ति देने का विचार रखते हैं?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दूसरा इसके साथ में है, जो कम्प्यूटर आपरेटर संविदा पर थे उनको बाबू बनाया गया है लेकिन आज भी उनसे काम कम्प्यूटर का ही लिया जा रहा है। तो, माननीय मंत्री महोदय, इन एल.डी.सी. नियुक्त लोगों को जो कम्प्यूटर का ज्ञान रखते हैं, जो आज भी कार्यालयों में, डी.आर.डी.ए. जिला परिषद में कम्प्यूटर का काम कर रहे हैं, कब तक कम्प्यूटर में प्रमोट करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय। आप करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. विचाराधीन है और उस एस.एल.पी. को अनकंडीशनल विड्रा करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दायर कर दिया है। उसकी पेशी 17.3.2015 को रखी गयी है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : वैसे तीन पूरक प्रश्न हो चुके हैं लेकिन हमारे वरिष्ठ सदस्य पूछना चाहते हैं। आप नहीं पूछेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : साहब, मैं अब नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : चलिये। अगला प्रश्न। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर के बारे में जो इन्होंने बताया है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है और जो भी काम के जानकार हैं, उनको उन्हीं पदों पर लगाया गया है, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी के पेयजल समस्याग्रस्त गांवों हेतु पेयजल योजना

72. **श्री गोतम कुमार** (बड़ी सादड़ी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अधिकांश गांव पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गयासपुर, देवगढ़, रठवाना, धमोतर, बरडिया, थडा, बासवरदा, मंगलवाड़, मोरवण, इडरा, संगेसरा, करसाना, भानाखेड़ी, बड़बई, बिलोट, देलवास, पण्डेडा, अमीराना एवं पारसोली में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी) : जी नहीं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सम्मिलित 422 आबाद राजस्व ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। इन 422 राजस्व ग्रामों में से 286 ग्रामों में 100 प्रतिशत, 76 ग्रामों में 75 से 100 प्रतिशत, 19 ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत एवं 41 ग्रामों में 25 से 50 प्रतिशत के जल सेवा स्तर से पेयजल आपूर्ति किये जाने के कारण क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या वर्तमान में नहीं है।

प्रश्न में वर्णित 19 ग्रामों में से पम्प एवं टैंक जल योजना से लाभान्वित ग्राम रठांजना की परिवर्तित क्षेत्रीय जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.8.2013 को जारी की जा कर योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम रठांजना एवं शेष 18 ग्रामों में विभिन्न पेयजल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है। ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के 124 ग्रामों सहित जिला प्रतापगढ़ के 554 ग्रामों में सतही जल स्रोत जाखम बांध से पेयजल आपूर्ति द्वारा स्थायी समाधान के अन्तर्गत परियोजना निर्माण बाबत आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा प्रपत्र, इत्यादि तैयार करने हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 254.04 लाख की स्वीकृति दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को जारी की गयी। उक्त कार्य हेतु मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को राशि रुपये 241.16 लाख का कार्यादेश दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा कार्यादेश अनुसार यह कार्य माह मई, 2015 तक पूर्ण करना लक्षित है। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि गम्भीर समस्या से ग्रस्त नहीं बताया गया लेकिन प्रतापगढ़ में थड़ा, बरडिया, देवगढ़, खोरिया, विकलाड़, गयासपुर ये जो गांव हैं, ये पठारी गांव हैं, वहां जनवरी तक तो पानी रहता है लेकिन जनवरी बाद पठारी स्थल होने से पानी सीधा-सीधा 300-400 फीट नीचे चला जाता है तो वहां हैंडपम्पों से और इससे पूर्ति हो नहीं पाती है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डी.पी.आर. तैयार कराने के लिए ढाई करोड़ रुपये की एक सैंक्शन निकाली है, लेकिन वो

(श्री गोतम कुमार)

1200 करोड़ के आसपास की योजना है और वो पता नहीं कब स्वीकृत होगी। जाखम डैम हमारे पास में ही है, 16 गांवों में तो अभी जाखम से पानी जा रहा है, मेरा आपसे आग्रह है कि अभी उसमें ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा, दो-पांच करोड़ की कोई पेयजल योजना बन जाए। ऊपर की पांच-सात पंचायतें हैं इनमें कोई योजना बना कर हो, अभी फरवरी महीने से ही वहां पानी की बहुत शार्टेज हो गयी है। टैंकर से पानी की सप्लाई होती है और वो भी पूरी नहीं हो पाती है। आधे टैंकर वाले पानी पहुंचा नहीं पाते। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, अपने रठांजना में कुल्मीपुरा में टंकी बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : वहीं से एक लाइन और निकल जाए तो इन पंचायतों में एक बार और कोई सर्वे करवाकर और एक छोटी योजना बनाकर इन गांवों को त्वरित लाभ देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो विचार का कहा है, यह जाखम बांध की योजना है यह अपने आप में सारे गांवों को कवर करने की योजना है, 422 ग्रामों को यह कवर करेगी। इतना बड़ा निर्णय आज तक कभी नहीं हुआ जो निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया और जिस पर काम शुरू हो गया। पीडीकोर को कार्यादेश दे दिया गया है डी.पी.आर. बनाने का। मई माह में यह डी.पी.आर. हमारे पास आ जाएगी। डी.पी.आर. आने के पश्चात् ही हम इसको डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से शार्ट स्कीम के अन्दर क्या लेना है। या जिस तरीके से आपके विचार हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों को अगर पहले कुछ पेयजल उपलब्ध किया जा सकता है तो उस पर विचार किया जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बार जब तक डीपीआर हमारे पास नहीं आ जाए, उसके पहले हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : प्रतापगढ़ के लिए तो आपने बता दिया लेकिन बड़ी सादड़ी और डूंगला के कुछ गांवों के लिए भी पेयजल की योजनाओं का एस्टिमेट आपके पास पहुंचाया था, अगर हो सके तो इस बजट में उन गांवों को भी जोड़ने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये। मंत्री महोदय।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बड़ी सादड़ी के अन्दर वर्तमान में काफी योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। 19 योजनाएं हमारी चल रही हैं और उनकी सारी प्रगति रिपोर्ट मैं इनको प्रेषित कर दूंगी।

श्री अध्यक्ष : चलो। श्री धीरज गुर्जर। इसी प्रश्न से सम्बन्धित, क्योंकि एक्सक्लूसिव बड़ी सादड़ी का सवाल है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : चम्बल परियोजना, भीलवाड़ा, आपके खुद के शाहपुरा में काम नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। सवाल साफ है और बड़ी सादड़ी के इस सवाल के सम्बन्ध में है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : चम्बल परियोजना आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, चम्बल नहीं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : सबसे धीमा काम शाहपुरा और जहाजपुर में हो रहा है। 2 परसेंट काम हुआ है शाहपुरा में।

श्री अध्यक्ष : बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित कुछ है क्या? अगर नहीं है तो विराजिये। दूसरा नाम है सुखाराम जी। आप बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित कर रहे हैं?

श्री सुखाराम (मेड़ता) : नहीं।

श्री अध्यक्ष : तीसरा है शुभकरण जी चौधरी। बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित? बड़ी सादड़ी से, इस सवाल से सम्बन्धित?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से सम्बन्धित तो नहीं लेकिन पूरे राजस्थान से सम्बन्धित बहुत छोटी-सी बात है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, राजस्थान का नहीं। अगला सवाल। श्री हरिसिंह रावत।

भीम में लम्बित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन

73. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत तीन वर्षों में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन जारी की गयी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन आवेदकों के पुत्र-पुत्रियां 25 वर्ष के अधिक आयु के हैं,

(श्री हरिसिंह रावत)

किन्तु बेरोजगार अथवा गम्भीर रोगी या अस्वस्थावश कमाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदकों को किस कारण वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा एवं अन्य पेंशन जारी नहीं की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी) : (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन की निम्न श्रेणियों (राष्ट्रीय एवं राज्य) में प्राप्त एवं पेंशन जारी किये गये आवेदनों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

क्रम संख्या	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या			पेंशनरों की संख्या जिनको लाभान्वित किया गया		
		वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन	वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
1.	2012-13	2365	621	38	2295	589	35
2.	2013-14	14110	1096	297	14055	1072	279
3.	2014-15	584	102	108	561	94	104

(2) राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृति में पुत्र की शर्त लागू नहीं है। जिनके पुत्र राजकीय सेवा में हैं, ऐसे आवेदकों को पेंशन स्वीकृति का प्रावधान नहीं है। पेंशन आवेदन हेतु नियमानुसार आवेदक की पात्रता होने पर पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र भीम में गत तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत अपूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने, नियमानुसार आयु सम्बन्धी दस्तावेज पूर्ण न होने, दोहरी पेंशन स्वीकृतियां जारी होने एवं पुत्र के राजकीय सेवा में होने आदि कारणों से पेंशन जारी नहीं की गयी है, जिसका संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :—

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

क्रम संख्या	वर्ष	पेंशन जारी नहीं किये गये आवेदनों का विवरण		
		वृद्धावस्था	विधवा	विशेष योग्यजन
1.	2012-13	70	32	03
2.	2013-14	55	24	18
3.	2014-15	23	08	04

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर एक। माननीय हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे वृद्धजन जिनके पुत्र राजकीय सेवा में हैं या अन्य प्राइवेट सर्विस में कार्यरत हैं, लेकिन वे अन्यत्र रहते हैं, आज इस कलियुग के जमाने में कोई मां-बाप की सेवा नहीं करता है। सेवा नहीं करने के कारण, जब हम गांवों में जाते हैं तो ऐसे वृद्धजन, ऐसी विधवा माताएं हमारे पास आती हैं कि हमारी पेंशन करा दो, हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिनके पुत्र राजकीय सेवा में हैं या महाराष्ट्र, गुजरात या अन्य जगहों पर अपने बच्चों को रखकर अपना पालन-पोषण कर रहे हैं लेकिन माता-पिता की कोई सेवा नहीं करते हैं।

श्री अध्यक्ष : सतयुग का इंतजार करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ऐसे वृद्धजन या ऐसी विधवा माताओं को सरकार पेंशन या अन्य सुविधा देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें अभी तक इतना है कि जिनके पुत्र सरकारी सेवा में हैं उनको प्रावधान नहीं है। अभी तक इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विधवा माता को हम पेंशन देते हैं और पालनहार योजना के अन्तर्गत उनके बच्चों को भी हम लाभ देते हैं। ऐसे विधुर पिता जो बीपीएल श्रेणी या अंत्योदय श्रेणी में आते हैं और वे अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुन: विवाह नहीं करते हैं, क्या सरकार उनको भी विधवा के पैटर्न पर विधुर के रूप में पेंशन देने का विचार रखती है?

(श्री हरिसिंह रावत)
पालनहार योजना के अन्तर्गत क्या उनके बच्चों को भी सरकार लाभ देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : मेरे लिए भी प्रावधान होना चाहिए। (व्यवधान) विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप तो, अध्यक्ष महोदय, अखंड कुंवारे हैं। आप दूसरी श्रेणी में हैं, अध्यक्ष महोदय। आप तो अखंड कुंवारे हैं।

श्री अध्यक्ष : यूं है क्या?

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : पर अध्यक्ष महोदय के तो पुत्र-पुत्री हैं ही नहीं न, इसलिए वे तो इस परिधि में आते ही नहीं हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समस्या की तरफ ध्यानाकर्षित किया है, अभी तक कोई ऐसा विषय न आया है और न ही इसके ऊपर विचार चल रहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : तो विचार करिए, विचार रखिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी, देखिए, इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि नहीं है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : सम्बन्धित है। पेंशन योजना का है। इसमें पेंशनों के भुगतान में दो-दो, तीन-तीन माह लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भीम से ही सम्बन्धित होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : पेंशनरों को दो-दो, तीन-तीन महीनों तक पेंशन नहीं मिलती है। यह पूरे राजस्थान का विषय है।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है, विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, भीम से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : इनसे सम्बन्धित प्रश्न है मेरा...(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने की कृपा करेंगे कि भीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्या लोगों को हर माह समय पर पेंशन मिल रही है?

श्री अध्यक्ष : बिलकुल ठीक। यस।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में लागू होता है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल रेलेवेंट सवाल किया है जो मैंने अलाउ किया है और आप जवाब दीजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : पूरे राजस्थान में लागू होता है यह प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : वह तो होगा लेकिन भीम का है। अभी भीम विधान सभा क्षेत्र...(व्यवधान) प्रश्न ठीक पूछा है। ठीक ढंग से पूछा है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे भी सीखने को मिलता है, बहुत अच्छे विषय को ध्यानाकर्षित किया है। जो विरासत में हमें चीज मिली थी, उसमें पोस्टल आर्डर के माध्यम से पेंशन के वितरण की व्यवस्था है, डाक घरों के माध्यम से।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : पोस्टल आर्डर नहीं मनीआर्डर से।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : हां, मनीआर्डर से। मनीआर्डर से वितरित करने की व्यवस्था है उसकी। उसमें पहले दिक्कतें थीं कि पेंशन विलम्ब से पहुंचती थी। उसको हमने रैगुलेट किया है। बीच में कुछ दिक्कतें आयीं। नियमों में प्रावधान करते हुए अब नियमित रूप से सबकी पेंशन जा रही है। भीम में भी जा रही है। उसमें आगे जाकर हमने और प्रावधान किया। सभी माननीय सदस्य इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि आपने जो पिछला बजट 2013 में रखा था, उसमें केवल 800 करोड़ का प्रावधान किया था। पेंशन का बजटीय प्रावधान नहीं था। केवल वोटों के कारण से आपने पेंशन की घोषणा कर दी। 2500 करोड़ रुपए कुल खर्च हुए। हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने बजट के प्रोविजन को बढ़ाया। हम बंद नहीं करने वाले हैं। आपने जो कमियां छोड़ी थीं, उनको दूर करना सुनिश्चित करेंगे। जो पाप आप छोड़ गये, उसको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। हमने अब इसको सुनिश्चित किया है और आगे जाकर जो भामाशाह योजना है, उस योजना के साथ इसको लिंक कर दिया। काफी लोगों को जोड़ दिया है और आने वाले समय में पेंशन होल्डर्स के बैंक में खाते खोलकर सब कुछ उस खाते के माध्यम से भुगतान करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : यह आपको पाप लग रहा है, माननीय मंत्रीजी? विधवाओं को, परित्यक्ताओं को, वृद्धजनों को पेंशन दें, क्या यह पाप है?

श्री अध्यक्ष : यह भीम से सम्बन्धित होना चाहिए। मैं व्यवस्था नहीं बदल सकता। भीम विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है?

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : हां, यह सब की विधान सभा का है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : अच्छा, वह भीम से ही सम्बन्धित प्रश्न...(व्यवधान) भीम से सम्बन्धित ही है।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ प्रश्न भीम विधान सभा के बारे में ही।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : वही पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : उसी के बारे में मंत्रीजी की तैयारी है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा भी था... (व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा) : अध्यक्षजी, भीम से अभी माननीय हरिसिंह जी रावत विधायक हैं, इनकी बजाय अगर भीम से कोई महिला विधायक होती, उस महिला विधायक की डैथ होने के बाद क्या उसके पति को पेंशन देने का विचार रखती है कि नहीं सरकार?

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। भीम के विधायक के बारे में था। महिला विधायक होती तो? आप इसका जवाब दे दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : भीम के माननीय सदस्य ने जो सवाल किया था, उसी से ही सम्बन्धित है, काल्पनिक प्रश्न है। कोई इस तरह का विषय विचाराधीन नहीं है...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : वह विधवा नहीं, विधुर होगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री ज्ञानचन्द पारख। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) : घुमा कर रख दिया।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न भी पाली जिले का है, श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान) शान्त रहिए, शान्त रहिए। मंत्री महोदय।

पाली में अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत वितरित गेहूं

74. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रति माह प्रति व्यक्ति कितना-कितना गेहूं दिया जा रहा है तथा प्रति माह कितना गेहूं दिये जाने का प्रावधान है?

(2) अन्न सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व बी पी एल एवं ए पी एल परिवारों

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना-कितना गेहूं अथवा आटा किस-किस दर पर दिया जा रहा था?

(3) क्या यह सही है कि अन्न सुरक्षा योजना में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या वर्तमान में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो किन-किन कारणों से कितना-कितना गेहूं दिया जा रहा है?

(4) क्या सरकार अन्न सुरक्षा योजना के प्रावधानानुसार प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में गेहूं की आपूर्ति बढ़ा दी जाएगी व नहीं तो क्यों?

(5) क्या सरकार पूर्व की भांति ए पी एल परिवारों को भी अनुदानित दर पर गेहूं अथवा आटा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं किस दर से व नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री हेमसिंह भड़ाना) : (1) पाली जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत बी पी एल एवं स्टेट बी पी एल परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड प्रति माह दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत शेष गेहूं अन्य चयनित पात्र लाभार्थियों हेतु समानुपातिक दिया जा रहा है, जबकि प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने का प्रावधान है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2013-14 में अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी पी एल, स्टेट बी पी एल परिवारों को 1.00 रुपये प्रति किलो ग्राम गेहूं 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह दिया जा रहा था एवं ए पी एल परिवारों को 10 किलो ग्राम आटा प्रति माह प्रति राशन कार्ड 5.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से दिया जा रहा था।

(3) जी हां। बी पी एल, स्टेट बी पी एल एवं अन्त्योदय परिवारों को प्रावधानानुसार 5 किलोग्राम गेहूं एवं शेष पात्र लाभार्थियों को समानुपातिक रूप से गेहूं दिया जा रहा है। भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य 446 लाख यूनिट के विरुद्ध 531 लाख यूनिट का चयन हो जाने के कारण सभी लाभार्थियों को प्रावधानानुसार लाभ नहीं दिया जा रहा है।

(4) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूचियों के शुद्धिकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(5) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जितने लोग पात्रता रखते हैं अन्न सुरक्षा योजना में 2 रुपये किलो गेहूं प्राप्त करने की, उसमें जो लक्ष्य है भारत सरकार द्वारा दिया हुआ, उसमें आपकी संख्या ज्यादा है तो क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से लक्ष्य बढ़ाने का प्रयास किया, एक तो इस बात का जवाब दे दें? और दूसरा मेरा पूरक प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : दोनों साथ ही कर रहे हैं पूरक प्रश्न?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : हां, दोनों एक साथ ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : पहले ए पी एल परिवारों को भी प्रति माह 10 किलो आटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा था। केन्द्र की कांग्रेस सरकार की सस्ती वाह-वाही लेने के चलते, कि 2 रुपये किलो गेहूं हम गरीब को देंगे, कई हजारों परिवार एक विधान सभा क्षेत्र में इस 5 रुपये किलो के आटे से वंचित हो गये यह खाद्य सुरक्षा योजना लागू होने के बाद। सरकार ऐसे परिवार जो अन्न सुरक्षा योजना में पात्रता नहीं रखते लेकिन वाकई में मध्यम वर्ग से या गरीब श्रेणी से हैं, उनको रियायती दर पर गेहूं या आटा देने की कोई मंशा रखती है? इन दोनों बातों का जवाब आप मंत्री महोदय से दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : एक साथ दे दीजिए आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि खाद्यान्न की वृद्धि होनी चाहिए। सरकार के मापदण्डों के अनुसार शहरी आबादी में 53 परसेंट और ग्रामीण आबादी में 69 परसेंट का ही क्राइटेरिया रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के उपरान्त जो चयन अधिक हुआ, उसके सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। हमारा लक्ष्य 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति देने का है, पूर्व से जो हम 2.5 किलोग्राम देते थे, उसमें लक्ष्य में वृद्धि हुई है। जो इन्होंने कहा है आटा देने का प्रावधान, माननीय, केन्द्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2013 को जारी खाद्य सुरक्षा की पालना राज्य सरकार ने की उसके अन्तर्गत दो ही श्रेणियां हैं- एक तो अन्त्योदय और पात्र, दो ही श्रेणी हैं जिनके अन्दर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाला गेहूं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिये दोनों ही एक साथ।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : पूरा जवाब मिला नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा जवाब नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, ठीक है, एक और पूरक प्रश्न कर लीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पाली से हैं, मैं आपको मौका दूंगा। पाली से सम्बन्धित है तो दूंगा अवसर।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : ऐसा नहीं है कि लक्ष्य के विरुद्ध ज्यादा लोगों का चयन हो गया। सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत-से ऐसे परिवार हैं जो पात्रता रखते हैं लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। लक्ष्य तो भारत सरकार से कहकर आपको बढ़ाना होगा। जो व्यक्ति पात्रता रखता है, जो क्राइटेरिया दिया है कि इस-इस कैटेगरी के व्यक्ति अन्न सुरक्षा योजना में पात्रता रखते हैं, आप आकड़े सही करके भारत सरकार को भिजवाओ कि राजस्थान में अन्य प्रदेशों की तुलना में गरीब कम नहीं हैं, यहां गरीबों की संख्या ज्यादा है। आप भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजो। लगता है कि बहुत परिवार रह गये।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : दूसरा मध्यम वर्ग है जो 5 रुपये किलो आटे से वंचित रह गया, उसका प्रस्ताव भी राजस्थान सरकार को भारत सरकार को भिजवाना चाहिए। हजारों परिवार वंचित रह गये हैं, हमको उनके बारे में सोचना चाहिए। (व्यवधान) ये सारे कारनामे पिछली सरकार ने किये हैं। हजारों-हजारों, लाखों-लाखों परिवारों को वंचित कर दिया। पिछली सरकार ने जो कारनामे किये, उनको ठीक करना हमारा काम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं आपको जानकारी के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार एन एफ सी की भावना के अनुरूप योजना की प्रभावी क्रियान्विति हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं:— अगस्त, 2004 में बी पी एल, स्टेट बी पी एल को 5 किलोग्राम यूनिट प्रति माह देने के प्रभाव से लगभग 10, 625 मैट्रिक टन गेहूं की बचत हुई। अचयनित यूनिटों के शुद्धिकरण के आधार पर पूरे राज्य में 619717 यूनिट्स अब तक कम की जा चुकी हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है। उपरोक्त दोनों कदमों से उपलब्ध गेहूं की 13700 मैट्रिक टन मात्रा अन्य पात्र व्यक्तियों को समानुपातिक आबंटन करने के फलस्वरूप

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

अब यूनिट 2.5 से बढ़कर 3.82 प्रति किलोग्राम प्रति माह खाद्यान आबंटित किया जा रहा है।

दूसरा इन्होंने कहा है कि जो हमारे चयन से बाहर रह गये हैं, अपात्र व्यक्ति आ गये हैं उनकी चयन की प्रक्रिया जारी है और जो व्यक्ति अपात्र हैं उनको भी समावेश करने की प्रक्रिया जारी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप पूरक प्रश्न कर चुके, आप विराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : मेरे पूरक प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा है कि आप भारत सरकार को कहिए। अनुशंसा की या नहीं की, यह बता पूछी है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लो आप।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं, आप मंत्री महोदय से बात कर लेना। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हम समायोजन कर रहे हैं श्रेणियों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। 21600 परिवारों को ऐसे सूचियों में डाला गया है और शेष का अभियान अभी फरवरी और मार्च में चल रहा है। उसके बाद अगर यह पूरा का पूरा पात्र व्यक्तियों को नहीं मिलेगा तो केन्द्र सरकार को लिखने की सोची जाएगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। मेवारामजी। पाली से सम्बन्धित है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिए। (व्यवधान) इनके बाद आपका।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : दुबारा सर्वे के नाम से जो सूचियां बनायी जा रही हैं, बाड़मेर शहर की पापुलेशन सवा लाख है और सिर्फ 117 चयन हुए हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : बाड़मेर कहां से आ गया?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : सारे नाम काट दिये दुबारा चयन में। सवा लाख की पापुलेशन और 117 यह रिकार्ड मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह पाली से रिलेटेड है क्या? नहीं, पाली का सम्बन्ध नहीं है। केसाराम चौधरी। (व्यवधान) मैं नहीं दिला सकता जवाब। श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं लेकिन जिस प्रकार से मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, पाली के अलावा उन्होंने पूरे राजस्थान का जिकरा किया है। एक बात सुन लें, अध्यक्ष महोदय, बाकी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, सिर्फ एक बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : मेरा नाम पुकार लिया है, आप बहुत सीनियर विधायक हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : प्रश्न यदि पूरे राज्य का आता है तो पाली के अलावा...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पाली की बात कह रहा हूं और आप बीच में ही बोल रहे हैं। आप पुराने सदस्य हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। (व्यवधान) मैं आपके कारनामे बता रहा हूं, आप सुनिए थोड़ा... (व्यवधान) आपके कारनामे हैं वह खोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमें इस पर एतराज है, आपके क्या कारनामे हैं? (व्यवधान) आपके क्या कारनामे हुए?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : आपकी सरकार के। आपकी सरकार के कारनामे। मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) आपकी सरकार के कारनामे। (व्यवधान) आप सुनिए तो सही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमें एतराज है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कारनामे इस पर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : मार्च 2012 से सितम्बर, 2013 तक ए पी एल परिवारों को 5 रुपये किलो गेहूं बाटा था, मगर पूरे राजस्थान में कहीं भी ए पी एल परिवार को आटा नहीं बांटा गया। केवल राशन वितरकों के हस्ताक्षर करके भरपाई कर ली गयी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री अध्यक्ष)

1. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गुढामलानी की बूठ जेतमाल ग्राम पंचायत समिति को बाड़मेर तहसील के स्थान पर धोरीमन्नां तहसील के क्षेत्राधिकार में करने के सम्बन्ध में।

2. श्री हनुमान बेनीवाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र बाड़मेर/जैसलमेर में विदेशी व्यक्ति को नियम विरुद्ध वीजा बनाकर लगातार घूमने की अनुमति देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से पूरे प्रदेश में 28 फरवरी एवं 1 मार्च, 2015 को हुई तूफानी वर्षा व ओलावृष्टि से फसल एवं पशुओं के हुए नुकसान का आंकलन कर मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश के अकाल पीड़ित जिलों में 90 दिन के बाद राज्य सरकार स्तर पर अकाल राहत कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

5. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में अतिवृष्टि से किसानों की फसल को हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

6. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से जिला सीकर में राजस्व विभाग की सर्वे सूची का हवाला देकर काश्तकारों को कृषि विद्युत, पेयजल कनेक्शन जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य वेटरिनरी कौंसिल, जयपुर, 2014-15 के बी.वी.एस.ई. एण्ड ए.एच. डिग्री झुंझुनूं के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में।

8. श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में तम्बाकू जनित बीमारियों में बेतहाशा वृद्धि और राज्य सरकार के तम्बाकू और गुटखा पर रोक लगाने में विफल रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री भंवर सिंह, श्री सुखराम विश्नोई, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री मनोज कुमार एवं श्री रमेश को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के कतिपय गांवों में पानी की भारी किल्लत के सम्बन्ध में।

2. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से तम्बाकू के इस्तेमाल पर विशेषकर शिक्षण संस्थाओं के आसपास प्रभावी रूप से रोक लगाने के सम्बन्ध में।

3. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से किशनगढ़ के सांवतसर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर अण्डरपास बनाने की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

4. श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध निर्माण के ग्रामीण विस्थापितों के साथ दोहरा बर्ताव करने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से सोजत नगरपालिका क्षेत्र की अनियमित पेयजल आपूर्ति को सुचारु करने के सम्बन्ध में।

6. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से भादरा क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद समय पर उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से पुष्कर-मेड़ता को रेलवे लाइन से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

8. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उपखण्ड मुख्यालय रानी में आईटीआई खोलने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

9. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की एकल ढाणियों में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में घरेलू कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

10. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से जिला कोटा की तहसील कनवास में फोर वाटर कन्सैप्ट के तहत नालों-खालों पर एनिकट बनाये जाने के सम्बन्ध में।

11. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से ग्रामीण इलाकों में जनता जल योजना के बिजली कनेक्शन काट देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सदस्य की ओर से झुंझुनूं की पुलिस लाइन के सामने रेलवे लाइन क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

आज 3 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 35 पर्चियां प्राप्त हुई जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं जो निम्नांकित हैं :—

1. श्री शंकर लाल शर्मा, विधान सभा क्षेत्र दौसा में भीषण पेयजल संकट के सम्बन्ध में।

2. श्री बच्चू सिंह, बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में।

3. श्री शंकर सिंह, ब्यावर में तीन विद्यार्थी मित्रों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री भैराराम चौधरी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

श्री भंवर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कोलायत तहसील में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शनिवार और रविवार 28 फरवरी व 1 मार्च को बिना मौसम के हुई तूफानी बरसात व ओलावृष्टि अपने साथ राहत कम आफत ज्यादा लेकर आयी है। किसानों पर यह बरसात कहर बनकर टूटी है। अच्छी फसल की आस लगाये किसानों की उम्मीदों पर इसने पानी फेर दिया है। पूरे प्रदेश में इस प्राकृतिक आपदा से किसानों का जीरा, ईसबगोल, मेथी, धनिया, चना, सरसों सहित गेहूं की फसलें खराब हो गयी हैं। तेज बारिश व ओलावृष्टि से बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के कृषि कुओं से सिंचित कई गांवों-दासूड़ी, भेलू, नानड़ा, हनुमाननगर, खिनासर सहित अन्य गांवों में भी खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं। बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में बरसात से 123 भेड़-बकरियां मारी गयी हैं। बरसात से भेड़ों में निमोनिया हो गया है तथा 4 गायें मर गयी हैं। इनमें मानाराम नायक की 21 भेड़ें, अली खां की 12 भेड़-बकरियों सहित क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में भेड़ व बकरियां मारी गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत तहसील के दासूड़ी गांव में रविवार को सूरजाराम नायक की खेत में बकरियां चराते समय आकाशीय बिजली गिराने से मौत हो गयी। तेज बारिश व ओलावृष्टि से बीकानेर जिले में बड़ी संख्या में लोगों के कच्चे व पक्के मकान गिर गये जिससे लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, कोलायत के चतराराम मेघवाल और शांतिदेवी भांड जो विधवा औरत है, का पक्का मकान गिर गया है जिससे आज वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

(श्री भंवरसिंह)

राजस्थान का किसान पशुपालन व खेती पर निर्भर है, किसानों की फसलें नष्ट होने से उस पर भारी आर्थिक संकट आ गया है जिससे उसके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट आ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा अतिशीघ्र दिलवाया जाए। किसानों के कृषि कुओं के बिजली बिल माफ किये जाएं तथा कृषि ऋणों को भी बैंकों के माध्यम से माफ किया जाए। अतिवृष्टि से बेघर हुए लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाए तथा खेत में बिजली गिरने से मरे सूरजाराम नायक के परिजनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाए। साथ ही भेड़, बकरियों व गायों की मौत का भी उचित मुआवजा दिलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अतिवृष्टि या प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों का मुआवजा देने के नियमों में संशोधन किया जाए क्योंकि वर्तमान में कृषि की लागत बढ़ गयी है। वर्षों पुराने नियमों से प्रभावित परिवार को मुआवजा दिया जाता है जो महज एक खानापूर्ति है। इससे किसान को उसकी खड़ी फसल का भी उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे नुकसान का अपना एक अलग सर्वे कराकर प्रदेश के तमाम किसानों को जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की समय रहते भरपाई की जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुखराम विश्नोई।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : इसमें अफीम की फसल भी बिलकुल नष्ट हो चुकी है। मेवाड़ सम्भाग में अफीम की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, उसमें भी सरकार मदद करे।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हाड़ौती में जौ, सरसों, धनिया, अफीम में जबर्दस्त नुकसान हुआ है। माननीय सदस्य ने यहां उठाया है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि सर्वे कराएं ताकि किसान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। धनिया पूरा चौपट हो गया है। गीला होते ही उसका कलर बदला और सब कुछ खत्म। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए, बोलिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय मंत्रीजी का जवाब आने दें, किसानों से जुडा हुआ बिन्दु है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन रहेगा, काफी गम्भीर मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : आएगा, जवाब आएगा। विराजिए। आप विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : आपदा एवं राहत मंत्रीजी इस सम्बन्ध में सदन को अपना जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का गम्भीर मुद्दा है। पूरे राजस्थान का किसान इस समस्या से ग्रस्त है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए। सरकार चिंतित है, सरकार उचित कार्यवाही करेगी। आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं निश्चित रूप से सारी जानकारी जो मैंने इकट्ठा की है, जहां-जहां आपदा आयी है, जितना अभी तक मैं रिकार्ड इकट्ठा कर सका, उन सब के बारे में मैं सदन को जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पूरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बारिश से नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी इन सब सवालों के बाद अपनी जानकारी जो उन्होंने की है, वो सदन के सामने रखेंगे, यह मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। वो स्वयं उठकर देना चाहते हैं इसलिए आप विराजें। (व्यवधान) श्री सुखराम विश्नोई। यह सब आ जाने दीजिये, उसके बाद आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : इन दोनों का एक ही है।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं एक साथ दिलवा दूंगा। कृषि के मामले में बहुत सवाल हैं, 3-4 स्थगन प्रस्ताव हैं कृषि के मामले में, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि किसानों से सम्बन्धित जो ये समस्याएं हैं, इन पर हम सब एक तरह से विचार करें और सरकार का व्यू भी हमारे सामने आ जाए। आपदा प्रबन्धन मंत्रीजी ने स्वयं अपनी ओर से कहा है तो यह खत्म हो जाने दीजिये, फिर मैं उनको बुला लूंगा। नहीं, विराजिये, ये बोल रहे हैं।

अकाल पीड़ित जिलों में अकाल राहत कार्य

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में करीब 14-15 जिले अकालग्रस्त हैं और उनमें मारवाड़ के जिले ज्यादा प्रभावित हैं। अकालग्रस्त जिलों में जहां अकाल राज्य सरकार डिक्लेयर करती है, वहां गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है, पशुओं के शिविर लगाये जाते हैं, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। परन्तु 2012 में कानून में संशोधन होने के बाद से केवल मात्र 90 दिन ही अकाल में सहायता दी जा रही है। 1400 के लगभग पशुओं के शिविर चल रहे थे, गौशालाओं को जो अनुदान दिया जा रहा था। उनके 90 दिन पूरे हो गये और 90 दिन पूरे होने से पशु शिविरों को, गौशालाओं को टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा था,

(श्री सुखराम विश्नोई)

तमाम तरह की जो सुविधाएं आपदा प्रबन्धन में होनी चाहिए थीं, वो आज बन्द हो चुकी हैं। एक तरफ बरसात हो गई है, बरसात होने की वजह से चारे की कमी की वजह से वो जो पशु कैम्प थे, वो जो गौशालाएं थीं, उनमें अनुदान न मिलने से पशु मौत की कगार पर खड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो कैम्प चालू किये गये थे उन कैम्प को बन्द करके यह कहा जा रहा है कि हमें भारत सरकार की आगे बढ़ाने के लिए परमिशन नहीं है और 90 दिन के आगे आपदा प्रबन्धन नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्षजी, मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार से निवेदन है कि एक 90 दिन का आप कानून नहीं बदल सकते। आपने योजना आयोग था उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को बदलकर अटल सेवा केन्द्र कर दिया, एक प्रधान मंत्री के सैक्रेटरी को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा और इस एक छोटी-सी बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि इतनी भयंकर स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है इसलिए इस कानून में परिवर्तन किया जाए। खुद माननीय सदन की नेता हस्तक्षेप करें। जो कैम्प चल रहे हैं, जो पशु शिविर चल रहे हैं, जो गौशालाओं में अनुदान दिया जा रहा है, तुरन्त प्रभाव से इस कानून में राज्य सरकार, भारत सरकार संशोधन करके 90 दिन से आगे, जब तक बरसात नहीं हो, जुलाई तक कैम्प चलाये जाएं, ऐसी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस तरह से आपने सहृदयता दिखायी है, इसके लिए सबसे पहले आपका आभार।

श्री अध्यक्ष : स्वीकार करता हूं, आभार स्वीकार करता हूं।

जहाजपुर में अतिवृष्टि से फसल का नुकसान

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि विगत दो-तीन दिनों के अन्दर जिस तरह से राजस्थान में बरसात के कारण फसलों की बर्बादी हुई है, उससे राजस्थान का अन्नदाता अपने माथे पर हाथ देकर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इस राज के अन्दर किसान से राज भी रूठ गया और राम भी रूठ गया। राज तो ऐसे रूठा कि पहले किसान को समय पर यूरिया नहीं मिल पाया जिससे उसके पैदावार ही कम हुई और जब पैदावार होने का मौका आया तो इस सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया। राज के रूठने के साथ-साथ राम भी रूठ गया। पिछले वर्ष भी इसी समय राजस्थान में बरसात आयी थी और राजस्थान के किसान की फसलें बर्बाद हो गयी थीं और आज एक बार फिर इसी 28 फरवरी के आस-पास बरसात से पूरे राजस्थान में

(श्री धीरज गुर्जर)

फसलों का जोरदार खराबा हुआ है। खासकर भीलवाड़ा जिला ऐसा जिला है जहां पर जल स्तर बहुत नीचे है और वहां पर बड़ी मुश्किल से फसलें होती हैं। जो फसलें बरसात से आड़ी गिर गयीं, उनके अन्दर गिरदावरी सबसे बड़ी खामी है। पिछली बार सरकार ने बातें तो बड़ी-बड़ी की थीं लेकिन किसी भी किसान को 3 हजार, 4 हजार से ज्यादा मुआवजा नहीं मिल पाया था। अगर एक खेत की गिरदावरी हो, अगर एक खेत के अन्दर खेत स्वामी के कितना खराबा हुआ है इसकी जानकारी सरकार को मिल जाए तो उस आदमी को ज्यादा फायदा मिल पाएगा। गिरदावर क्षेत्र के आधार पर जो गिरदावरी करते हैं उससे किसान की कमर टूटने का काम हो रहा है। भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो जहाजपुर, बिजौलिया, शाहपुरा और कोटड़ी क्षेत्र में फसलों के गिरने के कारण हुआ है और उससे भीलवाड़ा जिले के किसान की कमर टूट गयी है।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा और भी है जो केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। कोटड़ी तहसील के अन्दर अफीम की पैदाइश होती है, पिछली बार भी बारिश के कारण अफीम की फसल में कमी आ गयी थी और किसान को कर्जा लेकर अफीम पूरी सरकार को देने के लिए अपनी तरफ से व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपनी जेब से खरीदकर अफीम उसने दी थी। आज एक बार फिर वो ही स्थिति है। सब अखबार भरे हुए हैं कि अफीम की फसल में 30 से 40 प्रतिशत खराबा आया है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि अफीम की फसल का जो काश्तकार है उसको केन्द्र सरकार से राहत दिलाएं, उसकी गाढ़ता में छूट दिलाएं, उसकी मात्रा में छूट दिलाएं। जो गिरदावरी का हमारा नियम बना हुआ है उस गिरदावरी के नियम में संशोधन करके इंश्योरेंस कम्पनियों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से एक विशेष पैकेज की घोषणा करें। राजस्थान का किसान आज अपने माथे पर हाथ देकर बैठा हुआ है, उसके पेट में अन्न का दाना जाना चाहिए। अन्नदाता भगवान शिव की तरह खुद अपने पेट के अन्दर विषपान है, अपने गले में विष रखता है और उसके बाद लोगों का पेट पालता है। आज इस सरकार के कार्यकाल में अन्नदाता अपने माथे पर हाथ देकर बैठा हुआ है इसलिए इसमें सरकार का वक्तव्य आना चाहिए, गिरदावरी में सुधार होना चाहिए और भीलवाड़ा जिले का जो मेवाड़ अंचल है, उस अंचल में जो फसलों का खराबा हुआ है उसके लिए विशेष पैकेज की घोषणा होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपने तो कांग्रेस पार्टी के धरने का बहिष्कार कर रखा है, आप यहां पर फिर क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान) आपने तो आपकी पार्टी का जो धरना चल रहा है उसका भी बहिष्कार कर रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजिये, विराजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं अपनी बात करूं। मंत्रीजी, आप विराजो न, आप तो मंत्री हो। एक साथ दे दीजिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : मैं फसलों का जवाब दे रहा हूं न। नुकसान का जवाब दे रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष : एक साथ दे दीजिये आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : एक साथ कौनसा आएगा, अब दो ही तो हैं कृषि के। आपके दो ही तो प्रश्न हैं न फसलों के नुकसान के। दोनों के बारे में ही कहना है। आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्रीजी आसन की व्यवस्था नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, विराजिये। मंत्रीजी रेस्पोंड करना चाहते हैं उनके स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : अभी तो कह रहे थे कि माननीय मंत्री भी बोलें और बोलने नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांति बनाये रखें। विराजिये। नहीं, विराजिये आप। (व्यवधान) आपस में बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : हमने भी 127 में ऐसा ही निवेदन किया है तो हमारा भी साथ में कंसीडर किया जाए। हमने तो 127 में दिया है और आपदा प्रबन्धन में निवेदन किया है कि हमारी फसलों को भी बहुत नुकसान हुआ है। विशेषकर जीरा की फसल को, गेहूं की फसल को, रायड़ा की फसल को बहुत नुकसान हुआ है इसलिए मंत्रीजी से निवेदन है कि जोधपुर जिले और लूणी विधान सभा क्षेत्र का भी आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जोगाराम जी, आप विराजिये। आप विराजिये, नहीं तो मुझे अंकित नहीं करने का कहना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोलायत और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने विगत दो दिनों 28 फरवरी और 1 मार्च को असामयिक हुई बारिश से फसलों को नुकसान होने का विषय आज सदन में उठाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी और पूरी सरकार इस विषय को लेकर काफी गम्भीर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों की बात करते हैं, और

(श्री प्रभू लाल सैनी)
बीकानेर सम्भाग की बात करें तो बीकानेर में गेहूं की लगभग एक लाख 20 हजार हैक्टेयर में बुवाई हुई है और अब तक जो प्राथमिक आकलन हुआ है उसमें लगभग 5 प्रतिशत खराब हुआ है। चने की बात करें... (व्यवधान) अभी बोल रहा हूं, आप शांति भी रखो। चने की बात करें तो 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर में से लगभग 20 हजार हैक्टेयर में नुकसान हुआ है जो लगभग 5 प्रतिशत है। ईसबगोल 100 हैक्टेयर में और जीरा 4000 हैक्टेयर में लगभग 15 प्रतिशत में नुकसान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान में तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को करते हैं। पहला स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबन्धन है जिसके माध्यम से यदि 50 प्रतिशत से अधिक खराबा होता है तो किसानों को आपदा प्रबन्धन से राशि उपलब्ध करायी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विकल्प, 21 जिले राजस्थान में ऐसे हैं कि वहां पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किसानों के बीमे किये हुए हैं। 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मोडिफाइड फसल बीमा योजना लागू की गयी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि राजस्थान भर से अभी तक जो आंकड़े हम लोगों ने प्राप्त किये हैं, अध्यक्ष महोदय, अधिकतम जहां नुकसान हुआ है, करीब 30 प्रतिशत के लगभग ईसबगोल में और जीरे में नुकसान कहीं-कहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि गेहूं और जौ में और चने में राजस्थान में कई वर्षों में पहली बार लाभ हुआ है। असामयिक इस समय बारिश हुई है, उसमें उत्पादन और गुणवत्ता में काफी सुधार राजस्थान में होगा। लेकिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है और जो इसमें नार्म्स में आते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कोलायत और नोखा में 14 ऐसे राजस्व गांव हैं...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट दी है क्या?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सदस्य, आप सुन लें, फिर आपको ही बोलना है। आपका बोलना जरूरी है, तभी तो अखबार में छपेगा न। अभी बोल लेना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अखबारों में छपने का शौक हमको नहीं है, आपको शौक है। झूठे आंकड़े दे रहे हो। आपने गिरदावरी करवायी है क्या? आप तो किसान को राहत देना ही नहीं चाह रहे हो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : पहले मेरा जवाब सुन लो आप। आप तो मेरा जवाब सुन लो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : आप तो कह रहे हो कि फायदा हो रहा है। या तो अखबार असत्य बोल रहे हैं कि फसलें आड़ी पड़ी हुई हैं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : पहले जवाब तो सुन लो। (व्यवधान) पहले जवाब सुन लो, उसके बाद आप बोलना।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : मंत्रीजी, आपने गिरदावरी करवायी है क्या? ये आंकड़े कहां से लाये आप? (व्यवधान) आप पांच पैसे का खराबा बता रहे हैं, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : राजस्थान का किसान रो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ये कह रहे हैं कि अखबारों में छपने की बात कैसे आ गयी। अखबार में छपने का आपको शौक होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) : यह तो किसानों के साथ धोखा है। पांच प्रतिशत नुकसान बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनिये। मंत्रीजी का जवाब सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रभूलाल सैनी (कृषि मंत्री) : आप जवाब सुनना नहीं चाहते हो क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अखबार में छपने का शौक आपको होगा, ये शब्द आप वापस लो। (व्यवधान) सदन के अन्दर आदमी अखबार में छपने के लिए बोलता है क्या? अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं, अखबार में छपने का शौक है क्या हमारे को? (व्यवधान) नहीं, उन्होंने करवायी है क्या गिरदावरी?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) विराजिये, विराजिये। अखबार में बहुत छपता है, आप भीलवाड़ा के हो, ऐसे क्या करते हो। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : आप माननीय सदस्य...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : मंत्रीजी की चमचागीरी मत करो कोई, मंत्री जवाब दे देगा हमारे को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : अध्यक्षजी, ये कह रहे हैं कि खराबा ही नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : एक बीघा में कितना बीज डलता है गेहूं में, बताना? किसान हो न आप? (व्यवधान) जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ये आंकड़े क्या गिरदावरी करवाकर लिये हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये। अंकित नहीं हो। बिना अनुमति के ये बोल रहे हैं। हां, मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत एवं नोखा में...

श्री मान सिंह (गंगापुर) : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको अध्यक्ष महोदय के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष : नहीं, मानसिंहजी, विराजिये। (व्यवधान) मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिये। मानसिंहजी का अंकित नहीं हो। हां, अब बोलिये आप।

श्री मान सिंह (गंगापुर) : ×××

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत एवं नोखा में 14 राजस्व गांवों में ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें प्रभावित क्षेत्र में लगभग 300 हैक्टेयर गेहूं की फसल है, चने में 200 हैक्टेयर है, जीरा 300 हैक्टेयर है, सरसों में 1,000 हैक्टेयर है और ईसबगोल में 100 हैक्टेयर में कोलायत एवं नोखा के 14 राजस्व गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। लगभग 2,000 हैक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई हैं। राजस्थान में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक सम्भाग में हुई फसलों के बारे में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना में उन सभी किसानों को जिन जिलों में पांच एम. एम. से ज्यादा बारिश हुई है और अधिकतम 25 एमएम. तक जहां बारिश हुई है, जिन किसानों ने वैदर बेस इंश्योरेंस में बीमा कराया है, आपदा प्रबन्धन के अतिरिक्त उन किसानों को भी इसमें लाभान्वित करने के प्रावधान किये हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा, जहाजपुर क्षेत्र में गेहूं की लगभग 13,500 हैक्टेयर में फसल बोयी गयी है और खराबा 1,620 हैक्टेयर में हुआ है, लगभग 15 प्रतिशत हुआ है। जौ में 1,900 हैक्टेयर में से 10 से 12 प्रतिशत, चने में दो से तीन प्रतिशत और सरसों में 20 प्रतिशत का नुकसान प्राथमिक आकलन के अनुसार हुआ है। अभी गश्त गिरदावरी का विषय नहीं है, अभी हमारे अधिकारियों का प्राथमिक आकलन है। यह विषय मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि इस मौसम आधारित फसल बीमा में ये नार्म्स में आते हैं तो उनको भी मुआवजा देने के प्रावधान सम्मिलित किये हुए हैं।

बीकानेर के जिन माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया है कि वहां पर बकरियां मरी हैं या उनमें निमोनिया की बीमारी के प्रकोप की बात आपने बतायी है, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अधिकारियों को डाइरेक्शन देंगे। मृत पशुओं के पोस्टमार्टम कराने के बाद डिसास्टर मैनेजमेंट के अन्तर्गत उनको सहायता दी जाएगी और जो भी निमोनिया से ग्रस्त हैं, उन सारे उपचार की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा त्वरित प्रभाव से की जाएगी, मैं सदन को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (व्यवधान) आप विराजिये। कोई नहीं। सिवाय गोविन्द सिंह डोटासरा के किसी का अंकित नहीं करें। (व्यवधान) विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये। नहीं, गोविन्द सिंह डोटासरा। केवल गोविन्द सिंह डोटासरा। डोटासरा बोलें, वही अंकित किया जाए। यह हस्तक्षेप नहीं। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : ×××

श्री अध्यक्ष : डोटासरा के बाद आप बोलें। (व्यवधान) बैठिये आप। डोटासराजी बोल रहे हैं। मैंने उनको पुकार लिया है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : धीरजजी, आपके तो खेत है ही नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हो। आपके खेत है ही नहीं। (व्यवधान) वह तो फार्म हाउस है।

श्री अध्यक्ष : धीरजजी, बैठिये। मिस्टर धीरज, बैठो। (व्यवधान)

सीकर जिले के काश्तकारों की कृषि, विद्युत व पेयजल समस्या

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान सीकर जिले में किसानों की जो बहुत बड़ी समस्या राजस्व विभाग के द्वारा की गयी है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं स्थगत प्रस्ताव के माध्यम से, लेकिन अफसोस है, माननीय अध्यक्ष महोदय कि मेरे स्थगन प्रस्ताव के बावजूद राजस्व मंत्रीजी यहां पर सदन में मौजूद नहीं हैं। इससे यह लगता है कि सरकार गम्भीर नहीं है। (व्यवधान) आप देंगे जवाब? ठीक है, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में जब से ट्यूबवैल खोदना कृषि के लिए प्रतिबन्धित कर रखा है, उसके बाद में जिले के राजस्व अधिकारियों ने सर्वे सूची का नाम देकर एक सूची बनायी है। (व्यवधान) न तो किसान को पता, न ग्राम सभाओं को पता, और मनमर्जी से सर्वे सूची बनाकर किसान को परेशान किया जा रहा है। किसान जिसका ट्यूबवैल पहले से खुदा हुआ है, वह जब विद्युत विभाग में जाता है कि मुझे कनेक्शन दिया जाए तो उसको कहा जाता है कि आप तरमीम करवाकर लाओ। जब वह तरमीम कराने के लिए राजस्व अधिकारियों के पास जाता है तो वे उस

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

तथाकथित सर्वे सूची का नाम लेकर, जो किसान मोटी रकम दे देता है, उसका नाम तो सर्वे सूची से राजस्व रिकार्ड में तरमीम करके दे दिया जाता है, बाकी किसान को नहीं दिया जाता है। दिक्कत यह है कि यह सर्वे सूची कब बनी, किस राज्य सरकार के आदेशों से बनी, भगवान जाने। किसी को पता नहीं। हम जन प्रतिनिधियों को भी पता नहीं है। किसानों ने पहले से जो ट्यूबवैल खोद रखे हैं, ओपन वैल हैं, उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40-44 किसान ऐसे हैं कि उनसे विद्युत विभाग ने कनेकशन देने के लिए डिमांड नोट ले लिया और डिमांड नोट लेने के बाद में लाइन खडी कर दी, लेकिन फिर उनको यह कह कर रोक दिया गया कि आपका सर्वे सूची में नाम नहीं है, इसलिए उनको डीपी देकर कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे किसानों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है और अफसोस की बात है कि जिला प्रशासन सुनने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारी कुओं के लिए मर्जी आए जिसको तो यह कह देते हैं कि यह 2011 से पहले खोदा हुआ है। मर्जी आए जिसको यह कह देते हैं कि नहीं, नहीं, तुमने तो ताजा खोद लिया। मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिबन्ध के बाद में किसी ने कुआ खोदा है तो खोदने क्यों दिया राजस्व अधिकारियों ने? इनकी ड्यूटी थी कि उस मशीन को सीज करते। तथाकथित सर्वे सूची, उसका कोई आधार नहीं है, न कोई राज्य सरकार का ऐसा आदेश है। उसके आधार पर रोकना चाह रहे हैं। मैं राजस्व मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सर्वे सूची आराम से अब बनाइये और उस सर्वे सूची में ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित करते हुए जन प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित कीजिये और पुन: ईमानदार सर्वे सूची बनाकर किसान को लाभ देने का काम करिये। किसान बड़ा परेशान है। उसने ट्यूबवैल खोद लिया, दो-ढाई-तीन लाख रुपये उसके लग गये...

श्री सुखाराम (मेडता) : आपके टाइम में हुआ था। कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम हुआ था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : डिमांड नोट भी जमा हो गये। किसान ने पैसा जमा करा रखा है डिमांड नोट का, किसान के ट्यूबवैल खुदा पड़ा है, 2011 से केवल एक तुगलकी आदेश, सर्वे सूची बताकर उसके साथ में अन्याय किया जा रहा है। 2011 से पहले के खुदे हुए ट्यूबवैल हैं।

किसान के साथ में एक और क्रूर मजाक हो रहा है। उसके ट्यूबवैल पर अगर मान लीजिये पानी सूख गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसने 2011 से पहले उस सूखे हुए कुए के पास में दूसरा ट्यूबवैल कर लिया तो उसको भी तरमीम नहीं कर रहे हैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्व अधिकारी उस तथाकथित सर्वे सूची का नाम लेकर। किसान को हैरान और परेशान किया जा रहा है। उसका पैसा बिजली बोर्ड ने जमाकर लिया, उसने ट्यबवैल खोदने का पैसा लगा दिया, उसके बावजूद भी यह हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके किसान के हित को ध्यान में रखते हुए पुन: ईमानदार सर्वे सूची बनाई जाए, सबको शामिल किया जाए। ग्राम सभाओं में उसका वाचन किया जाए। उसके बाद में जितने अब तक कनेक्शन हो गये, जो खुद गये, उन सबको कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय राजस्व मंत्रीजी, आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कृषि कनेक्शन के बारे में, डार्क जोन वगैरह है। श्रीमाधोपुर, पीपराली और धोद तहसील के केन्द्र में इस प्रकार का मामला है। यह 2011 का मामला है, आपके समय का है लेकिन इसकी जांच कराकर हम किसानों के हित में जो कुछ सम्भव होगा, पूरी मदद करेंगे। यहां हम किसानों के लिए हैं और किसानों की पीड़ा को हम जानते हैं। उसी अनुरूप हम काम करेंगे और पुन: इसकी जांच कराएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय मंत्रीजी, सर्वे सूची रिव्यू करा रहे हो क्या? जो तथाकथित सर्वे सूची है उसको रिव्यू करा रहे हो क्या? पैसे ले लिये डिमाण्ड नोट के बिजली बोर्ड ने, उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने हाड़ौती का नाम नहीं लिया है। हाड़ौती में पूरे धनिये की फसल चौपट हो चुकी है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व) : जो गलत काम आपके समय में हुआ है, उसको दुरुस्त कराएंगे। जो कुछ आपके समय में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसको दुरुस्त करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, जवाब आएगा इसका भी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व) : यह फर्जीवाड़ा आपके समय हुआ होगा, उसको दुरुस्त करवाएंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :जो सर्वे गलत हुआ उसको सही कराने का विचार रखत हो क्या, किसान हित में?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व) : बिलकुल करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जवाब आ गया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्रीजी कह रहे हैं, कराएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : हां, कराएंगे।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही करेंगे वो, पर्याप्त जवाब आ गया। अब आप विराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट, पहले ऊर्जा मंत्रीजी बोलना चाहते हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है। सीकर के कुल मिलाकर 997 कनेक्शन हैं जिसमें बूंद-बूंद के 386 कनेक्शन हैं उसमें मात्र 19 कनेक्शन पैंडिंग हैं। सामान्य श्रेणी में 476 कनेक्शन में से 190 कनेक्शन पैंडिंग हैं। एससी के 85 कनेक्शन हैं उसमें से मात्र 21 कनेक्शन पैंडिंग हैं और फार्म हाउस कनेक्शन 10 हैं उसमें 1 कनेक्शन पैंडिंग है। कुल मिलाकर 231 कनेक्शन हैं जो पैंडिंग हैं। मैं आपको...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : चालीस किसानों के पैसे जमा हो गये बिजली बोर्ड में, उनके लिए क्या कह रहे हो?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 11 बूंद-बूंद कनेक्शन पैंडिंग हैं। सामान्य के 18 पैंडिंग हैं, एससी के 1 पैंडिंग हैं इस प्रकार कुल 27 कनेक्शन लम्बित हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2011 में हाई कोर्ट के फैसले से, जब आपका पानी का अधिक दोहन हुआ, पर्यावरण के हित को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट के निर्देश से जिला कलक्टर ने 2011 में पूरा सर्वे कराकर जहां भी कुएं खुद हुए थे 2011 से पहले के, उनको सबको तरमीम कराया गया है जमाबंदी में। उसके बाद में आप कोई भी कुएं खोदेंगे या कोई भी ट्यूबवैल खोदेंगे तो वह कलक्टर से परमिशन लेकर ही खोदा जाएगा। 2011 में आपकी सरकार द्वारा पूरे कलक्टर्स की मीटिंग बुलाकर, राजस्व अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर जितने भी कुएं खोदे हुए हैं जो राजस्व जमीन पर हैं, उन सब की तरमीम की जा चुकी है। उसके बाद में जो भी किसान खोदेगा, और जो अनआफिशियल कनेक्शन हैं या अनआफिशियल कुआं है, उसको खोदने से पहले उसकी जिला कलक्टर से परमिशन लें और फिर खोदे जाएं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं आपके स्थगन प्रस्तावों पर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण सदन की अतिवृष्टि के कारण से सारे राजस्थान के किसानों के बारे में जो चिंता है, वह सबको भी है और राजस्थान के सभी किसानों को भी है। उस विषय में अभी तक जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जानकारी इकट्ठी कर पाया हूं, वह मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा, उसके आधार पर किसान को क्या-क्या मदद सम्भव है, वह मदद निश्चित रूप से उनके पास पहुंचेगी।

28. 1 और 2 तारीख के दिन जो वर्षा हुई है, 25 एमएम से ज्यादा बारिश हुई है। मैंने कुछ जिले छांटे हैं। वैसे तो मेरे पास प्रत्येक रेनगेज का डिटेल है कि इस रेनगेज पर कहां कितनी बारिश हुई है। ऐसे जिले जिनमें 25 एम.एम. से ज्यादा बारिश इन तीन दिनों में हुइ है, उनकी सूची इस प्रकार है :- बीकानेर 52 एम.एम., झालावाड़ 43 एम. एम., नागौर 37 एम.एम., भरतपुर 35 एम.एम., भीलवाड़ा 34 एम.एम., बूंदी 62 एम.एम., चित्तौड़ 38 एम.एम., चूरू 35 एम.एम., दौसा 29 एम.एम., धौलपुर 40 एम.एम., प्रतापगढ़ 29 एम.एम., डूंगरपुर 40 एम.एम., गंगानगर 50 एम.एम., हनुमानगढ़ 42 एम.एम., जयपुर 32 एम.एम., टोंक 66 एम.एम., सवाई माधोपुर 46 एम.एम., झुन्झुनूं 38 एम.एम., करौली 31 एम.एम. और कोटा 52 एम.एम.। जैसा कृषि मंत्रीजी ने कहा, ये तो बारिश के आंकड़े हैं, समाहित करके इनको इसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इससे जो कुछ भी खराबा है, यह हमारा अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं है। पर मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि विदिन 15 दिन, यह विधान सभा समाप्त होने के पहले-पहले, गिरदावर आकर निश्चित रूप से खराबा कहां-कहां है, कितना खराबा है और उस खराबे के आधार पर हम किसान को क्या-क्या राहत दे सकते हैं, वह निश्चित रूप से यह सदन समाप्त होने के पहले मैं आपकी जानकारी में लाऊंगा। ओलावृष्टि से जो फसलों को नुकसान हुआ, हमारा अनुमान है, एग्जैक्ट नहीं है। जो हमारे अधिकारियों ने अपने सामान्य सर्वे के आधार पर किया है। ये कोई अधिकृत आंकड़े नहीं हैं, यह हमारा अनुमान है। चित्तौड़ में लगभग 10 से लेकर 30 प्रतिशत के बीच में खराबा है। झालावाड़ तहसील में झालरापाटन में 10 से 15 प्रतिशत खराबा है। बाड़मेर तहसील में रामसर, बायतू, गिरड़ा, शिव चौहटन, गुढामलानी, धोरीमन्ना, शिवास, समदड़ी, पचपदरा में 10 से लेकर 40 प्रतिशत के बीच में खराबा अनुमानित है। बारां में 9 गांवों में 50 प्रतिशत से भी अधिक धनिया की फसल में नुकसान अभी तक हमारी सूचना से है। भीलवाड़ा में जहाजपुर, बिजोलिया में 20 से लेकर 25 प्रतिशत खराबा है। दौसा में 5 से लेकर 10 प्रतिशत खराबा, जोधपुर में जोधपुर, फलौदी, भोपालगढ़, शेरगढ़, लूणी, बालेसर में 20 से लेकर 45 परसेंट के बीच में खराबा अनुमानित हमने निकाला है। पाली में मारवाड़ जंक्शन में 20 से 25 प्रतिशत खराबा है। रोहट में 50 प्रतिशत के आसपास खराबा आ रहा है। कोटा में 15 से लेकर 20 प्रतिशत तक है। अलवर में किशनगढ़ बास और अलवर में 20 प्रतिशत के लगभग, टोंक में देवली-दूनी में 10 प्रतिशत के लगभग खराबा अनुमानित है। ओलावृष्टि से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिन गांवों में नुकसान हुआ और जिस एरिया में हुआ, वह मैंने आपके सामने रखा है। इसके अतिरिक्त भी इस बारिश के कारण से कुछ जगह बिजली गिरने से भी मौतें हुईं...(व्यवधान) बीकानेर में भी, जो आंकड़े मेरे पास आये हैं, वे मैंने रखे हैं, अगर कहीं कमी रह गयी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : सर्वे किया ही नहीं गया है। यह सर्वे पूरा नहीं हुआ है, यह अनुमानित है। बीकानेर में भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका सर्वे करवाया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय सदस्यों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी क्षेत्र नहीं छूटेगा, न उसके साथ कोई नाइंसाफी होगी। 100 परसेंट जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा, उसके अनुसार निश्चित कार्यवाही होगी। भूल में भी अगर मेरे सर्वे में भी कहीं, अभी मेरे जवाब में भी कहीं कोई चीज चूक गया हूं या मैं...

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : आपके अधिकारी भी आपको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं। पिछले साल भी अफीम में 75 परसेंट खराबे की रिपोर्ट मैंने यहां टेबल की थी, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : मंत्रीजी, बानसूर का भी ध्यान रखें। वहां भेड़, बकरियां और पूरी फसल बर्बाद हो गयी।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : इस बार भी अफीम की फसलें नष्ट हुई हैं, आपने उदयपुर का नाम ही नहीं लिया। आपके अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं देते। पिछले साल भी मैंने आपको कहा था कि अफीम की फसल खराब हुई है। आपने यह कहा कि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। मैंने रिपोर्ट टेबल की थी हाउस में, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : कोटड़ी में अफीम में बहुत नुकसान हुआ है। दूसरा, गिरदावरी आप कैसे करवाएंगे? गिरदावरी किस एरिये में करवाएंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मैंने सारी सूची आपके सामने रखी है और प्रत्येक गेज की कितनी बारिश हई है, यह मैंने आपके सामने रखी है। अनुमानित मेरे पास जो अब तक सूचना आयी है, वह मैंने आपके पास रखी है। इसके बाहर भी अगर कोई एरिया रह गया है और उसकी सूचना आएगी तो निश्चित रूप से उसमें समाहित करेंगे।

बीकानेर में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला और दो बच्चों की मृत्यु हुई है। अलवर जिले में 81 बकरियां, एक भैंस और एक गाय की मृत्यु हुई है। चूरू में एक महिला की मृत्यु और दो पशुओं की मृत्यु हुई है। जैसलमेर में एक व्यक्ति की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मृत्यु हुई है, 40 गौ-वंश और 300 भेड़-बकरियों की मृत्यु हुई है। अब तक के जो आंकड़े मेरे पास आये हैं, वे मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि 15 दिन में...

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : ...(व्यवधान) 150 भेड़-बकरियां मारे जाने की पुष्टि कृषि मंत्री महोदय ने की है, इसके अलावा करीब 15 गांवों में ओलावृष्टि की भी पुष्टि अभी कृषि मंत्री महोदय ने की है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों का दुबारा सर्वे कराया जाए। एक सूरजाराम नाई की मौत हुई है दासूड़ी गांव में, उसका जिक्र आपने अभी नहीं किया है। दो बच्चों और एक महिला के बारे में किया है। सूरजाराम नाई कोलायत तहसील के दासूड़ी गांव का था जिसकी आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करते समय, बकरियां चराते समय मौत हुई है। तो उसका मुआवजा दिलवाने के सम्बन्ध में भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अगर आपकी कोई सूचना बाकी रह गयी, आपकी जानकारी में है तो आप भी दे दें। मैं भी अपने लेवल पर पूरा रिकार्ड मंगाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : खराबे की इकाई क्या मानोगे? आप तहसील को मानोगे या गांव को मानोगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : आपदा प्रबंधन में तो प्रत्येक व्यक्ति भी उस खराबे में आता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : नहीं, खराबे में इकाई क्या मानोगे, तहसील?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : हमारे यहां खराबा केवल पचास प्रतिशत से अधिक होता है तो ही आपदा प्रबंधन उसको सहयोग करता है, बाकी आपका जो बीमा है जो कृषि विभाग के द्वारा हुआ है, उसमें कवर होता है। मेरे यहां तो केवल वो ही आ पाएंगे जिनका खराबा पचास प्रतिशत से अधिक आता है, उनकी मदद करने का इसमें नार्म है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : बीमे में तो कवर ही नहीं हो रहे हैं वो। मंत्रीजी, बीमे में तो कवर ही नहीं होगा कोई आदमी। बीमे में तो काश्तकार कवर ही नहीं होगा। बीमा योजना में तो काश्तकार कवर ही नहीं हो रहा है आपका।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिट के बारे में बार-बार पिछले सदन में जब प्राकृतिक आपदा हुई थी उस समय भी निवेदन किया गया था कि प्रीमियम के आधार पर कोई भी इंश्योरेंस कम्पनी देती तो होगी, लेकिन यूनिट का सर्वे करवाया जाता है,

(श्री पूरणमल सैनी)

वो राज्य सरकार करवा कर देती है या उनके कर्मचारी करवा कर देते हैं। यूनिट जैसे अभी माननीय कृषि मंत्रीजी ने बताया कि तीन हजार हैक्टेयर की जहां बुआई हुई है उसमें से सौ हैक्टेयर का खराबा है तो सौ हैक्टेयर का खराबा मानो चार किसानों का ही हो गया तो परसेंटेज पचास से ऊपर नहीं ले रहे हैं, तो फिर उनका तो पूरा का पूरा नाश हो गया। जब आपके उस परसेंटेज में आ ही नहीं रहा है तो हमारा निवेदन सरकार से यह है कि यूनिट हैड जो है वो किसान को और उस खसरा नम्बरान को रखा जाए, इसमें तब्दीली फर्मायी जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। जैसे जीरा है, एक क्राप और ईसबगोल है, ज्यादा बरसात की जरूरत नहीं है। एक एमएम बरसात हो जाए, जीरा खराब हो जाता है, ईसबगोल झड़ जाता है। जालौर जिले में और सिरोही में पूरे राजस्थान से सबसे ज्यादा ईसबगोल, जीरा होता है। पूरा निर्यात होता है। पूरा जीरा तबाह हो गया। ज्यादा बरसात से कोई मतलब नहीं, ओलावृष्टि से मतलब नहीं है, केवल नमी आने से ही जीरा खराब हो जाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर रहा हूं कि आपदा प्रबंधन में कोई न तहसील इकाई है, न कोई जिला इकाई है। इंडीविजुअल किसान का भी अगर नुकसान पचास परसेंट से अधिक होता है, आपदा राहत के तहत उसको मदद मिलती है। लेकिन ये सब आएगा कब? जब गिरदावरी का रिकार्ड आएगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किसमें कितना नुकसान है, पचास से कम है। आपदा प्रबंधन के निय मैंने नहीं बनाये, आपने ही शायद पुराने लोग हो, आपके द्वारा बने होंगे उसमें अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम सुझाव दे सकते हैं बदलाव के लिए। लेकिन बदलाव जब तक केन्द्र से नहीं होगा, तब तक मैं इस आपदा प्रबंधन में बदलाव करने की हैसियत नहीं रखता हूं। सुझाव भेज सकता हूं मैं आपकी बात का। जो हमारी फसल बीमा योजना है, फसल बीमा का लाभ है वो अलग मिलेगा। आपदा प्रबंधन में इंडीविजुअल किसान का भी नुकसान हुआ है और पचास परसेंट से अधिक हुआ है तो उसे भी यह लाभ दिया जा सकता है। उसमें कोई तहसील इकाई नहीं है, कोई ब्लाक इकाई नहीं है, कोई एरिया इकाई नहीं है, हर व्यक्ति इसमें इकाई है। लेकिन खराबा पचास परसेंट से अधिक आने के बाद ही उसकी मदद सम्भव है आपदा राहत से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त। श्री मनोज कुमार। आप बैठिये, भंवर सिंह जी। तीन-चार बार आप बोल चुके हैं। बैठिये अब आप। श्री मनोज कुमार। श्री भंवर सिंह जी का एक भी शब्द अंकित नहीं हो। इनका एक भी शब्द नहीं हो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : ×××

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : माननीय मंत्री महोदय, जिला जोधपुर में ओसियां तहसील में पूरा का पूरा जीरा खराब हो गया है।

झुंझुनूं के वेटरिनरी एवं मेडिसिन कालेज के छात्रों का पंजीयन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत राजस्थान राज्य वेटरिनरी कौंसिल, जयपुर 2014-15 के वीवीएसई एंड एएच डिग्री झुंझुनूं के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं वीएस कालेज वेटरिनरी मेडिसिन एंड रिसर्च सेन्टर, झुंझुनूं के एकेडेमिक ईयर 2009-10 के स्टूडेंट्स का आईवीसी एक्ट, 1984 के तहत राजस्थान स्टेट वेटरिनरी कौंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाबत। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009-10 में सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा इस झुंझुनूं कालेज को मान्यता प्रदान की गयी और मान्यता के बाबत 24.9.2009 को रजिस्ट्रार द्वारा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन के तहत एग्जाम करवाये गये। राजस्थान राज्य वेटरिनरी कौंसिल की अनुमति के बाद बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा इनका एग्जाम करवा करके इनको कालेज आबंटित किया गया। कालेज आबंटित करने के बाद 2009 से 2014 तक इन छात्रों ने वेटरिनरी कालेज में अपनी परीक्षा दी और उनकी इन्टर्नशिप 2014 में हुई। 11.4.2014 को इन पशु चिकित्सकों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। लेकिन 11.4.2014 से लेकर आज दिन तक राजस्थान राज्य वेटरिनरी कौंसिल जयपुर द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उसके कारण वो छात्र अब 12 अप्रैल को पीजी परीक्षा से वंचित रह रहे हैं। राजस्थान में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने से भी वंचित हैं और राजस्थान में पशु चिकित्सकों के जो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम होने जा रहे हैं, उससे भी वो वंचित रह जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन नौजवान साथियों की बदौलत आप इस राजस्थान में सरकार में आये हैं, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आप किस कारण से वंचित कर रहे हो? माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन करके इनको लाभ दिया जाए। माननीय मंत्री महोदय, इनके साथ घोर अन्याय है। इसी एक्ट के तहत 11.4.2014 को इनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बावजूद भी इनका स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय बनाने का कष्ट करें कि इन छात्रों के हित में आप कब तक फैसला लेंगे, कब इनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में ये अपना भविष्य संवार सकें?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित ध्यान आकर्षित किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री प्रभू लाल सैनी)

आफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंडरी के जितने डिप्लोमाधारी चिकित्सक हैं, उनको मान्यता देने के लिए वेटरिनरी कौंसिल आफ इंडिया की अनुशंसा पर भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन करती है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद वीसीआई इंडियन वेटरिनरी कौंसिल एक्ट, 1984 के प्रावधान के अनुसार शिड्यूल-1 में उस कालेज का नाम समाहित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल-1 में शामिल का नाम समाहित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल-1 में शामिल होने के बाद राजस्थान की स्टेट कौंसिल उसका पंजीयन करती है। वर्तमान में जो परिस्थितियां वीएस वेटरिनरी कालेज झुंझुनूं की हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह कालेज वीसीआई की शिड्यूल-1 में शामिल नहीं हुआ अभी।

आपने जो जिक्र किया है कि आपने इनका अस्थायी पंजीयन पहले किया था, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25.7.2014 को यह आदेश हुआ है कि केटरिनरी कालेज भरतपुर एण्ड जयपुर में 11.7.2011 तक या उससे पहले वाले जितने भी डाक्टर हैं जिन्होंने डिग्री हासिल की है, उनका पंजीयन किया जाए और महात्मा गांधी कालेज, भरतपुर के 19.1.2011 से 8.12.2011 को यह आदेश हुआ कि वेटरिनरी कालेज भरतपुर एंड जयपुर– जयपुर में 11.7.2011 था उससे पहले वाले जितने भी डाक्टर है जिन्होंने डिग्री हासिल की है उनका पंजीयन किया जाए और महिला गांधी कालेज, भरतपुर के 19.01.2011 से 8.12.2011 तक के मध्य जिन डिग्रीधारी चिकित्सकों ने डिग्री प्राप्त की है, उनके पंजीयन के डाइरेक्शन कोर्ट ने दिये हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 232 प्राइवेट वेटरिनरी कालेजों के जो डाक्टर्स थे, उन डिग्रीधारकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लम्बित रहते हुए, अध्यधीन रहते हुए पहले मान्यता दी गयी थी अस्थायी तौर पर। और उनमें से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है इसके अन्तर्गत लगभग 82 चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मिल चुकी है। 150 जो चिकित्सक हैं उनके बारे में लगातार राज्य सरकार के द्वारा वीसीआई से निवेदन किया जा रहा है, शीघ्र अनुमति प्राप्त होने के बाद ही पंजीयन किया जाना सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रमेश।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जवाब दिया, उसकी बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा बताना चाहता हूं, एक सैकिंड।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। जवाब आ गया। नहीं, अब नहीं। आप विराजिये। आप बोल चुके हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो ही कालेज के लिए हुआ है न कि सभी कालेजों के लिए हुआ है?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, न्यांगली साहब।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो कालेजों के लिए हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप उनसे बात कर लेना।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : सिर्फ जयपुर और भरतपुर कालेज के लिये न कि अन्य किसी कालेज के लिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, विराजिए। श्री रमेश।

तम्बाकू व गुटखा जनित बीमारियों में वृद्धि

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तंबाकू और तंबाकू उत्पादन को रोकने में सरकार विफल रही, इस ओर चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों पर, गुटकों पर रोक है लेकिन उसके बावजूद भी पान मसाला और खुशबूदार तंबाकू दोनों अलग-अलग पैकिंगों में उपलब्ध हैं और राज्य की जनता इसको मिलाकर खा रही है। राज्य में बीड़ी उद्योग संचालित है जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे काम करते हैं। ये महिलाएं और बच्चे भी बीड़ी पीने के आदी हो गये हैं और इनकी संख्या बढ़ गयी है। आज पूरे देश में जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उसमें लगभग 9 परसेंट मौतें जो कैंसर से होती हैं, वह तंबाकू सेवन करने वालों की ही होती हैं। हमारे प्रदेश में प्रति वर्ष तंबाकू सेवन करने वाले 75 हजार लोगों की मृत्यु हो जाती है। 40 परसेंट लंग्स की बीमारियां तंबाकू सेवन करने वालों को ही होती हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार तंबाकू उत्पाद बेचती है और उससे जो राजस्व प्राप्ति होती है वह लगभग 750 करोड़ है लेकिन तंबाकू उत्पादों से जो बीमारियां होती हैं उनका खर्चा लगभग साढ़े 11 सौ करोड़ से 12 सौ करोड़ आता है। तो हमारी जो राजस्व प्राप्ति है उससे अधिक खर्चा बीमारी पर हो जाता है और जनता तंबाकूयुक्त साधनों के उपयोग से भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर काल कवलित हो जाती है। ऐसी आय से राज्य सरकार को क्या फायदा जिससे राज्य की जनता बीमार रहे? प्रदेश में एक सर्वे के अनुसार जो महिलाएं और बच्चे माइंस में काम करते हैं या लेबर का काम करते हैं, 14 वर्ष की आयु में ही बालक धूम्रपान करने लग जाते हैं, गुटका सेवन करने लग जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह राजस्थान की सरकार के लिये एक चिंता का विषय है। राज्य में प्रति दिन 350 नये लोग इसका उपभोग करने वालों में जुड़ रहे हैं। जगह-जगह दुकानें खुली हुई हैं, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं यहां विधान सभा की बात करूं तो विधान सभा की कैंटीन

(श्री रमेश)

में या कहीं और, यहां भी आपको गुटका, बीड़ी-सिगरेट उपलब्ध हो जाएंगे। राज्य सरकार जनहित में जाग्रति हेतु कोई ऐसे प्रयास नहीं कर रही है जो सरकार को करने चाहिये। आज राजस्थान में जितने लोग बीड़ी पीते हैं, राजस्थान भारतवर्ष में पांचवें नंबर पर आता है। कई प्रदेश ऐसे हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, इनमें चाहे फ्लेवर्स हों चाहे अन्य तंबाकू उत्पाद हों, सभी पर प्रतिबंध है। सितम्बर, 2014 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्द्धन जी ने एक आदेश निकाला था और राज्य सरकार से आग्रह भी किया था कि हर प्रकार के फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि तंबाकू युक्त उत्पाद चाहे फ्लेवर्स हों या अन्य उत्पाद हों, सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिये जिससे आमजन को राहत मिले। स्वास्थ्य की दृष्टि से जनता के लिये फायदेमंद सिस्टम रहेगा, यही मेरा सरकार से और, माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है कि तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया। पूरे देश में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2008 से लागू है और 2016-17 यानी आगामी वर्ष से पूरे प्रदेश में भी यह लागू है। राजस्थान में सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2013 प्रारम्भ किया जा चुका है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस पर सरकार गम्भीर नहीं है। 2013 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का डाइरेक्टर जनरल अवार्ड तंबाकू की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने सर्वाधिक अच्छा काम किया है, इसके लिये मिला है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि आज राजस्थान में 32.3 फीसदी आबादी तंबाकू को किसी न किसी रूप में प्रयोग करती है। इसमें भी कोई शक नहीं, आंकड़े यह बताते हैं कि 50 हजार मौतें राजस्थान में और जिनका आंकड़ा अगर मैं प्रति दिन के हिसाब से निकालू तो लगभग 136 मौतें प्रति दिन हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें 90 फीसदी मौतें सिर्फ माउथ कैंसर के कारण से हो रही हैं। पूरे देश में सर्वाधिक वैट अगर तंबाकूजनित पदार्थों पर है तो वह राजस्थान में है। पिछले चार वर्षों में साढ़े 12 परसेंट से बढ़कर यह 65 परसेंट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक टैबलेट आती है ब्यूपोरियन, इसको हमने मुख्य मंत्री मुफ्त दवा योजना में शामिल किया है। इस टैबलेट के सेवन से तंबाकू छोड़ने में सहयोग मिलता है। 56 जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय में मुफ्त परामर्श के लिये हमने केन्द्र खोले हैं। 104 पर हम टोल फ्री राय देते हैं। गत चार माह में 2311 लोगों ने परामर्श

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया और कुछ लोगों ने इसको छोड़ा भी है। तंबाकू और निकोटिनयुक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन और विक्रय 18.7.2012 से प्रतिबंधित है। अब तक 28484 इंस्पैक्शन हमने किये हैं और उसके काफी पाउच भी हमने नष्ट किये हैं। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको हम बड़ी सख्ती से लागू करेंगे। कोई टैक्स रेवेन्यू की बात नहीं, निश्चित तौर पर यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिये सबके सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर हमने अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन कर रखा है। जिला स्तर पर भी इसके लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समन्वय समिति है। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने सरकारी नौकरी में आने से पहले एक शपथ पत्र लेना प्रारम्भ किया है कि जो अभ्यर्थी है वह तंबाकू उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि अलग-अलग कार्यक्रम के माध्यम से जन चेतना करें। अगर मैं इसी एक साल की बात करूं तो एक साल में जो हमारा नियम है उसके अनुसार 153215 रुपये का हमने चालान किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सख्ती से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि राजस्थान में तंबाकूजनित पदार्थों का उपयोग कम हो, इसके लिये जन चेतना हो, इनकी मौतों में कमी आए। इसमें सकारात्मक सहयोग प्रतिपक्ष का भी मिलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

श्री रमेश (सपोटरा) : पूर्ण प्रतिबंध अदर स्टेट में भी लगा हुआ है यहां भी पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। मंत्रीजी गोलमोल जवाब देने से तो कोई फायदा हुआ नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : 16.7.2012 का आदेश है उसकी हम सख्ती से पालना करवाएंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय मंत्रीजी, विधान सभा के परिसर में जो माननीय सदस्य इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उनके प्रति आप क्या रुख रख रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कोई नियम, प्रतिनियम कुछ नहीं, आसन में सर्वोच्च शक्तियां हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके पास तो अपार शक्तियां हैं, अगर आप इसमें कोई आदेश अपने श्रीमुख से फर्माएंगे तो वह नियम बन जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे पहाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फारमेशन है। सूरजगढ़ थाने में...

श्री अध्यक्ष : नो, नो, यह विषय नहीं है, विराजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : बात तो सुनो, साहब, बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बात सुनने का सवाल ही नहीं। कोई प्रकिया हो तो सुनूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : प्रक्रिया की ही बात कर रहा हूं, साहब। 27 तारीख को महिला के साथ बलात्कार किया गया...

श्री अध्यक्ष : नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं सुनने का ही सवाल नहीं है, हमारे विधान सभा चलाने की एक प्रक्रिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

(13.00 बजे)

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना दे दी, गृह मंत्रीजी से बात कर लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना दे दी, गृह मंत्रीजी से बात कर लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं बिलकुल नहीं, एक प्रक्रिया है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी से बात कर लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री गोचिन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, आप गृह मंत्रीजी से बात कर लीजिए न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : यह राहत देंगे, राजस्थान के गृह मंत्रीजी हैं, आप बात कर लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री भंवरसिंह (कोलायत) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं बिना प्रक्रिया के नहीं बोलने दूंगा। आप बैठिये, भंवरसिंह जी। आप भी बैठिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप भी बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : सवाल इज्जत का नहीं है, सवाल व्यवस्था का है, सवाल प्रक्रिया का है। सवाल संचालन के नियमों का है। हर कोई जब चाहे उठकर बोल लें, नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री...(व्यवधान) अपने आवास पर हर व्यक्ति से 9 बजे से 10.30 बजे तक मिलते हैं, फिर शाम को 5 बजे से 6.30 तक मिलते हैं। माननीय सदस्य अगर इतने चिंतित होते तो माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान कभी भी आकर्षित करा सकते थे। सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए हम सदन का उपयोग करें, मैं इसको उचित नहीं मानता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, अभी भी आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इनके पास कोई प्रतिवेदन हो तो गृह मंत्रीजी को आकर दे जाएं,गृह मंत्रीजी विचार करेंगे। सनसनी फैलाना, सदन का उपयोग करना यह कहां तक ठीक है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : पहले दो न आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आपने आज तक कभी बताया नहीं, अब बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सारे सदन को भी कहना चाहता हूं और पब्लिक को भी कहना चाहता हूं, अगर वास्तव में कोई भी इस प्रकार की घटना हो, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा नेता हो, जांच करके उसको दंडित करना मेरा दायित्व है। लेकिन बिना जांच के मैं किसी भी व्यक्ति को कोई अपराधी की तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। आपका अंकित नहीं होगा। गृह मंत्रीजी ने अपने दायित्व का निर्वहन करने का वादा किया है। और मैं सहमत हूं राजेन्द्र जी जो बोले, आप उनसे मिल लीजिए। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? राहत देने वाले मंत्रीजी बैठे हैं, जो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं यहां नहीं बोलने दूंगा। बिना प्रकिया के, किसी प्रावधान के नहीं बोलने दूंगा। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप व्यवधान मत डालिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : हां, टेबल पर रख दो आपको देना हो तो। पर मैं अलाउ नहीं करूंगा। अलाउ नहीं करूंगा। रख दीजिए। प्रक्रिया, श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर के कतिपय गांवों में पेयजल की किल्लत

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख से प्रस्ताव। प्रदेश में जल स्तर दिन प्रति दिन घटता जा रहा है जो काफी चिंता का विषय है। गर्मी का सीजन आ रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम काली पहाड़ी, पं. कोल्याड़ा, नारायणपुर, ज्ञानपुरा, बिलाली, बबेड़ी, भम्मू का बास, हाजीपुर, गढ़ी, खरकडी आदि में पानी की भारी किल्लत है। नारायणपुर में तीन बोरिंग थीं, तीनों का पानी खतम हो गया। कोल्याड़ा में दो बोरिंग थीं, दोनों सूख गयी हैं। काली पहाड़ी में भी वर्तमान में पानी की व्यवस्था नहीं है। एससी बस्ती नारायणपुर, मालोड़ी सैनी की ढाणी एवं लीला मडा ग्राम में टंकी बना दी गयी है। पाइप लाइन में लीकेज है लेकिन पानी पर्याप्त है। उसके पास में ढाणी जाहेड़ी, ढाणी बाड़ की 100-200 मीटर लाइन और मिल जाए तो पर्याप्त पानी मिल जाएगा। मेरे द्वारा हैण्डपम्प बोरिंग व पाइप लाइन के प्रस्ताव भेजे गये हैं। पिछले 6 महीने से पाइप लाइन के प्रस्ताव भिजवा रखे हैं एवं सभी विधायकों को 30-30 हैण्डपम्प के प्रस्ताव दिये गये थे, जिसमें सरकार दुर्व्यवहार कर रही है।

(13.05 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

अलवर जिले में अन्य विधायकों की वित्तीय स्वीकृति का पत्र पहुंच गया है किन्तु विपक्ष के विधायकों की वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी है। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि वर्तमान सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। लोग गर्मी में पानी की प्याऊ लगाते हैं, पानी के विषय पर तो दुर्व्यवहार नहीं करते है। वर्तमान सरकार के लिए शर्म की बात है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है, इस निरंकुश सरकार से पूछें। ऐसा व्यवहार लोकतंत्र के विपरीत है। पाइप लाइन एवं बोरिंगों के हैण्डपम्प स्वीकृत कर जनता के साथ न्याय कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल।

शिक्षण संस्थाओं के आसपास तम्बाकू सेवन पर प्रभावी रोक

श्री हीरालाल (निवाई) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान में लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति जिसमें 32.3 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या है, किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से 50 प्रतिशत लोगों की अकाल मृत्यु तंबाकू से होने वाली गम्भीर बीमारियों जैसे दिल का दौरा, फेफड़ों-मुंह का कैंसर, टीबी आदि के कारण हो जाती है। यह समस्या हमारी युवा पीढ़ी को गम्भीर रूप से प्रभावित कर रही है।

आपको यह जानकार दुखद आश्चर्य होगा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे तंबाकू की जानलेवा लत का शिकार हैं। प्रति दिन भारत में 5500 बच्चे तंबाकू का सेवन आरम्भ करते हैं। जन स्वास्थ्य विद्यालय जान शेपकिंस द्वारा किये गये सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि राजस्थान में 54 प्रतिशत से ज्यादा ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां अभी भी 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने वाली दुकानें हैं। मासूम बच्चे जिन्हें टाफी, मिठाई खानी चाहिए, वे अज्ञानतावश आज तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें तंबाकू आसानी से शिक्षण संस्थाओं के पास उपलब्ध हो जाती है। राज्य में बढ़ते हुए मुंह कैंसर का यह एक प्रमुख कारण है। 11 एवं 12 वर्ष के बच्चों में तंबाकू खाने के केवल 2 वर्ष के अन्दर ही कई प्रकार के गम्भीर लक्षण दिखाई दे जाते हैं।

सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। यह कानून इस ठोस प्रक्रिया पर आधारित है कि यदि हम तंबाकू की पहुंच को कम कर दें तो इससे इसकी शुरूआत करने में कमी आएगी और तत्पश्चात् इसके सेवन में भी कमी आएगी। दुर्भाग्यवश यह कानून समुचित रूप से लागू नहीं हुआ है।

हमारे बच्चों का जीवन एवं उनका स्वास्थ्य अनमोल है। बच्चे यदि स्वस्थ एवं निरोगी रहेंगे तो एक खुशहाल भारत होगा। अत: आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है, तंबाकू से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है कि तंबाकू के इस्तेमाल पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जाए और शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकूजनित उत्पाद जैसे सिगरेट, गुटखा आदि की बिक्री पर रोक के जो कानून बने हुए हैं, उनकी प्रभावी रूप से पालना करायी जाए।

श्री सभापति : श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ (अजमेर) के सांवतसर रेलवे फाटक पर अण्डर-पास

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि अजमेर जिले की प्रमुख औद्योगिक नगरी एवं विश्वविख्यात मार्बल नगरी किशनगढ़ (अजमेर) में वर्तमान रेलवे स्टेशन के समीप सांवतसर क्षेत्र एवं हरमाडा रोड से आगे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख आवागमन मार्ग पर रेलवे फाटक संख्या 27 स्थित है जिसे सांवतसर फाटक के नाम से जाना जाता है। उक्त रेलवे फाटक पर गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से अण्डरब्रिज नहीं बनने के कारण मदनगंज, सांवतसर, मार्बल एरिया के व्यापारियों, बाशिंदों एवं आस-पास के ग्रामीणों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, उक्त मार्ग पर रेलवे फाटक पार करने के पश्चात् सांवतसर क्षेत्र में नगर का सबसे बड़ा मुक्तिधाम स्थित है जहां पर दाह संस्कार के लिए आने-जाने वाले लोगों को उक्त फाटक बंद होने, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी खड़ी होने पर शव को लेकर खड़े रहकर इन्तजार करना पड़ता है और कभी-कभी तो शवयात्रा को ट्रेन के अन्तिम छोर की ओर ले जाकर घूमकर अवैधानिक तरीके से फाटक को पार करना पड़ता है। इसी प्रकार उक्त मार्ग से होकर मार्बल एरिया मण्डावरिया, फलोदा, भेजियावास, नयागांव, हरमाडा, रामपुरा, कांकनियावास, बुहारू, नलू, छोटा नरेना, गहलोता, छिर एवं तिलानिया सहित लगभग 30-32 गांवों के ग्रामीणजन एवं मजदूर वर्ग भी अपने कामकाज, दैनिक मजदूरी करने हेतु किशनगढ़ में प्रति दिन आते-जाते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उक्त रेलवे फाटक 24 घण्टे में से लगभग 21 घण्टे तक बंद रहने के कारण उक्त सभी ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी-कभी तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने में काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे आमजन में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। प्रति वर्ष अक्रोशित लोगों द्वारा धरने-प्रदर्शन भी किये जाते हैं।

सभापति महोदय, उक्त सभी तथ्यों से स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा भी रेलवे उच्चाधिकारियों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग को ज्ञापन देकर अवगत कराकर उक्त ज्वलंत समस्या के निराकरण हेतु गत 15 वर्षों से कई बार निवेदन किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सांवतसर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर जन आक्रोश को समाप्त कर राहत देने के उद्देश्य से रेलवे एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग

(श्री भागीरथ चौधरी)

द्वारा अण्डरपास बनाने की सक्षम एवं वित्तीय स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी कराने की महती कृपा करें। ताकि किशनगढ़ शहरी क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता एवं आस-पास के ग्रामीणों को राहत प्राप्त हो और आवागमन का सुलभ एवं सुगम मार्ग उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र गुर्जर।

बीसलपुर बांध के विस्थापितों से लिये जा रहे खातेदारी शुल्क में भेदभाव

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के देवली उप-खण्ड में बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया। बीसलपुर बांध निर्माण हुआ तो उसके पेटे में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार द्वारा जमीन आबंटित की गयी। बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 309 मीटर तक के क्षेत्र में जिन ग्रामीणों की जमीन थी, उनको दूसरी जगह जमीन आबंटित करके खातेदारी प्रदान कर दी गयी। बीसलपुर बांध के 309 से 315 मीटर तक भराव क्षेत्र में जिन ग्रामीणों की खातेदारी भूमि थी, उनको दूसरी जगह जमीन आबंटित की गयी। परन्तु 309 से 315 तक के विस्थापितों को जो जमीन आबंटित की गयी है, गैर खातेदारी से खातेदारी में करने के बदले विकास शुल्क के रूप में राशि रुपये 8,000/- बारानी एवं 15,000/- सिंचित भूमि प्रति बीघा ली जा रही है। 309 में आ रहे ग्रामीण विस्थापितों से कोई शुल्क नहीं लिया गया लेकिन 309 से 315 तक आ रहे ग्रामीण विस्थापितों से जमीन की खातेदारी का शुल्क लिया जा रहा है जो अनुचित है जिससे क्षेत्र की जनता में असंतोष व्याप्त है। अत: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती संजना आगरी।

सोजत शहर की पेयजल समस्या

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत नगरपालिका शहर की आबादी 40-45 हजार के लगभग है। यहां पर पेयजल की सप्लाई आये दिन बाधित बनी रहती है जिसका मुख्य कारण वर्षो पुराना आर.जी.एफ. फिल्टर स्टोरेज प्लांट है जो मात्र 4.42 भराव क्षमता का है। नगर में वर्षो पुरानी वितरण प्रणाली बिछी है जिसमें जल दबाव की समस्या बनी रहती है। नगर की जलापूर्ति हेतु नगर को छोटे-छोटे 39 जोनों में बांटकर 72 से 96 घण्टे के अंतराल से जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित है जिससे आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आगे मई-जून की गर्मी में नियमित पेयजल की आपूर्ति व

(श्रीमती संजना आगरी)

नगर के बढ़ते विस्तार व बढ़ती आबादी को सुचारु जलापूर्ति हेतु योजना का आग्मेंटेशन अत्यन्त आवश्यक है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप द्वारा 2003-04 में स्वीकृत जवाई पाइप लाइन परियोजना के थ्री फेज में सोजत क्षेत्र को जवाई बांध का मीठा पानी उपलब्ध करवाया गया। 40 लाख लीटर रा-वाटर आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है लेकिन उपलब्ध रा-वाटर के लिये 8.05 एम.एल.डी. क्षमता के फिल्टर स्टोरेज की अति आवश्यकता है जिसकी भराव क्षमता लगभग 12 लाख लीटर होना तय है। उक्त योजनान्तर्गत सोजत शहर में बने फिल्टर प्लांट से मारवाड़ जंक्शन की पंचायतों को पानी उपलब्ध कराना तय है।

फिल्टर स्टोरेज की कमी के कारण उपलब्ध 40 लाख लीटर रा-वाटर का उपयोग जनता को आज भी नहीं हो रहा है। इसके साथ ही सोजत शहर के 5-7 वार्ड आज भी ऐसे हैं जो अरबन एरिया में होते हुए भी यहां के नागरिक पेयजल पाइप लाइन से वंचित हैं और कई वार्ड ऐसे हैं जहां वर्षों पुरानी वितरण प्रणाली बिछी है जिससे वार्डों में पेयजल के दबाव की समस्या बनी रहती है।

अत: आपसे निवेदन है कि सोजत नगरपालिका की ज्वलंत समस्या अनियमित पेयजल आपूर्ति को सुचारु करने के लिये फिल्टर स्टोरेज की घोषणा के साथ ही जलापूर्ति से वंचित वार्डों को पाइप लाइन से जोड़ा जाए तो सोजत शहरवासियों को पेयजल से हो रही समस्या से निजात मिलेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश सिंह रावत। सोरी, श्री संजीव कुमार

भादरा में किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराने की व्यवस्था

श्री संजीव कुमार (भादरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि दिसम्बर और जनवरी माह में यूरिया खाद की विधान सभा क्षेत्र भादरा में भारी कमी होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि खाद उत्पादन इकाइयों द्वारा निश्चित समय पर मांग के अनुसार यूरिया खाद उपलब्ध नहीं करवायी गयी। भादरा तहसील मुख्यालय हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे परिवहन लागत ज्यादा आने के कारण जिले में सबसे कम खाद भादरा क्षेत्र को उपलब्ध करवायी गयी।

ऐसी समस्या भविष्य में न हो, इसके लिये कृषि विभाग रबी एवं खरीफ की फसल की बुआई का सर्वे कर खाद, डी.ए.पी. यूरिया एस.एस.पी. की कार्यक्षेत्र की मांग तैयार कर सरकार को भिजवाए। सीजन समाप्त होने के पश्चात् मिलने वाली खाद का समिति मुख्यालयों पर बने सरकारी आर.एस.डब्ल्यू.सी. गोदामों में भण्डारण करवाए। खाद उत्पादन इकाइयों द्वारा निश्चित समय पर निश्चित मात्रा उपलब्ध करवाना तय

(श्री संजीव कुमार)

करे व प्राइवेट स्तर पर कार्य करने वाले लाइसेंसधारकों को पाबन्द किया जाए कि वे उनको मिलने वाली खाद मंगवाकर समय पर खुदरा विक्रय करें।

आपसे निवेदन है कि भविष्य में खाद की दोबारा कमी की वजह से किसानों को परेशानी न हो, इसके लिये सरकार पहले से ही समुचित प्रयास करे। वर्तमान रबी की फसल के समय यूरिया खाद की कमी आने की वजह से क्षेत्र के किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेश सिंह रावत।

पुष्कर में रेल सम्पर्क

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में तीर्थराज पुष्कर विश्वप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तीर्थराज पुष्कर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक प्रति वर्ष आते हैं। वर्तमान में अजमेर से पुष्कर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, यदि पुष्कर को मेड़ता से रेल लाइन से जोड़ दिया जाता है तो उक्त धार्मिक स्थल एवं अजमेर का नागौर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों से सम्पर्क का साधन बढ़ जाएगा जिससे पर्यटकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की सम्भावना है। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अजमेर में ख्वाजा की दरगाह, पुष्कर और भक्ति का मार्ग दिखाने वाली मीरा बाई का प्रसिद्ध स्थान मेड़ता का आपस में जुड़ाव हो जाएगा, जिससे पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में चूना पत्थर, चाइना-क्ले, लाइम स्टोन आदि के भी काफी भंडार हैं जिससे उद्योगों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत के शेष हिस्सों में उक्त औद्योगिक उत्पादन का परिवहन करने में सुविधा मिलेगी तथा राज्य की राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

अजमेर जिले में नसीराबाद छावनी भी स्थापित है और राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए छावनी का सम्पर्क भी बार्डर इलाके से सीधा हो जाएगा और उन्हें भी आने-जाने में सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त किशनगढ़ से कुचामन वाया रूपनगढ़ होते हुए यदि नया रेल मार्ग बनाया जाता है तो रूपनगढ़ उपखण्ड में जो नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, उस उद्योग को तथा किशनगढ़ की प्रसिद्ध मार्बल मंडी को भी फायदा होगा।

अत: उक्त प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्त दोनों मार्गों को रेल लाइन से जोड़ने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय कर विशेष प्रयास करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी।

रानी (मारवाड़ जंक्शन) में आई.टी.आई. की स्थापना

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन लगभग 125 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एक तरफ अरावली की घाटियों से घिरा हुआ क्षेत्र अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है जिसमें उपखण्ड कार्यालय रानी, नगरपालिका, पंचायत समिति, तहसील कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय भी संचालित हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) नहीं है जिससे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र से काफी दूर जाना पड़ता है जबकि सरकार ने नार्म्स के अनुसार प्रत्येक तहसील स्तर पर आई.टी.आई. खोलने का प्रावधान किया हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्रीजी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कौशलपूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए जिससे बेरोजगारी पर रोक लगायी जा सके।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले रानी उपखण्ड स्तर पर इसी बजट सत्र में आई.टी.आई. खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शुभकरण चौधरी।

उदयपुरवाटी में बिजली-पानी एवं पुलिस व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र की बिजली-पानी एवं बिगड़ती पुलिस व्यवस्था की गम्भीर समस्या से मैं अवगत करवाना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश लोग ढाणियों में निवास करते हैं। आजादी के बाद आज भी छात्र-छात्राएं अंधेरे में लालटेन की रोशनी में पढ़ने को विवश हैं। इस विधान सभा का भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ी के रूप में ज्यादा है इसलिए यहां पर पानी की भी भारी कमी है। यह क्षेत्र डार्क जोन श्रेणी में घोषित है। यहां पानी 1000 फीट गहराई पर भी नहीं मिल रहा है एवं जो मिल रहा है वह भी फ्लोराइडयुक्त होने के कारण क्षेत्र के लोग बीमार हो रहे हैं। शरीर ही हड्डियां 50 साल की उम्र में ही चटकने लगती हैं व लोग कुबड़े हो जाते हैं। महोदय, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आम आदमी तक बिजली-पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है।

(श्री शुभकरण चौधरी)

महोदय, इस समस्या की ओर ध्यान देकर सरकार द्वारा जनहित में बिजली व पानी की व्यवस्था शीघ्रता से करवाकर लोगों को राहत प्रदान करें एवं फ्लोराइड वाले क्षेत्रों में आर.ओ. प्लांट लगाने की व्यवस्था करें। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि जो पुराने कुए सूख गये हैं।...(व्यवधान)

श्री सभापति : पढ़िये। पुराने कुए...(व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : एवं पूर्व में खुदे हुए कुए जो सूख गये हैं, उनको तुरन्त दुबारा से खुदवाया जाए।

महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में समूह के तथा एकल ढाणियों के घरेलू कनेक्शन सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में शीघ्रता से दिलवाये जाएं।

साथ ही मेरे क्षेत्र में बाहर के लोग बेखौफ होकर चोरियां व डकैती कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। पुलिस बेपरवाह होकर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गश्त नहीं कर रही है और अपराधियों पर कोई अकुंश नहीं लगाया जा रहा है। शराब की तस्करी चरम सीमा पर है। अपराधी कानून-व्यवस्था को चकमा देकर बेखौफ होकर चोरियां व डकैती करते हैं और पड़ौसी राज्य में भाग जाते हैं जिससे जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। चोरियों की घटना जिले में दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जिले की सीमा पर किसी प्रकार की ठोस पुलिस नाकाबंदी व्यवस्था नहीं है जिससे अपराधी बैखौफ होकर वारदात को अंजाम देते हैं।

मेरे विधान सभा उदयपुरवाटी में भी पिछले 12 महीनों में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। पंचलगी में पुष्कर गोयल के यहां दो बार बहुत बड़ी चोरी हुई है। बड़ागांव में पूर्ण सिंह शेखावत की गाड़ी चोरी हो गयी। इनके साथ-साथ लोगों के ट्रैक्टर व पशु भी चुराये जा रहे हैं। इन पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लग रही है। थाने में इनसे सम्बन्धित रिपोर्ट भी दर्ज है लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। बालाजी स्टैंड, खिंवासर के आम सड़क पर एक दुकान से 150 बोरी ग्वार चोरी हुआ, जहां से पुलिस चौकी मात्र 200 मीटर दूर है। गांव भाटिवाड़ से जगदीश मेघवाल का ट्रैक्टर चोरी हुआ, चार माह हो गये हैं। सरेआम नाबालिग लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। प्रार्थी के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। उपाधीक्षक, नवलगढ़ में जब भी कोई प्रार्थी न्याय की गुहार लगाने जाता है तो उसी को प्रताड़ित किया जाता है और कहा जाता है कि नेताओं के पास जाओ, चोरियां वे रोकेंगे। जब तक नेताओं के पास जाओगे, तब तक हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के अधिकारियों से सरकार मेरे क्षेत्र को निजात दिलाए व क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का काम करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद आपको भी। श्री हीरालालजी नागर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह तो बी.जे.पी. के लोगों की हालत है।

श्री सभापति : यह शुभकरणजी की हालत है, बैठ जाओ आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : शुभकरणजी की नहीं है, यह बी.जे.पी. के लोगों की आत्मा की आवाज है, सुनो आप। कितनी दु:ख की बात है।

श्री सभापति : सुन रहे हैं मंत्रीजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : डी.एस.पी. धमका देता है, थानेदार धमका देता है, इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा?

श्री सभापति : विराजो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आसन को मैं तो निवेदन कर रहा हूं। बैठूंगा मैं तो, आप कहोगे तो, लेकिन इस अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे हम। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराज जाओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : हमको तो धमका दें तो हमको तो दिक्कत नहीं, हम तो…(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिए। विराजिए। श्री हीरालालजी नागर।

कनवास (कोटा) में फोर वाटर योजना के तहत जल संरक्षण

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील कनवास का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र है एवं वन विभाग में आता है। मुकन्दरा नेशनल पार्क दरा का हिस्सा भी इस तहसील में आता है। इस क्षेत्र में पड़ने वाले पठारी क्षेत्र का पानी ढलान होने से तेजी से बहकर मैदानी क्षेत्र जो समतल हैं, वहां आकर भर जाता है और खड़ी फसलों को जलमग्न कर नष्ट कर देता है जिससे दोहरा नुकसान होता है- वर्षा के समय जल भराव होने से खड़ी फसल नष्ट होना एवं बरसात के बाद सर्दी के मौसम में फसलों को पानी की आवश्यकता होती है तब जल स्तर नीचा होने से किसानों की फसलों में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि फोर वाटर कंसैप्ट के तहत पठारी क्षेत्र के नालों-खालों पर चरणबद्ध तरीके से एनीकट बनाये जाने की योजना तैयार की जानी चाहिए। कनवास तहसील के पोकल्या खाल, सतमुड्या खाल, काल्याखेड़ी का खाल, दाता, मंदारिया का खाल के जल संरक्षण हेतु

(श्री हीरालाल नागर)

लोक हित में एन.जी.ओ. के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराये जाएं एवं श्रृंखलाबद्ध तरीके से एनीकटों का निर्माण करवाया जाए तो वर्षा ऋतु में व्यर्थ बहने वाले जल का संरक्षण भी होगा, वन्य जीवों को भी बचाया जा सकेगा व किसानों की जल प्लावन से होने वाली फसलों की हानि को भी बचाया जा सकेगा। समस्त क्षेत्र ट्यूबवैल पर आधारित खेती पर निर्भर है, जल स्तर में बढ़ोतरी होने से कम खर्चे व बिजली में किसानों को खेती हेतु पानी उपलब्ध होने से किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा में जनता जल योजना में विद्युत बिल जमा कराने की व्यवस्था

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जनता जल योजना के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जाती है। उक्त योजना में विद्युत कनेक्शन का बिल ग्राम पंचायत द्वारा जमा कराया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर बिल जमा नहीं कराने के कारण विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा काट दिया जाता है जिससे ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक माह इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जनता में इस सम्बन्ध में रोष व्याप्त है। मेरे फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में भी कई ग्रामों में उक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त विद्युत कनेक्शन का बिल समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित करें अथवा जनता जल योजना से लाभान्वित ग्रामों को दूसरी किसी योजना से जोड़कर पेयजल सप्लाई निर्बाध करना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला। नहीं हैं ओला साहब। (अनुपस्थित) पर्ची के द्वारा। श्री शंकर लाल शर्मा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

दौसा में भीषण पेयजल संकट

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री शंकर लाल शर्मा)

माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दौसा की समस्या अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वह है पीने के पानी की। आज हालात ये हैं कि वहां सात-सात, आठ-आठ दिन के अन्दर पानी आता है। दौसा शहर को 30 मिनट से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। बाण गंगा के द्वारा दौसा के अन्दर पानी सप्लाई किया जाता था, अब बाण गंगा का लेवल भी जो गहराई से भूजल के द्वारा आ रहा था, वह और नीचे चला गया और कई ट्यूबवैल उसके अन्दर सूख गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, माननीय सदस्या, आप कोई पार्क में घूम रही हैं क्या? माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आपको आसन और उनके बीच में से आने के लिये मैंने टोका, फिर भी आप बेखौफ घूम रही हैं।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) : दौसा के ये हालात आज के नहीं हैं, दौसा में 50-60 सालों से यह समस्या चली आ रही है और इसी के लिए एक दौसा में कहावत भी है– "दौसा शहर चिड़ी का बासा, अन्न घणो पर पानी का तासा"। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी सुराज संकल्प यात्रा में चुनावों के अन्दर दौसा में पधारीं तो उन्होंने भी इन हालात का जायजा लिया। दौसा को पानी पिलाने के लिये 531 करोड़ रुपये पी.एच.ई.डी. के द्वारा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को ईसरदा में डैम बनाने हेतु दिये गये थे। एक करोड़ 86 लाख रुपये वहां का सर्वे करने के लिए दिये गये, लेकिन इसको भी आज एक साल हो गये। हालात ये हैं कि ईसरदा के अन्दर 120 हैक्टेयर जमीन तो वन विभाग की है, उसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण करनी है, उसकी कार्यवाही भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसी हालत में यह लग नहीं रहा कि दौसा को ये 10-15 साल में भी पानी पिला सकते हैं।

(13.33 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाह रहा हूं कि अगर इसी कछुआ चाल से यह योजना बनेगी तो 15-20 साल तक लगता नहीं कि सिंचाई विभाग ईसरदा में डैम बनाकर दौसा को पानी पिला देगा।

इसी के तहत बनास नदी में दुब्बी के ऊपर पानी रोककर नल सप्लाई के द्वारा पानी दिया जा सकता है जिसके लिये 300 करोड़ रुपये लागत और 2 साल में पानी उपलब्ध करवाने की योजना है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर इस बजट में हमारी योजना लागू कर दी जाए तो हो सकता है कि हमारे दौसा का जीवन-यापन हो सके और सबसे बड़ी पानी की समस्या से हमारे को मुक्ति मिल सके।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

जलदाय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले ग्राम सैंथल, बड़ागांव, छारडा, नांगल बैरसी, बनियाना एवं कुण्डल के लिये 50-50 लाख रुपये की पेयजल निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं जिनका अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा कार्य करने का अनुमोदन भी हुआ था। लेकिन क्या मालूम कौनसा कारण हुआ कि 8-9 माह से उनका कार्य रोक दिया गया और इस योजना को भी एक ठंडे बस्ते के अन्दर ही डाल दिया गया। पूरे एरिया के अन्दर पानी के जो हालात हैं, जोपाड़ा, पाड़ली, मित्रपुरा, लोटवाड़ा, राजपुरा, पालावास, लोहसरी, आच्छीवास, खींचावास, आनन्दपुरा इनमें काफी पुरानी टंकियां बनी हुई हैं, लेकिन आज तक उन टंकियों से पानी चालू नहीं हुआ। साथ ही पूरे एरिया में फ्लोराइडयुक्त पानी से हालात खराब हैं। हमारी हालत यह हो गयी कि बचपन में ही आदमी 55-56 साल का लगने लग गया। इसके ऊपर अभी तक भी हमारे पानी की पूर्ति नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम यही निवेदन करना चाह रहे हैं, हमने मांगा कि कुछ एकल पाइंट दिये जाएं ताकि उनके अन्दर आर.ओ. लगाकर दौसा को कुछ पानी तो मिले पीने के लिये। लेकिन मंत्री महोदय ने एकल पाइंट की योजना भी बंद कर दी। अध्यक्ष महोदय, हर एरिया की अपनी अलग समस्या होती है, हर एरिये की अपनी अलग परेशानी होती है। हमारे यहां सात-सात, आठ-आठ दिन में केवल 30 मिनट पानी मिल रहा है ऐसी हालत में वहां एकल पाइंट लग जाए, आर.ओ. लग जाए तो उसके माध्यम से नित्य कई और कार्यों के लिए पानी की उपलब्धता हो जाती है। नहाना-धोना, रसोई वगैरह इन कार्यों में तो वह काम में आ सकता है। सारे पाइंट आपने बंद कर दिये। दौसा शहर की परिस्थिति को देखते हुए दौसा शहर के लिए भी एकल पाइंट लगाकर और आर.ओ. उपलब्ध करवाकर इस परेशानी से निजात दिलायी जाए।

ये हालात आज के नहीं हैं। शुरू से हमारे ऐसे हालात चले आ रहे हैं। जिरोता, खैरवाल, ढिगारिया, हिंगोटिया, नांगल बैरसी, लवाण, चावण्डेडा, चूडियावास, नांगल राजावतान, लाडली का बास, भण्डाना, बोरूदा, यह पूरा का पूरा एरिया फ्लोराइडयुक्त पानी का है। आखिर में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे जलदाय विभाग कार्यालय सहायक अभियन्ता, नांगल राजावतान के अधीन आता है। लेकिन उसी में लबाण तहसील अलग बन चुकी, वहां पर पंचायत समिति भी अलग बन चुकी और उसके हिसाब से सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का भी प्रावधान है। हमारे यहां पानी की समस्या है, हैण्डपम्प नित्य खराब हो रहे हैं, एकल पाइंट खराब होते रहते हैं, पानी की टंकियां बनी हुई हैं लेकिन पानी सुचारु रूप से नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर अलग से यह सहायक अभियन्ता कार्यालय लबाण

(श्री शंकर लाल शर्मा)

के अन्दर खुल जाएगा तो वो इस सबसे बड़ी परेशानी से हमें निजात दिलाएगा। दौसा से पानी की समस्या के कारण लोग पलायन करने लग गये। हम बात कर रहे हैं उद्योग की, हम यहां बात कर रहे हैं कि हमारे यहां कार्य हो, हमारे यहां लड़कों को रोजगार मिले। लेकिन जब पानी ही हमारे एरिया के अन्दर नहीं है तो उद्योग कहां से लगेंगे? इसलिये दौसा की जनता को निजात दिलाने के लिये पानी मुहैया कराया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं बहुत-बहुत-धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री बच्चूसिंह, रूपवास-बयाना की क्षतिग्रस्त सड़कों के सम्बन्ध में।

बयाना-रूपवास की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री बच्चू सिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से अपने बयाना-रूपवास की सड़कों को लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बयाना से रूपवास पूरी सड़क ऐसी हो रही है कि वह चलने लायक भी नहीं रही। बयाना से हिण्डौन, यह सड़क भी एकदम से खतम हो रही है। हम कई बार मंत्री महोदय को लिखकर भी दे चुके हैं, फिर भी अभी तक उस पर कोई विचार हुआ नहीं। बंधबारेठा से बाड़ी बसेड़ी के लिए एक सड़क सैंक्शन हो गयी है, पर उसको वन विभाग रोक कर बैठा हुआ है। उसको भी क्लीयर करवा कर उसका भी काम हो।

रूपवास से घाटोली चौराहे यू.पी. बार्डर तक, वो भी एकदम से कन्डम हो रही है, यह दस किलोमीटर की सड़क है, इस पर भी ध्यान दिया जाए।

पंचायती राज के अन्दर जो सड़क जा रही हैं वो भी हमारी 70 परसेंट सड़कें ऐसी खराब हो रही हैं कि चलने लायक भी नहीं रही हैं।

कुछ नयी सड़कें हैं। पहाड़पुर से सिगनिया मांघरोन की सड़क ऐसी है, 6 किलोमीटर का टुकड़ा, 6 किलोमीटर के टुकड़े के अलावा हम घूम कर आते हैं तो 50 किलोमीटर का फेर होकर आते हैं। उस सड़क का भी लिख कर दे चुके हैं, उसका भी निर्माण पूरा होना चाहिए।

पंचायती राज के अन्दर के जो काम करवाये जाते हैं अपने कोटे से या कैसे भी, पंचायती राज मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि बार-बार जैसे हम पी.सी.सी. करवाते हैं या खरंजा करवाते हैं, उसके साथ-साथ नाली बनायी जाती है तो सफाई के कारण नाली ब्लाक हो जाती है और ब्लाक होने की वजह से सड़क पर कीचड़ होता है और उस पर पी.सी.सी. की दोबारा काम की मांग होती है। इसलिए मैं कहता हूं, हर पंचायत में दो-दो सफाई कर्मचारी लगाये जाएं। यही मेरी गुजारिश है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंहजी। आप रेस्पोंड करेंगे क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : जी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : शंकर सिंहजी, आप विराजिये, इनके बाद आपका है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बयाना और रूपवास क्षेत्र में कुल 513 किलोमीटर सड़कें हैं, उनमें से 142 किलोमीटर तो संतोषजनक हैं। कुछ हमारी डी.एल.वी. की सड़कें भी हैं। अभी कल ही हमने इनके क्षेत्र की जो नान-पैचेबल सड़कें थीं, उनका टेण्डर रिसीव किया है। लगभग सात सड़कें ऐसी हैं जो 25 किलोमीटर नान-पैचेबल थीं, उनमें से लगभग 21 किलोमीटर नान-पैचेबल को हमने इस टेण्डर के माध्यम से कवर किया है। वो सड़कें निर्मित होंगी लगभग चार करोड़ रुपये खर्च कर के, तो उनकी स्थिति तो ठीक हो जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक और इश्यू उठाया। बंधबारेठा-बसेड़ी बार्डर पर जो एस.एस. 43 है उसमें 23 किलोमीटर की सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। वो वाइल्ड लाइफ में आती थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचना देना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की हमें स्वीकृति मिल गयी है। चूंकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में जाता है तो यह पत्रावली हमने माननीय उच्चतम न्यायालय के पास स्वीकृति हेतु भेज दी है। यह एक सूचना तो आपके लिए ठीक है।

दूसरा, भरतपुर-बयाना-हिण्डौन दो वर्ष पहले रिडकोर को दी गयी थी भाड़ोती से यू.पी. बार्डर तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह काम रुका हुआ था। रिडकोर से चर्चा के बाद उन्होंने एक तरीके से मना ही कर दिया। माननीय मंत्री महोदय अभी बयाना पधारी थीं, उस समय उन्होंने इस सड़क को आर.एस.आर.डी.सी. के थ्रू करवाने का एलान किया है। उसका एस्टीमेट बन गया है और फाइनेंस में गयी है तो यह सड़क भी बन जाएगी।

इनके क्षेत्र में जितनी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनको काफी को तो हमने ले लिया। बाकी ये दो-तीन इश्यूज वास्तव में गम्भीर थे, क्षतिग्रस्त थे, उनका समाधान भी हमने निकाल लिया है, शीघ्र इनका काम पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिंह।

कुचामन सड़क दुर्घटना में मृत युवकों के परिजनों को मुआवजा

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर क्षेत्र में पांच विद्यार्थी मित्र श्री महीपाल सिंह s/o श्री राम सिंह ग्राम केसरिया, केनबरिया रूडाणा; श्री सुरेन्द्र सिंह s/o श्री देवी सिंह उम्र 25 वर्ष, नया गांव जवाजा; ललित सिंह s/o श्री मोठ सिंह उम्र 27 वर्ष, गांव बड़ा खेड़ा; संतोष सिंह देवी सिंह केनबरिया रूडाणा और

(श्री शंकर सिंह)

पुष्पेन्द्र सिंह s/o कालू सिंह उम्र 28 वर्ष कुचामन गये थे, वापस आने के समय शुक्रवार के दिन खरवा गांव में दर्दनाक मृत्यु हो गयी। इनमें से दो व्यक्ति बचे हैं, तीन वहीं पर खतम हो गये। एक पुष्पेन्द्र सिंह कुचामन ही रुक गया था और चार उसी गाड़ी में आ रहे थे। हाई-वे पर खारवा गांव में ट्रोला मेन रोड पर ही खडा था, रात का समय था। चारों विद्यार्थी मित्रों में से एक सीरियस है, अभी भी यहां जयपुर में भर्ती है और तीन वहां खतम हो गये हैं। मेरी मांग है कि इन विद्यार्थी मित्रों को सरकार की तरफ से जो भी हो, मुआवजा राशि मिले या उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले।

साथ ही हाई-वे पर जो इस प्रकार लापरवाहीपूर्वक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, मेरी मांग है कि उन गाड़ियों पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, थोड़ा निर्देश दें कि हाई-वे पर जो लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसकी वजह से पीछे से गाड़ी आकर लोग मरे हैं, तो उनका भी चालान हो या ऐसी कुछ रोक लगनी चाहिए ताकि उनके ऊपर कार्यवाही हो।

पुलिस के द्वारा जो हम मुकदमा दर्ज कराते हैं उस पर भी कार्यवाही नहीं होना या वाट्स एप पर जिस प्रकार का कु-प्रचार और दुष्प्रचार लोगों के द्वारा किया जाता है उसके मुकदमे दर्ज होने पर भी कार्यवाही नहीं हो पाती है। माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, एक महीना हो गया है, मैंने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन अभी तक भी उन अपराधियों को या उन गुनहगारों को पकड़ा नहीं गया है, न उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया है। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

एक जन प्रतिनिधि जो अपन यहां विराजमान हैं, इनके ऊपर भी वाट्स एप पर गलत प्रचार किया जाता है, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, अगर हम उसमें दोषी पाये जाते हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठायी, यह एक विद्यार्थी मित्र नहीं है। विषय को गम्भीर बनाने के लिए सरकार के खाते में डाला जाए विद्यार्थी मित्र। ये ई-मित्र थे, ई-मित्र की ट्रेनिंग के लिए जो भामाशाह कार्ड बन रहे थे उसके लिए ये लोग कुचामन जा रहे थे। जब ये वापस लौट रहे थे तब खारवा में खड़े ट्रोले में इनकी कार घुस गयी और एक्सीडेंट हुआ। निश्चित रूप से उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। उस ड्राइवर के विरुद्ध और उसके मालिक के विरुद्ध जो कार्यवाही हम कानून में कर सकते हैं, वो हम कर रहे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं। लेकिन केवल सरकार के खाते में कि एक्सीडेंट से डैथ हुई। ई-मित्र हैं, जैसे आप और मैं भी जाता हूं तो कलक्टर जो सहायता देते हैं नियमों के तहत, वो सहायता उनको दी है।

बाकी मैं सोचता हूं, यहां हमारे यातायात मंत्री भी हैं, मैं और ये और इनका विभाग बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में जो ऐसे हाई-वे बन गये हैं इन पर अगर कहीं सड़क के ऊपर कोई ट्रोला खड़ा रहता है, रात के अंधेरे में कई बार उनके पीछे की लाइट ठीक ढंग से नहीं चमकती, उसके कारण से ये अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करने के लिए और बाकी विभागों के साथ बराबर समन्वय करके दो बार, तीन बार हम मीटिंग कर चुके हैं। प्रयास करेंगे कि ये ट्रोले इस तरह सड़क पर न खड़े रहें जिससे कि इस तरह की घटना न हो। लेकिन ये ई-मित्र हैं, शिक्षा मित्र के नाते हमारे खाते में मत डालो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : उनको मुआवजा राशि?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : वो कलक्टर ने दी है। कलक्टर देता है उसके लिए। जो एक्सीडेंटल डैथ होती हैं उनको मिलता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैराराम चौधरी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति अवधि की पालना

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत जितने भी अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण हैं, आज तक कुल कितने अधिकारी और कर्मचारीगण डैपुटेशन पर कार्यरत हैं और कितने समय से हैं? सरकार इनको दो वर्षों के लिए डैपुटेशन पर लाती है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की ए.सी.बी. में जब नियुक्ति होती है इसके बाद में अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार इसको लगातार एक-एक वर्ष करके अपना सेवा कार्य बढ़ा लेते हैं। वे अपना सेवा कार्य लम्बा खींचते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अति संवेदनशील विभाग है, इस विभाग में अधिकारियों और सुपरवाइजरी स्टाफ को लम्बे समय तक रखने से मैं समझता हूं कि इस विभाग की गुणवत्ता में कमी आएगी। वर्ष 2008 से अब तक कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, अब तक कुल कितने चालान हुए हैं और उनकी आज क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी मिल जाती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तीन साल से ज्यादा समय से तैनात अधिकारियों और अनुसंधान के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इससे आम जन में इस विभाग के प्रति विश्वास जायेगा,

(श्री भैराराम चौधरी)

उम्मीद जगेगी। मैं माननीय मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा, आप खुद भी जानते हैं कि सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का कांग्रेस ने गलत इस्तेमाल किया। माननीय मंत्रीजी को खुद पता है कि वह अपने अनुसार सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी। सीबीआई की बड़ी-बड़ी टीमें ओसियां और लूणी जैसे क्षेत्रों में 6-6 महीनों तक पड़ी रहीं। सीबीआई या इस विभाग में अधिकारी लम्बे समय तक रहते हैं तो अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए उनका उपयोग अपने-अपने तरीके से होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि एसीबी जैसे विभाग में कोई भी अफसर या कर्मचारी जो कि सुपरवाइजरी अनुसंधान का स्टाफ है, उनकी नियुक्ति का जब 2 साल के लिए नियम है तो उनको 1-1 वर्ष करके क्यों लम्बा खींचा जाता है? 1-1 साल का एक्सटेंशन देते हुए किसी को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि यदि घर के अन्दर हमारा जानवर भी रहता है तो उससे भी अपनापन हो जाता है। यह विभाग संवेदनशील है, इसमें लम्बे समय तक रहने से अधिकारियों और अनुसंधान की जो आपकी सुपरवाइजरी टीम है, उनके कुछ व्यक्तिगत सम्बन्ध हो जाते हैं। उससे उनकी जांच के अन्दर, उनकी कार्य प्रणाली की गुणवत्ता में कहीं न कहीं फर्क आता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इस विभाग में 3 साल से ज्यादा किसी भी अधिकारी या सुपरवाइजरी स्टाफ को नहीं रखा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, राजस्थान में इस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को जितना व्यवस्थित किया जा सकता है, करने का प्रयत्न बराबर किया। केवल आईपीएस को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो बोर्ड के बिना सलेक्शन के आता हो। हर एक के लिए बोर्ड बना हुआ है। चीफ सैक्रेटरी भी उसमें हैं जिसमें एडिशनल एसपी लेवल के लोगों का सलेक्शन होता है। यह सलेक्शन मात्र 2 साल के लिए होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि राजस्थान में इस विभाग में इस बोर्ड के द्वारा जो सलेक्ट हुआ है, कोई व्यक्ति 6 साल से नहीं है। एक भी व्यक्ति, क्योंकि उसका चयन 2 साल के लिए होता है। यह भी कोशिश

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग मिलें क्योंकि 25 परसेंट सैलेरी इस जगह सलेक्ट होने वाले व्यक्ति को उसकी सैलेरी से ज्यादा मिलती है। इसके पीछे भावना यही है कि हमको अच्छे लोग मिलें ताकि हम इस विभाग के द्वारा राजस्थान के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकें। कमी-खामी हो सकती है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि बिलकुल कुछ कमी नहीं होगी। लेकिन प्रयास यह है कि अच्छे से अच्छे लोग आएं। अभी इसी 24 तारीख को एडिशनल एसपी के इंटरव्यू के लिए जितने लोग आये, हमने उसमें से सभी को पात्र नहीं माना, जबकि हमारे पास पद ज्यादा खाली थे।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : आपके इसी विभाग के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब आ रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : यह जरूर है कि विलम्ब होता है। जांच में कुछ कमी-खामी होगी। अगर कोई विशेष इस प्रकार का प्रकरण आपके ध्यान में आता है तो जरूर बताएं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस डिपार्टमेंट में सुधार के लिए जहां-जहां आपके सुझाव आएंगे, जरूर सुधार करेंगे। कोशिश करते हैं, एक भी व्यक्ति बिना सलेक्शन के इस डिपार्टमेंट में नहीं आता है। आईपीएस जरूर डायरेक्ट होते हैं, बाकी सारे के सारे लोग सलेक्ट होकर ही विभिन्न पदों पर आकर काम करते हैं और उनका समय 2 साल का है। फिर 1 साल डीजी एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड करेगा तो राज्य सरकार ही करेगी। बाकी कोई वहां नहीं रह सकता है।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : इसमें बहुत सारे अधिकारी और सुपरवाइजरी लोग हैं जो बहुत लम्बे समय से अपने पदों पर डटे हुए हैं और अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2008 से लगाकर के हैं। जो मेरे पास जानकारी है वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जवाब आ गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मेरी सूचना से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको 6 साल से अधिक हुआ हो। रिपोर्ट में शून्य, शून्य लिखा है। अगर आप जानकारी में लाओगे तो सूचना देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां) : नहीं, 6 साल की बात नहीं की, मैंने कहा कि 3 साल से ज्यादा समय हो गया।

श्री अध्यक्ष : आप उनकी निगाह में ले आइये। आपने स्वयं कहा है ऐसा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री कैलाश चौधरी।

याचिका

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :—

बाड़मेर के बायतू उपखण्ड में पुलिस थाने का क्रमोन्नयन

1. उपखण्ड मुख्यालय बायतू, जिला बाड़मेर में पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने बाबत।

बाड़मेर की पंचायत समिति गिड़ा और पाटोदी में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय

2. पंचायत समिति मुख्यालय, गिड़ा और पाटोदी, जिला बाड़मेर में ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने जाने बाबत एवं

बाड़मेर की पंचायत समिति पाटोदी में पुलिस थाना

3. पंचायत समिति मुख्यालय पाटोदी, जिला बाड़मेर में पुलिस थाना खोले जाने बाबत।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद प्रारम्भ करेंगे। इसके पहले मैं 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो समय आबंटित किया गया था और जब यह बहस प्रारम्भ हुई थी तो विभिन्न पार्टियों से मैंने निवेदन किया था कि उन्हें दिये गये समय के अन्दर ही वे अपनी बात पूरी करें तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो 8 घंटे 32 मिनट लिये हैं अभी तक, जबकि 4 घंटे 13 मिनट उनके बाकी हैं। इंडियन नेशनल

(श्री अध्यक्ष)

कांग्रेस के 1 घंटा 56 मिनट थे, अभी तक वे 2 घंटे 24 मिनट ले चुके हैं, 28 मिनट अतिरिक्त समय ले चुके हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 20 मिनट हैं और उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को दिया जाएगा। नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के 10 मिनट हैं। निर्दलीय के 34 मिनट थे और वे 54 मिनट वह ले चुके हैं।

मैं यह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि वैसे तो आपकी पार्टी ज्यादा समय ले चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बहस में, प्रतिपक्ष के नेता, आपका वक्तव्य भी आए। मैं चाहता हूं कि 40 और 50 मिनट के बीच आप अपने वक्तव्य का फार्मेशन कर लें, वह ठीक रहेगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री घनश्याम तिवाड़ी से कहूंगा कि आप आज की बहस प्रारम्भ करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा निवेदन है। कार्य सलाहकार समिति में एक सहमति बनी थी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उत्तर लगभग 4.30 और 5 बजे के बीच आ जाए।

श्री अध्यक्ष : वह आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : मैं इसलिए आग्रह कर रहा था कि उसी तरह आप रैगुलेट फरमाएं। जितने लोग हैं, अगर कम बोलेंगे तो कम बोल पाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता भी 3.30 बजे अपनी बात को प्रारम्भ कर दें और 4.30 बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी कर दें।

श्री अध्यक्ष : जैसा भी है, प्रतिपक्ष की ओर से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से केवल प्रतिपक्ष के नेता ही बोलेंगे अब। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का वक्ता भी अपना वक्तव्य सीमित रखे। बाकी जो 2-3 पार्टियों को समय नहीं मिला है, मैं उनको समय दूंगा। घनश्यामजी तिवाड़ी के बाद श्री नवीन पिलानिया बोलेंगे।

(14.00 बजे)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं पूर्णत: ही सीमित कर सकता हूं और न भी बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : मैं तो राजेन्द्रजी की इच्छा का पालन कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपकी विद्वता भी हमें मालूम है और आप बोलिए, मैं आपको कहीं टोकूंगा नहीं। आप अपना स्वतंत्र वक्तव्य दें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : आपकी कृपा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। सदन का यह सौभाग्य है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल किसी कारणवश नहीं आ पाया था। कल जो अभिभाषण हुआ और उस पर बातचीत हुई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया, वह बहुत उचित था और समय पर था। लेकिन मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि जरा-सा, थोड़ा-सा संशोधन हमको अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भी करना पड़ेगा और हमको उसमें लिखना पड़ेगा कि "संशोधित अभिभाषण के लिए हम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे एक बात का, बहुत वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, कल उन्होंने एक आब्जेक्शन किया था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन क्यों आ रहा है, इसलिए मेरी यह इच्छा हुई कि मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों पर तो यहां पर बहुत कुछ हुआ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जो परम्परा चालू हुई है वह हमारी परम्परा ही नहीं है। सन् 1671 में चार्ल्स विलियम द्वितीय ने हाउस आफ लार्डस में पहुंच कर, उसके बाद से हमारे यहां 1935 में इण्डिया एक्ट की धारा 20 में प्रावधान किया गया, उसके बाद से हमारे यहां परम्परा चालू हुई। चूंकि अंग्रेजों ने यह काम चालू किया था, वे हमारे गर्वनर जनरल हुआ करते थे, वह चलकर हमारे 1935 के एक्ट में आ गयी, इसलिए गुलामों के रूप में हम उनको धन्यवाद दिया करते थे। लेकिन भारत की आजादी के बाद जब हमने संविधान बनाया तो हमने संविधान में प्रावधान किया कि राष्ट्रपति महोदय लोक सभा में और राज्यपाल महोदय विधान सभा में साल में या तो पहली बार जनवरी के बाद या बजट सत्र में जब आएंगे तो अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, उस परम्परा के अन्तर्गत यह अभिभाषण होता है।

राजस्थान में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस पार्टी के राज में एक बार ऐसा भी समय आया था जब राज्यपाल महोदय को अभिभाषण देने के लिए आना था और राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने आये ही नहीं, पूरा समय निकल गया। स्वर्गीय रामनिवासजी मिर्धा उस समय विधान सभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित की और दूसरे दिन राज भवन में सारे एम एल एज को बुलाया गया। राज भवन में भी राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण नहीं पढ़ा, सचिव महोदय से अभिभाषण पढ़ाया गया। यह परम्परा थी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां तक एक बार किया गया कि माननीय सम्पूर्णानन्दजी आये थे और अभिभाषण हो रहा था तो 16 माननीय सदस्यों को एक-एक करके बाहर निकाल दिया गया था। यह बात मुझे तब याद आयी जब माननीय राज्यपाल महोदय आये और आप हाथ से यूं कर रहे थे माननीय सदस्य हनुमानजी को, तो मैं उस वक्त देख रहा था। उस दिन अध्यक्ष महोदय को कोई काम नहीं होता, उस दिन सिर्फ राज्यपाल महोदय का ही काम होता है। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है जो इस बार उन्होंने यहां पर दिया है...

श्री अध्यक्ष : आगे के लिए ध्यान रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वैसे ही बता दिया, आपको ध्यान दिलाने के लिए नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां जो चर्चा हुई है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह जो बहस हो रही है, माननीय प्रद्युम्न सिंह साहब...

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : उन्होंने मेरी तरफ देख लिया था।

श्री अध्यक्ष : आप मत देखिए, साहब, इनकी तरफ, मेरी तरफ देखिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : इस उम्र में भी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हां, हां।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : कभी-कभी तो आसन की तरफ भी देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : जोगारामजी, आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : आसन की तरफ देखते हुए मेरी इतनी लम्बी उम्र हो गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जोगारामजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य ज्ञानचन्दजी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं बात कहना चाहता हूं कि हम चर्चा क्या करते हैं। उस चर्चा के बारे में शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो "गरुड पुराण" और एक "कर्म काण्ड"। एक सबसे बड़ी बात जो शुरूआत में मैं कहना चाहता हूं, आज माननीय श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा नहीं हैं, वह गये हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाषण शुरू किया, और भाषण शुरू करते समय उन्होंने यह जो अन्तिम है :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ओउम् सहनाववतु

सह नौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवाव है

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाव है

इसका उन्होंने यहां पर अर्थ पढ़कर सुनाया। एक अर्थ इसका यहां पर लिखा हुआ है। जब वह अर्थ पढ़ रहे थे तो मैंने चुपचाप सुना कि वह क्या पढ़ रहे हैं लेकिन मैंने उसके बाद देखा कि वह पढ़ सकते हैं। वह मेरे छोटे भाई हैं, पड़ोसी भी हैं, क्योंकि हमारे यहां कहावत है, बिना पढ़ा-लिखा जाट पढ़ा बराबर, और पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर, तो उनको खुदा बराबर मान कर उन्होंने जो इस सह नौ भुनक्तु की व्याख्या की है, उस व्याख्या को मैंने मान लिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी व्याख्या इसमें नहीं है, इसकी व्याख्या उसमें है। न यह मंत्र है। यह कठोपनिषत् का मंगलाचरण है।

ओउम् सहनाववतु

सह नौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवाव है

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।

ओउम् शान्तिः शान्तिः शान्ति।

हर उपनिषद् में पहला मंगलाचरण है। यह मंगलाचरण है, मंत्र नहीं। मंत्र में और मंगलाचरण में बहुत फर्क होता है। यह मंत्र नहीं है। इसका अर्थ भी बहुत साफ है। और धन्यवाद दूंगा सरकार को कि वह इस ओर अग्रसित है। इसका बहुत सीधा अर्थ है, हे परमात्मा! आप हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ-साथ रक्षा करें, हम दोनों का पालन पोषण करें, हम दोनों साथ-साथ शक्ति प्राप्त करें, हमारे प्राप्त की गयी विद्या तेजप्रद हो, हम परस्पर द्वेष न करें, परस्पर स्नेह करें। हे परमात्मान्! त्रिविध ताप की शान्ति हो, और हम कभी यह आधिदैविक, आधिभौतिक आध्यात्मिक जो समस्याएं हैं, उनसे ग्रसित नहीं हों। यह मंगलाचरण हमारा है। इस मंगलाचरण की उन्होंने व्याख्या कर दी। हे प्रभो, मेरी अपनों से रक्षा करो। हे प्रभो, मेरी परायों से रक्षा करो। ये अपने-पराये इसमें कहीं नहीं आते हैं। यह हमारे सबके लिए मंगलाचरण है। और सरकार ने मंगलाचरण किया है तो आप समझें, कांग्रेस पार्टी हमारे साथ चले, हम भी कांग्रेस पार्टी के साथ चलें और मिलकर राज्य का उत्थान करने का प्रयत्न करें, इसकी भावना यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है। कहीं कठोपनिषत्, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो है...(व्यवधान) मैं वह समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिखते समय कई बार, यह इण्टरनैट आ गया है,गूगल गुरु आ गया है, उसको देखकर हमारे जो भाषण बनाते हैं, उसको देखकर उसका जो अर्थ लोग लिख देते हैं, वह भी करीब-करीब गलत अर्थ लगाया जाता है। हमारे अभिभाषण में जो लिखा गया है उसकी भावना ठीक है, लेकिन अर्थ वह नहीं है। आचार्य विनोबा भावे ने सारे उपनिषदों पर एक टिप्पणी लिखी है, उस उपनिषदों की टिप्पणी में कठोपनिषत् जिसका यह मंगलाचरण है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, यह कण्ठ हार है उपनिषदों का, सबसे बड़ा उपनिषद् माना जाता है। कारण? नचिकेता और यमराज का इसमें संवाद है। नचिकेता ने यमराज से मृत्यु के बाद क्या होगा, यह बताया है। अब कांग्रेस पार्टी समझे कि यह बात कहां तक जाती है। (व्यवधान) मृत्यु के बाद क्या होता है, यह नचिकेता को यमराम ने पूरा समझाया। (व्यवधान) मैं तो परमात्मा तत्व का उपदेश बता रहा हूं। यह जो "क" है उसका मतलब "ब्रह्म" है, "ख" का मतलब है "निष्ठा" और "कठ्" का मतलब है "ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला''। इस उपनिषद् का यह मंत्र है, इस मंत्र को हम समझें और हम सब मिलकर एक साथ इस राजस्थान राज्य का विकास हो, इसके बारे में बात करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि यह "कर्म काण्ड" है। मैं समझता हूं कि इसकी दो व्याख्याएं हैं। "कर्म काण्ड" क्या है? वेद में दो हिस्से हैं, एक "कर्म" और "ज्ञान"। "काण्ड" का मतलब होता है "हिस्सा", जैसे रामजी का पूरा जीवन चरित्र है, उसका बाल काण्ड एक हिस्सा हो गया, अयोध्या काण्ड एक हिस्सा हो गया, यह काण्ड है। आजकल "कर्म काण्ड" का रूढ़ि भाषा में प्रयोग हो गया। ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल रस्म अदायगी हो, यह कर्म काण्ड शब्द उसके लिए रूढ़ हो गया है। यह प्रयोग किया है माननीय सदस्य राव राजेन्द्र सिंहजी ने, लेकिन कर्म काण्ड का वास्तविक अर्थ है, "यज्ञ विद्या के द्वारा हमको जो वांछित प्राप्त करना हो उसको हम वांछित रूप से प्राप्त करें''। यह कर्म काण्ड का अर्थ है। गरुड़ पुराण का अर्थ यह है कि हिन्दुओं में कोई मर जाए तो सब लोग बैठकर सुनें कि नर्क में कैसे जाते हैं और स्वर्ग में कैसे जाते हैं। यह सारी बात है। यहां कर्मकाण्ड की भी चर्चा हुई, हम चाहते हैं कि अभिभाषण की बहस कर्मकाण्ड नहीं बने। कर्मकाण्ड नहीं बने तो हम यहां पर चर्चा राज्य की करें, सरकार की हम मदद करने की बात करें, सरकार के कामों का विश्लेषण करें। एक साल में जो किया और आगे जो सरकार करने वाली है, उसके बारे में सोचें और राष्ट्र की बदली हुई स्थिति के बारे में भी सोचें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया, पंचायतों के चुनाव हुए। मैं कहना चाहूंगा, हमको इसका विश्लेषण करना चाहिए। राजस्थान में हों या और कई राज्यों में हों, जब चुनाव इतने बड़े होते हैं तो बहुत लोग लड़ाई करते हैं, घायल होते हैं और दुर्भाग्य से मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। यह पहला चुनाव है जिस चुनाव में 10 हजार से अधिक पंचायतों में और इतनी जिला परिषदों में चुनाव हुए, जैसे कहीं सुई पड़ने का खटका भी नहीं हुआ, इतने शांतिपूर्वक हमने चुनाव सम्पन्न करा दिये। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। पंचायतों का डीलिमिटेशन हुआ। एक कानून आया, जिस कानून की यहां पर बहुत चर्चा हुई, कांग्रेस पार्टी ने बहुत चर्चा की कि पढ़े-लिखे आठवीं पास वाले का कानून में क्यों प्रावधान कर दिया। हमको कुछ बातों को गहराई से समझना पड़ेगा। साक्षरता बहुत जरूरी हो गयी। अब साक्षरता के आगे चलकर कम्प्यूटर एजुकेशन ऐसी हो गयी है कि हमारे बहुत होशियार संसदीय कार्य मंत्री हैं वे भी अगर इस कम्प्यूटर का उपयोग नहीं करेंगे तो वे भी अनपढ़ की श्रेणी में आ जाएंगे। हम जब पंचायती राज में इसको ला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इस बात को ध्यान दें। और इसका कितना लाभ हुआ? शौचालय की व्यवस्था की गयी, 6 लाख शौचालय बन गये। इसमें कुछ गडबड़ भी हुई, उस गड़बड़ को हमको सुधारने का प्रयत्न भी करना चाहिए। कुछ लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट्स भी ले लिये। ले लिये, मनुष्य की प्रकृति है। इसमें सरकार क्या करेगी? लेकिन उनका अब जो सबसे बड़ा काम हो गया है वह यह हो गया है कि उनका केवल रिट पिटीशन के द्वारा ही या याचिका के द्वारा ही न्यायालय से निस्तारण होगा। तो वे जो अनपढ़ लोग हैं जिनको अपन नहीं लड़ाना चाहते थे, वे तीन-चार साल तक रहेंगे। लेकिन इस बात में सार यह निकलता है कि जन-प्रतिनिधियों में तीन प्रकार की योग्यता हमको पैदा करनी पड़ेगी यदि हम पंचायती राज को सफल करना चाहते हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता। जन-प्रतिनिधियों में प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम पांच साल में इस सरकार ने नहीं किया। बिलकुल नहीं किया। मैं चाहता हूं, हमारी सरकार निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों में कार्यकुशलता के लिए कोई न कोई प्रावधान करे ताकि हमने जो पढ़ाई का एक्ट बनाया है, उस एक्ट का लाभ मिल सके।

दूसरा हम चाहते हैं, अपने कार्य से सम्बन्धित विषय की समझ हो। जो पंचायतों का काम है, जो संविधान का संशोधन हुआ है, जिस प्रकार से उसको पैसा आता है, उसको काम करने की समझ पैदा हो। और ईमानदारी व सेवा भाव हो। ये दो चीजें तो पैदा हो जाएंगी, सरकार कर सकेगी। लेकिन ईमानदारी और सेवाभाव है यह कैसे कहां से पैदा करेंगे? यह पैदा करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसका काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महात्मा गांधीजी ने किया है, इसका काम डाक्टर लोहिया ने किया है, इसका काम पण्डित दीनदयालजी उपाध्याय ने किया है। आज यह प्रशिक्षण का काम नहीं है।

अभी मैंने गृह मंत्रीजी का वक्तव्य पढ़ा था कि सरपंच बनते ही कोई न समझे कि मैं बोलेरो गाड़ी ले लूंगा। बोलेरो पुरानी हो गयी है, गृह मंत्रीजी, अब तो फार्चूनर से नीचे कोई काम है नहीं, फार्चूनर चाहिए। एक बात हम सब चिन्तन करें, बीजेपी व कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से, कि जिन पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में एक-एक, दो-दो वोटों की कमी थी वह एक-एक, दो-दो वोटों की कमी कहां से पूरी हुई? यह पैसे का प्रयोग जो पंचायतों में हुआ, वह हम सब जानते हैं। इस पर नियंत्रण करने का प्रयत्न हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। पढ़ा-लिखा आदमी केवल सर्टिफिकेट लेकर आ जाए तो वह आदमी ही केवल सब कुछ नहीं कर सकता, जब तक इसमें तीन बातें नहीं आएंगी। हमको पढ़ाई के साथ-साथ ये बातें पैदा करनी पड़ेंगी। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। भारत के धर्म का प्रचार और जिनके नाम से हमारा अशोक स्तम्भ लगा रखा है, हमारा राष्ट्रीय चिह्न है, वे सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सारे विश्व में किया, लेकिन सम्राट अशोक पढ़े-लिखे नहीं थे। कखगघ भी नहीं जानते थे, लेकिन इतना बड़ा काम उन्होंने किया।

इसके अलावा दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जिन्हें अकबर महान कहते थे, पढ़े-लिखे नहीं थे, कखगघ नहीं जानते थे। तीसरे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको सबसे बढ़िया राजा बताते हैं, वे भी बिलकुल पढ़े हुए नहीं थे। स्कूल में गये ही नहीं थे। उसी प्रकार महाराजा रणजीतसिंहजी भी नहीं गये। ये चारों जो भारत की हस्तियां हैं, ये पढ़े नहीं थे, लेकिन तीनों गुण थे- प्रशासनिक कार्यकुशलता भी थी, अपने काम की समझ भी थी और ईमानदारी व सेवाभाव भी थे। ईमानदारी, सेवाभाव जिस दिन राजनीति से गायब हो जाएगा उस दिन राजनीति का मकसद ही खतम हो जाएगा। ईमानदारी और सेवाभाव केवल शिक्षा व्यवस्था के सुधार से आ सकता है, राजनैतिक प्रशिक्षण से आ सकता है। पोलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा तब तक उसमें राजनैतिक सेवाभाव नहीं आएगा और राजनैतिक सेवाभाव नहीं आएगा तब तक हमारे सारे संशोधन बेकार होंगे। हमको यह नहीं समझना चाहिए कि केवल कोर्ट ही न्याय करती है। कोर्ट भी न्याय करती है, जनता भी न्याय करती है। 5 साल बाद हमारा, इतिहास भी न्याय करता है। लेकिन एक न्याय भगवान भी करता है। जन-प्रतिनिधि होकर हमने अगर जन-सेवा के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं किया तो और कोई न्याय करे या न करे, भगवान ऐसा न्याय करेगा जो न्याय फिर हमारे लिए उचित नहीं होगा। ये सब बातें जब तक जनमानस तक इस विधान सभा के माध्यम से नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारी बातों को पूर्ण रूप से ठीक से नहीं कर पाएंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, बार-बार एक प्रश्न यहां पूछा, मेरी पार्टी में भी कुछ लोगों का विचार है और कांग्रेस में भी कुछ लोगों का विचार है कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत से मेरे बहुत बढ़िया सम्बन्ध हैं। मित्रता है, होती है। वे भी बार-बार पूछते हैं कि हमारी सरकार क्यों गयी। हमारी सरकार क्यों गयी, जरा आत्म-विश्लेषण करें। उस सरकार को हमने यहां बैठकर देखा और पहली बार जब आपकी सरकार चुनकर आयी तो एक घंटे तक हमने गालियां सुनीं यहां बैठे-बैठे। जितनी गालियां सुनानी थीं, सारी गालियां सुनायीं। उसके बाद में अभिभाषण आया, अभिभाषण के बाद फिर गाली शुरू हुई- हमारी कड़ी से कड़ी जुड़ गयी, हमारी इतनी सीट, हमारी 21 पार्लियामेंट की सीट, हमारी इतनी जिला परिषद, हमारी 5 नगर निगम, सारी जुड़ गयी हैं, बीजेपी का पाटिया साफ हो गया है। हमने सुना है, हमने यहां जवाब भी दिया है। हमने कहा है, "धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरयो सो झरयो, जो भरयो सो भुलाई।" घमण्ड नहीं करना चाहिए। यह धरा का प्रमाण है, तुलसीदासजी ने कहा, जो फला वह नीचे गिरा और जो जला वो भूता। इसलिए किसी बात का घमण्ड नहीं करना चाहिए। उस समय मैंने सुनाया था, यह लिखा हुआ है रिकार्ड में। इसलिए यह बात कहना कि हम इतनी सीट जीत गये, इतनी सीट जीत गये, आज क्या हुआ? उसका कारण था। आज मैं कहना चाहता हूं, आप जरा सोचें। दो हमारे मैम्बर गुलाबजी कटारिया, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, दोनों को 302 में। 302 में! कितनी बड़ी बात होती है! कितना झेलना पड़ता है उसको और उसके परिवार को! आज ये दोनों निष्कलंक होकर न्यायालय से निकले, इस बात की हमें बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन आज भी मुझे दु:ख है इस बात का कि तीन हमारे विधायक, मंत्री जो हमारे साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के, वे जेल में हैं। मुझे इसका दु:ख है। (व्यवधान) मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता। हम जन-प्रतिनिधियों पर जब इस प्रकार का आघात लगता है, जब हम राजनीति में इस प्रकार की बातों का प्रयोग करने लग जाते हैं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए, आलोचना करिए, आरोप लगाइए। लेकिन राजनीति में इस प्रकार निचोड़कर रखने का प्रयत्न करना, ये हारने के कारण बने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमको राजनैतिक विद्वेष की बात से दूर रहना चाहिए, हमें नहीं लगना चाहिए।

दूसरी बात, हारने का एक कारण और है। इस विधान सभा की अवहेलना करना भी हारने का कारण है। अध्यक्ष महोदय, हमने यहां खड़े होकर बहुत व्यवस्था के प्रश्न उठाये कि माननीय मंत्री जो जवाब देते हैं वो मंत्री डिमाण्ड्स का पढ़कर जवाब नहीं दे सकते। प्रगति प्रतिवेदन उठा-उठाकर सब मंत्री पढ़ते थे, एक भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, एक भी मंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमने कोई 50

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बार मत विभाजन की मांग की होगी पर एक बार भी हमको मत विभाजन नहीं मिला। पूरे सदन में एक बार मत विभाजन नहीं हुआ। मत विभाजन की बात को टालना ठीक नहीं है। इस विधान सभा की उपेक्षा कोई भी सरकार करेगी तो उसका यही हाल होगा। ये बातें हैं जो हमको संसदीय प्रजातंत्र में समझनी पड़ेंगी। अब मुझे इस बात की खुशी है कि वो मंत्रिमण्डल तो अयोग्य था इसलिए हार गये, लेकिन हमारा मंत्रिमण्डल पूर्ण योग्य है, यह मैं आपको कहे देता हूं। (व्यवधान) खुलकर ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्या खुलूंगा? नहीं हारेगा और योग्य है इसलिए जीतेगा। हमारे कौन से मंत्री हैं जो आपका जवाब नहीं देते? कौनसी बात है जिसको रेस्पोंड नहीं कर रहे हैं? योग्य मंत्रिमण्डल, योग्य मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने काम रखा है इसलिए मैं हमारे मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गयी है। हम कांग्रेस पार्टी को 12 महीने तक गाली? गाली नहीं। उनकी आलोचना कर चुके और अब उनकी आलोचना करने का हमको अधिकार नहीं है। 12 महीने बीत गये हैं, अब हमको हमारे काम के आधार पर काम करना पड़ेगा। और काम की जिम्मेदारी हमको केवल यहीं नहीं मिली है, हमको काम की जिम्मेदारी भारत में भी मिली है। इस बात को कांग्रेस पार्टी देशभर में पचा नहीं पा रही है, पर पचानी पड़ेगी। (व्यवधान) नहीं पचाया अभी, पचाना पड़ेगा। अभी तो कभी वहां भाग गये, कभी वहां भाग गये और वहां से कुछ ले आये। एक बात मैं इतनी जोर से कह रहा हूं कि हम महाराष्ट्र में जीत गये, हम हरियाणा में जीत गये, हम वहां जीत गये, वहां जीत गये। इतने में बीच में खड़े होकर कह देते हैं कि दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली में क्या हो गया। दिल्ली में हो गया न। दिल्ली का तो हमारे यहां मारवाड़ी में कहावत है, गोविन्दजी तो समझते हैं, एक कहावत है कि किसी का सोण बिगाड़ना है। एक आदमी ने कहा कि मेरा पड़ौसी जा रहा है, मुझे इसका शगुन खराब करना है। फिर कहा कि अगर शगुन खराब है तो किसी नकटे आदमी को लाओ जिसके नाक नहीं हो और इसके सामने खड़ा कर दो तो इसके शगुन खराब हो जाएंगे। उसने पूरे गांव में ढूंढा पर कोई नकटा मिला ही नहीं। तो फिर क्या करे? तो उसने खुद का नाक काटा और जो मुहूर्त निकाल कर जा रहा था उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पूछा कि तेरा नाक कैसे कटा? तो उसने कहा कि मेरा नाक तो कट गया, पर मुझे तो तेरा सोंण खराब करना था। अपने सारे के सारे वोट आपने आप को ट्रांसफर कर दिये, खुद का पूरा सफाया कर लिया और फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी को 33 प्रतिशत ही वोट मिले हैं लेकिन यह नाक तो आपकी कटी है, हमारी नहीं कटी है। इसलिए हमारा सोण बिगाड़ने की कोशिश मत करो। हमारे पर तो तकनीकी असर पड़ा है आपका वोट ट्रांसफर होने से। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : तिवाड़ीजी, ईमानदारी से आनन्द आ रहा है। यह तो आप अपना दिल बहलाने वाली बात कह रहे हैं, यह कहकर अपना दिल बहलाइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : मैं आपका दिल बहलाऊंगा, हुजूर। देखिये, भारत में परिवर्तन हुआ है, 35 साल में बाद में। 30 साल बाद में एक दल की सरकार दी और पूर्ण बहुमत के साथ दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में बनी, यह एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन का काम है इस देश में और इसको हमको पचाने की जरूरत है। जैसे हम पचा रहे थे। हम 10 साल तक आपको पचा रहे थे। और उन सब पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, वो घोटाला, वो घोटाला, देश की कमजोर स्थिति क्या है। लेकिन मैं आज एक बात कह सकता हूं कि हमको इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री नरेन्द्र मोदीजी के आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आने के बाद में एक स्थिर सरकार हमारे देश में है, मजबूर सरकार हमारे देश में है। आप आज तक का मुझे बता दीजिये कि भारत की किसी भी चीज को यू.एन.ओ. में जाकर हमने पेश किया क्या? अधिकांश विश्व के देश लोगों द्वारा हमारे योग को स्वीकार करा विश्व योग दिवस मनाने का तय कराने का काम भारत माता के लाल नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाया है। यह भारत का नाम दुनिया में ऊंचा नहीं पहुंचा क्या? आज तक तो आप यह करने में सामर्थ्य नहीं रखते थे, कि इससे साम्प्रदायिकता हो जाएगी, यह हो जाएगी। दुनिया के 22 देशों का छोड़कर सबने मान लिया कि विश्व का योग दिवस हम मनाएंगे। अब इसका एक जोरदार चुटकला आया है, पाकिस्तान के जो यू.एन.ओ. में राजदूत हैं वो भारत के राजदूत से मिले और कहा कि आपने हमारे समर्थन से यह विश्व योग दिवस तो मना लिया पर अब आगे क्या करोगे? तो हमारे राजदूत ने कहा, लम्बी सांस लो। योग में लम्बी सांस लेते हैं न। तो पाकिस्तान को उसका आघात लगा तो बोले कि लम्बी सांस लो और उन्होंने फिर ठण्डी ले ली। (व्यवधान) यह इस प्रकार का काम किया।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, श्री मोदीजी के आने के बाद में यह प्लानिंग कमीशन, क्या था यह प्लानिंग कमीशन? एक सफेद हाथी के अलावा कुछ नहीं था। प्लानिंग कमीशन को तोड़ने की किसी ने हिम्मत नहीं की, पर पहली बार घोषणा के अनुसार प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग बनाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसका पहला उपाध्यक्ष जो बना, वो राजस्थान के श्री पनगड़ियाजी बने और यह भी प्रसन्नता है कि हमारा वहां पर योगदान है। उसमें सारे मुख्य मंत्रियों को शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि वास्तविक फैडरल स्टेट्स में हम कोआपरेटिव फैडरलिज्म लाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा नारा उन्होंने दिया है और यह काम उन्होंने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया है। यू.एन.ओ. में जाकर हिन्दी में भाषण दिया है, यह काम उन्होंने किया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है हमने, चीन को वापस उसकी जगह जाने के लिए बाध्य किया है। ये सारी ताकतें जब मजबूत सरकार आयी है तो उस मजबूत सरकार के कारण से पैदा हुई हैं। जो देश का वातावरण बदल रहा है, उस वातावरण को आप समझने की कोशिश करें। कई बार आप कहते हैं कि दिल्ली की सरकार आ गयी, क्या कर लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने पांच ऐसे काम किये हैं जिनका डायरेक्ट असर राज्य पर पड़ता है। हमने अभिभाषण में उसकी चर्चा नहीं की। आप देखिये, नवम्बर, 2012 में महंगाई दर 11 फीसदी थी जो अब मात्र 5.1 फीसदी रह गयी है। यह बहुत बड़ा काम है भारत सरकार का क्या इस काम का असर नहीं पड़ेगा? राज्य की जनता को लाभ नहीं मिलेगा? हमने इसकी चर्चा नहीं की। जीडीपी में बढ़ोतरी हो गयी है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : ...तिवाड़ीजी, जो कंट्रोवर्शियल विषय हैं, आप इसके ऊपर जो बेस ईयर है, जिस जीडीपी के आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर उस पर भी आप प्रकाश डालें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : देखिये, जो बेस दर बढ़ती है वो हर पांच साल बाद अपने आप बढ़ती है। आपके राज में भी बढ़ती थी। जब इसका फार्मूला तय है कि इतने साल बाद बेस ईयर बढ़ेगा तो बेस ईयर बढ़ गया। उसके बाद में आज 7.4 है तथा 10 प्रतिशत तक जा सकती है। आने वाले एक साल के अन्दर भारत की विकास दर श्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे अधिक होगी। यह उपलब्धि हम करके दिखाएंगे और यह काम हमने किया है। क्या कोयला खदानों की नीलामी से जो दो लाख करोड़ रुपये आ रहे हैं, वो कम हैं क्या? ऐसे ही टेक दी कि यह आप ले जाओ, यह आप ले जाओ। किस बात की बांट दी थीं आपने कोयला खानें? कहां तक पहुंचा था काले कोयलों की दलाली का हाथ? आज करीब-करीब दो लाख करोड़ रुपया कोयला खानों में आ रहा है और इसमें राज्यों को भी हिस्सा जाएगा। इतना बड़ा काम भारत सरकार ने किया है। रुपया आपके समय में कमजोर-कमजोर होता गया और अब रुपया मजबूत हो गया। रुपये को मजबूत किया है, रुपया आज 6.4 प्रतिशत मजबूत हो गया है। सब्सिडी, जन-धन योजना, आपका जो आधार शुरु किया हुआ था वो अच्छा था जिसको हमने स्वीकार किया और उसके आधार पर अब डायरेक्ट सब्सिडी जा रही है। ये जो पांच बड़ी-बड़ी चीजें हैं, उन बड़ी-बड़ी चीजों के लिए हमको काम करना चाहिए और उसी परिप्रेक्ष्य में हमको देश के बदले हुए इस रूल में राजस्थान के बारे में सोचना चाहिए। अब राजस्थान के बारे में अपन सोचते हैं तो राज्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की मजबूती भी है और राज्य की कमजोरी भी है। हम सब मिलकर इस अभिभाषण पर यह करें कि इसका चिंतन करें और इसको समझने की कोशिश करें कि हमारी मजबूती क्या है। आज तक हमने इस पर ठीक ढंग से विचार नहीं किया। यह विचार करते हैं हमारे लोग भी और आपके लोग भी कि हम इतनी सीट जीत गये, हम इतने परसेंट वोट ले आये। यह आजकल इस जमाने में सुबह टेलीविजिन पर शुरू होती है और ये बातें बच्चे-बच्चे को पता रहती हैं, मोबाइल पर आती रहती हैं। ये भाषण हैं क्या आपके देने के? हमने 25 सीटें जीती हैं, यह सबको पता है। हमको इतने परसेंट वोट मिले हैं, सबको पता है। हमको पता है कि हम 36 लाख वोटों से आगे रहे हैं। हम आगे रहे और फिर आप कहते हो, नहीं, हम इतनी जीत गये। अब वह हार-जीत तो होती रहती है, होती रहेगी। यहां तक सीमित मत करिये। लेकिन जो बात है, वह सोचिये राजस्थान के बारे में, कि क्या-क्या पर्याप्त आधार हैं हमारे पास।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पास बहुत बड़े सालिड आधार हैं। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो हम राज्य को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी चीज की ताकत हमारे पास जमीन की है। घनत्व में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन आज हमारे पास उपलब्ध है। आज बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो जमीन की पड़ती है और राजस्थान इसमें सबसे स्ट्रांग है।

अध्यक्ष महोदय, 300 क्लीयर सन डेज राजस्थान के पास हैं और सोलर एनर्जी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। विंड एनर्जी भी हमारी ताकत है। भारत में सबसे ज्यादा पत्थर, मार्बल से लेकर ग्रेनाइट से लेकर सोप स्टोन से लेकर जितने पत्थर हैं, सबसे बड़ा हिन्दुस्तान का स्टोन प्रोड्यूसिंग राज्य राजस्थान है। कच्चा तेल हमको मिला...

श्री अध्यक्ष : मिनरल्स शब्द प्रयोग कर लीजिये आप। मिनरल शब्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : जी। हां जी। मिनरल्स नहीं, मिनरल्स तो आगे आएगा। पत्थर एक अलग चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। कच्चा तेल हमको मिल गया। आज 24 प्रतिशत हिन्दुस्तान की कुल खपत का हम पैदा कर रहे हैं और आने वाले समय में 30-35 प्रतिशत तक जाएंगे। पिछले सात वर्ष में, माननीय पूर्व वित्त मंत्रीजी, 20,000 करोड़ रुपये आये हैं रायल्टी के, नान-टैक्स रेवेन्यू के सरकार के पास।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : तिवाड़ीजी, पिछले साल में 6,000 करोड़ रुपये रायल्टी से मिले थे, इस साल घटकर 4,500 करोड़ हो गया है। इसमें किसी का दोष नहीं है, इन्टरनेशनल प्राइसेस क्रूड की डाउनलोड हुईं तो यह 4,500 करोड़ रुपये रह गयी आपकी रायल्टी की रेवेन्यू, यह ध्यान में रखियेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : मुझे ध्यान है। आपको मैं सात वर्ष के 20,000 करोड़ रुपये बता रहा हूं न। अब यह 4,500 करोड़ रुपये आया है और आप इसमें से 3,700 करोड़ प्रति वर्ष भारत सरकार को दिलाना चाहते हो, वह मुझे ध्यान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : वह आप रिफाइनरी नहीं लगाना चाह रहे हो, वह बात दूसरी है, लेकिन घुमाकर आप मत कहिये। आप लगाना नहीं चाहते, यह बात दूसरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : हम लगाएंगे।

श्री अध्यक्ष : इनको यील्ड नहीं करिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैं इन्टरप्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उनको थोड़ा-सा करैक्ट कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : नहीं, नहीं, मजा आ रहा है, साहब।

श्री अध्यक्ष : करैक्ट कर रहे हैं? आलरेडी करैक्टेड हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : वे आलरेडी करैक्टेड हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : ये करैक्ट नहीं, सर, ये तो परफैक्ट हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। यह परफैक्शन ठीक नहीं होता, राव साहब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण जारी रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : जी। कच्चा तेल हमारे पास है। जन संसाधन, जनसंख्या का बल, 35 साल की उम्र के बच्चे हमारे यहां सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं। मिनरल्स हैं हमारे पास, पोटाश है, सल्फर, राक फास्फेट है, बहुत हैं हमारे पास। पशुधन जिसका अलग मंत्रालय बनाया है गायों का, वह हमारे पास है। अब मैं इसमें छोटी-सी बीच में बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि हमको पता नहीं है। हम होलस्टीन और जर्सी गायों को लाकर यहां पर बांध रहे हैं। दुनिया के 52 कंट्री हैं, आप इंटरनेट पर जाइये, वैबसाइट खोलिये। राजस्थान की चार नस्ल की गायें 52 देशों में उपलब्ध हैं, इनको ब्राह्मण काउज कहा जाता है। आज वे सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं लेकिन हमारे यहां उनका कोई उपयोग हम नहीं करते हैं। ये हमारे यहां हैं।

अब हमारे पास तीन चीजों की कमी भी है। पानी की हमारे पास कमी है। शिक्षा और चिकित्सा में भी अब हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन हम राज्यों के लेवल के बराबर नहीं हैं। पर आठ बातें हमारे पास ज्यादा हैं। माननीय, मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है, प्रतिपक्ष ने इन आठ चीजों में से किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए कोई बात नहीं की और इस अभिभाषण में अगर आप देखेंगे तो इन आठों का कहीं न कहीं जिक्र है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप देखिये, जमीन का कानून बनना जरूरी है। एक्वीजिशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस पर मेरे कुछ रिजर्वेशन अलग हैं। मैं भूमि की नीति बनाने की बात कह रहा हूं। अगर हम भूमि की नीति तीन बातों को रखकर नहीं बनाएंगे, ये शहर जो बढ़ते जा रहे हैं, इनको चौड़ाई में बढ़ने देंगे, अगर इनको हम ऊंचाई में नहीं ले जाएंगे तो हमारी जनसंख्या जो आने वाली है, उसकी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हमारे पास इनकी कोई योजना नहीं है। कितनी जमीन हमको इण्डस्ट्री के लिए देनी है, कितनी इसमें देनी है, पहला काम है राजस्थान में कि जमीन की नीति बननी चाहिये।

सोलर एनर्जी के लिए सरकार ने तीन बड़े-बड़े समझौते किये हैं, एमओयू किये हैं। मैं समझता हूं, भगवान वह सफल करे। उनकी क्या-क्या शर्तें हैं, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमको राज्य की सम्पदा की रक्षा करते हुए सोलर एनर्जी का उत्पादन करना है। केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, उनको मालिकाना हक देकर नहीं, लेकिन हमारी जमीन को, हमारी सम्पदा को बचाते हुए हमें सोलर एनर्जी में इन्वैस्टमेंट की बात को स्वीकार करना चाहिये। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी के ऊपर उन्होंने काम किया है।

विंड एनर्जी, पत्थर और कच्चा तेल। अब कच्चा तेल में यहां तक हो रहा है कि केयर्न इण्डिया लिमिटेड पर अब तो राजस्थान का ही राज हो गया। पहले तो यह विदेशी कम्पनी थी, अब तो सारा का सारा काम वेदान्ता ने ले लिया है। अब यह राजस्थान की कम्पनी हो गयी, राजस्थान के लोगों की कम्पनी हो गयी। इस कम्पनी को जितने अधिक स्थानों पर या ओएनजीसी को या किसी को भी अधिक से अधिक स्थानों पर जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर से लेकर जालौर तक का हमारा पूरा इलाका तेल पर तैरता हुआ इलाका है। भारत को सबसे बड़ी मदद राजस्थान करता है सेना पर लड़ने के लिए और जिस समय कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ा देंगे और आयात का हमारा बिल कम होगा तो भारत को आर्थिक मदद देने वाला भी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन जाएगा, जैसे हम आज सेना के अन्दर बने हुए हैं। यह हमारी कैपेसिटी है, वह काम हमको करना चाहिये।

पशुधन के बारे में, मिनरल्स के बारे में और पानी के बारे में-अध्यक्ष महोदय, हम पानी की योजना को अगर पूरा नहीं कर पाएंगे तो हमारे राजस्थान के सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आज गांव-गांव में विकट समस्या है। केवल ट्यूबवैल खोदने से काम नहीं चलेगा। इन्डस वाटर सिस्टम रीचार्ज था, जिसको तबाह कर दिया। उस इन्डस वाटर रीचार्ज सिस्टम को हमको यहां वापस स्थापित करना पड़ेगा। गांव-गांव में करना पड़ेगा। यह काम हमको निश्चित रूप से करना पड़ेगा। इस ओर भी हमको जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको मेक इन इण्डिया का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नारा मिला है। मेक इन राजस्थान का नारा हम क्यों नहीं दे सकते? अधिकांश उद्योगपति हमारे हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं। हमने वातावरण नहीं बनाया। चौधरी चरणसिंहजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जितने लोग कृषि पर कम आधारित होंगे, जितनी कृषि की जोत कम होगी, उतना ही भारत का अधिक विकास होगा। आज खेती पर लोगों की संख्या कैसे कम होगी? कारपोरेट सैक्टर से डराने की जरूरत नहीं है। पहली बार भारत सरकार ने हिम्मत करके घोषणा की है कि 32 टैक्स हैं उनमें पांच साल में पांच प्रतिशत तक कमी लाएंगे। इससे इन्वैस्टमेंट होगा। और उसमें साफ कहा है हमारे वित्त मंत्रीजी ने कि मध्यम वर्ग जितना अधिक मजबूत होगा भारत का, गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्ग जितना ऊपर आएगा, उतना ही भारत का भविष्य सुन्दर होगा और भारत आगे बढ़ेगा। इस दृष्टि से केन्द्रीय बजट पेश हुआ है और इस दृष्टि से मैं आशा करता हूं कि राजस्थान का बजट पेश होगा।

सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि राज को कुछ काम करना ही पड़ेगा। चाणक्य ने बात की, आप तो जानते हो, अध्यक्ष महोदय, "सुखस्य मूलम धर्मम्" सुख का मूल धर्म है। "धर्मस्य मूलम् अर्थम्" धर्म का मूल अर्थ है। "अर्थस्य मूलम् राज्यम्" अर्थ का मूल राज्य है। यह जो राज्य है, यह सुख के लिए काम नहीं करेगा, जब तक यह काम पार नहीं पड़ेगा। और हमने जो आज सारी व्याख्याएं की हैं, आज हमारी पुरातन बातों पर मोहर लग रही है। माधवन नायर, इसरो के चेयरमैन ने कहा है कि हम जो चन्द्रयान पर सबसे पहले एक साथ पहुंच गये, उसके लिए हमारे पाश्चात्य गणना नहीं लेकिन वेदों में जो व्याख्या की गयी है और आर्यभट्ट ने जो दूरी तय की है, उसके आधार पर हमने काम किया और पहले प्रयत्न में ही हम मंगलयान पर पहुंच गये। यह मान्यता हमको मिली है तो ये वेद और वेद के बाद वेदांत उपनिषद आये हैं, उसके बाद स्मृतियां और उसके बाद ये चाणक्य के लिखे हुए सूत्र, ये सात काम हैं जिनको अगर हमने नहीं किया, राज्य के सुख के लिए अगर सोचना पड़ेगा तो सुख का कारण राज्य है और हम राज्य को मजबूत बनाने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। हम सब लोग मिलकर राजस्थान को मजबूत करें, राजस्थान की कमजोरियों को दूर करें और उसको आगे बढ़ाएं। हम सब लोग मिलकर यह काम करेंगे तो निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, राज्यपाल महोदय का यहां पर आना और सदन की सारी चर्चा सार्थक होगी। सब मिलकर मैं अंत इस बात के साथ करना चाहूंगा:—

ऊँ सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै।
ऊँ शान्ति: शान्ति: शान्ति:।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, आप भी विराजिये। श्री नवीन पिलानिया।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर आखिरी दिन में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी के बाद में मुझ जैसे एक नये व्यक्ति को बोलने का मौका मिल रहा है, वह भी एक बड़ी कठिनाई की बात है। इतनी सारगर्भित बातों के बाद में मैं ज्यादा क्या बोल पाऊंगा? राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिस पंक्ति से चालू होता है- विधान सभा चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद ऐतिहासिक जनादेश, मुझे इन शब्दों से ही डर लगने लग गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना जनादेश आ गया जिसकी कल्पना नहीं थी। इतना भारी जनादेश आ गया कि कई गम्भीर विषय जो राजस्थान की जनता से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या जानबूझकर इस अभिभाषण में नहीं लिया गया या उन्हें जरूरी नहीं समझा गया? समय कम है वर्ना मैं प्रशंसा भी करता। मेरा समय बड़ा सीमित है, मुझे दिख रहा है तो गम्भीर विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, जिस पोल का ढोल बजाकर सत्ता में आये थे, वह सबसे बड़ी चीज थी महंगाई। इस पूरे अभिभाषण में कहीं महंगाई शब्द का जिक्र तक नहीं है। यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था, लेकिन आज के जो हालात हैं, मैं अचम्भा करता हूं कि जिक्र तक नहीं है कि महंगाई को किस तरीके से घटाएंगे, महंगाई पर किस तरीके से नियंत्रण करेंगे। जानबूझकर इस बात को इस अभिभाषण में नहीं लाया गया। मेरे से पहले माननीय सदस्य बता रहे थे, यह तो राजस्थानवासियों का सौभाग्य है कि बाड़मेर में तरल सोना उपलब्ध हुआ है और देश का 22 प्रतिशत उत्पादन कच्चे तेल का राजस्थान से हो रहा है। बाम्बे के बाद देश में हम दूसरे नम्बर पर आते हैं। अगर पैट्रोल और डीजल के दामों की बात करें तो बड़ा अचरज होता है। अध्यक्ष महोदय, जो राज्य पूरे देश को 22 प्रतिशत तेल देता हो, उसके दामों के बारे में क्या कह सकता हूं मैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। होना तो यह चाहिए कि पूरे उत्तरी भारत में राजस्थान में डीजल और पैट्रोल के दाम सबसे कम होते। यह दायित्व होना चाहिए इस सरकार का। लेकिन ऐसी चिंता मुझे लगता नहीं है कि सरकार को है।

मैं बात करना चाहूंगा किसान की, आज क्या हालात हैं? आप अचम्भा करेंगे, हरित क्रांति के 45 साल के बाद में किसान आज इस मुकाम पर खड़ा है, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि 80 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। 80 प्रतिशत किसान एक हैक्टेयर से कम भूमि पर काबिज है। आपको मैं यह और बताना चाहता हूं कि दो तिहाई जनसंख्या खेतिहर किसानों पर आधारित है। और अचम्भा इस बात का है कि हमारी इकोनोमी में एग्रीकल्चर सैक्टर का हिस्सा केवल

(श्री नवीन पिलानिया)

14 प्रतिशत है। किसान आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि उससे राम रूठ रहा है, मौसम बिगड़ा हुआ है। इन दो-तीन दिनों में कई जगह तेज आंधी के साथ बहुत बारिश हुई है, सरसों और गेहूं की फसल आड़ी पड़ गयी हैं। लेकिन इस अभिभाषण में कोई चिंता इस बात की नहीं है। फसल के लिए पहले चालू की थी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। उसे बदल दिया मौसमी बीमा योजना में और अब उसे बदल दिया मोडिफाइड बीमा योजना में। इसमें बखान किया हुआ है कि भामाशाह कार्ड बने हैं। यह बहुत प्रशंसा की बात है कि पचास लाख के करीब बन गये। उसके साथ ही लिखा गया है कि उनको मेडिक्लेम के लिए पालिसी दी जाएगी, कवर नोट दिए जाएंगे। वो तो आप कब देंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन किसान को उसकी फसल बीमा का कवर नोट यह सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? क्या ऐसी मजबूरी है? आप जबरदस्ती उसका पैसा काटते हो, फिर भी आप उसे कवर नोट नहीं देना चाहते हो। मुझे अचम्भा होता है। अध्यक्ष महोदय, और एक बात आपको बताता हूं, एफ.सी.आई. की रिआर्गेनाइजेशन कमेटी के शांता कुमारजी ने रिकमण्डेशन दी थी कि पूरे भारत में केवल 8 प्रतिशत किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है। इस पूरे अभिभाषण में, रबी की फसल कट कर तैयार होने वाली है, कहीं पर सरकार की यह चिंता नहीं है कि कितने विक्रय केन्द्र खोलेंगे, कितने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्या-क्या खरीद की जाएगी। किसान की कोई चिंता मुझे नहीं लगता इस सरकार को है। किसान ने वोट थोक में दिये हैं आपको, बिन मांगे वोट दिये हैं। थोड़ी चिंता तो आप भी उसकी करिएगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बीजेपी के एजेंडे में थी। कई दफा चुनाव के दौरान खुद बड़े-बड़े नेताओं ने, आदरणीय राजनाथ सिंहजी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का कई मंचों से एलान किया था। आज गेहूं की जो लागत आती है, वह एक सर्वे के अनुसार 1750 रुपये प्रति क्विंटल आती है। और यहां गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1450 रुपये क्विंटल दी जा रही है। हर एक क्विंटल पर 300 रुपये का घाटा। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 1750 को डेढ़ गुना करके 2625 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए था, अध्यक्ष महोदय, जो 1175 रुपये प्रति क्विंटल कम है। आप सोचकर देखिएगा कि किसान का क्या हाल होने वाला है।

महंगाई की बात मैं यहां कर रहा था, इसके ऊपर बिजली के बिल, बिजली के दाम। क्या किसानों ने यह सोचकर आपको इतना प्रचंड बहुमत दिया था? मीटर्ड कैटेगरी में एग्रीकल्चर में 90 पैसे से 1 रुपये 47 पैसे, 63 प्रतिशत की वृद्धि और फ्लैट रेट में 85 से 185 रुपये प्रति हार्स-पावर 118 प्रतिशत की वृद्धि। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के लिए जुल्म है। आज दिन तक के इतिहास में इतना स्टीप प्राइस

(श्री नवीन पिलानिया)

हाइक एग्रीकल्चर सैक्टर में नहीं हुआ। सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। इतनी प्राइस हाइक जो नियामक आयोग ने की है, सरकार को इस पर किसानों के लिए सब्सिडी देनी चाहिए। पूरे अभिभाषण में किसानों की सब्सिडी का कोई जिक्र नहीं है कि फव्वारे पर क्या देंगे, ड्रिप पर क्या देंगे। तारबंदी के लिए क्या करेंगे। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं हरियाणा और पंजाब, किसान की चीज चाहे वो कीटनाशक हो,इंसैक्टिसाइड्स हों, पेस्टीसाइड्स हों, खाद हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हों, पंपसैट हो, सब पर ड्यूटी कम है। वहां सस्ते मिलते हैं और राजस्थान में इन सब चीजों पर ज्यादा कर लगाया जाता है। यह सरासर अन्याय है। किसान बरबाद हो जाएगा। किसान मर जाएगा। उसकी बद्दुआ मत लीजिएगा क्योंकि उन्होंने वोट आपको बहुत दिये हैं।

एक और बिन्दु बहुत जरूरी बिन्दु है। भूमि अधिग्रहण बिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय में सन् 1894 में भूमि अधिग्रहण बिल हिन्दुस्तान में आया था। अंग्रेज बिना जनता की परवाह किये जो चाहते थे उसकी जमीन ले सकते थे। इतने वर्ष बीत जाने के बाद में पहली दफा हिन्दुस्तान के दोनों में भूमि अधिग्रहण बिल का नया प्रारूप निकलकर आया जिस पर अधिकतम सभी पार्टियों की सहमति थी। भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति थी। आज उसी बिल को अध्यादेश के जरिये लाया गया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, जो किसान की जमीन है, जो खेती की जमीन है, उस जमीन को अगर आपको लेना अनिवार्य ही हो तो जितनी जमीन आप लेते हो, अगर आप उसकी दस बीघा जमीन लेते हो तो उसकी दस बीघा जमीन के समकक्ष जमीन दूसरी जगह आप क्यों नहीं देते हो? यह सरासर अन्याय है कि आप उसकी दस बीघा जमीन लोगे और उसको ढाई बीघा जमीन दोगे, पच्चीस प्रतिशत। यह कहां का न्याय है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अगर हजार गज का बंगला हो, हजार गज के बंगले को ले लिया जाए और उसकी जगह आपको ढाई सौ गज का प्लाट दे दिया जाए तो सरासर अन्याय है। इसका बहुत व्यापक असर है। इसमें उल्लेख है, मैं उदाहरण बताता हूं अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र का। रमलियावाला डेयरी परियोजना 82-84 के करीब आयी, वो परियोजना आज भी, पूरे तरीके से खाली पड़ी है। दस या पन्द्रह प्रतिशत वो डेयरी के काम आ रही है। उसके आगे चल कर रमलियावाला डेयरी एक्सटेंशन के नाम पर मेन सीकर रोड पर किसानों की बेशकीमती जमीन एक्वायर कर ली गयी। क्या आवश्यकता पड़ रही है, साहब, उसकी? वो नब्बे बीघा जमीन है। नब्बे बीघा जमीन क्या जेडीए के पास नहीं हैं गोचर में, सिवायचक में? लेकिन सरासर अन्याय है। और फिर उनको कहते हैं कि क्योंकि आप 2005 के पहले के हो तो आपको पन्द्रह प्रतिशत देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या पहले का बीघा

(श्री नवीन पिलानिया)

छोटा था या अब बीघा बढ़ गया? यह सरासर अन्याय है। किसान के लिए धरती उसकी मां के समान होती है, उसके पुरखों की अस्थियां उस धरती में रहती हैं। इस बात का अंदाता नहीं है इन लोगों को। मैं इसी बात पर बताना चाहता हूं।

इस अभिभाषण में उल्लेख है रिंग रोड का। रिंग रोड प्रोजैक्ट का दक्षिणी फेज इसमें दिया हुआ है। 47 किलोमीट का बनेगा। 360 मीटर की उसकी चौड़ाई ली जाएगी और उस पर 890 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अगर इतनी ही जरूरत है तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक लेन सड़क साढ़े तीन मीटर चौड़ी होती है और एक किलोमीटर साढ़े तीन मीटर की लेन स्टेट हाइवे की जो लागत आती है, वो पचास लाख रुपये आती है। आठ लेन की सड़क यदि डालनी है तो वो 28 मीटर चौड़ी बनती है, साहब। उस 28 मीटर का तिगुना भी कर लीजियेगा तो भी 84 मीटर ही होती है, साहब। कहां 84 मीटर और कहां 360 मीटर! उस किसान की उपजाऊ जमीन को लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? महोदय, आठ लेन अगर सड़क बनाते हैं तो पचास लाख रुपये के हिसाब से साढ़े तीन मीटर की सड़क की चार करोड़ रुपये एक किलोमीटर की लागत आती है। 47 किलोमीटर बननी है, पचास किलोमीटर मान लीजिये, तो दो सौ करोड़ रुपये इसकी लागत आती है। दो सौ करोड़ रुपये तो आज के अखबार में था, जेडीए ने हजार करोड़ की जमीन मुक्त करा ली। उसका कोई-सा भी टुकड़ा बेच दीजियेगा, दो सौ करोड़ की सड़क बन जाएगी। मुझे अचम्भा है कि सरकार क्या करना चाहती है? एक लेन से ज्यादा की सड़क की आवश्यकता क्या है? मैं सदन के माध्यम से मेरे भाई जो यहां विराजमान हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं, अगर वो मेरा मार्गदर्शन कर सकें तो मैं किसानों को जाकर आपका गणित भी समझा दूंगा। मेरे तो समझ में कोई गणित आया नहीं ।

इसी के साथ-साथ मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि इतना जोर क्यों लग रहा है इस भूमि अधिग्रहण बिल में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में स्मार्ट सिटीज बननी हैं। मुझे नहीं पता कि कितनी बननी हैं, 75 बननी हैं कि 80 बननी हैं। वो स्मार्ट सिटीज कैसे बनेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, वो किसान की जमीन पर ही बनेंगी। और स्मार्ट सिटीज में कौन रहेगा? धनाढ्य लोग रहेंगे। हाई-फाई लोग-बाग रहेंगे क्योंकि वो बनेंगी ही स्मार्ट सिटीज। इसलिए किसान की जमीन की आवश्यकता है और इसीलिए इस कानून में बदलाव किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज जरूरी हैं या स्मार्ट गांव जरूरी हैं, आज यह सदन यह तो तय करे बाहर निकले। और वो स्मार्ट सिटीज बनाएंगे कौन? जो बड़े-बड़े कारपोरेट घराने हैं। आप और हम जैसे तो बनाने की सोच ही नहीं सकते। छोटे-मोटे कांट्रेक्टर भी नहीं सोच सकते।

(श्री नवीन पिलानिया)

मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जितने मोटे कारपोरेट घराने हैं, वो इन सारी स्मार्ट सिटीज को बनाएंगे। उनको अगर यह बनाने का मौका नहीं मिला तो चुनाव में जो दस हजार-पन्द्रह हजार करोड़ खर्च होता है, वो कहां से आएगा? यह विडम्बना है। माननीय घनश्यामजी इसी तरीके की बातों पर बहुत प्रकाश डाले रहे थे। मेरा भी आपसे निवेदन है कि सरकार को सद्‌बुद्धि आए, वो कम से कम यह तो महसूस करे कि घोर अन्याय करने जा रही है। भूमि अधिग्रहण जब तक आवश्यकता नहीं हो, जरूरत नहीं हो, उस किसान की सहमति नहीं हो तब तक नहीं होना चाहिए। और यदि होता है तो जितनी जमीन उससे ले रहे हो, उसकी समकक्ष जमीन दूसरी जगह पर उसको दी जानी चाहिए।

मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। किसान की बात थी, इसमें दिया हुआ है, खाद की बहुत आपूर्ति हुई। बहुत खाद है, इतना वितरण हो गया। सबने देखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबने टीवी पर देखा है, सबने अखबारों में देखा है कि खाद के लिए किसान कई-कई दिन तक लाइन लगाकर खड़ा रहा है और तब भी खाद नहीं मिली उसे। पुलिस के डंडे पड़े हैं। यह क्या अन्याय है? क्या आगे व्यवस्था होगी? क्या सोचती है सरकार? एक बात और, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद समाप्त करिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : बिलकुल कर दूंगा, हुकुम। थोड़ा-सा मौका बस दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : एक बात बोलिये आप।

(15.00 बजे)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : जी। एक और बिन्दु पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पूरे अभिभाषण में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कहीं पर भी कोई बात नहीं है। या तो सरकार यह सोचती है कि राजस्थान में सभी विभागों में भ्रष्टाचार खतम हो गया, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा एक गांव वाला कहीं भी चला जाए, बगैर पैसे दिये उसका काम होता ही नहीं है। चाहे तहसील में चला जाए, चाहे कलेक्टरेट में चला जाए, चाहे थाने में चला जाए, चाहे किसी भी विभाग में चला जाए। सरकार को सोचना चाहिये, इतना प्रचण्ड बहुमत लेकर आप आये हो, जनता को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। हम सब चाहते हैं मैं उन सब मुद्दों पर साथ देना चाहता हूं, लेकिन कम से कम गम्भीरता से तो सोचिए।

अध्यक्ष महादेय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, सिर्फ एक बात और आपके सामने दर्शाना चाहता हूं, बिन्दु तो बहुत हैं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बात करता हूं।

(श्री नवीन पिलानिया)

अभी एक सर्वे आया है असर-2014 का। इससे पहले आया था 2012 का। यह एक आर्गेनाइजेशन है जो शिक्षा की गुणवत्ता और सारी चीजों के बारे में सर्वे करता है। सिर्फ दो पंक्तियां आपको बताता हूं। असर-2014 के मुताबिक राजस्थान में 22.5 फीसदी 8वीं के बच्चे 10 से 99 नंबर तक नहीं पहचान पाते। 52 फीसदी बच्चे भाग नहीं दे सकते और 77 फीसदी बच्चे घटाना नहीं जानते हैं। शिक्षा के ये हालात हैं, अचम्भा है। 8वीं के 42.6 फीसदी बच्चों को तो यह पता नहीं है कि अंग्रेजी को किस तरह पढ़ा जाता है। और हम बात क्या करते हैं। करीब 85 फीसदी बच्चे कैपिटल लैटर के बारे में नहीं जानते हैं और 79 फीसदी से अधिक बच्चे साधारण शब्द तक नहीं पढ़ सकते। मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन इसके बारे में इतना जरूर कहूंगा, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा हूं, और कल ही अखबार में देखा, खुद राज्यपाल महोदय की स्कूल और शिक्षा के बारे में टिप्पणी थी। वह एक गांव में गये जहां निजी स्कूल में डेढ़ सौ बच्चे, सरकारी स्कूल में दस बच्चे। 12 साल से वहां प्रधानाध्यापक कभी लगा नहीं। यह महामहिम राज्यपाल खुद देख कर आये हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार कम से कम गरीब किसान की दशा पर ध्यान देगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रहे वाद-विवाद पर बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले, महामहिम के अभिभाषण में राज्य सरकार ने ऐसी कौनसी उपलब्धि शामिल की है, कहीं नजर नहीं आती। सिवाय असत्य शब्दों के पुलिंदे के कि करेंगे, करने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी कोई बात शामिल नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय के लिये पाबंद कर दिया इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी बातें मेरे विधान सभा क्षेत्र पर नजर डालते हुए कहना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जलदाय विभाग के द्वारा आपणी योजना के नाम से कुछ योजनाएं चल रही हैं जो बहुत बड़ी योजनाएं हैं, जिनमें 500-500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उसमें से मेरे जिले में सुजानगढ़ और राजगढ़ तहसील में दो योजनाएं चल रही हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इसी बजट भाषण में उस योजना को सफल करने के लिये घर-घर कनेक्शन का प्रावधान करें, उसके लिये बजट का प्रावधान करें। आज का नौजवान आवश्यकता के लिये पैसा खर्च कर सकता है, सुविधा के लिये पैसा खर्च कर सकता है। अगर उनके गांव में पीएसपी लगे तो उसमें अवैध कनेक्शन होंगे

(श्री मनोज कुमार)

और 2 साल, 5 साल बाद वह व्यवस्था विफल हो जाएगी जिसमें 500-500 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पीएचईडी मंत्री महोदय इस पर विशेष गौर करें और इसमें घर-घर कनेक्शन का प्रावधान करें।

जेईएन-एईएन की कमी है, मैं 13 माह में चार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जलदाय विभाग में 9 पोस्ट में से 8 पोस्ट आज भी खाली हैं, एक मात्र एईएन से जलदाय विभाग का कार्यालय चल रहा है। पीएचईडी मंत्री महोदय ने एक दिन अखबार में स्टेटमेंट दिया कि प्रत्येक विधायक को एक समिति बनाने के लिये हमने चिट्ठी लिखी है। हमें वह चिट्ठी तो नहीं मिली लेकिन उस चिट्ठी का खुलासा करना चाहता हूं। उस चिट्ठी में लिखा कि 5 सदस्य विधायक महोदय मनोनीत करेंगे और 2 सदस्य जेईएन-एईएन में से होंगे। मैं कहना चाहता हूं, हमारे वहां हालात ये हैं कि एक मात्र एईएन बैठा है, दो पोस्ट हम कहां से लाएंगे? किस को मनोनीत करना चाहते हैं? मैं अकेले राजगढ़ शहर की स्थिति बताऊं तो 55 लाख लीटर पानी की रोजाना आवश्यकता है, सिर्फ 15 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो रहा है। महामहिम अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि पानी में आपके हालात ये हैं कि कहीं हैंड पम्प ठीक नहीं हो रहे हैं, कहीं लीकेज ठीक नहीं हो रहे हैं। अधिकारी व कर्मचारी इस बात से जनता से भी दु:खी हैं क्योंकि वे जवाब देने लायक भी नहीं हैं। गांवों के हालात तो ये हैं कि राजस्थान में 90 प्रतिशत गांवों में सरकार की तरफ से पानी की कहीं सप्लाई नहीं हो रही और जनता स्वयं के खर्चे पर पानी ला रही है। एक पानी का टैंकर खरीदने के लिये राजस्थान की जनता को 600-600 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था में पूर्णत: सुधार करने के लिये विचार करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में चर्चा हो रही थी और अभिभाषण में भी उसका उल्लेख किया गया है कि 1994 में पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने पुनर्गठन किया था और अब हम पुनर्गठन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि द्वेषतापूर्ण, एक पार्टी विशेष के नाम से अगर आप करना चाहते हो तो यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है। उसका उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, मेरे सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में राजगढ़ पंचायत समिति है जिसमें 56 ग्राम पंचायतें हैं, ढाई लाख से ज्यादा आबादी है। एसडीएम, जिला कलक्टर और सम्भागीय आयुक्त ने उसकी अभिशंसा भेजी कि राजगढ़ की उप तहसील सिद्धमुख को पंचायत बनाया जाए लेकिन सरकार ने उस पंचायत समिति को नहीं बनाया। उसका क्या कारण हो सकता है? उसको क्यों नहीं बनाया गया जबकि वह सरकार के दिशा-

(श्री मनोज कुमार)

निर्देश पूरे कर रही थी? इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ पार्टी विशेष के लोगों को फायदा देने की बात कर रही है या व्यक्ति विशेष को फायदा देने की बात कर रही है। दूसरा इसी का एक उदाहरण, नवनिर्मित पंचायत समिति कल्याणपुरा ग्राम पंचायत नागाणा को बनाया गया और उसकी 27.9.2014 को विज्ञप्ति जारी कर दी गयी कि नागाणा को ग्राम पंचायत बनाया जा चुका है। दो माह बाद उस ग्राम पंचायत का संशोधन कर दिया गया। वहां के भी एसडीएम, कलक्टर की अभिशंसा थी कि नागाणा को ग्राम पंचायत बना दिया जाए और बनाया गया। एक व्यक्ति विशेष के कारण पंचायती राज मंत्री ने उस पंचायत का संशोधन करके वहां देवरिया को ग्राम पंचायत बना दिया। इस तरह से अगर आप पुनर्गठन करना चाहते हैं तो यह राजस्थान की जनता के साथ घोर अन्याय है।

बिजली के बारे में राजस्थान के हालात बहुत गम्भीर हैं। राजस्थान की जनता आशा लगाये बैठी थी कि यह सरकार किसानों को बिजली में कहीं न कहीं रियायत देगी, उसको कहीं न कहीं लाभ देने का काम करेगी। लेकिन राजस्थान सरकार ने गरीब, शोषित और किसानों पर एक बहुत गम्भीर आघात लगाया है, बिजली की महंगाई बढ़ाकर उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। राज्य सरकार कहती है कि हम सुविधानुसार सबको कनेक्शन दे रहे हैं। मैं कहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी अगर सुन रहे हैं तो गौर करें, कि आपके किसी भी बिजली बोर्ड में एक बार में न तो खम्भे साथ दिये जा सकते हैं, न तार दिये जा सकते हैं, न केबल दी जा सकती है और न ट्रांसफारमर का भुगतान किया जा सकता है, ये हालात राजस्थान में हैं। उपभोक्ता अगर बार-बार व्हीकल लेकर आता है तो तहसील हैडक्वार्टर तक आने के लिये एक-एक हजार रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार को कहना चाहता हूं, चाहे आप कम कनेक्शन दें, कम लोगों को दें लेकिन जिनको दे उनको तो एक साथ सामान दे दें ताकि वे बार-बार परेशान नहीं हों। दूसरी व्यवस्था, ट्रांसफारमर जलने के बाद उपभोक्ता स्वयं लेकर जाता है और स्वयं ट्रांसफारमर लेकर आता है। किसान को या उपभोक्ता को उसका भुगतान नहीं किया जाता, इसका भुगतान कराने का प्रावधान किया जाए। अधिकारी और कर्मचारी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। जेईएन और एईएन की मिलीभगत से राजस्थान के किसानों का बिल जो एक लाख से तीन लाख तक हो गया, इसका क्या कारण है? जेईएन और एईएन किसानों से उस बिल के नाम से या उनके कनेक्शन काटने के नाम से रिश्वतखोरी करते हैं और एक लाख से तीन लाख तक का बिल चढ़ जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, किसानों के साथ फसल के समय ऐसा

(श्री मनोज कुमार)

घोर अन्याय किया जाता है, सरकार उन जेईएन और एईएन को पाबंद करे। जब भी किसान का बिल 20 हजार, 30 हजार रुपये हो जाए, उसी दिन आप कनेक्शन काटने का प्रावधान करें। उनका कनेक्शन काट लें तो कम से कम किसान उस पैसे को भरकर अपना दुबारा कनेक्शन जुड़वाने में सक्षम हो जाए, कामयाब हो जाए। तीन-तीन लाख रुपये बिल चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि जेईएन और एईएन रिश्वत लेते हैं और किसानों का बकाया बढ़ता जाता है। किसानों के लिए डिमांड नोटिस की रकम एक-एक साल भरे हुए हो जाता है। एक-एक साल डिमांड नोटिस के पैसे भरने के बाद भी वियुत कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा नहीं दिये जाते हैं। सरकार से कहना चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार करे, बढ़ी हुई बिजली दर को वापस ले जिससे किसानों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, आप लोगों ने जिस तरह से पंचायतों के पुनर्गठन में अनियमितता बरती है, आपने एक पार्टी बेस काम किया है। जो कह रहे हैं कि हम गौरव पथ बनाने जा रहे हैं, तहसील में किसी भी विधायक से इन्होंने अभिशंसा नहीं मांगी। अब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं आपको 5-10 पंचायतों का नाम देना चाहता हूं, उनका नाम जोड़कर आप इस बजट में घोषणा करें। पंचायतों का नाम है चांदघोटी, रामपुरा, सिद्धमुख, ढाणी बडीर, खेरूबढीर, चैनपुरा बड़ा, तिरपालीबड़ी, घनाऊ गालड, हमीरवास और सिद्धमुख को इसमें जोड़ा जाए। हमारे चार गांव और ढाणियां ऐसी हैं जो पीएमजीएसवाई की स्कीम में शामिल हैं लेकिन उनको अभी तक नहीं जोड़ा गया, उनको भी जोड़ने के लिए कहना चाहता हूं। हरियाणा ढाणी, जगमाल की ढाणी, समरपुरा, इंदिरा कालोनी को जोड़ा जाए। हमारे राजगढ़ से भेल जो हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क है उसकी हालत बड़ी दयनीय है, तुरन्त प्रभाव से उस सड़क का भी नवीनीकरण किया जाए, उस सड़क का सुधार किया जाए। माननीय पीडब्ल्यू मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और बजट में इसकी घोषणा करें।

स्वास्थ्य विभाग के बारे में खूब सारी घोषणाएं की गयी हैं, खूब बखान किया गया है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में। लेकिन मैं सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाना चाहता हूं। जब तक गांवों में पूरे डाक्टर्स की पूर्ति नहीं होगी, कम्पाउण्डर आपके पास नहीं होंगे तो आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप 108 की बात करें, जननी-शिशु सुरक्षा की बात करें, 104 की बात करें या गांव-गांव में पीएचसी खोलने की बात करें या उप स्वास्थ्य केन्द्र की बात करें, डाक्टर के बिना उस भवन का कोई काम

(श्री मनोज कुमार)

नहीं होगा। सबसे पहली प्राथमिकता-डाक्टर्स की व्यवस्था की जाए, उनकी पूर्ति की जाए जिससे गरीब जनता को लाभ मिल सके।

दो दिन से स्वाइन फ्लू के बारे में सदन में खूब चर्चा हुई। मैं कहना चाहता हूं, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़ों से भ्रमित करके स्वाइन फ्लू को रोकने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की जनता के लिए, कि आप इन आंकड़ों में घूमना चाहते हैं या राजस्थान की जनता को उसका फायदा देना चाहते हैं? आप कहते चले गये कि 2009 में क्या हुआ, स्वाइन फ्लू के लिए आपने क्या किया। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में स्वाइन फ्लू चल रहा है उसके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसको और बढ़िया कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : थोड़ा-सा और, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में विशेषकर दो ही बात कहना चाहूंगा कि शिक्षा में विद्यार्थी मित्रों के साथ इस राज्य सरकार ने घोर अन्याय किया है। विद्यार्थी मित्रों के लिए एक नयी बात सुनी कि विद्यालय सहायक के रूप में कैडर बनाकर उनको नियुक्ति देना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय से कि आप इस बजट में, आने वाले बजट में विद्यार्थी मित्रों के लिए जरूर व्यवस्था करें।

एक बात और कहना चाहता हूं, प्राइवेट विश्वविद्यालय को अध्यादेश जारी करके हम अनुमति देते हैं, उनका मैं एक व्याख्यान करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है। उसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसे लेने का काम है। पैसे लेकर जो शिक्षा चाहिए वह मिलेगी। इस पर नियन्त्रण करने का, कोई प्राधिकरण गठन करने का प्रयास राज्य सरकार करे।

किसानों के लिए एक बात कहना चाहता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी है उसके लिए सरकार 600 रुपये अनुदान दे रही है उनका बीमा कराने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियां किसानों को कुछ नहीं दे रही हैं। वे चार-चार साल तक उनको आंकड़ों में घुमाकर रखती हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि यह अनुदान सीधा किसान को दिया जाए और किसान का क्रेडिट कार्ड जब बनाया जाए उसको बीमा के लिए बाध्य नहीं किया जाए, उसकी मनमर्जी पर छोड़ा जाए। अगर वह बीमा कराना चाहे तो करा सकता है, नहीं तो सरकार यह 600 रुपये का जो अनुदान दे रही है, यह अनुदान सीधा किसान के खाते में जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था के बारे में मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान

(श्री मनोज कुमार)

आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी थाने हैं वे सिर्फ और सिर्फ अपराधी, भूमाफिया, अवैध शराब माफिया और जुआरी चला रहे हैं। क्योंकि ये सभी उनके कमाऊ पुत्र हैं इसलिए इनकी बात विशेष सुनी जाती है और जन प्रतिनिधियों की बात सुनकर भी अनसुनी की जाती है। हत्यारे अपराधी जेल से जाते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है लेकिन...

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : दो मिनट, साहब। उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है। पीड़ित परिवार को और उनके गवाहों को कतई इस राजस्थान में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए न कि अपराधियों को सुरक्षा की आवश्यकता है।

एक और, बेरोजगारी! नौजवान जो फार्म भरने का काम करते हैं, हर व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार को कहना चहता हूं कि उसमें संशोधन करे। चरित्र प्रमाण पत्र उसी दिन मांगा जाए जिस दिन उसकी नियुक्ति हो जाए। उसे एसपी कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए उसमें जरूर संशोधन किया जाए कि सम्बन्धित पुलिस थाने से उसे चरित्र प्रमाण पत्र मिले। बेरोजगारों के लिए पिछली भर्तियां पैंडिंग पड़ी हैं, संविदाकर्मी पैंडिंग हैं, उनके नियमितीकरण और उनकी वेकेंसी करके भर्ती करने का काम करें। सरकार यदि इसी तरह से नौजवानों के साथ अन्याय करती रही तो यह 15 माह का समय तो आपका बीत गया है, शेष बचा समय भी निकल जाएगा। इस प्रकार तब तक आपका नम्बर कट जाएगा। क्योंकि आप करते जाने में जा रहे हैं, इसलिए आपका नम्बर साढ़े तीन साल बाद में कटने वाला है। 15 माह में अगर आप कुछ नहीं कर पाये तो साढ़े तीन साल में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप धरातल पर करने का काम करो। धरातल पर अगर काम करोगे तो जनता आपको स्वीकार करेगी, वर्ना स्वीकार नहीं करेगी।

एक बात और प्रशासनिक तंत्र पर छोटी-सी। प्रशासनिक तंत्र की हालत यह है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिये, आपने दो मिनट मांगे, तीन मिनट दे दिये, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपकी बात की पालना करते हैं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल। समय का ध्यान आप भी रखें, मैं टोकना नहीं चाहता। समय की सीमा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : हमारा समय दे दो।

श्री अध्यक्ष : आपका समय है कहां, आप तो पहले ही ज्यादा ले चुके हैं। यह ग्रेस तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता को दे रहा हूं मैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : सही-सही बोलना।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : आप कहोगे वैसा ही बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी को इस पवित्र सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में रखा। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उस पर अनुमति दी। मैं आपकी कृपा भी चाहता हूं, मैं इस सदन में इन तीन-चार दिनों में पहली बार बोल रहा हूं, आपके आदेश की पालना तो करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर तीन दिन व्यापक चर्चा हुई है। यह 213 बिन्दुओं का अभिभाषण महामहिम ने पढ़ा है, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार की साल भर की उपलब्धियों का वर्णन जो महामहिम के इस अभिभाषण में है, उसको व्यापक चर्चा में सदन में रखा है। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उस पर अपनी टिप्पणियां की हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हर सदस्य ने इसके 213 बिन्दुओं को पढ़ा होगा। हर बार जब चर्चा होती है तो महामहिम के अभिभाषण को हम सरकार का विजन डाकूमेंट बताते हैं कि सरकार ने साल भर में क्या किया है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं इस राजस्थान के बारे में क्या हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कल भाषण कर रहे थे, जिस पर आज...शाहपुरा जयपुर।

श्री अध्यक्ष : मैं भी शाहपुरा से हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : जिस पर आज इस सदन के वरिष्ठ सदस्य सांगानेर से आने वाले माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने काफी गम्भीरता से प्रकाश डाला। कर्मकाण्ड, भागवत और गरुड़ पुराण पर काफी चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। यह अभिभाषण राजस्थान में विकास की आहट के संकेत देता है। यह अपने आप में इस बात का सबूत है, दस्तावेज है। मैं नहीं जाना चाहता उस पर कि 2013-14 से 2014-15 का बजट अपने आप में लगभग दुगने के बराबर था। यह सरकार के नजरिये को प्रदर्शित करता है। लेकिन जब शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कर्मकाण्ड की बात कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो ऐसा लगता है कि यह परम्परा बन गयी कि महामहिम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष को समर्थन करना है और विरोध पक्ष को उस पर कमियां निकालकर अपनी बात को दर्ज कराना है। इसीलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहना चाहता हूं, हम सब लोग किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोग हों, सार्वजनिक जीवन का हमारा मकसद इस देश और समाज के हित में काम करना है। इस सदन में जो व्यक्ति हमको चुनकर भेजता है, उसकी आशा और उम्मीद के केन्द्र बनकर हम यहां आते हैं। इसलिये जिस कर्मकाण्ड का शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, हम उस कर्मकाण्ड की परम्परा को बदलकर नयी परम्परा स्थापित करें। ऐसी परम्परा स्थापित करें कि जो सच हो, राजस्थान के हित में हो, राजस्थान के आम आदमी के हित में हो, सारा का सारा सदन उसके पक्ष में बात करे। और लगता है कि राजस्थान की जनता के हित में फैसला नहीं है तो सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की भूमिका से बाहर निकलकर इस सारे सदन को राजस्थान के हित में अपनी बात कहकर एक नयी परम्परा स्थापित करनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं, सदन नियमों से और कानून से चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्पराओं को लेकर भी कई बार यहां चर्चा हुई। इस सदन में जब राजनीति के आदर्श पुरुष भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे लोग सदस्य हुआ करते थे, चाहे विरोध पक्ष के मुख्य मंत्री रहे हों, इस सदन की परम्पराएं आदर्श रही हैं। इसीलिये जब कर्मकाण्ड का सब्जैक्ट आया तो हमें इस कर्मकाण्ड की बात को समाप्त करके एक नयी परम्परा की दिशा में- आज भी सदन में घनश्यामजी तिवाड़ी जैसे लोग बैठे हैं, इस सदन में मानिकचन्दजी सुराना जैसे अनुभवी लोग बैठे हैं और फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर आप स्वयं विराजमान हैं, इस सदन में नयी परम्पराएं स्थापित की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात करने के बजाय 2-3 बिन्दुओं पर बात करुंगा।

इस सदन में पिछले 2-3 दिन से बिजली, पानी, प्राकृतिक आपदा, स्वाइन फ्लू जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मैं आज बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले तीन दिन से राजस्थान प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। प्राकृतिक आपदा की चपेट के संवेदनशील मुद्दे को हम राजनीति का हथियार बना रहे हैं। सदन में अंकित हो जाना चाहिए, सत्ता पक्ष को विरोध पक्ष ने कठघरे में खड़ा किया। हमें इससे ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। सच है, राजस्थान में प्राकृतिक आपदा आयी है। उस प्राकृतिक आपदा से निपटने की चुनौती सरकार के सामने है। समस्या नयी है, लेकिन समस्या की जड़ कहां है? हम चाहते हैं कि राजस्थान के किसान के साथ न्याय हो, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसान को पर्याप्त मात्रा में राहत मिले। लगातार 60

(श्री प्रहलाद गुंजल)

साल तक इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने प्राकृतिक आपदा के कानूनों में गम्भीरता नहीं बरती, ऊंट के मुंह में जीरा दिया'। आज आवश्यकता इस बात की है कि सदन एक मत से एकराय होकर इस बात का रिजोल्यूशन पारित करे कि राजस्थान का किसान प्राकृतिक आपदा के कारण आज त्राहि-त्राहि कर रहा है, यह आपदा किसी सरकार की मर्जी से नहीं आती, राजस्थान के किसान को न्याय दिलाने के लिये यह सदन भारत सरकार से मांग करे, आपदा राहत के नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कृषि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बीमा के नियमों में परिवर्तन करें। पचास प्रतिशत खराबा होगा, किसान को पैसा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र में किसी कपड़े के शोरूम का बीमा होता, किसी जूते की दुकान का बीमा होता, किसी ज्वैलरी की दुकान का बीमा होता, चोरी और आगजनी की घटना होती तो शत-प्रतिशत बीमा प्राप्त होता। हम बहुत संवेदनाएं बरतते हैं किसान के विषय पर। लेकिन 66-67-68 साल के लोकतंत्र की यात्रा में हम उसके घाव पर केवल मल्हम लगाने का काम करने से ज्यादा उसके हित में फैसले नहीं कर पाये। आज फसल बीमा योजना में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। पचास प्रतिशत खराबा क्यों? एक किसान भी बरबाद होता है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा पालिसी के साथ-साथ फसल उपज के मूल्य का बीमा होना चाहिए एग्रीकल्चर के असैसमेंट के आधार पर कि बीघा की उपज कितनी हो रही है। इंडिविजुअल आधार पर बीमा होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के बाद अगर फसल की उपज में कहीं गिरावट आती है तो उसकी भरपाई बीमा कम्पनियां करें। जब तक इस प्रकार की बीमा पालिसी हम राजस्थान के इतिहास में नहीं लेकर आएंगे, इस सदन में किसान के हित की चर्चा करना बेइमानी होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं।अगर हम किसान के साथ वास्तविक रूप से जुड़ना चाहते हैं तो फिर हमको तय करना पड़ेगा कि हम उसकी उपज के मूल्य का बीमा करें। अगर एक बीघा में आठ बोरी गेहूं होता है और प्राकृतिक आपदा के कारण दो बोरी ही ले पाया तो बीमा कम्पनियां छह बोरी की भरपाई करें। जब तक इस प्रकार के ऐतिहासिक फैसलों की तरफ यह सदन रिजोल्यूशन लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, किसान के हित में चर्चा करना केवल सदन में अंकित करके अपनी बात को रखना, अपने संदेश को पहुंचाना भर होगा। संदेश से सदन नहीं चलने चाहिए। सदन हकीकत के आधार पर, वास्तविकताओं के आधार पर...

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्षजी, एक मिनट। इसमें जो मापक यंत्र लगते हैं

(श्री रामचन्द्र)

कृषि संयंत्र के जो कृषि बीमे के होते हैं, ये हैदराबाद में लगे हैं और राजस्थान के किसानों की गणना वे हैदराबाद में बैठे-बैठे करते हैं। जितने उनके मापक संयंत्र लग रहे हैं, वे सारे के सारे खराब हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका राजनीति का लम्बा-चौड़ा अनुभव है। राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक परिदृश्य को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। प्राकृतिक आपदा और राजस्थान का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। मैं नया सदस्य हूं, दूसरी बार हूं।तकलीफ है कि प्राकृतिक आपदा से राजस्थान का पचासों सालों से रिश्ता रहा है और यहां तक कि राजस्थान में यह प्रचलित बात रही कि पश्चिमी राजस्थान का अधिकारी तो फेमिन के काम का इंतजार करता है। राजस्थान के बारे में देश में कहावत प्रचलित हो गयी कि किसान भगवान के अगरबत्ती लगाता है कि बारिश आनी चाहिए, मेरे जीवन में सुधार होगा और पश्चिमी राजस्थान का अधिकारी भगवान के अगरबत्ती लगाता है कि फेमिन का काम शुरू होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्राकृतिक आपदाओं से जूझता हुआ, आजादी के बाद से और पहले से चलता हुआ प्रदेश रहा, क्या प्राकृतिक आपदा को अवसर में बदलने के लिये शासन की नीतियों में अब तक इस प्रकार का विलम्ब इस सदन में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए? प्राकृतिक आपदा अवसर में बदले। फेमिन के नाम पर न जाने कितने अरबों रुपये राजस्थान में स्थापित हुए। एक ट्यूरिज्म राजस्थान में नया खड़ा हो जाता, किसान के हित में न्यायसंगत तरीके से फेमिन को अवसर में, अकाल को अवसर में बदलने की योजना बनी होती तो। लेकिन यह दृष्टिकोण का अभाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय। इसीलिये आज इस सदन के माध्यम से मैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। एक कल्पना आयी आपदा को अवसर में बदलने की, देश में नदियां जोड़ने की। बिहार में बाढ़ से व्यक्ति मर रहा है और राजस्थान में अकाल से मर रहा है। आपदा को अवसर में बदलेंगे। बिहार का बाढ़ का पानी राजस्थान के अकाल में लाकर छोड़ देंगे, यह परिकल्पना की भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयीजी ने। केवल इतना ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों को लेकर बहुत व्यापक चर्चा हो रही है। मैं दुर्भाग्य समझता हूं हिन्दुस्तान का, 2004 में केन्द्र का सत्ता परिवर्तन अपने आप में भारत का दुर्भाग्य था। हर पांच साल में इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा पचास सालों से हो रहा था। एम.पी. का चुनाव लड़ने जाओ, एम.एल.ए. का चुनाव लड़ने जाओ, झोली फैलाकर मेरा गांव का व्यक्ति भीख मांगे कि सड़क चाहिए। हर पांच साल में उसका विश्वास टूटता था।

श्री अध्यक्ष : अब आप सूत्रों में बोल लीजिए थोड़ा। अच्छा बोलते हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सूत्रों में बोल लीजिए न, यही निवेदन कर रहा हूं। 15 मिनट आप ले चुके हैं, दो-तीन मिनट और लीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : मेरा आधा भी नहीं हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आदेश करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, सूत्रों में बोल लीजिए आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरत है सरकार को नीतियां बनाने की। वाजपेयीजी ने नीति बनायी, अब किसी एम.पी., एम.एल.ए. के भरोसे विश्वास को बांध कर रखने की जरूरत नहीं। अब केवल वायदों के आधार पर विश्वास को नहीं बांध कर रखा जा सकता। जनता के विश्वास की धुरी पर लोकतंत्र टिका है। चरमरा जाएगी व्यवस्था अगर विश्वास टूटा तो। और इसीलिए नीतियां बनायीं। आज इस सदन में इस प्रकार की नीतियों पर चर्चा होकर बताने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, सदन की नेता मौजूद नहीं हैं। बिजली को लेकर, कीमतों को लेकर यहां पर व्यापक आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं। बिजली की कीमत...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सदस्य, वे सी.एम.एच.ओ. साहब हटे या नहीं अभी तक?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : वे हट जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप। वह हमारी चिंता है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : हम आपके साथ हैं। हमारी सहानुभूति आपके साथ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : धन्यवाद। मैं आभारी हूं आपका।

श्री अध्यक्ष : इधर आ जाइए। इनका साथ देना है तो इधर आ जाइए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : उस सहानुभूति की जरूरत नहीं है। सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? सहानुभूमि की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : इनको इधर लाने की चेष्टा कर रहे हैं हम तो। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : बिजली के बिलों को लेकर हमने आरोप प्रत्यारोप लगाये, लेकिन इस समस्या की जड़ कहां है? पिछले बजट सत्र में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि बिजली कम्पनियों पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हो गया है। फाइनेंस एजेंसीज ने पैसा देने से इंकार कर दिया। समुद्र मंथन में किसी को जहर पीने के लिए भगवान शंकर बनना पड़ेगा। सरकार ने फैसला लिया, मैं उसकी निंदा नहीं करना चाहता, विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से इस सदन की नेता और राजस्थान के बिजली मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि पिछले पांच साल में कोयले की दलाली में जिस प्रकार के काले हाथ हुए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उसकी आडिट होनी चाहिए। आडिट इस बात की होनी चाहिए कि आपने फीडर सुधार कार्यक्रम के नाम पर जम्बो ट्रांसफार्मर्स हटाकर छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर्स लगा दिये। पुराना सामान- ट्रांसफार्मर, ताम्बे, बिजली के तारों का हिसाब होना चाहिए था। उसकी आडिट होनी चाहिए। आज जरूरत बिजली कम्पनियों की आडिट की है। हम बिजली कम्पनियों को खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से छूट नहीं दे सकते। स्वतंत्र रूप से छूट देने का परिणाम, आज कम्पनियों ने राजस्थान की व्यवस्था को जर्जर हालत में पहुंचा दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई किसान में बारे में। बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुईं। मैं पहले गांव से एम.एल.ए. था, अब शहर से एम.एल.ए. बना हूं। मैं बहुत ईमानदारी से छोटी-सी बात आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। नाली एक बहुत छोटी-सी समस्या है शहर में। वार्ड मैम्बर की जिम्मेदारी मानते हैं। लेकिन राजस्थान के शहर और गांवों में आप चले जाएं, 1952 में जो एम.एल.ए. बना होगा, उनमें से कई लोगों को यह सदन श्रद्धाजंलि व्यक्त कर चुका होगा लेकिन वह नाली जो 1952 में समस्या थी, वह समस्या आज भी बनी हुई है। हमारे स्वायत्त शासन निकायों के अन्दर टैक्निकल स्टाफ लाखों-करोड़ों रुपये की तनख्वाह महीने की पाता है। जब हम स्वच्छ शौचालय की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 6 लाख शौचालयों के निर्माण की बात कर रहे हैं, हमें इस नाली की समस्या से निजात और वाटर ड्रेनेज सिस्टम से निजात के लिए एक-एक शहर की व्यापक योजना बनानी चाहिए जिससे इस समस्या का समाधान हो। टैक्निकल स्टाफ को इसमें लगाकर समस्या के समाधान के बारे में आगे बढ़ना चाहिए।

मुझे कोई एम.एल.ए. बता दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, वार्ड मैम्बर की समस्या उसको बताते हैं। वार्ड मैम्बर की समस्या सांसद को बताते हैं। इन छोटी-छोटी समस्याओं से राजस्थान ग्रसित है। हम अगर स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं तो शौचालय मात्र ही नहीं, शहर के वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। हमें शहर की नालियों के पानी के व्यवस्थित निकास के बारे में चिंता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करनी पड़ेगी। कई सारी चिंताएं करनी पड़ेंगी। और अगर हमने ये चिंताएं नहीं की तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस गरुड़ पुराण की चर्चा की, सत्ता पक्ष में भागवत हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष में गरुड़ पुराण जरूर पढ़ा जा रहा है दिल्ली के बाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपके भी महाभारत चालू हो गया।

श्री हीरालाल (निवाई) : हमारे यहां तो भागवत कथा चल रही है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप हीरो बनो या नहीं बनो, आपकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : महाभारत होगा पर उसमें पांडव आप होंगे और कौरव हम होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और, आप 20 मिनट ले चुके हैं। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं, आपके आदेश की पालना में।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे, अच्छे विधायक हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में पूरी सफाई के बाद कांग्रेस में गरुड़ पुराण शुरू हो गया है, लेकिन यह हम सबके लिए संकेत है। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं, अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य किसान की चिंता कर रहे थे। किसान की गरीबी से...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप कौनसी पार्टी में हो?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : मैं भाजपा विधायक दल का मैम्बर हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : आप विराज जाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : नहीं-नहीं, निष्कासित, निलम्बित कर दिया आपको। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : भाजपा विधायक दल का मैम्बर हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन की चर्चा की। कल भी उसकी चर्चा हुई थी। कल भी नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आकड़ों को लेकर चर्चा हुई और आज भी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल इस पर बहुत बहस चली। प्लानिंग कमीशन ने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मोहर लगा दी कि जो गांवों में 27 और शहर में 33 रुपये से ज्यादा कमाता है, गरीब नहीं हो सकता। भारत की पार्लियामेंट में इस पर संवेदनाशील तरीके से चर्चा होने के बजाए गरीब की रोटी का मजाक बना। दिल्ली में बुला लीजिए, पांच रुपये में रोटी खिला देंगे। बम्बई में आ जाएंगे तो हम दस रुपये में रोटी खिला देंगे, पार्लियामेंट में सांसदों ने ये बयान दिये। मैं बहुत ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं, सारा देश शर्म से झुक गया, कि यू.पी.ए. की तीसरी सालगिरह पर फाइव स्टार होटल में सांसदों और मंत्रियों के भोजन का सात हजार रुपया प्रित प्लेट का खर्चा आए और इस हिन्दुस्तान के गरीब आदमी की दस रुपये और पांच रुपये की रोटी के नाम पर पार्लियामेंट में मजाक की जाए। और अभी यह संकेत है। देश का मन उद्वेलित हो गया है। उन्होंने सबक सिखाया कांग्रेस को और हाल ही दिल्ली के चुनावों के परिणाम आत्मचिंतन की ओर बाध्य कर रहे हैं। इसीलिए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सुखद अनुभूमि हो रही है कि कांग्रेस के युवराज उस आत्मचिंतन के रास्ते पर चले गये। कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा ने कहा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : मैं दो मिनट में बात कन्क्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, दो मिनट लीजिए आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में बात कनक्लूड कर रहा हूं। कोटा में पानी की समस्या को लेकर चर्चा हुई। हमारी योजनाएं दूरदर्शी नहीं बनीं। मैं जिस कोटा से आता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल बेसिन पर व्यापक काम नहीं हुआ। अगर चम्बल बेसिन पर व्यापक काम होता तो...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी मंत्री यह कह रही हैं कि मुझे एक सिंगल फेज या ट्यूबवैल खोदने का अधिकार नहीं है, पानी की क्या चर्चा करोगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : चम्बल बेसिन पर व्यापक काम होने की जरूरत है। नदी जोड़ने की जो परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयीजी ने की थी, उसको राजस्थान में साकार करके चम्बल और माही बेसिन पर अधिक से अधिक काम किये

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाने की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी पिछले बजट में इस पर काम करने का प्रयास प्रारम्भ कर चुकी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा कानपुर कहलाता था। आज वहां का औद्योगिक वातावरण खराब हो रहा है, उस पर भी बहुत गम्भीरतापूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है। किसानों के बारे में अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जहां-जहां पर खराबा हुआ है, अगर सदन की नेता और बिजली मंत्रीजी उन किसानों के बिल माफ करें बिजली के तो मैं समझता हूं कि हम राजस्थान के किसान के साथ न्याय कर पाएंगे। अगर यह घोषणा सदन में होती है तो राजस्थान का किसान इस सदन के प्रति अपना आभार व्यक्त करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा सीमित रही। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष : ठीक चार बजे प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होगा, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी। इसके लिये 20-22 मिनट हैं। मैं चाहूंगा कि दो-दो, चार-चार मिनट में दो-तीन वक्ता और हैं, वे अपनी बात समाप्त कर लें। श्री भैराराम चौधरी। (व्यवधान) नो-नो, आप 38 मिनट पहले ही ले चुके हैं। 40-50 मिनट मैं इनको दूंगा। भैराराम चौधरी। नहीं बोलेंगे? चलो, नहीं बोलेंगे। शुभकरण चौधरी, पांच मिनट। आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये, कृपापूर्वक विराजिये। भैरारामजी का नाम पुकार लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : अध्यक्ष ऐसा होता है जो विपक्ष की मदद करता है। आप करते नहीं हो। आप कड़ा रूख रखते हो।

श्री अध्यक्ष : आप पहले 38 मिनट ज्यादा ले चुके हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : उदारता रखो, हमारी तरफ उदारता रखो।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं, प्रतिपक्ष के नेता का भाषण हो, इसलिए मैं इनको बुलाऊंगा ठीक चार बजे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : इनके पास बोलने को कुछ है ही नहीं। हम ही तो बोल रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : आप ही तो हमारे मालिक हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप तो प्यार के सागर हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं हम। फिर एक बूंद के प्यासे हैं हम। अवसर दीजिये न इनको।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस का अब कोई नहीं बोलेगा। सुखरामजी, आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : दया के पात्र आप ही हो हमारे। आप दया के पात्र हो। हमारे सुखराम तो आप ही हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शुभकरण चौधरी, बोलिये। पांच मिनट सिर्फ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : आपकी बातों में आने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं हैं। (व्यवधान) आपकी मीठी-मीठी बातों में आने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप दया के पात्र हैं। सदन के अध्यक्ष को कैसे वह दया का पात्र बना रहे हैं? या तो उस शब्द को हटाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : हमारी आपत्ति है, कभी सीधे खड़े नहीं होते हैं। यह यूं ही टेढ़े ही रहते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपको दया का सागर कहना चाहिये, यह कह रहे हैं, दया के पात्र हैं। आप तो हमारी दया के पात्र हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक कभी सीधा खड़ा नहीं होते हैं, आधे खड़े होते हैं। पूरे सीधे खड़े हों, तभी बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : गोविन्दजी, आप भी सीधे खड़े नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : शुभकरण चौधरी। समय कम है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपकी बांक निकाल देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : कर दीजो म्हारी, पूर्ति कर दीजो म्हारी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा तो शुरू करना चाह रहा था मैं महामहिम के अभिभाषण पर लेकिन आपकी समय की पाबन्दी और इनकी चर्चाएं देखकर मैं अपनी बात किसी और जगह से शुरू करता हूं। आज के 15 महीने पहले राजस्थान की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था, और आज मैं इन कांग्रेस के माननीय सदस्यों की जो कारगुजारियां हैं, इनको देखकर कह सकता हूं कि यह फैसला जनता ने क्यों किया। आप पर क्यों उनका भरोसा नहीं रहा। क्यों उन लोगों ने इस प्रकार का निर्णय आपके खिलाफ किया। दो लाइन आप सुनना, गोविन्दजी डोटासरा, अगर आप सुन पाओ तो। मैं जब चुनाव में गया तो लोगों ने कहा, आपको वोट नहीं देना चाहते हैं तो भी इसलिए देंगे कि इन पर हमारा भरोसा नहीं रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो लोगों ने कहा, 'इनका क्या विश्वास, भारती, देश, धर्म, ईमान बेच दें। सोने और चांदी की खातिर कलियों की मुस्कान बेच दें। जरूरत पड़े तो

(श्री शुभकरण चौधरी)

ताजमहल और गंगा का मैदान बेच दें। न जाने कब कुर्सी की खातिर ये कांग्रेसी सारा हिन्दुस्तान बेच दें।'

श्री सुखराम विश्नाई (सांचौर) : राम मंदिर की ईंटें कहां हैं? राम मंदिर वाली ईंटें कहां हैं?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : इतना अविश्वास जब लोगों को हुआ तो फैसला यह हुआ कि 20-21 में सिमट गये और हम इस संख्या में आपके सामने बैठे हैं। हमने जनता के आदेश को माना, जनादेश को माना और ऐसा काम किया। पहली बार, जो कभी जिन्दगी में ये नहीं कर पाये, सन् 1981 में पंचायतों का गठन हमने किया। 2014 में पंचायतों का गठन हमने किया। राजस्थान के माथे पर एक कलंक लगा हुआ था कि पंचायत में कानून-व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति, गांव का फैसला करने वाला व्यक्ति अनपढ़ कैसे हो सकता है। हमने ऐसा ऐतिहासिक न्यायपूर्ण फैसला किया कि पढ़ा-लिखा इंसान सरपंच होना चाहिए। पंचायती राज में पढ़ा-लिखा व्यक्ति होना चाहिए। यह फैसला होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, आज गांव का फैसला करने वाले लोग पढ़े-लिखे हैं, गांव का वातावरण सुधरा है। गांव में पढ़े-लिखे जन प्रतिनिधि आये हैं। शिक्षा के ढांचे को सुधारने के बाद मजबूती आयी है। माथे पर कलंक इन लोगों ने बरसों तक लगाया था, वह इसलिए लगाया था कि गांव का आदमी अगर पढ़-लिख जाएगा तो हमारा लेखा-जोखा पूछ लेगा। हमसे पूछ लेगा, आप करते क्या हो। 55 साल में लगातार, सुखरामजी, जो आपने किया, वह बताना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गांव में टंकी पर गया। टंकी पर लिखा था, "पानी भी सीमित, बिजली भी सीमित, परिवार भी सीमित।" 55 साल में इस जनता को पीने का पानी तो दे नहीं पाये। हल्ला करने के सिवाय कुछ और भी आपने किया है कभी? अब तो रुक जाओ। अब तो कम से कम जनता के जनादेश को पहचानो। लोगों ने जो जनादेश देकर भेजा, उसका सम्मान करो। हमने तो काम किया है। गांव में पंचायतों का नया गठन किया है। सशक्तीकरण होगा, इससे पंचायतों का विकास होगा। पढ़े-लिखे लोग आएंगे तो गांव के साथ न्याय करेंगे। हमने गांव में गौरव पथ बनाया है। मात्र एक सड़क बनाने की बात नहीं है। इस गौरव पथ से लोगों को पंचायती राज संस्थाओं का रास्ता खुलेगा। उनको पता चलेगा, किस प्रकार गुणवत्ता की सड़क बनाने से गांव का फायदा होता है। थोड़ा-सा सुधार उसमें जरूर करना चाहिए, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां विराजे हैं। उन सड़कों की चौड़ाई थोड़ी कम है, साढ़े पांच मीटर चौड़ाई, मंत्री महोदय, होनी चाहिए, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं ताकि आने-जाने वाली गाड़ियां निकल सकें। उनके किनारे पर नालियां और बन जाएं तो गांव का

(श्री शुभकरण चौधरी)

गंदा पानी निकल जाएगा। उनके किनारे लाइटें और पेड़ अगर लग जाएं तो उस गौरव पथ में चार चांद लग जाएंगे। इतना-सा निवेदन जरूर करूंगा कि जो ऐतिहासिक काम हमने किया है, उसमें थोड़ा-सा सुधार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी चर्चाएं हो रही थीं बिजली विभाग की। बिल बढ़ गये, छीजत हो गयी, घाटा हो गया। किसी ने इस बात की चिन्ता की है कि यह घाटा हुआ क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? अध्यक्ष महोदय, इसका जिम्मेदार न छीजत है, न किसान की कोई चोरी है, न कोई और कारण है। इसका कारण आकर है तो पूर्ववर्ती सरकार ने एफ आर पी का प्रोग्राम शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं, सामान जो पुराना लगा हुआ था, वह गया कहां? नया ट्रांसफार्मर लगा तो पुराना ट्रांसफार्मर कहां है? करोड़ों रुपये का एल्युमिनियम का तार कहां है? वह सारा का सारा आपने और आपकी सरकार ने बंदरबांट करके करोड़ों रुपये का चूना इस प्रदेश की जनता को लगाया है। इस बात के लिये आप जिम्मेदार हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : कांग्रेस का बता रहे हो क्या?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : आपको यह नहीं पता है कि उसकी कितनी कीमत थी और वह सारा का सारा सामान आपकी सरकार ने बंदरबांट कर दिया। इसलिए वहां घाटा हुआ और आज हमको भुगतना पड़ रहा है। आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में घर-घर में बिजली पहुंचाना चाहती है। किसान के बेटे-बेटी तो लालटेन और चिमनी की रोशनी में पढ़ते थे, उनको बिजली देकर हम तो उनको लाइट-रोशनी में पढ़ाना चाहते हैं। आपकी तरह एफ आर पी के अन्दर उस लूट-खसोट को हम लगाना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय, सुराज संकल्प यात्रा में हमारी नेता ने एक संकल्प लिया था, 60 साल में जो नहीं हुआ, 60 महीनों में करेंगे। यह सदन गवाह है इस बात का, आप लोग भी जानते हो। मैं राजस्थान की चर्चा करूं, इसमें मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं 160 साल में उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 6 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनमें साइंस खुला हुआ है। 60 साल में 6 स्कूल। मात्र एक साल में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार और हमारी मुख्य मंत्री ने 7 स्कूल क्रमोन्नत किये हैं, जिनमें सातों में साइंस खोला है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने किया है। जो 60 साल में नहीं हुआ, वह एक साल में हमने करके दिखाया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : साइंस का एक भी टीचर लगाया तो कह सकते हो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : एक मास्टर नहीं, एक साइंस का अध्यापक नहीं, कैमिस्ट्री का अध्यापक नहीं, फिजिक्स का अध्यापक नहीं, खोलने से क्या हो जाएगा? इससे क्या फायदा हो जाएगा? दोनों सरकार ने गांव के लोगों के साथ अन्याय किया है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : इनको समझाओ, साहब, सुनने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : मैं विराजने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : पहली बार डी.पी.सी., आर पी एस सी के माध्यम से सीनियर टीचर आ रहे हैं। स्कूल में हैडमास्टर और प्रिंसिपल बन रहे हैं। आने वाले दो-तीन महीनों के अन्दर शैक्षणिक ढांचा इतना सुधार दिया जाएगा कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनने की कोशिश तो करें। पर एक कमजोरी है, अध्यक्ष महोदय। कमजोरी यह है कि कल तक जो तेरा था, आज वह पराये का है। कल तक जो तेरा था वह आज पराये का है। यही रिवाज मेरे शहर की सराय का है। इसीलिए तो, सुखरामजी, सुनने की कोशिश करो। सुनो, "कल तक जो तेरा था, आज वो पराये का है। यही रिवाज तेरे शहर की सराय का है। इसलिए मात खाते हो मुसलसल, क्योंकि तुम्हारी फौज में कप्तान किराये का है।" जिनका अपना कप्तान नहीं, जिनके पास अपनी सोच नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनकी तरह आठवीं पास का सर्टिफिकेट तो बिना पढ़े हम दे नहीं सकते। इनके पास तो अपना कोई कप्तान नहीं, अपना कोई सिपहसालार नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। इंग्लैण्ड से जो समाचार आ जाए, वह इनको करना है। पर वह हम नहीं कर सकते। आठवीं क्लास के बोर्ड का गठन हमने वापस किया है। बच्चे पढेंगे तब परीक्षा देंगे। हमने अध्यापकों की व्यवस्था की है।

अध्यक्ष महोदय, चार दिन से लगातार सुनता जा रहा हूं स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू डाक्टर नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं। पहले बार पूरे राजस्थान में हमारे चिकित्सा मंत्री ने एक-एक अस्पताल में धर्मशालाएं बनाने का काम किया है ताकि मरीजों के साथ आने वाले वहां आराम से रह सकें। पहली बार अस्पतालों का निर्माण किया... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : परिवर्तन कैसे हुआ? +++ और अब हृदय परिवर्तन कैसे हुआ?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : यह तो, डोटासराजी, वक्त बताएगा कि कौन किस की कहां काटता है।

आपको बताना चाहता हूं कि शैक्षणिक ढांचा हमने सुधारा है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट और।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के मामले में निवेदन करना चाहता हूं, नये-नये डाक्टर लगातार आ रहे हैं। पहली बार ऐतिहासिक फैसला किया, भूतो न भविष्यति। ये सोच नहीं सकते थे। पहली बार 40 से 45 हजार पैरा मेडिकल की नियुक्ति हमारे चिकित्सा मंत्री एक महीने के अन्दर करने वाले हैं। इतिहास इस बात का गवाह बनेगा।

किसानों के मसीहा बनने वाले इन्होंने मात्र तीन लाख रुपये की घोषणा की थी। 50 हजार रुपये से ऊपर किसी को ऋण दिया हो तो बताओ। हमारी सरकार ने पूरे सहकारी सैक्टर में क्राप लोन को फसली ऋण से मुक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय, हमने बेटी बचाओ अभियान का शेखावाटी की धरा पर, धोरों और वीरों की धरती पर शंखनाद किया है। इसके लिए लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के अन्दर नाम दर्ज कराने का काम राजस्थान ने किया है। झुन्झुनूं जिले में लाखों लोगों ने बेटी बचाओ का संकल्प लिया, अभी अभियान में समर्थन दिया है और सब लोगों ने शपथ ली है। इतिहास इस बात का गवाह होगा। ये सोच भी नहीं सकते, ये मात्र हल्ला मचा सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। राजस्थान का भला कैसे हो, यह इन्होंने कभी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी-चौड़ी बात थी पर अपनी बात इस एक बात पर मैं खतम करूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अपनी बात झुन्झुनूं में बैठकर कर लिया करो न।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : 15 लाख लोगों को बेटी बचाओ की शपथ मान ली...(व्यवधान) 15 लाख लोगों को धोखा दिया था नौकरी के नाम पर, वो कहां गयी?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : पहली बार हमारी केन्द्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। अभी कह रहे थे कि बी.जे.पी. के विधायकों के कहने से काम करते हैं, हमारे कहने से नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, 62 साल में कभी राज्यों को इतनी स्वायत्ता मिली नहीं जो हमारे महामना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी ने पहली बार राज्यों को दी है। केन्द्र सरकार का पूरा का पूरा पैसा चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बी.जे.पी. के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, सारे राज्यों को स्वायत्तता देकर, पैसा देकर इस बात को सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र का विकास करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : अध्यक्ष महोदय, अब इनको मात्र एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी इच्छा है।

श्री अध्यक्ष : वो कह लीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा) : भूमि अधिग्रहण कानून लाये हो न, किसानों के हित में है क्या वो, यह तो बताओ?

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : अब भूमि अधिग्रहण को तो छोड़ो।

श्री अध्यक्ष : उनको एक बात कहने दीजिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : अब आओ, अब प्रहलादजी गुंजल की मंशा पूरी करो। आओ, मिलकर सब साथ काम करें और एक नये राजस्थान की रचना करें।

"पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कराओ तो कोई बात बने। सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बनें।"

श्री अध्यक्ष : विराजिये। विराजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : "रंग और नस्ल, जाति और मजहब। जाजो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को हम तो जान गये, तुम भी जान ओ तो कोई बात बने।"

श्री अध्यक्ष : बस, विराजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) : धन्यवाद, साहब। राम राम।

श्री अध्यक्ष : लादूरामजी विश्नोई बहुत कम बोलते हैं लेकिन आपके लिए छह मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूं, छह मिनट से आप अपनी बात कहें। श्री लादूरामजी विश्नोई। ठीक चार बजे मैं प्रतिपक्ष के नेता को पुकारूंगा, आप सूत्रों में अपनी बात कह दें।

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए टाइम दिया। मैं आदरणीय श्रीमती किरण माहेश्वरीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, पी.एच.ई.डी. के ट्यूबवैल्स चाहे एम.एल.ए. लैड से खुदाओ चाहे पी.एच.ई.डी. अपने नार्मल प्रोग्राम में खुदाए, पर पम्प सैट सौर ऊर्जा से लगाये जाएंगे। इससे पूरी ग्रामीण जनता को जबरदस्त फायदा होगा। डाइरेक्ट फीडर में अन-आथोराइज कनेक्शन ले लेते थे, इससे वो सारा झंझट मिट जाएगा और पी.एच.ई.डी. से जल की नियमित सप्लाई मिलेगी। किरण माहेश्वरीजी ने यह डिसीजन लिया है। मेरे पास डी.ओ. लैटर आया है, इसका मतलब इन्होंने सभी विधायकों को डी.ओ. लैटर दिया है। इससे जबरदस्त फायदा होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : यह बात जो कह रहे हैं, सही है न? यह बात आपका नाम लेकर इंडीकेट किया है, नाम से इंडीकेट किया है, सही है क्या?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : यह लादूरामजी जो बोल रहे हैं, वो सही है क्या?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय लादूरामजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : सही है क्या यह बात?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : मेरे को बोलने दो, मेरा टाइम जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनका समय कम है। हां, बोलिये लादूरामजी।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : आदरणीय वसुन्धराजी ने हर ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल स्वीकृत किया है। पिछले 60 साल में कांग्रेस राज के पीरियड में सिर्फ 17 ही स्कूलें सैंक्शन हुईं। उन 17 में से पांच स्कूल 2003 से 2008 में आदरणीय वसुन्धराजी ने स्वीकृत कीं। तो इनके राज में सिर्फ 12 स्कूल स्वीकृत हुईं। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो पिछले विधान सभा सत्र में अनाउंस किया, उसमें मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में 36 प्रतिशत हायर सैकण्डरी स्कूल स्वीकृत हुईं। इससे ज्यादा क्या फायदा हो सकता है? इन्होंने तो 60 साल में ग्रामीण जनता को ठोंट ही ठोंट रखने का डिसीजन लिया।

मेरे पिछले डेढ़ महीने में, मैं देवनानी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम 300 मास्टरों की पोस्टिंग की है। शिक्षा विभाग से मेरे को बताया गया है कि आगे नियमित रूप से पोस्टिंग होती रहेगी। यह सिलसिला शिक्षा विभाग में है, इसका बड़ा भारी सुधार होगा।

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार पिछले चार महीने से पांच की ग्रुप स्कीम में हजारों की तादाद में कनेक्शन होने शुरू हो गये हैं। जो कांग्रेस राज में डेढ़ साल, दो साल से पांच के ग्रुप के घरेलू कनेक्शन बंद थे। वो सारे गांवों में चल रहे हैं, उनका सब का विद्युतीकरण हो रहा है।

इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार बी.पी.एल. कनेक्शन के लिए पूरे बाड़मेर जिले में पी.डी.सी.एल. कम्पनी ने सर्वे किया। वो सर्वे रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिल्ली गयी, दिल्ली से आरईसी लिमिटेड, दिल्ली ने इसकी स्वीकृति दी। बाड़मेर जिले में 45 से 50 परसेंट जो पीबीसीएल कनेक्शन हैं, अगले बारह महीने में उनका विद्युतीकरण होगा। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और आरदणीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दे रहा हूं।

(श्री लादूराम)

पिछले कांग्रेस राज में सिविल लाइबिलिटीज बिल, 2012 पास हुआ जो किसानों का जानी दुश्मन साबित हुआ। एक हार्स पावर पर 70 से 80 हजार रुपये का जुर्माना आज किसानों पर लग रहा है। यह बात हमने आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की नोटिस में डाली कि कांग्रेस राज में सिविल लाइबिलिटीज बिल, 2012 जो पास हुआ है, इसमें विजिलेंस चैकिंग चाहे ओएण्डएम आफिसर करे चाहे विजिलेंस विंग करे, एक-एक हार्स पावर पर 80-80 हजार का जुर्माना लग रहा है। यह सारा कांग्रेस राज के द्वारा किसानों के लिए हुआ है, इसके कारण बड़ा भारी जुल्म हो रहा है।

अभी मेरे यहां गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में पिछली 22 तारीख को विजिलेंस चैकिंग में एक किसान को छह लाख का बिल आया तो मैंने यह बात डिस्काम के चेयरमैन और जोधपुर के एम.डी. को बतायी। मैंने कहा कि इस उपभोक्ता के 16 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है। उस खराब ट्रांसफार्मर के ऊपर छह-छह लाख की बिलिंग कांग्रेस राज में शुरू हुई। मैंने एम.डी. और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के नोटिस में बात डाली तो आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे को 18 दिसम्बर को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस राज में सिविल लाइबिलिटीज बिल जो इश्यू किया है, इसको हम विथड्रा करेंगे। यह इन लोगों की करतूत है कांग्रेस राज की। 80-80 हजार रुपये पर हार्स पावर, जबकि एडजोइनिंग स्टेट गुजरात में सिर्फ दो हजार रुपये का जुर्माना लगता है।

आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की सुराज संकल्प यात्रा 2013 में शुरू हुई तो उन्होंने बाड़मेर जिले के गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में आश्वासन दिया था कि सरदार सरोवर से नर्मदा नहर का जो पानी फालतू बह कर समुद्र में चला जाता है, 121 मीटर की हाइट के ऊपर उस पानी को मैं सांचोर, गुढामालानी और चौहटन विधान सभाओं में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराऊंगी। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के आदेशानुसार नर्मदा नहर की आथोरिटीज ने 1900 करोड़ की एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार की है। वो प्रोजैक्ट रिपोर्ट आदरणीय सिंचाई मंत्री डा. राम प्रतापजी के पास और मुख्य मंत्रीजी के पास उन्होंने सब्मिट कर दी है, मैं आदरणीय डा. राम प्रतापजी से निवेदन करूंगा कि उस रिपार्ट को आगे भेजें। जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसके स्कोप से वह बाहर है। वह पानी जो समुद्र में बहकर जा रहा है, वह सांचोर, गुढामालानी इन दोनों तहसीलों में, तीसरा चौहटन में बिना डिस्प्यूट के नर्मदा वाटर ट्रिब्यूनल से मिलेगा। इससे किसानों को सिंचाई में बड़ा जबरदस्त फायदा होगा।

(16.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हमारे सुखरामजी के पानी की बहुत बड़ी समस्या है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : इनके पानी का समाधान कर दें। बड़ी तकलीफ में हैं सुखरामजी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : मुझे बोलने दो। सांचोर मेरी होम तहसील है। हनुमान जी, आपके वहां मैं 5 साल एक्स ईएन रहा हूं, ऐसी क्या बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी खतम कीजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : आदरणीय वसुन्धराजी ने इस वित्तीय वर्ष में 40 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन का टारगेट दिया, इससे बाड़मेर जिले के किसानों को जबरदस्त फायदा हुआ। वे सारे कनेक्शन रबी का सीजन शुरू होने से पहले नवम्बर, दिसम्बर तक रिलीज हो चुके हैं। यह कांग्रेस के भाइयों को मैं बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार रात में 7 घंटे और दिन में साढ़े 6 घंटे बिजली और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 20 से 22 घंटे बिजली लगातार एक साल से मिल रही है। इसके लिए मैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट और ले लीजिए, फिर स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : हमारी सरकार ने मध्यकालीन एज के 19 महान संतों के नाम पेनोरमा घोषित किया था। पीपासर ग्राम में गुरु जाम्भोजी के जन्म स्थान पर वह पेनोरमा आदरणीय वसुन्धराजी के आदेशानुसार बनकर तैयार हो गया है। वसुन्धराजी ने धार्मिक रूप से उन 19 महान संतों का आदर बढ़ाया है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय विधायक, अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले के डोडा-पोस्त के बंधानियों के लिए एक "नया सवेरा" कार्यक्रम शुरू किया है। उसके लिए भी मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं, बंधानियों के लिए नया सवेरा कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त रूप से फायदेमंद होगा।

श्री अध्यक्ष : बस, एक मिनट और ले लीजिए।

श्री लादूराम (गुढामालानी) : आने वाले टाइम में ऐसे बंधानियों का नशा छूटेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री लादूराम (गुढ़ामालानी) : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : सोनारामजी के लिए भी बोलते रिफाइनरी के लिए। आपके क्षेत्र में रिफाइनरी खुल रही थी, आपने बोला था न उस वक्त। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष। आपको मुझे टोकने का मौका नहीं आए। यह मेरे ऊपर कृपा करना आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : थोड़ा ही बोलूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : 40-50 मिनट बोलिए। 40 मिनट हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : हमारी पार्टी के सुखरामजी बोलना चाह रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : फिर भी आपने विपक्ष का पूरा ध्यान रखा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है, उस चर्चा में आपने पूरा सहयोग किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं, आज से 14 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान की जनता के बीच में बैठकर एक लिखित घोषणा-पत्र दिया था और राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि यदि राजस्थान की जनता हमें सत्ता में बैठाती है तो आप लोगों को लिखित में घोषणा-पत्र जो दिया है और जो वायदे किए हैं, हम सत्ता में आने के बाद एक-एक वायदा निभाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। राजस्थान की जनता ने आप लोगों के बहकावे में आकर आपको एक स्पष्ट और प्रचंड बहुमत देकर राजस्थान की सत्ता सौंप दी। सत्ता में आने के बाद आज इनको 14 महीने हो गये हैं। एक साल का इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्होंने जयपुर में इसी जनपथ पर एक प्रश्न मनाया। इसमें 5-6 हजार बसे लगायीं राजस्थान रोडवेज की और 10 हजार से ऊपर छोटी गाड़ियां लगाकर आम जनता को यहां लेकर आये। आपकी आशा थी, आपने एक टारगेट रखा था कि लाखों की तादाद में जनता आएगी। यह कालीचरणजी सराफ का

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

स्टेटमेंट था कि राजस्थान की 4 लाख जनता उस फंक्शन में आएगी। जब जनता जनपथ पर आयी तो इन्होंने भव्य जश्न मनाया। राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई इन्होंने पानी की तरह बहाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस एक जनपथ को दिखाकर राजस्थान की जनता को ये बताना चाह रहे थे कि राजस्थान की सड़कें इस तरह की हैं। जनपथ को जिस तरह से धोया, उसके रंग-रोगन किया।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : जनपथ को देखकर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। इंटरप्ट नहीं करें। (व्यवधान) इंटरप्ट मत कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : राजस्थान की जनता को सपना दिखाया गया कि राजस्थान की सड़कें ये हैं। लेकिन मुझे कहते हुए दु:ख हो रहा है कि 14 महीने के कार्यकाल में राजस्थान की सड़कों की जो हालत हुई है, आज जगह-जगह गड्ढे पड़े हैं। आज जयपुर शहर के अन्दर जाते हो या जयपुर शहर के अलावा बाहर गांवों में भी आप जाते होंगे, गांवों की सड़कों की क्या हालत है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 14 महीनों के कार्यकाल में मैं यह कहना चाह रहा हूं, सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, यदि एक भी विकास का काम बताएं तो मैं मानूंगा...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) : राजस्थान में गौरव पथ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आपकी सदन की नेता को नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान) नहीं बोलने देंगे एक शब्द भी। (व्यवधान) एक मिनट भी नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये। बोलने नहीं देंगे? यह सदन मुझे चलाना है...(व्यवधान) मजाक है क्या?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको राजस्थान की जनता ने बहुत प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में बैठाया है।

श्री रमेश (सपोटरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष : नो, कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह कौनसी परम्परा हो गयी? चलते भाषण में पाइंट आफ इन्फार्मेशन? (व्यवधान) यह कौनसी परम्परा हो गयी?

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा) : कांग्रेस के पदाधिकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है...(व्यवधान) और लोगों को बेरहमी से मारा है...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह क्या बात हुई... (व्यवधान) चलते भाषण में कौनसा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है? (व्यवधान) यह कौनसी परम्परा है, कौन से नियम हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने विधायकों को सम्भालिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सब्जी मंडी थोड़े ही है, सदन है।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण हो रहा है और यह बार-बार उठकर डिस्टरबेंस कर रहे हैं। मुझे पसन्द नहीं है। आप अपना भाषण रखिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर के अन्दर यूथ कांग्रेस की तरफ से धरना दिया गया। हमने मांगें रखीं बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की। हमने उन मांगों को लेकर धरना दिया। प्रजातांत्रिक राज में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। वह अधिकार संविधान ने दिया है। प्रजातंत्र कायम होने के बाद में हम अपनी बात धरने, प्रदर्शन के तहत कह सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको अपनी बात कहने का अधिकार है और वही बात हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने कहने के लिए धरना और प्रदर्शन किया। बहुत ही शांति से धरना, प्रदर्शन हो रहा था। उस धरने, प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस की लाठियों और गोलियों का जिस तरह से आपने प्रयोग किया है यह निंदनीय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 के अन्दर आप सत्ता में आये थे, 5 साल आप सत्ता में रहे। कोई भी धरना, प्रदर्शन हुआ तो उसको पुलिस की लाठी, गोलियों से कुचलने का आपने काम किया। आपने रावला, घड़साना में देखा होगा। उस आंदोलन में टेल पर बैठा हुआ किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए पानी मांग रहा था। आज वही हालात यहां हो रहे हैं। उस टेल पर बैठे हुए किसान को सिंचाई का पानी तो बहुत दूर की बात, पीने का पानी भी आज की तारीख में नसीब नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को, माननीय नेताजी को, कि आप समय रहते उस पर काबू पाएं। ऐसी हालत, ऐसी स्थिति राजस्थान में दुबारा पैदा हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे गंग

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कैनाल सिस्टम हो, चाहे भाखड़ा सिस्टम हो, आज बीकानेर सम्भाग में 3 सिस्टम से पानी लगता है। सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है, उसके अन्दर आज हालात ये हो रहे हैं कि सिंचाई का पूरा पानी उस नहर में नहीं मिल रहा है। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है। सूरतगढ़, गंगानगर में सबसे बड़ी समस्या सेम की है। जब से आपकी सरकार बनी है, उसके 2 महीने बाद से सेम की समस्या के लिए वहां का किसान आंदोलनरत है। वह बैठा है वहां धरने पर कि सत्ता का कोई मंत्री या सत्ता का कोई नुमाइन्दा हमारे बीच में आकर बात करे। लेकिन मुझे बड़ा दु:ख है कि उन किसानों के बीच में जाकर सरकार का कोई भी नुमाइन्दा बात करने के लायक नहीं। बात कर नहीं सकता। आप में क्या हिम्मत नहीं है कि आप उनके बीच में जाकर बैठें कि आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत हैं? सेम की समस्या यदि सरकार चाहे, और सरकार की नैतिकता भी बनती है, सरकार जड़ मूल से सेम की समस्या को खतम कर सकती है। आपने देखा होगा, हम जब सत्ता में थे, हमने उसमें कोशिश की थी। काफी हद तक हमने कोशिश और मेहनत करके उस समस्या का समाधान किया है। लेकिन आज वह समस्या वापस वहां पैदा हो गयी है। उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि उसको देखकर सरकार का नुमाइन्दा वहां जाए और वहां किसानों के बीच में बैठकर किसानों की सेम की समस्या का समाधान करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अपन ऊर्जा की बात करें, बिजली की बात करें, राजस्थान के इतिहास में कभी एक साथ बिजली की रेटें इतनी नहीं बढ़ीं। आज एक रुपये यूनिट रेट बढ़ाने का मतलब 16 परसेंट से लेकर 19 परसेंट तक रेटें बढ़ी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को सोचना है कि किसान की क्या दुर्गति है। आज उस गरीब परिवार की क्या दुर्गति है। बिजली की दरों के अन्दर बी पी एल, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस परिवार को भी आपने बख्शा नहीं है, उसकी भी बिजली की रेट बढ़ाने का काम किया। किसान रो रहा है, उसको आप पूरी बिजली नहीं दे रहे हैं। आपके मेनीफेस्टो के अन्दर यह था। अभी सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमें 8 घण्टे बिजली मिल रही है, हमें गांव के अन्दर 24 घण्टे बिजली मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज कोई भी गांव में आप जाकर देखें, 10 या 12 घण्टे से ज्यादा लाइट नहीं मिलती, जो घरेलू कनेक्शन है। कृषि कनेक्शन की अपन बात करें, रात को मैं अभी मैं गया था जमवारामगढ़, वहां मेरे सामने किसान इकट्ठे हुए, मुझे उन्होंने कहा कि हम लोगों के कभी बिजली का कनेक्शन रात को नहीं चला। वहां जंगली जानवरों का प्रकोप है। 12 सालों के बाद में अभी रात को ब्लाक चला कर 6 घण्टे लाइट देने का उन्होंने कहा कि 6 घण्टे लाइट देंगे हम, रात को हम चलाएंगे। दिन

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 घण्टे से ज्यादा लाइट नहीं रहती। इन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम को बिलकुल बन्द कर दिया ताकि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम सुधरे। हमने 33 के जीएसएस बनाये। हमने 33 का अपग्रेडेशन किया 132 के अन्दर। 132 का अपग्रेडेशन किया 400 के अन्दर। आपकी सरकार आने के बाद आपने कम्प्लीट बिजली कम्पनियों को कह दिया कि जीएसएस बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की कम से कम तीन सौ, चार सौ फाइलें हैं, पड़ी हैं, उन्होंने कम्प्लीट मना कर दिया कि जीएसएस नहीं बनाना। जब तक बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम सही नहीं होगा, उसको हम सुधारेंगे नहीं, तब तक किसान को बिजली अपन सही मात्रा में और सही क्वालिटी की दे नहीं सकते। यह स्थिति आज राजस्थान के किसान की है कि किसान को 400 का वोल्टेज चाहिए, उस किसान को 150 या 200 का वोल्टेज मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वह किसान क्या करेगा? बिल उसका देखो। अभी आपके ही माननीय सदस्य बता रहे थे कि फ्लैट रेट का कनेक्शन है उस फ्लैट रेट के कनेक्शन पर उसका बिल आ रहा है, 6 लाख रुपये महीना। 6 लाख रुपये महीना, उसको ठीक करने वाला कोई नहीं। आप ए ईएन के पास जाएं तो वह एक्स ईएन को बता देगा और एक्स ईएन के पास जाओ तो वह एस ई को बता देगा। वह भटकता, भाड़ा लगाता हुआ, आखिर में पैसा भर नहीं सकता। यह हालत उस किसान की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की अपन बात करें, जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर व्यवस्था है, हमारे बीकानेर में नहरी इलाके में किसान कनेक्शन के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। जो आपके बिजली मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हम डिमाण्ड नोटिस भरने के बाद तीन महीने में कनेक्शन देंगे, तीन महीने के अन्दर। मैं कह रहा हूं, बिजली मंत्रीजी, आपके खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य बिजली मंत्री थे, वह सूझ-बूझ वाले व्यक्तित्य के धनी थे। उन्होंने मेहनत की हमें उस मेहनत का पता लगा। लेकिन उनका विभाग हटाकर दूसरे मंत्री को बैठा दिया। उनको पता नहीं बिजली के बारे में। आज उस किसान की बिजली की स्थिति मैं आपको बता दूं, मंत्रीजी, लाकर दूंगा, बिजली मंत्री यहां हैं नहीं। बिजली मंत्री नहीं हैं यहां...(व्यवधान) बिजली मंत्री नहीं हैं यहां। गरीब परिवार है मेघवाल, उसका डेढ़ साल से, माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नोटिस भेज दिया लेकिन उसका कृषि कनेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केस हैं, मैं आपको लाकर दूंगा, आप उस पर कोई कार्यवाही करेंगे। मेरे को ऐसे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्यवाही होगी। 6 और 8 महीने से हजारों कनेक्शन बिजली के पड़े हैं। उन्होंने पैसे भर दिये, पैसे भरने के बाद डिमाण्ड नोटिस भर दिया। डिमाण्ड नोटिस भरने के बाद वह आपके ए ईएन और एक्स ईएन के पास जाता है कि

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मेरे को सामान दो। क्योंकि इन्होंने एक सिस्टम कर रखा है, और वह सिस्टम सही है, कि आपका नम्बरवाइज कनेक्शन होगा। लेकिन तार और पोल में कोई नम्बर नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। खाली ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर लेने के बाद उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है फलां आदमी का कनेक्शन हमने कर दिया। लेकिन ट्रांसफार्मर इनके पास में नहीं। वह गया ए ईएन पास में, उसकी भेंट पूजा की। भेंट पूजा करने के बाद उसको एक बार देगा तार जो कण्डक्टर दे देगा उसको। वह किराये का ट्रैक्टर करके कण्डक्टर खेत में ले जाएगा। लेकिन क्योंकि पोल के बगैर कण्डक्टर लगाए कहां,फिर दुबारा आकर भेंट पूजा करेगा, फिर उसको पोल देंगे कि अब आप खड़ा करो और कण्डक्टर खींचो। फिर उसके ऊपर कई सामान लगते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय- उस पर इन्सुलेटर लगते हैं, उसको एंगल लगती है। मतलब वह हर चीज एक-एक बार में भेंट पूजा करके फिर उसके सामान देंगे। ट्रांसफार्मर उसको फिर भी नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह सारा सामान ले जाने के बाद अपनी लाइन खड़ी करेगा। लाइन खड़ी करने के बाद में क्योंकि उसके फसल का टाइम जा रहा है, लाइन खड़ी करने के बाद वह अपनी जेब के पैसों से ट्रांसफार्मर खरीद कर और वह ट्रांसफार्मर अपने खेत में लगाकर उसका कनेक्शन करता है। डिपार्टमेंट से कनेक्शन नहीं हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर देने को ही नहीं है। वह ऊपर नीचे करके इधर उधर पैसा लेकर ट्रांसफार्मर लगाता है और ट्रांसफार्मर लगाने के बाद में वह जोड़ता है। ए ईएन और एक्स ईएन को पता है कि हमने किस किसान को तार और पोल दिये हैं। जिसको तार और पोल दिये हैं, उनको पता है कि वह जेब से पैसे लगाकर ट्रांसफार्मर लगाएगा। उसके विजिलेंस जाती है और विजिलेंस जाने के बाद दस-दस लाख रुपए उस किसान के पैनल्टी लगाकर पकड़ा देते हैं। यदि वह नहीं भरता है पैसे तो उसका कनेक्शन काट देते हैं। हम सत्ता में थे, हमने यह व्यवस्था की थी। ट्रांसफार्मर की कमी थी, हमने किसान को कहा था कि आप ट्रांसफार्मर खरीद कर लगा लो। उसके पैसे बिल के हमने कम किये। या तो आप सामान दो। आठ महीने से वह किसान रो रहा है, उसको सामान देकर आप उसका कनेक्शन नहीं करवा सकते? ऐसी कोई न कोई बिजली की पॉलिसी बने ताकि किसान को राहत मिल सके। मैं विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं आज सदन की नेताजी से कि आप उनके बीच में बैठें, बिजली वालों के बीच में। एक तो लाइट उस किसान की, फ्लक्चुएशन होता है, उसको क्वालिटी अच्छी मिले, उसको 400 वोल्टेज पर पूरी बिजली मिले। लेकिन मुझे, माननीय सदस्य महोदय, ऐसा नहीं लग रहा है। 14 महीने निकल गये,14 महीने के अन्दर भी बिजली की व्यवस्था नहीं कर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

पाये। मैं बताना चाह रहा हूं कि बिजली की जो रेटें बढ़ी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा रेटें बढ़ाई हैं आपने राजस्थान की। पंजाब के अन्दर किसान को तो फ्री बिजली दे रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में किसान को फ्री बिजली दी जा रही है। फिर भी पंजाब के अन्दर बिजली में इतना घाटा नहीं है। 14 महीने के अन्दर कण्ट्रोल करना चाहिए था। मैं देख रहा था, तीन दिन से चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के अन्दर हर माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप सत्ता में थे, आपने यह भार बढ़ा दिया, हमने 15 हजार करोड़ रुपए छोड़े थे, आपने 72 हजार करोड़ रुपए कर्जा कर दिया, आप खा गए पैसा, आपने लूट-खसोट कर ली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्पनियों की आडिट होनी चाहिए। आप कम्पनियों की आडिट करवाओ, आपको पता लगेगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि समय पर आडिट होनी चाहिए। हमने गलतियां की हैं, हमने कोई कमियां छोड़ी हैं तो गलतियों और कमियों की वजह से आज हम इस साइड में बैठे हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो समय वह दूर नहीं है, तीन साल ही रहे हैं। कहीं आप यह कहो कि चार साल रहे हैं, तीन साल ही रहे हैं। तीन साल के अन्दर यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको वापस लौटा सकती है। लेकिन मुझे यह नहीं लगता। तीन साल के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके 14 महीने की जो कार्यशैली रही, जो वर्किंग स्टाइल रही, उससे मिनी बस में आप इधर आएंगे। हम भी आये थे मिनी बस में, वैसे ही हम उधर आएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम मिनी बस में आये 21 आदमी। 21 आदमी की मिनी बस आती है, मिनी बस के अन्दर हम आये। लेकिन आप यदि इस तरीके से चलोगे तो...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जोंगा में आएंगे।

श्री अध्यक्ष : शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : बिजली की स्थिति तो जैसी है, आपने 24 घण्टे व 8 घण्टे का कहा, मुझे नहीं लगा। आप बता दें कि 8 घण्टे बिजली किसान को दे रहे हैं, 24 घण्टे उसको दे रहे हैं। आज लाखों घरेलू कनेक्शन पड़े हैं जिनको आप समय पर कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। एग्रीकल्चर कनेक्शन पड़े हैं। आपके पास में जिस तरीके का संसाधन, जिस तरीके से आपका सोच है, वह आम गरीब किसान और आमजन के हित में नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

आज चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा मंत्रीजी विराजे हुए हैं। स्वाइन फ्लू के

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मामले में चर्चा हुई। उसमें स्थगन प्रस्ताव भी लगा, उसमें हमने चर्चा भी की। राजस्थान के अन्दर उस समय तो 225 थे, लेकिन आज की तारीख में 278 से ज्यादा मौतें स्वाइन फ्लू से हो गयीं। वापस सर्दी आ गयी। मंत्रीजी इंतजार कर रहे थे कि गर्मी आएगी और स्वाइन फ्लू का वायरस गर्मी में अपने आप खतम हो जाएगा। आप क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको खुद को कंट्रोल करना चाहिए। राजस्थान की जनता के सामने एक बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, उस महामारी को कंट्रोल करने के लिए आप बंद कमरों में, काले कांचों के अन्दर बैठकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हो। मीटिंग करने के बाद जो आप आदेश और निर्देश देते हो, उन आदेश और निर्देशों की कोई पालना नहीं होती। ये आन दी रिकार्ड 278 हैं, लेकिन आफ दी रिकार्ड अपन बात करें तो आफ दी रिकार्ड हजारों की तादाद में राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौतें हुई हैं। आज किसी भी हास्पिटल में चले जाओ, डाक्टर्स की भारी कमी है, एएनएम की भारी कमी है। आप बता रहे थे कि हम 54 हजार मेडिकल में पद भरेंगे। जिस तरीके से हालात इनके अभी हैं, मैं बीकानेर हास्पिटल की बात करूं, पीबीएम हास्पिटल इतना बड़ा हास्पिटल है, उसके अन्दर आप जाकर देखो, डाक्टर्स की स्थिति क्या है, एएनएम की स्थिति क्या है। वहां कोई सम्भालने वाला नहीं है। मैं पिछली बार चर्चा के अन्दर बता रहा था, मेरे खुद का रिश्तेदार उस हास्पिटल में गया, उसे शंका हुई कि मुझे चैक करवाना चाहिए कि कहीं स्वाइन फ्लू तो नहीं है। मैं कह रहा हूं, मुझे कहते हुए शर्म आती है, वह हास्पिटल के अन्दर गया, वहां जाकर डाक्टर से मिला, मिलने के बाद डाक्टर ने बताया कि इस कमरे के अन्दर जाओ, वहां डाक्टर मिलेंगे। वह वहां गया तो उसने बता दिया कि वहां से पर्ची बनाकर लाओ। पर्ची बनाकर लाये तब आगे कमरा बता दिया कि वहां आपको डाक्टर मिलेगा। वहां न कोई डाक्टर, न कोई बात। तब वह सुपरिंटेंडेंट के पास गया। सुपरिंटेंडेंट ने सीधे डाक्टर को टेलीफोन कर दिया, वहां कोई डाक्टर मिला नहीं। वह दु:खी होकर आ गया। आकर उसने दूसरी जगह प्राइवेट में चैक कराया। यह स्थिति आपकी इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, हास्पिटल की स्थिति है। आज अपन पोस्टों की बात करें...(व्यवधान) जोधपुर में आपके समय के अन्दर गायों के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिये, पशुओं के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : पशुओं के इंजेक्शन आदमियों के लग रहे हैं, यह व्यवस्था भी आपने कर रखी है। मैं बताना चाह रहा हूं, इनके डाक्टर्स की स्थिति क्या है। सारे मिलाकर करीब 65 हजार पद खाली पड़े हैं एएनएम के, डाक्टर्स

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

के। वरिष्ठ डाक्टर्स की सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं। फिर कहां व्यवस्था करोगे? अभी आपने कहा कि 50 हजार भर्ती कर लेंगे। आपको 14 महीने तो हो गये, 14 महीने के अन्दर एक भी भर्ती नहीं हुई। आपने मेनिफेस्टो के अन्दर रोजगार को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की। हमारे राजस्थान का जवान है, जो पढ़ा-लिखा बेरोजगार था, वह इनके बहकावे में आया। मैं बताना चाहता हूं कि 80 परसेंट राजस्थान का यूथ और जवान पढ़ा-लिखा है, उसने आपको वोट किया कि सरकार आएगी। 15 लाख नौकरियों का इन्होंने कहा कि हम आते ही 15 लाख नौकरियां लगाएंगे। नौकरियों के झांसे में आकर, रोजगार के झांसे में आकर उस यूथ ने बढ़-चढ़कर आपको वोट दिया। उसने मेहनत की, रात-दिन एक करके कोशिश की और आपको सत्ता में बिठाया। सत्ता में आने के बाद कहां गयीं 15 लाख नौकरियां? एक नौकरी इन 14 महीने के अन्दर नहीं लगी। जो हमारी भर्तियां निकाली हुई थीं, हमारे द्वारा सवा लाख-डेढ़ लाख भर्तियां निकाली हुई थीं, उन भर्तियों के अन्दर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। माइनिंग वाले रो रहे हैं, हजार नौकरियां निकाली थीं। यहां विधान सभा के बाहर देखो, वे भटक रहे हैं। जो बेरोजगार युवक हैं, जवान हैं, वे भटक रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकालो। कोई रिजल्ट निकाला तो उसको रोक लिया, पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। यह हालत आपकी है, इस हालत को सुधारने की कोशिश करो। आप वायदों पर बिलकुल खरा उतरो। 15 लाख नौकरियों की बात करो, वह युवा भटक रहा है। मोदीजी आज देश के प्रधान मंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर हैं। उस सर्वोच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति यदि हिन्दुस्तान की जनता के बीच में बैठकर एक असत्य बात कहे? लोगों को बरगलाने और ठगने के लिए उन्होंने बात कही कि हम सत्ता में आने के बाद हिन्दुस्तान का जो कालाधन है, वह हिन्दुस्तान का कालाधन हम लाकर एक-एक के खाते में 15-15 लाख रुपये भेजेंगे। यह कहा या नहीं आपने? 15-15 लाख रुपया भेजने का कहा। जो गांव का गरीब है, उसको उन्होंने सपने दिखा दिये। उसको रात को सपने आते हैं कि मोदीजी वाले 15 लाख रुपये कब आएंगे और मेरे खाते में आने के बाद मैं उन 15 लाख रुपयों को कहां-कहां लगाऊंगा। उसको सपने आने लग गये। रात को नींद बेचकर ओजका लेने गया वह। मोदीजी ने उसके खाते खुलवा दिये। खाते खुलवाने के बाद वह सुबह पहली बस में गांव से जाता है, बैंक में जाता है और मैनेजर को पूछता है कि मैनेजर साहब, मोदीजी ने 15 लाख रुपये भेजे हैं, वे मेरे खाते में आये क्या? वह मैनेजर कह रहा है कि भाई, क्यों फालतू बस में भाड़ा लगाते हो, आपकी आंखों में आंसू भले ही आएं, वे मोदी जी वाले 15 लाख रुपये आपके खाते में आज आएं न कल आएं। यह स्थिति उन्होंने कर दी। भय और भ्रष्टाचार की बात की। रोजगार की बात की। (व्यवधान) उन सारी बातों पर ये बिलकुल नाकारा साबित हुए।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आज राजस्थान के विकास की बात करें। ठेठ ढाणी में बैठा हुआ हमारा गरीब खेतिहर मजदूर है, उसको नरेगा से भी काम मिलता था। आज नरेगा की क्या हालत है? आज कोई भी पंचायत के अन्दर नरेगा का काम नहीं चल रहा है। आज नरेगा के हिसाब से देखें तो जीरो है, 14 महीने आपको हो गये।

गौरव पथ की बात कर रहे हैं कि हमने गौरव पथ बना दिये। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक भी गौरव पथ चालू नहीं हुआ। उससे पहले नरेगा के अन्दर हमने हजारों किलोमीटर जैसे आपके गौरव पथ हैं उससे अच्छे पथ गांवों के अन्दर बना दिये। आप किसी गांव के अन्दर जाकर देख लें, आपको वहां सीसी रोड मिलेगी, वाल टू वाल। मैं कई बात बताऊंगा, मेरे यहां बीकानेर में आप चलें, उन गांवों के अन्दर…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : 4-5 गांवों के नाम बता दो, देख तो आएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, विराज जाइये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : 4-5 का नहीं, मैं 50 गांवों के नाम बता दूं। आप मेरे साथ चलना, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान) गांवों के अन्दर इस नरेगा के अन्दर सारे बन चुके। गौरव पथ की आप बात कर रहे हो, सीसी रोड इस नरेगा से कम्प्लीट बन गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थीं, महामहिम के अभिभाषण में भी लिखा हुआ था कि हमने स्कूलें क्रमोन्नत कीं, हमने स्कूलों में यह किया। अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया और 60 साल में सिर्फ 12 स्कूलें क्रमोन्नत हुईं। यह इस प्रोसीडिंग में है कि 12 स्कूलें क्रमोन्नत हुईं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर यदि शिक्षा में कोई नई क्रान्ति हुई और शिक्षा में इतिहास किसी ने रचा है तो कांग्रेस पार्टी ने रचा है जब हम सत्ता में थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान की जिन ढाणियों में हमें 20 बच्चे भी पढ़ने वाले मिले तो उन 20 बच्चों के लिए भी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने का हमने काम किया और राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सत्ता में आने के बाद आपने 17 हजार स्कूलें बन्द कर उन गांव और ढाणी के बच्चों पर एक कुठाराघात करने का काम किया है, जिसके लिए यह जनता आपको आने वाले समय में बख्शेगी नहीं। आपने 17 हजार स्कूल बन्द कर दिये। फिर आप पोस्टों की बात कर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

रहे हैं कि पोस्टें सरप्लस हो गयीं। शिक्षा मंत्री माननीय कालीचरणजी थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में 50 हजार टीचर सरप्लस हैं। यह आपने कहा था कि 50 हजार टीचर सरप्लस हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्कूलें खाली पड़ी हैं। इन्होंने सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर दीं और सीनियर सैकण्डरी स्कूल करने के बाद आज कह रहे हैं कि टीचर लग रहे हैं, आज प्रिंसिपल लग रहा है पर एक भी स्कूल के अन्दर प्रिंसिपल नहीं है। स्कूलों के हालात ये हैं कि कई-कई स्कूलों में मात्र एक शारीरिक शिक्षक, पी.टी.आई. 10वीं की स्कूल चला रहा है। आपको व्यवस्था करनी है शिक्षा के क्षेत्र में। हम चाहते हैं कि आप उन स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करो, शिक्षा का एक अच्छा माहौल बनाओ। आज प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 50-55 हजार प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं। मैं गांव में जाता हूं तो गांव में एक लड़का प्राइवेट स्कूल लिये हुए बैठा है और 4-4, 5-5 गवर्नमेंट की स्कूलें हैं। लेकिन ढाणी में जो कुण्डे डाल रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी करने वाला आदमी भी उस गवर्नमेंट की स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि वहां मास्टर है नहीं, बिठाने वाला कोई है नहीं। एक मास्टर आता है तो वो गेट के आगे बैठा रहता है कि उन बच्चों को सम्भालना है। उसके अलावा कोई काम नहीं करता है। वो एक ही मास्टर है। वो जो मजदूरी करने वाला है वो भी फीस देकर प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहा है कि बच्चे को शिक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलेगा। उसकी ऐसी इच्छा है सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखकर। इसलिए आपको उसमें व्यवस्था करनी चाहिए। हम सब लोगों का दायित्व बनता है जो हम सदन में बैठे हैं। राजस्थान की जनता ने हमको चुनकर भेजा है तो हमारा फर्ज और दायित्व है कि चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे चिकित्सा की बात करें, चाहे राजस्थान के अन्य विकास की अपन बात करें, इन विकास के मुद्दों पर हमें एक होकर और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। हमारा दायित्व है और उस दायित्व का हमें समय पर निर्वाह करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि हम 50 हजार से ऊपर टीचर, आप जल्दी से जल्दी भर्ती करो...

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : मैंने कब कहा?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : आप नहीं, आपके पीछे देवनानीजी बैठे हैं। देवनानीजी बैठे हैं आपके पीछे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : मैंने कब कहा? आपको सपना तो नहीं आया। रात को सपने आ रहे थे क्या? दिन में तो सपने मत देखो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : भर्ती करने का नहीं कहा आपने?

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : 50 हजार टीचर सरप्लस हैं, यह कब कहा मैंने? कहीं नहीं कहा। आप गलत कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : देवनानीजी, आपने भर्ती करने का नहीं कहा? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : तो भर्ती नहीं करोगे?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : भर्ती तो कर रहे हैं, आपने तो एक भी भर्ती नहीं की। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : आपने यह कहा कि मैंने यह कहा कि 50 हजार टीचर सरप्लस हैं, सरप्लस कहां हैं? हम तो भर्ती करेंगे,कमी है, यह कहा मैंने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : उधर तो देवनानीजी कह रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे ही नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपको तो दिन में सपना आता है, मैंने तो कभी नहीं कहा। हम तो भर्ती कर रहे हैं। अभी हम रीट की परीक्षा बहुत जल्दी आयोजित कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : भर्ती कर रहे हो न?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : हां।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : आप कह रहे हो न कि हम नहीं कर रहे हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास) : सरप्लस होंगे तो भर्ती कैसे करेंगे? आप बताओ न। खाली होंगे तभी तो भर्ती करेंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : यह तो आप कह रहे हो कि सरप्लस हैं। आपके द्वारा कहा गया है 17 हजार स्कूलें बन्द करने के बाद। 17 हजार स्कूलें बन्द करने के बाद में कहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : मर्ज हुए हैं, बन्द नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, शांत रहिये। विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : 17 हजार स्कूलें बन्द करने के बाद में आपने यह कहा है कि हमारे 50 हजार टीचर सरप्लस हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बात के बाद अब मैं कानून व्यवस्था पर आ रहा हूं। कानून व्यवस्था की अपन बात करें तो राजस्थान में आज कानून-व्यवस्था बिलकुल चौपट हो गयी, कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बताना चाह रहा हूं, सदन की नेता एक महिला हैं और महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में आप मीडिया के मार्फत देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि आये दिन गैंग रेप हो रहे हैं, महिलाएं अकेली बाजार नहीं जा सकतीं, महिलाएं अकेली मंदिर दर्शन के लिए नहीं जा सकतीं। आये दिन चेन स्नेचिंग हो रही हैं, आये दिन महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। उसके बारे में आपका कुछ कहना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चोरी और डकैती की इतनी घटनाएं बढ़ी हैं। पहले होम मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे थे कि हमारी क्राइम रेट कम हुई है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप कहीं भी उठाकर देख लें, जो आंकड़े हमारे पास आये हैं उनमें 25 प्रतिशत से ऊपर क्राइम रेट बढ़ी है। चाहे आप चोरी-डकैती की बात कर लो तो आज गांवों के अन्दर चोरियां होने लग गयी हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से एफ.आई.आर. दर्ज करने वाला नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैं बिलकुल सही कह रहा हूं, गाड़ी चोरी होती है, आज घर के आगे से गाड़ी चोरी हो गयी, वह पुलिस थाने एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए जाता है तो उसकी एफ.आई.आर. लाज नहीं होती। वो एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते और कहते हैं कि आप तो झूठ बोल रहे हो, गाड़ी चोरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं, ऐसे सैकड़ों केस हमारे सामने आते हैं कि साहब, आप थाने टेलीफोन करो क्योंकि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करते हैं। मैंने पूछा, आप एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करते? तो थानेदार का जवाब आ रहा है कि हम एफ.आई.आर. लाज करें तो यह 10 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, हमारे महीने या एक साल का पूछा जाता है कि इतनी चोरियां हो गयीं तो आप क्या कर रहे थे, उसके माइनस पाइंट होते हैं। इसलिए वो दर्ज ही नहीं करते हैं। माननीय मंत्रीजी, यह स्थिति है। माननीय मंत्रीजी, आप भले और अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच के हैं, इसलिए आपका हमेशा ही रहता है कि होम मिनिस्टरी अच्छे तरीके से चले, पुलिस प्रशासन अच्छे तरीके से चले। लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादार मेहनत और कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें तो एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। आपने देखा होगा, 20 फरवरी, 2015 को जयपुर में एक शादी हुई थी, अखबार में आया था, करणी सिंह पुत्र राणा हमीर सिंह, इनके बारात आयी थी पाकिस्तान से। आपके कानोता ठाकुर साहब के बारात आयी थी। उस बारात के अन्दर पाकिस्तान का एक धर्म गुरु पीर सैयद ताज हुसैन जिलानी, अखबार और टी.वी. पर भी आया था, वो धर्म गुरु जिलानीजी यहां उस शादी में आये थे। उनका जयपुर तक

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

का वीजा था। उनको वीजा आपके सत्ता पक्ष के उन्होंने ही दिलाया। अखबार में आया था, टी.वी. में भी आया था कि उनके वीजा के लिए +++ ने सिफारिश की थी। वो वीजा लेकर यहां जयपुर आये। जयपुर आने के बाद में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे मुरीद जैसलमेर और बाड़मेर में हैं। वैसे गृह मंत्रालय के द्वारा जो वीजा दिया जाता है उस वीजा में जहां का वीजा होता है, उस एरिया को छोड़कर वो बाहर कहीं नहीं जा सकता। और पाकिस्तान का है तो विशेष तौर से उसमें पुलिस प्रशासन और कानून-व्यवस्था ध्यान में रखती है। उन्होंने इच्छा जाहिर की और आपके वहां के बी.जे.पी. के कार्यकर्ता और कांट्रेक्टर हैं +++ उन्होंने आकर +++ से निवेदन किया कि आप उसमें सिफारिश करके वो जो धर्म गुरु हैं, उनको बाड़मेर भिजवाओ। आपने सिफारिश की और सिफारिश करने के बाद वो बाड़मेर में जाकर, यह कहीं हिन्दुस्तान के कानून में नहीं लिखा हुआ, वह जाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर वहां मीटिंग कर रहा है। मतलब वह पाकिस्तान का आकर, जो बार्डर इलाका लगता है पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान के बार्डर इलाके पर जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, उस प्रतिबन्धित एरिया के अन्दर पाकिस्तान का आकर वहां मीटिंग करना 10,000 आदमियों के बीच और यह ऐलान करके जाता है कि भाइयों, आप इस आने वाले समय में, क्योंकि यह +++ बीजेपी का कार्यकर्ता है और +++ को आने वाले समय में आप एक-एक वोट देकर यह एहसान उतारने का काम करना आप लोग। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) : काहे के साम्प्रदायिक और काहे की धर्मनिरपेक्षता रखते हो आप? यह धर्म निरपेक्षता है आपकी? (व्यवधान) यह धर्मनिरपेक्षता है कांग्रेस की? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मतलब यहां जो कानून है, उस कानून की धज्जियां उड़ गयीं। कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। यह आपका जीता-जागता उदाहरण है। यह आपने अखबार के अन्दर भी देखा होगा, टीवी के अन्दर आया। क्या किसी ने यह पूछा कि आप कैसे वहां मीटिंग कर सकते हो? (व्यवधान) पाकिस्तान का एक आदमी आकर उस प्रतिबन्धित एरिया में आकर वहां मीटिंग कर रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : आप नाम लेकर नहीं बोल सकते। आप नाम लेकर नहीं बोल सकते। (व्यवधान) आप नाम लेकर नहीं बोल सकते। नहीं, नहीं, नहीं, आप नाम लेकर नहीं बोल सकते। नेता प्रतिपक्ष बोल सकते हैं। नाम लेकर नहीं बोल सकते।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : रामेश्वरजी, मेरी बात सुनो। रामेश्वरजी, रामेश्वरजी, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मैं यह कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) कांग्रेस के राज में हिन्दुस्तान में...(व्यवधान) रामेश्वरजी, कांग्रेस के राज में हिन्दुस्तान में कितने बंगलादेशी घुसे हुए हैं बिना वीजा के? (व्यवधान) ये तो बीजा लेकर आये हैं। पूरे हिन्दुस्तान में पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। (व्यवधान) इनको बोलने का अधिकार ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। यह जो पुस्तिका आपने हमें दी है, इस पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है कि अखबार के माध्यम से कोई बात नहीं उठायी जा सकती। अगर कोई प्रमाणित तथ्य है प्रतिपक्ष के नेता के पास में, तो टेबल करें न। आप आये और अखबार की एक न्यूज के आधार पर आपने लम्बा-चौड़ा भाषण करके नाम इंगित करके कह दिया कि इस प्रकार का वीजा एक्सटेंड किया गया। यह आपने पुस्तक दी है, इस पुस्तक में लिखा है कि अखबारों को उद्धृत करके सदन में कोई बात नहीं उठायी जा सकती। एक्सपंज कराएं, अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है आपसे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या वहां पर मीटिंग नहीं हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मीटिंग की सूचना अखबार के माध्यम से मिली, यह हम मानते हैं, लेकिन उस मीटिंग के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : अखबार के माध्यम से या आपकी जानकारी के माध्यम से हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ...बाड़मेर के सैकड़ों लोग थे। सैकड़ों लोग थे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : आपके पास प्रमाण है क्या

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : टेबल कराइये न, अध्यक्ष महोदय। यह कोई बात हुई, अध्यक्ष महोदय।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, आपके पास कोई प्रमाण है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : यह गरिमापूर्ण सदन है। यह नियमों से चलेगा। (व्यवधान) आप टेबल कराइये न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अखबार के माध्यम से शब्द हटाया जाए। कृपया आप चालू रखें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पास क्या प्रमाण है, पहले वह सदन की टेबल पर रखवाया जाए। आपके पास बोलने के पहले क्या प्रमाण है? (व्यवधान) आपने कोई आरोप लगाया है, उसके बारे में कोई गम्भीर आरोप हो तो आप प्रमाण बताएं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : आपके पास में पूरा प्रशासन है। आप इसकी जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास) : ...अधिकारी की देखरेख में भागचन्दजी की कोठी में जो धर्म गुरु की मीटिंग करायी थी, वह आपने किन कानून और नियमों के तहत करायी थी? (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी, आप इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस के शासन में दिसम्बर के ही महीने में किसी धर्मगुरु की मीटिंग करायी गयी थी प्रोटोकोल अधिकारी के नेतृत्व में, वह किन नियमों और कानूनों के तहत आपने करायी थी? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इसकी जांच करवा लो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अध्यक्ष महोदय और इतनी जिम्मेदारी के पद पर होते हुए भी बिना आधार की बात कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं निवेदन करना चाह रहा हूं... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : मंत्रीजी, मंत्रीजी बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, जयपुर का वीजा लिया हुआ, वह कैसे बाड़मेर चले गये? बाड़मेर जाने के बाद मीटिंग हुई है तो उसकी जांच करा लो। (व्यवधान) हमने यह निवेदन कर दिया। धर्गगुरु, ये धर्मगुरु, पाकिस्तान का धर्मगुरु आता और वह आकर मीटिंग कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। (व्यवधान) कि आने वाले समय में...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) :10,000 आदमियों का सम्मेलन कर सके थे। 10,000 आदमियों का सम्मेलन करके गये थे अजमेर में। (व्यवधान) अशोकजी गहलोत के राज में। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एव बाल विकास) : मैं समय बताती हूं और जगह भी बताती हूं और नाम नहीं बताती हूं, आपने कैसे करायी उसे, वह बताओ आप? (व्यवधान) वह अजमेर में आये थे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : भारतीय जनता पार्टी के लोग... (व्यवधान) उन्होंने इनको मैसेज करके भेजा और वहां जाकर उन लोगों को फिर ठगने का काम किया। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बंगलादेशियों को वोट बैंक किसने बनाया? आसाम में बनाया, पूरे हिन्दुस्तान में बनाया, यह कांग्रेस ने बनाया। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं आज की बात कर रहा हूं।कांग्रेस ने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। मैं चर्चा कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : अब आप कितना समय लेंगे? 45 मिनट हो गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : ...आज के समय में जो हो रहा है, वह हम आपके ध्यान में ला रहे हैं, आप उसकी जांच करवाओ। उसकी जांच करवानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप 45 मिनट ले चुके हैं, कितना और लेंगे? 45 मिनट आप ले चुके।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : ...कांग्रेस का शासन था, आप कहां गये थे उस टाइम में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार सचेतक से पूछ रहे हैं, आप सचेतक को ही आगे ले लीजिये। सचेतकजी आपको बार-बार गाइड कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिये आपकी जगह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी का जवाब आने तक और प्रस्ताव पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय बढ़ाया जाता है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं बोल लूं पांच मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, डीजल और पैट्रोल की बात करूं, आज राजस्थान के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : आप यह बात करके 50 मिनट तक बोल लीजिये,45 मिनट हो चुके हैं। और आप अपने पाइंट्स रख दीजिये जो रखने हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : एक घंटा दिया हुआ था। माननीय सदन की नेता पांच बजे बोलेंगी, पांच बजे रिप्लाई करेंगी।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा था, 45 मिनट हो गये हैं। अच्छा आप बोलिये। बोलिये, बोलिये। पांच बजे ठीक बंद कर देना आप। हां, बोलो आप। मुझे कहना नहीं पड़े।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोल डीजल की बात करूंगा। जिस तरीके से डीजल और पैट्रोल के भाव बढ़े हैं, एक तरफ अपन महंगाई की बात कर रहे हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे। अन्तरराष्ट्रीय बाजार की जो रेट है, उसमें डीजल की रेट तय की जाती है, डीजल और पैट्रोल की रेट तय की जाती है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर 118 डालर और 120 डालर पर बैरल था क्रूड आयल, उस समय में यहां डीजल की क्या रेट थी? और आज जब 55 डालर से कम क्रूड आयल की रेट हो गयी, 55 डालर से कम होने के बाद डीजल 50-60 प्रतिशत से भी कम होना चाहिए। 30 रुपये से कम डीजल की रेट होती तो कुछ महंगाई पर काबू होता। लेकिन सरकार ने अपना खजाना भरना चालू किया। डीजल पर चार रुपये वैट लगाकर, सैस लगाकर डीजल की रेट वापस बढ़ा दी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब कोई आपसे दूर नहीं है। गंगानगर से पांच किलोमीटर अन्दर गये और पंजाब की सीमा आ गयी। पंजाब के अन्दर आठ रुपये, साढ़े सात रुपये लीटर डीजल की रेट में अंतर है। राजस्थान की सीमा में आओ और आप पंजाब की सीमा में जाओ। हरियाणा के अन्दर छह रुपये लीटर का और पंजाब के अन्दर साढ़े सात रुपये लीटर का अंतर है। उसमें भी आपको सोचना चाहिये। आपने किया क्या है जनता के ऊपर भार डालने के अलावा? जनता के ऊपर बोझ डालने के अलावा आपने 14 महीनों के अन्दर कुछ नहीं किया, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

आज अपन कृषि की बात करें। बहुत बड़ी इसके ऊपर बात भी हुई। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया। मंत्रीजी बता रहे हैं कि हमारे उस इलाके के अन्दर 30 प्रतिशत खराबा हुआ। दूसरे कृषि मंत्रीजी बता रहे हैं, गेहूं के अन्दर पांच प्रतिशत, चने के अन्दर 10 प्रतिशत, ईसबगोल के अन्दर 15 प्रतिशत। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि बरसात के चलते किसान के सामने स्थिति भयावह हो गयी, सही तरीके से गिरदावरी करवाकर और उसका सही आकलन कर जो फसल की बर्बादी हुई है, उस फसल की बरबादी का समय रहते किसान को मुआवजा देना चाहिये।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

किसान विरोधी होने के बारे में मेरी बात हो गयी कि सरकार पूरी किसान विरोधी है। किसान के हित में इन्होंने 14 महीनों के अन्दर एक फैसला नहीं किया। आप बता दें कि हमने यह किसान के हित में फैसला लिया है। हम डेढ़ लाख रुपये उस किसान को बिना ब्याज के पैसा देते थे। कांग्रेस की, हमारी सत्ता की फ्लैगशिप योजनाओं की अपन बात करें, उन जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें तो काफी लम्बा समय लगेगा। मैं मोटी-मोटी योजनाओं के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं। किसान की बात करें तो किसान को हम डेढ़ लाख रुपये ऋण बिना ब्याज देते थे। किसान को तीन लाख रुपये उसके खेत में डिग्गी बनवाने के लिए देते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अपने खेत के अन्दर यदि खुद मेहनत करके डिग्गी बनाता था तो उसी साइज की डिग्गी तीन लाख रुपये में किसान अपने खेत में बना लेता था।

सोलर पावर की बात करें। अपन यह बात कर रहे थे कि राजस्थान हब है सोलर पावर का। अभी पीछे एमओयू भी हुआ था। आपका अडाणी के साथ में हुआ, रिलायंस के साथ में हुआ और उसमें यह बताया कि हम 20,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और हम 15,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। पता नहीं, कब करेंगे? मैं तो यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ जमीन के लिए होगा। जमीन ली और एक मेगावाट भी यदि अडाणी और रिलायंस इन पांच सालों में पैदा करके बता दें तो हम मान जाएंगे कि आपने वास्तव में पावर सैक्टर में काम किया है। मुझे नहीं लगता, जो एमओयू हुआ है उसके अनुसार काम होगा।

हम सोलर पम्प की बात कर रहे थे। किसान तीन एचपी और पांच एचपी के सोलर पम्प से डिग्गी के अन्दर लाइट की कमी की वजह से वह अपना स्प्रिंकलर चलाता था। डिग्गी में नहर से पानी भरकर फिर तीन एचपी और पांच एचपी से स्प्रिंकलर चलाता था। उसको हम 86 प्रतिशत सब्सिडी देते थे। उसको आज 50 और 60 प्रतिशत कर दिया गया। डिग्गी पर आपने तीन लाख रुपये की जगह डेढ़ लाख रुपये और बिना ब्याज के आपने एक पैसा दिया नहीं, एक पैसा। (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि किसान की हितैषी जो योजना है, उसमें आप उसको बिना ब्याज पैसा दो और डिग्गी की रेट आप बढाओ। सोलर पम्प जो है उस पर वापस सब्सिडी करें। बजट नौ तारीख को पेश करेंगी आप, उसमें यह व्यवस्था करें। आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, उस किसान की मजबूरी है। उस मजबूरी को समझते हुए किसान की जितनी आप मदद करो, वह भी कम है।

मैं पेंशन और आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं की और बात करना चाहता हूं। आज हम पेंशन की बात कर रहे थे और माननीय मंत्री महोदय ने बताया था। पाली की बात चल रही थी, उस टाइम पर आपने यह कहा कि पेंशन समय पर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

मिल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस स्कीम को बन्द भी नहीं कर रहे हैं और उसको सही तरीके से चला भी नहीं रहे हैं। आज आप फ्री दवाइयों की बात कर लें। हमने हास्पिटल के अन्दर 600 प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था की थी, आपके आते ही आपने साढ़े छह हजार जो फार्मासिस्ट थे, फ्री मेडिसिन के अन्दर जो मैन पावर लगा हुआ था, उस मैन पावर को आपने घर भेजने का काम किया है। 25 हजार से ऊपर विद्यार्थी मित्रों को आपने घर भेजने का काम किया है। जो कम्प्यूटर शिक्षक लगे हुए थे, उनको भी आपने घर भेजने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो साढ़े सात हजार फार्मासिस्ट लगे हुए थे, उनको सीधे्रघर का रास्ता दिखाने का काम किया है। आज 60 प्रकार की दवाइयां दे रहे हैं ये लोग अस्पताल के अन्दर। हम 600 प्रकार की दवाइयां देते थे, ये 60 दवाइयों के अन्दर आ गये। न तो जीने देते हैं और न मरने देते हैं। यह स्थिति हमारी योजनाओं की इन्होंने कर दी।

बाड़मेर रिफाइनरी की अपन बात कर लें। कितना बड़ा इन्वैस्टमेंट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी अडाणी को बुला रहे हैं, आपके रिलायंस वाले को बुला रहे हैं, टाटा वाले को बुला रहे हैं। यह कारपोरेट घरानों की पार्टी है और कारपोरेट घरानों के बीच में रहकर आप प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं। यह प्रदेश न आज आपके कहने से चलेगा और न कल चलेगा। यह प्रदेश किसान और उस गरीब आदमी से चलेगा, उसका सम्भालने की जरूरत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में कि राजस्थान के इतिहास के अन्दर चालीस हजार करोड़ का एक साथ इन्वैस्टमेंट आना चाह रहा था। उसमें हमारे पढ़े-लिखे लाखों जो जवान थे, बेरोजगार थे, उनको नौकरियां मिलतीं। एक तरफ बाड़मेर रिफाइनरी का चालीस हजार करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट और दूसरी तरफ दस-दस हजार करोड़ को आप ला रहे हो हाथ जोड़-जोड़कर। उस रिफाइनरी को आप चालू करें, उसमें चालीस हजार करोड़ रुपये का इन्वैस्टमेंट होगा और लाखों हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी। उसको भी इन्होंने ठण्डे बस्ते में डाल दिया।

आज मैट्रो की बात करें। उस समय आपकी तरफ से कहा गया कि यह तो अनवायबल प्रोजैक्ट है। जयपुर की जनता का एक ड्रीम प्रोजैक्ट था, उस ड्रीम प्रोजैक्ट को इन्होंने अनवायबल बता दिया। (व्यवधान) भ्रष्टाचार इनके कारपोरेट घरानों में हो रहा है। हमने बाड़मेर रिफाइनरी लगायी, हमने एचपीसीएल के साथ में एग्रीमेंट किया। वह गवर्नमेंट की कम्पनी थी। गवर्नमेंट की पब्लिक सैक्टर की कंपनी, उसी से तो काम कराना था, वही रिफाइनरी लगा रही थी। आज वहां क्या हाल हो गये? तेल निकालने वाली केयर्न कम्पनी है उसने 250 से 300 कर्मचारियों को निकाल दिया और वहां के हालात दिन-प्रति दिन खराब होते जा रहे हैं।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आज डीजल की अपन बात कर लें। पूरे हिन्दुस्तान का डीजल उसमें जो खपत है, उसमें 24 परसेंट खाली दोहन हो रहा है। उसको भी सम्भालें तो हजारों करोड़ रुपये आपको रेवेन्यू मिल सकती है और गरीब और किसान का काम हो सकता है। उसकी झोंपड़ी को आप पक्का बना सकते हो। आज आप बहुत बड़ी आवास योजना की बात कर रहे हैं कि हम आवास योजना बनाएंगे। वह झोंपड़ी भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है इन चार सालों के अन्दर। यह स्थिति उस गरीब और किसान की आपने कर दी।

श्री अध्यक्ष : समाप्ति की ओर चलिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : पांच मिनट और बोल लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके द्वारा जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया, उसकी बात करना चाहता हूं। सरकार पहले भरतपुर सम्भाग के अन्दर गयी, फिर बीकानेर सम्भाग के अन्दर आयी और फिर उदयपुर सम्भाग के अन्दर आयी। यह अच्छा कार्यक्रम था, हम मानते हैं इसको। एक गांव का, ढाणी का आदमी बेचारा बस में आकर, किराया लगाकर एक टाइप वाले के पास में जाकर टाइप करवाता है कि मेरे गांव में यह पानी नहीं है, मेरे गांव में यह स्कूल गड़बड़ है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। मुख्य मंत्रीजी के नाम से लिखकर वह एप्लीकेशन लेकर आया। उस एप्लीकेशन लाने के अन्दर उसके नहीं-नहीं करते दौ सौ से तीन सौ रुपये लग गये। वह बड़ी आशा से उसने आपको एप्लीकेशन दी कि मेरा यह काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा तीन लाख एप्लीकेशन तीनों सम्भाग की आयी थीं, आप एक बता दीजिए कि हमने इस एक एप्लीकेशन का कहीं निस्तारण किया है। एक भी एप्लीकेशन का आपने निस्तारण नहीं किया। उसकी आशा पर पानी फेरने का आपने काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं, जनता आपको बख्शेगी नहीं। लोगों ने पूरा मन बना लिया है, आज किसी गांव और किसी ढाणी में आप जाकर देख लें। पहले जो सपने आपने दिखाये थे कि भय और भ्रष्टाचार खतम करेंगे, काला धन हम लेकर आएंगे, बेरोजगारी खतम कर देंगे, इन तीनों काम में कोई भी एक काम नहीं हुआ है। मतलब, आज हालात आपके बहुत ज्यादा दयनीय हैं। इसलिए आप समझ जाओ, समय आपके पास है। समय रहते आप नहीं चेते, हमें तो यहां बैठकर आपको बताना है। आप यदि सही तरीके से चलेंगे तो आपका भला होगा और आप नहीं चलेंगे तो हम तो कहने वाले हैं। हमको जनता ने यहां चुनकर भेजा है, जनता की आवाज हम पुरजोर शब्दों में यहां उठाएंगे। आप कोई गलत काम करेंगे, जनता का अहित करेंगे तो हम भी चूकेंगे नहीं, आपको पूरा घेरने की हम तैयारी करेंगे।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

आज हमने बात रखी थी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, आपने उन्हें लाठियों और गोलियों से मारा। आज हमारे अशोक चांदनाजी माननीय सदस्य आपके बीच में आये हैं, यह भी लाठी खाकर आये हैं। इनके भी लट्ठ लगे हैं, लट्ठ खाकर यहां आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त कर लिया है?

सूचना

पुलिस द्वारा विधान सभा के बाहर युवक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज

श्री अशोक (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठिये। आपके प्रतिपक्ष के नेता का भाषण हो रहा है, बैठ जाइए आप। खतम कर लिया क्या आपने? कोई ध्यान आकर्षण नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक मिनट और है, आप अपना भाषण पूरा कर लीजिए। आप बैठ जाइए।

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई ध्यान आकर्षित नहीं करना है, प्रतिपक्ष के नेता, आप अपना भाषण पूरा करें। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कार्यकर्ताओं पर, वे अपनी बात करने के लिए आये थे, अपनी बात रखने के लिए आये थे और उस बात को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा लाठी और गोली चलाकर उनको लट्ठ मारा गया है। यह कहां का न्याय है? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आकर शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इधर आने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मुझे सख्ती करनी पड़ेगी, आप अपने स्थान पर जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अशोक (हिण्डौली) : ×××

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

(17.00 बजे)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आप मेरे पर हमला करने आ रहे हैं। उधर जाइये। हमला करने आ रहे हैं। क्या है यह? प्रतिपक्ष के नेता का भाषण समाप्त हुआ।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

लगाओ नारे। और लगाओ। हां, लगाओ नारे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन में अव्यवस्था मत कीजिये। सदन की व्यवस्था को आप अव्यवस्थित कर रहे हैं। सदन को व्यवस्था से चलने दीजिये। इसकी रिपोर्ट दीजिये,पर यहां नहीं। यहां नहीं। यह मंच नहीं है। यह विधान सभा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है, अगर इनको अपनी बात कहनी थी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप नियमानुसार कार्यवाही कीजिये। विधान सभा में कोई एफआईआर नहीं ली जाती। नियमानुसार कार्यवाही कीजिये आप। सदन इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप चिल्लाना छोड़िये। सदन की कार्यवाही चलने दीजिये,

(श्री अध्यक्ष)
प्रतिपक्ष के नेता। सदन इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। एफआईआर दीजिये नियमानुसार। नियमानुसार एफआईआर दीजिये। सदन इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। सदन का अधिकार नहीं है इस तरह। एफआईआर दर्ज करने का सदन का अधिकार नहीं है। आप विराजिये। व्यवस्था मत बिगाड़िये। व्यवस्था मत बिगाड़िये।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। प्रतिपक्ष के नेता, मुझे बताइये, विधान सभा में एफआईआर लगती है क्या? विधान सभा में कोई एफआईआर लगती है क्या? तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप? आप अपने सदस्यों को अनुशासित कीजिये, यह मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। आप अपने सदस्यों को अनुशासित कीजिये। मैं यह आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। सदन एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है। आप एफआईआर लगाइये, कुछ हुआ है तो। लगाइये जहां लगाना हो। सदन एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं है। गृह मंत्रीजी भी जवाब नहीं देंगे। प्रतिपक्ष के नेता का भाषण हो चुका। सदन की नेता भाषण देंगी, उसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, कतई नहीं। करो, हल्ला करो।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में शोरगुल)

श्री हीरालाल (निवाई) : ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह हुड़दंग करने वालों की नहीं सुनूंगा। इस तरह हुड़दंग करने वाले और हंगामा करने वालों की मैं नहीं सुनूंगा। मैं आपकी निन्दा करता हूं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। हंगामा कर रहे हो बेकार में। अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, हंगामा और हुड़दंग से बचिये। आपके पास चिट आयी, आप वाकआउट कर लीजिये। आपके पास चिट आयी है वाक आउट करने की, कर लीजिये। आपके सचेतक आपको वाकआउट करने के लिए कह रहे हैं, कर लीजिये। आपके सचेतक कह रहे हैं, मैंने सुना है। मैं हुड़दंग में और हंगामे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। अंकित नहीं हो। मैं हंगामे में और हुड़दंग में एक शब्द नहीं सुनूंगा। पहले हंगामा मत कीजिये, बैठिये अपने स्थान पर। प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने सदस्यों को अनुशासित कीजिये। अपनी-अपनी सीट पर भेजिये। यह तरीका नहीं है। यहां आकर हंगामा करना अनुशासन के खिलाफ है। वैल में आकर हंगामा करना अनुशासन के खिलाफ है। आप बैठिये। अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। अपनी

(श्री अध्यक्ष)
सीटों पर जाइये। आसन के आदेश की पालना कीजिये। यह मेरी रूलिंग है, यहां खड़े नहीं रहोगे आप। यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं हुई, सदन के बाहर की बात है। अगर माननीय सदस्यों को इतनी पीड़ा है तो नोटिस दे दें, कल सरकार जवाब दे देगी। घटना के बारे में पूरी बात बता देंगे हम। यह नियमों में आपने प्रावधान कर रखा है। नियमों में प्रावधान कर रखा है, 50 में नोटिस दे दें कल, हम सारी घटना की जानकारी प्राप्त करके जवाब दे देंगे। सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। मतलब ये माननीय सदस्य न जाने कहां से मार खाकर आये हैं, अब इनकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोड़े ही है। यह शोभाजनक व्यवहार थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इनकी दादगीरी से सदन नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव लाइये। प्रस्ताव लाइये इनको बाहर निकालने का। बराबर हुड़दंग कर रहे हैं, बराबर हंगामा कर रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री अध्यक्ष : मजाक बना रखी है, मछलीखाना बना दिया है। हंगामा और हुड़दंग कर रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, मेरी आपसे प्रार्थना है, सरकार एक-एक चीज का जवाब देने को तैयार है। घटना कहां हुई, क्यों हुई, क्या घटना के कारक रहे, सरकार जवाब देने को तैयार है परन्तु नियमों में आप आइये।

श्री अध्यक्ष : वो सही कह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ठीक कह रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : इनके साथ मारपीट किसने की, ये कहां मार खाकर आये हैं, ये किस काम में गये थे, ये बता देंगे। कल जवाब दे देंगे हम। एक-एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सही कह रहे हैं। मैं आपके पाइंट आफ आर्डर को स्वीकार करता हूं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

चल रही है। बाहर निकाल देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था किसी बड़े-छोटे को नहीं देखती है। ला एंड आर्डर में कभी आदमी का तिलक नहीं निकला रहता है कि यह प्रधान है कि यह प्रमुख है कि यह क्या है। कानून, कानून का काम करता है। अगर आप सवाल का जवाब चाहते हैं तो कल आप आ जाइये पूरी तैयारी के साथ। पूरी तैयारी के साथ आ जाइये वास्तव में आप। ऐसा नहीं है1 आप कोई विधायक बन गये तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया मर्जी चाहे जो करने का। आप कोई विधायक बन गये न इसका मतलब कोई आपको विधायक बनने से ये छूट नहीं मिल जाती है कि आप शेर हो गये, जो चाहे जो घूम जाओ। जहां कानून तोड़ोगे, वहां कानून की पालना करने वाले आदमी को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका पता तो तब लगेगा। यह मार कहां खायी और कहां नहीं खायी, इसका पता तो जब रिपोर्ट आएगी तब लगेगा न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से प्रार्थना कर रहा हूं। यह सदन बहुत सौहार्दपूर्ण चला है। हमने प्रतिपक्ष के नेता का एक घंटे का बिना किसी आधार के बिना किसी तथ्य के अनर्गल प्रलाप करते हुए पूरा भाषण गम्भीरता से सुना है, पिन ड्राप साइलेंस रहा है। अब सदन की नेता पूरे अभिभाषण पर अपना उत्तर देना चाहती हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह परिपाटी नहीं डालें, वर्ना संख्या में आप 21 हो और हम यहां 163 बैठे हैं, एक मिनट नहीं लगने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन गरिमा से चलेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, हम इसका जवाब देने के लिए तैयार है, आप स्थगन प्रस्ताव ले आइये, जवाब दे देंगे। आप अपनी सीट पर लौटें और हमारी नेता का भाषण सुनें आप।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अफसोस है। गृह मंत्रीजी ने सही बात कही है कि कौन कहां पर कानून तोड़ रहा है, अव्यवस्था फैला रहा है, वहां पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसका प्रोटेक्ट करने का इनका अधिकार नहीं है। मैं इनसे फिर निवेदन करता हूं, ये अपनी सीटों पर चले जाएं और इस तरह हुड़दंग और हंगामा नहीं करें। सदन के नेता का भाषण होगा और उस भाषण को आपको सुनना होगा अपनी-अपनी सीटों पर बैठ कर। (व्यवधान) यह कहां मार खा कर आये हैं, गृह मंत्रीजी ने कहा है, न जाने कहां मार खा कर आये हैं, कल आइए, तथ्य आ जाएगा।

(श्री अध्यक्ष)

कहां मार खा कर आये हैं, कैसे आये हैं...(व्यवधान) कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ला एण्ड आर्डर को खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं।सरकार कह रही है कि कल तथ्यों के साथ आइए, सरकार कह रही है कि कल तथ्यों के सारथ आइए, यहीं पर बहस हो जाएगी। कौन कहां मार खा कर आया है, कैसे खाया है, क्यों खाया है, ये सारे बिन्दु कल तय हो जाएंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ...(व्यवधान) जवाब देने के लिये कौन मना कर रहा है, आप सदन की गरिमा रखिए, आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप गरिमा रखिए। आप कृपया सीटों पर जाएं। (व्यवधान) अध्यक्ष पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अध्यक्ष पर न आप टिप्पणी कर सकते न मैं टिप्पणी कर सकता। अध्यक्षपीठ पर टिप्पणी करने का अधिकार न आपको है न मेरे को है। अध्यक्षपीठ पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं, सरकार एक एक चीज पर जवाब देने को तैयार है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : तो क्या आप ऐसा मानते हो कि आप विधायक बन गये तो आपको दुनिया के सब कानून तोड़ने का अधिकार मिल गया? कैसे हुआ, क्या हुआ, यह जवाब चाहते हो तो जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां जूते खाये, हमको क्या मालूम?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : यह थोड़े ही हो गया कि आपके लग गयी तो बहुत बड़ी हो गयी और दूसरे के लगी तो नहीं लगी। कहां लगी, अब इसका किसको पता है? यह कहां मार खायी है, हमको क्या पता? आप कम से कम प्रस्ताव लेकर आओ। (व्यवधान) होगा, अगर कानून तोड़ेगा तो इससे ज्यादा भी होगा। क्या मजाक कर रखी है। कानून तोड़ने का अधिकार है? कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। यह गुंडागर्दी करने की जगह नहीं है, समझ में आया न। यह गुंडागर्दी करने की जगह नहीं है। यह केवल गुंडागर्दी की जगह नहीं है, समझ में आया न। यों चौड़े होकर बोलोगे? कहां खायी है, इसका पता...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : ...(व्यवधान) आप सब इकट्ठे हो जाओ तो भी नहीं रोक सकते हो, इतना भगवान ने पावर दिया है, यह समझ लेना। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप कानून तोड़ोगे तो क्या आपके आगे पुलिस गीत गाएगी? कानून तोड़ोगे तो बताएंगे क्या हुआ जो। अगर देखना चाहते हो तो बैठ जाओ, पांच मिनट बाद हिसाब मंगा कर बताता हूं कि कहां लगी और कैसे लगी। अगर आप चाहते हो तो सुनो। अगर सुनो तो मैं बताता हूं किकैसे लगी और कहां लगी, कहां गये थे आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ...(व्यवधान) हम जवाब देंगे, सरकार अभी जवाब देगी, आप अपनी सीटों पर चलो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : क्या आपके चिल्लाने से बंद हो जाएगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ...(व्यवधान) आप लोगों ने कितने पुलिस वालो को लाठियों से मारा, यह भी आ जाएगा। (व्यवधान) कितने पुलिस वाले घायल हुए, कितने पुलिस अफसरों को आपने मारा, यह भी सामने आ जाएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : श्रवणजी, किसी और से बात की होगी...(व्यवधान) यहां गुलाबचन्द कटारिया है न, कानून व्यवस्था के लिये चाहे बड़ा से बड़ा हो, कानून के सामने अगर आप सब अपराधी हो तो अपराधी की तरह से ही डील करूंगा, याद रखना। यह थोड़े ही हो सकता है कि आप चौड़े हो जाओ। (व्यवधान) गृह मंत्री हो तो क्या हो गया? कानून की पालना कराना भी मेरा धर्म है, आपकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है, मुझे दोनों काम करने पड़ते हैं। आपकी रक्षा भी करता हूं तो कानून की पालना कराने का भी काम मेरा ही है। (व्यवधान) क्या हुआ, बैठकर सुनो न। केवल हा हू करने से ही थोड़े ही बादशाह बन जाओगे आप? केवल हल्ला करके बादशाह बन जाओगे क्या? आप अपनी गलतियों को भी तो सुना और समझो कि कहां से आपको मार पड़ी और क्यों मार पड़ी। पता नहीं आप वहां मार खाकर आये हो, कहां खा कर आये हो, मुझे पता ही नहीं है, मैं जवाब क्या दूं आपको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ...(व्यवधान) आप सीट पर जाओ, गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : ...(व्यवधान) अगर आप यही सोच कर आये कि नेता भाषण नहीं दें तो याद रख लेना, एक दिन भी यहां ठीक प्रकार से टिक नहीं पाओगे, इसका ध्यान कर लेना। कितना जोश है, वह दिखा देंगे, समझ में आया न। (व्यवधान) अगर यही जोर आजमाइश करना चाहते हो। बाहर निकालो इनको, जो होना है सो हो जाएगा, क्या होना है? मजाक कर रखी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठो, बैठो, कालूलालजी, बैठो। ये विधायक हुड़दंगी हैं, ये हुड़दंगी हैं। विधान सभा में हुड़दंग पैदा कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा भी करता हूं और इसके साथ ही कहता हूं कि विधायक के रूप में अपनी सीटों पर जाकर बैठें। अराजकता पैदा करने वाले नहीं, विधायक के रूप में अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (व्यवधान) विधायक के रूप में आप बैठिए...(व्यवधान) मैं नहीं सुनूंगा। जब तक वहां से नहीं बोलोगे, बिलकुल नहीं सुनूंगा। हुड़दंगियों की नहीं सुनूंगा, हंगामेबाजों की नही सुनूंगा,

(श्री अध्यक्ष)

सुन लीजिए। आप अपनी सीट पर जाइए, यह आपकी सीट नहीं है। वहां जाइए सीट पर...(व्यवधान) करो हुड़दंग, नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। यहां से नहीं सुनूंगा, अपनी सीट से बोलिए। अगर बोलना है तो अपनी सीट से बोलिए, यहां से नहीं सुनूंगा। यह तो कसम करके आये हैं कि हमको हुड़दंग करना है। गुलाबजी ठीक कह हे हैं, न मालूम कहां जूते खाकर आये हैं, कहां इनको डंडे पड़े है, कैसे खाये हैं, यह मालूम करेंगे। (व्यवधान) आप बैठिए, अपनी सीट पर जाइए। नहीं सुनूंगा। एक शब्द भी अंकित नहीं हो। (व्यवधान) देखो, सुनो, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और मैंने प्रतिपक्ष के रूप में आज उदारतापूर्वक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का अवसर दिया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, उसका नतीजा यह दे रहे हैं। नहीं तो एक शब्द नहीं बोल सकते थे। आप पहले ही यहां की व्यवस्था बिगाड़ चुके हैं। बैठो, अपनी सीट पर जाओ। (व्यवधान) अपनी सीट पर जाओ।

(कांग्रेस के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

हां लगाओ, लगाओ। ये अपनी अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं। ये किस स्तर के विधायक हैं, इस बात का परिचय दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा का शानदार इतिहास रचा है, माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा है कि अगर आज ही इनको उत्तर चाहिये तो गृह मंत्रीजी को तैयारी करने का समय दे दें। हमारी नेता का भाषण हो जाए, आप सीट पर चलो, हम आज ही वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान) आज ही सरकार वक्तव्य दे देगी। आज ही पूरी घटना का विवरण, घटना क्यों हुई, कानून किसने तोड़ा, क्या घटना हुई, इस पूरी घटना का विवरण। प्रतिपक्ष के नेता, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आप प्रतिपक्ष का नेतृत्व कर रहे हो, पूरा राजस्थान देख रहा है, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं, अगर आपकी यही मांग है कि सरकार वक्तव्य दे तो सरकार वक्तव्य दे देगी। पहले हमारी नेता का भाषण हो जाए, उसके बाद सरकार इस पूरी घटना पर वक्तव्य देने के लिये तैयार है, आप कृपया अपनी सीटों पर जाएं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री) : यह नयी परम्परा मत डालिए। सदन की नेता का अगर भाषण नहीं होगा तो प्रतिपक्ष के नेता का कभी भी भाषण नहीं होगा, यह ध्यान रखिए। यह ध्यान रखिए कि कभी भाषण नहीं होगा। (व्यवधान) नयी परम्परा मत डालिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपनी सीट पर जाकर बोलिए, नहीं सुनूंगा यहां से। अपनी सीट पर जाकर बोलिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह गतिरोध पैदा करने का समय नहीं है। सदन में सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम चल रहा था, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चल रहा था, गतिरोध पैदा करने का कोई इश्यू नहीं है। गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे, आप अपनी सीट पर जाएं। पहले हमारी नेता का भाषण हो जाए, उसके बाद वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान) वक्तव्य आ जाएगा, वक्तव्य आ जाएगा, आप विराजें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : आप तो रुक जाना, आपको जो वक्तव्य सुनना है वह वक्तव्य आ जाएगा। हां, वक्तव्य देने में हमको कौनसा एतराज है। क्या हुआ, क्या घटना हुई, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट देंगे, आप बैठो। ऐसी क्या दिक्कत है। हम पहले भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। अभी भी तैयार है, पहले भी तैयार हैं, क्या एतराज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : वक्तव्य आ जाएगा, वक्तव्य आ जाएगा। वक्तव्य आज ही सरकार देगी, आप विराजें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, विराजें आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य के साथ जो घटना हुई है, उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी लेकर माननीय गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : सदन की नेता का भाषण सुन लीजिए। इसका उत्तर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी दे देंगे, आप तो पहले भाषण सुन लो। (व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ऐसा व्यवहार नहीं करे प्रतिपक्ष, फिर निवेदन है हमारा। आप इस लोकतंत्र के पहिए हैं। यह सदन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष से मिलकर बनता है। आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। हमने जब आपसे नम्र शब्दों में कह दिया। घटना अभी हुई है, आपने दस मिनट पहले सदन में आकर, और सदन में भी, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, बड़े-बड़े गम्भीर लाठीचार्ज हुए हैं, कोई सदस्य कपड़े उतारकर सदन में इस प्रकार का प्रदर्शन करे। यह आपकी सहृदयता है कि आपने उसमें अनुमति दे दी। उसके पश्चात भी, इस सारी घटना के पश्चात् भी...(व्यवधान) यह गतिरोध अगर पैदा हो रहा है तो आज इस गतिरोध को पैदा करने के लिए दोषी लोग सामने बैठे हैं। इस सदन के अन्दर हम सत्ता में हैं, सत्ता में हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जबान नहीं है। अगर यह गतिरोध रहेगा तो फिर ये भी नहीं बोल पाएंगे। राजस्थान की जनता यह देखेगी। प्रतिपक्ष से उम्मीद करती है कि प्रतिपक्ष यहां सकारात्मक दृष्टि से सरकार की कमियां बताए। ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आप सीट पर जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : आप सीट पर जाएं। माननीय गृह मंत्रीजी सदन की नेता का भाषण होने के बाद यहीं वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान) इसी क्षण ही वक्तव्य दे देंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, आजकल पुलिस सारा का सारा पिक्चर लेती है, जो भी घटना होती है उसकी सारी फोटोग्राफी होती है, कन्टीन्यू रील चलती है। आपको वह मैं लाकर दिखा दूंगा कि वास्तव में यह किस स्थिति में, कहां और कैसे हुआ। आप फैसला कर देना कि वास्तव में पुलिस की कोई गलती है या नहीं है। आजकल कोई चीज, पुलिस ऐसे एक्शन नहीं करती है जिसमें पूरा का पूरा रील और वीडियोग्राफी नहीं करती है। सौ परसेंट वीडियोग्राफी होती है। आप स्वयं अपने चैम्बर में देख लें कि यह जो घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं। आप बंधुओं से मेरी प्रार्थना है, एक भी आदमी आज की तारीख में, अगर इतना बड़ा लाठीचार्ज हो जाता तो कुछ तो वहां रहते न, एक व्यक्ति वहां नहीं है आज की तारीख में। सारे लोग वहां से जा चुके हैं। अगर इतना तगड़ा लाठीचार्ज हो जाता तो कोई तो आपकी हमदर्दी के लिए भी वहां टिकता। वहां तो कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : 170 लोगों में क्या लाठीचार्ज, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) 170 लोगों पर क्या लाठीचार्ज करेंगे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : ...(व्यवधान) सब झुग्गी झोंपड़ी वालों को लेकर आये थे, सब अपने-अपने घर चले गये। उनको किसी को दर्द नहीं है। इस पूरे पर वक्तव्य देने के लिए गृह मंत्रीजी तैयार हैं, मना थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अफसोस है कि एक विवेकहीन प्रतिपक्ष मेरे सामने बैठा है। जब इतना आश्वासन सरकार की तरफ से आ गया उसके बाद भी जिस विवेकहीनता का ये परिचय दें रहे हैं, ये अपना स्तर बता रहे हैं, विधायक के रूप में इनका यह स्वरूप बता

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं। मैं एक बार रिक्वैस्ट करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जाइये। आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जाइये। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी ने ठीक कहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : जब तक जानकारी नहीं होगी इस सदन में एक भी शब्द मैं इस बारे में बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। सारी जानकारी आने के बाद दूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित मत कीजिए। बैठिये आप। इन सबको अपनी सीटों पर भेज दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता…

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड में नहीं होगा…(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : डराकर नहीं मार रहा हूं। आप लोग डरा रहे हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलने दूंगा। मेरी बिना इजाजत के कोई नहीं बोल सकता है। अपनी सीट पर जाइये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : यह अनियमित है। एक शब्द अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता, मुझे अफसोस है, मैंने जो उदारता बरती उसका आप मुझे यह बदला दे रहे हैं। आपका बोलने का हक नहीं बनता था, मैंने बोलने दिया, उसका आप यह नतीजा दे रहे हैं। सारी अव्यवस्था फैलाकर। आप अपने विधायकों को समझाते क्यों नहीं हैं? इनको अपनी सीटों पर भेजिए, अगर आप लीडर हैं। देखिये, आपके वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता बैठे हैं कुर्सी पर, वह नहीं आ रहे हैं आपके कहने पर भी। वह समझते हैं सारी पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी को। समझे न। आप इनको अपनी सीटों पर भेजिए, मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं, पहले आप अपनी सीटों पर जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं। वक्तव्य का...(व्यवधान) सरकार कह चुकी है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, बिना जानकारी के मैं किसी तरह के वक्तव्य देने के लिए उनको नहीं कह सकता। उन्होंने कहा है, मैं जानकारी लूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : निश्चित रूप से यहां पर बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है। वहां एक आदमी भी नहीं, यह तो आपकी हैसियत है। वहां पर कोई है ही नहीं, आप जाकर देख लो। इसके बाद...(व्यवधान) कानून तोड़ने वालों पर पुलिस का अधिकार है कि वह अपने फोर्स से उसको नियंत्रित करे। कानून कोई भी तोड़ेगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव और है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा एक प्रस्ताव और है। नेता प्रतिपक्ष, मैं यह कह रहा था। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गृह मंत्रीजी ने कहा, पूरी घटना की वीडियो क्लिपिंग है, आप एक कमेटी बना दें जिसके अध्यक्ष आप हों, गृह मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता, तीनों जने मिल बैठकर उस पूरी वीडियो फिल्म को देख लें। अगर उसमें जिस पक्ष का दोष होगा...(व्यवधान) जिस पक्ष का दोष होगा, जिस भी पक्ष का दोष होगा, अध्यक्ष महोदय आप विक्रमादित्य के आसन पर विराजे हैं, आपकी निष्पक्षता आप में निहित है, आप फैसला कर दें। अगर पुलिस का दोष होगा तो कार्यवाही करने को तैयार हैं। पर इनका दोष निकला तो इनके खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए आप इनको कह दीजिए। अगर पूरी क्लिपिंग दिखा देते हैं आपके चैम्बर में, आपकी अध्यक्षता में, गृह मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता देख लें, उसमें जिस पक्ष का दोष होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करने की बात आप कर लेना। एक-एक घटना का पूरा चित्रण किया हुआ है। पूरी वीडियो क्लिपिंग है, वह देख लें आप। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का तांडव वहां हुआ है, जिस प्रकार कानून की व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश हुई है, जिस प्रकार से बैरीकेड से ऊपर माननीय सदस्य कूद कर गये हैं, वह एक-एक घटना है। कहां से ये प्रवेश करके गये, किस प्रकार बैरीकेडिंग तोड़ी इन्होंने और किस प्रकार सब इंस्पेक्टर के तारों को छीना, सारी घटना उसके सामने है, आप देख लीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : यही कह रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने आपको कहा कि आजकल पुलिस अपनी पूरी वीडियोग्राफी करती है। एक-एक पल का, एक-एक क्षण का जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ होगा, वह सारा उसमें टेप है, रिकार्डेड है। हम चाहते हैं कि आप अपने चैम्बर में देख लें और इनमें से भी जिनको आप बुलाना चाहें, बुला लें। देखने के बाद आप जो निर्णय करेंगे, अगर मेरा और मेरी पुलिस का दोष होगा तो उसका मैं सजा का भागीदार होऊंगा। अगर घटनाक्रम जिस प्रकार का हुआ, उसका देखने के बाद पता लगेगा कि कहां है, कैसे है और उसके बाद भी मैं सोचता हूं कि केवल अगर ये जिद पर इस बात को करें...(व्यवधान) वीडियोग्राफी देखने के बाद ही आपका क्या कृत्य रहा...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा धरना व शोर-शराबा जारी)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : ऐसा है, गृह मंत्रीजी आज भी वही कहेंगे जो पहले कहते थे और पांच साल बाद भी वही कहूंगा जो सच होगा, वही कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रोइये, रोइये। आपको रोने का हक है, रोइये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अगर गलती आपकी है तो भी बताऊंगा और पुलिस की होगी तो भी बताऊंगा। मैं यह दोहरा चरित्र नहीं रखता हूं। (व्यवधान) क्या है, वह तो आप पूरे फोटो में दिख जाएंगे। आप कहां हो और आप क्या करतूत कर रहे हो और कैसे कूदे हैं और कैसे पुलिस के साथ...(व्यवधान) वह तो सारा आपका सामने आ जाएगा। देखने के बाद आप कह देना कि इनको हम पुरस्कार दें कि इनको दण्ड दें। आप ही कह देना। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : टूट जाने दो, वक्त आने दो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : नेता प्रतिपक्ष, आप अपना निर्णय तो करें। यूं क्यों आ रहे हैं बहकावे में? इतना बढ़िया प्रस्ताव आया आपके सामने। इतना बढ़िया प्रस्ताव आया, निर्णय करो आप। (व्यवधान) गौरव पथ सब बन जाएंगे। गौरव पथ हमने बनाये हैं, बनाएंगे। सब बन जाएंगे, आप चिन्ता मत करो। उनकी चिंता आप मत करो। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : ×××

श्री अध्यक्ष : कीजिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : एक विधायक है, हम सब यहां विधायक ही विराजमान हैं, एक विधायक के साथ लाठियां बरसायी जाएं, इसकी निन्दा तो होनी चाहिए। इसकी निन्दा होनी चाहिए। यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन मेरा निवेदन सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय विधायक, ला एण्ड आर्डर कानून से चलता है और माननीय गृह मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है, आप उसके बारे में अपने विचार कीजिये। (व्यवधान) यह सारा देखकर जो भी अपराधी होगा, उसको सजा मिलेगी। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : मैं बिलकुल गतिरोध तोड़ने को...व्यवधान) मेरी बात तो सुनें। मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं। मेरी बात तो सुनें। मैं विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं जिस तरीके से 35-37 मिनट होने जा रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है लेकिन निन्दा तो होनी चाहिए। एक विधायक के अगर लाठियां लें, अपन निन्दा भी न करें? क्या परिस्थिति थी, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं विपक्ष से भी निवेदन करता हूं। (व्यवधान

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : आप लोग आइयेगा। मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं, एक दफा सीट पर आएं। (व्यवधान)

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा धरना व शोर-शराबा जारी)

श्री अध्यक्ष : बिना तथ्यों के सामने आए किसी की निन्दा नहीं की जा सकती। (व्यवधान) न पुलिस की जा सकती है, न किसी और की जा सकती है। स्पष्ट पिक्चर आए, सारे तथ्य सामने आए जाएं और इनका कैसा रोल रहा होगा वहां, भी सामने आ जाए, तब मालूम पडेगा कि पुलिस दण्डित की जा सकती है या ये दण्डित किये जा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री नवीन पिलानिया (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे पूछ रहा हूं अब तो। यह व्यवहार ठीक है आपका? (व्यवधान) यह मालूम पड़ जाएगा, किसकी गलती थी।

श्री विजय बसंल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठो, बैठो। मेरी बी.पी. की चिन्ता मत करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : बिना तथ्यों के सामने आये न तो निन्दा की जा सकती है न...(व्यवधान) किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप हंगामा कर रहे हैं न! अपने स्थान पर बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, ये हंगामा कर रहे हैं। (व्यवधान) आपने सबको चिटें दीं आज, कुछ न कुछ करने की। आप सबको चिटें बांट रहे थे कुछ न कुछ करने की। मुझे अफसोस है कि प्रतिपक्ष के नेता...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर कानून तोड़ेंगे तो नियमानुसार कार्यवाही होगी...(व्यवधान) तथ्य आ जाएंगे, तथ्य आ जाएंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्यगण, आप आधा घण्टे से हंगामा देख रहे हैं। सरकार ने जितनी उदारतापूर्वक इस सारे प्रकरण में अपना वक्तव्य दिया है कि सारी स्थिति देख लें, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी और उसके बाद हम कोई निर्णय लें। ये हुड़दंग कर रहे हैं। हंगामा कर रहे हैं। न्याय की बात नहीं सुनना चाहते, कानून की बात नहीं सुनना चाहते। अब इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए जो आप निर्णय कीजिये। (व्यवधान)

सदस्य का निलम्बन

सर्वश्री अशोक चांदना, श्रवण कुमार, धीरज गुर्जर, गोविन्द सिंह डोटासरा, सुखराम विश्नोई, रमेश, बृजेन्द्र सिंह ओला, गिर्राज सिंह व हनुमान बेनीवाल का सत्र की शेष अवधि के लिए

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक 3 मार्च, 2015 को सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष अपने विचार रख रहे थे। तभी कांग्रेस के कतिपय माननीय सदस्य विधान सभा के बाहर हुए युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज को लेकर शोर-शराबा करने लगे। हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य श्री अशोक चांदना कपड़े उतार कर व सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य वैल में आ गये और शोर-शराबा करते

(श्री कालू लाल गुर्जर)

रहे। क्रोधवश हाथों का प्रदर्शन कर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते रहे तथा वैल में धरने पर बैठ गये, जिसके कारण सदन में अवरोध उत्पन्न हुआ है।

कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों एवं खींवसर से आने वाले निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल का यह कृत्य विधान सभा व संसदीय प्रक्रियाओं एवं उच्च परम्पराओं का खुला अपमान और घोर निन्दनीय है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों एवं खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल का उक्त कृत्य व आचरण निंदनीय और सदन की गरिमा को निश्चित रूप से गिराने वाला है।

अत: मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल को इस कृत्य के फलस्वरूप इस सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है और उसमें जो तथ्य रखे हैं, वे सारे तथ्य इस सदन के सामने हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी मुख्य सचेतक के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है, उस पर आपकी सहमति मांगता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : "हां"-"ना" में वोट तो कराओ हमारा।

श्री अध्यक्ष : हां, वोट करा लो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : प्रस्ताव का वोट कराओ आप।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव मूव करो आप।

(सदन कूप में प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा धरना व शोर-शराबा जारी)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : कर दिया। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य- श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप इस सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं सदन से प्रस्ताव करता हूं कि इसके पक्ष में जो हों वह हां करें। जो विपक्ष में हों वे न करें।

(स्वीकृत)

सरकारी मुख्य सचेतक का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

मैं इन सबसे कहता हूं कि वे बाहर चले जाएं। और बाहर नहीं जाएंगे तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। मैंने मार्शल से कहा है कि एक-एक को निकालो पकड़ कर, अगर ये नहीं जाते हैं तो। (व्यवधान) निकालो इनको। हां, अभी निकाले जाएंगे। ले आओ, आप फोर्स ले आओजी। ले जाओ इनको। ले जाओ इनको। (व्यवधान)

और, मैं इस सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित करता हूं। (व्यवधान) आधा घंटे में मार्शल इन सबको बाहर कर देंगे और इसके बाद एक को अन्दर नहीं आने देंगे। यह अपनी फोर्स तैयार कीजिए। (व्यवधान)

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.41 बजे 18.11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(18.11 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए और स्थगित की जाती है, क्योंकि माननीय गृह मंत्रीजी वह सारी क्लिपिंग देखकर यहां अपने सामने सारी स्थिति रखेंगे। 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.11 बजे 18.26 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(18.26 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सब को प्रणाम। एक बार और। (व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

पुलिस द्वारा विधान सभा के बाहर युवक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) :अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा के संसदीय इतिहास में एक नया काला अध्याय जुड़ गया। अध्यक्ष महोदय, आज एक नान इश्यू को इश्यू बना कर प्रतिपक्ष एक घटना के बारे में पहले वैल में आया। फिर बार-बार हमने प्रार्थना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की, आसन ने भी हमें यह निर्देश दिया कि गृह मंत्रीजी का वक्तव्य हो, उस पूरी घटना पर। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर, हम चाहते तो यह थे कि प्रतिपक्ष के लोग भी उस पूरी घटना का जिक्र सुनते और उसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, उस सब की बात राजस्थान की अवाम के सामने जाती। पर आज जिस प्रकार का अविवेकपूर्ण व्यवहार प्रतिपक्ष का शर्मनाक रहा, वो तो सब के सामने ही है, पर मैं आपसे यह अनुमति चाह रहा था कि गृह मंत्रीजी पूरी घटना पर वक्तव्य देना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो गृह मंत्रीजी का वक्तव्य पहले हो जाए, उसके बाद सदन की नेता का भाषण हो जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज की इस गम्भीर घटना के बारे में जिसको आप सब ने देखा, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष के प्रति उदार रहना चाहिए, और मेरे अपने, आपके, सत्ता पक्ष के कई विधायकों के द्वारा टोकने के बाद भी मैंने प्रतिपक्ष के प्रति बहुत नरम रवैया रखा। लेकिन आज जिस तरह का गैर-जिम्मेदाराना प्रतिपक्ष ने अपना व्यवहार किया है, यह बहुत अधिक निन्दनीय है। निन्दनीय के साथ आज जो सदन ने उनके विरुद्ध प्रस्ताव लिया, यह बिलकुल वाजिब प्रस्ताव लिया था। उनको एक सबक जाना चाहिए कि इस सदन की सारी मर्यादाएं भंग नहीं की जा सकतीं। नियम और उप-नियमों के आधार पर यह सदन चलता है और यह सदन चलेगा।

आज इनकी गलतफहमी हो गयी, ये पांच-सात कुछ लोग हैं, ये सोचते हैं कि सदन हम ही चलाएंगे लेकिन आज इनकी यह गलतफहमी दूर हो गयी होगी और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम मर्यादापूर्वक इस सदन को आगे बढ़ाएं।

माननीय गृह मंत्रीजी। इसके बाद माननीय नेताजी का वक्तव्य होगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जब तक फुटेज नहीं देखी थी तब तक तो मैं भी पूरे आत्मविश्वास से सदन में बात कहने में हिचक रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जब जुलूस जलसे होते हैं और जिस प्रकार के टकराव होते हैं, हो सकता है कि मेरी पुलिस ने भी कुछ किया हो। लेकिन 3.40 से लेकर 4.10 तक मैंने पूरी फुटेज देखी है और मैं चाहता हूं कि एकबार आप भी इसको देखकर ये जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनको भी जारी करें। आज का यह जो दृश्य है, यह उनकी तस्वीर खींच देगा कि वास्तव में उन्होंने किया क्या, हुआ क्या।

पूरे 30 मिनट तक पुलिस संघर्ष करती रही और पुलिस की एक लाठी भी ऊपर नहीं उठी। 30 मिनट तक लगातार संघर्ष होता रहा और पुलिस एक तरह से डिफेंस में ही हाथ से ही, किसी के पास लाठी या कुछ भी ऐसी आपको उस पूरे फुटेज में दिखायी नहीं देगी। लेकिन जो तथाकथित, जिनके नेतृत्व में आज यह कार्यक्रम था, उन्होंने कहा, यह फेल हो जाएगा, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए जब इन्होंने एक-दो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बार बैरक पर चढ़ने का प्रयास किया, जितनी बार वे अपने डंडे से लाठियां चलाते हुए नजर आये न, वो लगी किस को, किस के नहीं लगी वो तो भगवान जाने , वो जाने उनका काम, पर पुलिस उनसे इतनी दूर थी कि पुलिस की एक भी लाठी किसी व्यक्ति को नहीं छू सकती। जब चढ़कर उसको उलांघने के लिए इन्होंने दो बार प्रयत्न किया, हमारे माननीय सदस्य चांदनाजी ने तो इनको पकड़कर उतारा। मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी पार्टी है और इतने वर्षो से है, मुश्किल से 100-150 लोग उस भीड़ में झंडे लेकर पुलिस के साथ गुत्थम-गुत्थी कर रहे थे ताकि उनकी न्यूज अच्छी बन जाए। केवल न्यूज बनाने के लिए यह प्रयत्न हुआ। लास्ट के एक मिनट का भी आधा मिनट, मैं आपको एक शब्द भी असत्य नहीं बोलूंगा कभी, एक मिनट के भी आधा मिनट में पुलिस ने 2-4 डंडे टपकारे तो सब हवा हो गये। गाड़ियां, घोड़ी सब छोड़कर। डंडे-फंडे सब वहीं पड़े दिखे। यह नहीं है कि हमारे माननीय सदस्य को पुलिस की एक भी लाठी गिरती नजर आयी हो। ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वे अपने कपड़े उतार कर, अपना बनियान खोलकर वापस मैदान-ए-जंग में आ गये, अपने को यहां दिखाने के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह षड्यंत्र सोचा-समझा था। क्योंकि श्रीमान अशोक चांदनाजी बहुत पहले आ गये थे जब प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे थे। आपने और मैंने, सदन के सब लोगों ने देखा। वह सबसे पहले उन्हीं के पास गये यह समाचार देने कि मैं आ गया हूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : नहीं, पहले वह आये डोटासराजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : डोटासराजी आये, उसके बाद वह वापस चले गए। चले जाने के बाद जब उनका भाषण समाप्त हुआ तो इसको एक सोचे-समझे तरीके से कि हल्ला कैसे किया जाए, इस सदन को कैसे अपने ग्रिप में लेकर, अपने इस विषय को जो कोई आंदोलन उन्होंने किया, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा वेटेज मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री होने के नाते अपनी पुलिस को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जितना संयम रखा। 30 मिनट के लगातार संघर्ष में पुलिस केवल हाथों से ही धक्के देती रही, रोकती रही। पुलिस ने कहीं भी नहीं किया। लास्ट का जो आधा मिनट है उसमें 4-5 लाठियां ऊपर दिखीं और वह उनको ठोकीं, उसमें से लोग फुर्राट हो गये आधा मिनट में ही। एक्चुअल कह रहा है, यह 3.40 पर शुरू हुआ और 4.10 पर समाप्त हुआ। लास्ट का जो आधा मिनट है उसमें पुलिस ने 2 डंडे टपकारे टपकाए क्योंकि आधा घंटा संघर्ष करते-करते हो गया। फिर भीड़ को भगाने के लिए किया। उसमें कहीं भी अशोक चांदनाजी को लाठी पुलिस की लगी हो, मैं उस पिक्चर से कन्फर्म नहीं कर सकता हूं। वह मैं आपको सुपुर्द कर देता हूं। आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें से देख लें कि कैसे लगी, क्या नहीं लगी। यह तो वह जानें उनका भगवान जाने। लेकिन मुझे वहां नहीं दिखाई दिया कि वह टार्गेट पर हों और पुलिस ने चढ़ते हुए उनको डंडा मारा हो। चाहे वह बैरीकेड पर थे। ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई देता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अफसोस है, राजनीति का स्तर अगर इस तरह से गिरेगा तो लोकतंत्र में लोगों की आस्था कम हो जाएगी। आज इनका जिस प्रकार का व्यवहार है, क्योंकि आप भी गृह मंत्री भी रहे और कई पदों पर रहे, मैं भी रहा, मेरी पुलिस जहां तक हो सके, संयम से काम लेती है। लेकिन कोई कानून तोड़कर ही जेब में रखने की कोशिश करेगा तो दर्शक बनकर भी नहीं देख सकती है। वह आधा मिनट 5-10 लकड़ियां पुलिस की, वह भी बिलकुल कोने पर खड़ी जरूर दिखाई दी। इतना मैं आपको कह सकता हूं। ठोकती हुई एक भी लकड़ी मुझे उस पिक्चर में कहीं दिखाई नहीं दी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : कपड़े उतारे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : कपड़े उतारे वह तो बाद में।

श्री अध्यक्ष : इतना तो कोई भगवान होता तो आज का यह दृश्य जो इन्होंने पैदा किया, जिस अनुशासनहीनता के साथ यह यहां पर बैठे, आसन की बार-बार अवहेलना की, इसकी मैं पहले भी निंदा कर चुका हूं और अब भी निंदा करता हूं। आइंदा मैं उनसे उम्मीद करता हूं, ऐसा व्यवहार करेंगे तो सदन की ताकत उन्होंने देख ली है। ऐसे हुड़दंग और हंगामों को कभी बरदाश्त नहीं करेगा यह सदन, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय मुख्यमंत्रीजी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संवैधानिक परम्परा और विधान सभा के नियम और प्रक्रिया की दृष्टि से हम सब मानते हैं कि एक बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। इनका अभिभाषण हमारी सरकार का एक नीति पत्र है जिसके माध्यम से सरकार अपने पूरे वर्ष का लेखा-जोखा, जनहित में लिये गये नीतिगत निर्णय और प्रदेश में किये गये विकास के कार्य और अपनी भावी योजनाओं का दृष्टिकोण सदन में रखती है। साथ ही प्रतिपक्ष से आशा करती है कि वह सरकार के निर्णय पर अपनी तर्कसंगत बहस के माध्यम से राजस्थान की जनता का ध्यानाकर्षित करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधान सभा उन चुनिंदा विधान सभाओं में से है जिनकी परम्पराओं के बारे में देश में और देश के संसदीय इतिहास में बहुत ही अच्छा और गरिमापूर्ण स्थान है। एक यही विधान सभा है जहां के स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे व्यक्तित्व ने भारत के उप राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है, आज प्रतिपक्ष का जो व्यवहार रहा, वह एक ओर संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल था, वहीं दूसरी ओर विधान सभा के संसदीय इतिहास में एक बहुत काला अध्याय बना है। 4 दिन चली बहस में प्रतिपक्ष के नेता सहित 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैंने पता किया और जब भी इन्फार्मेशन ली तो सब ने कहा कि हाउस बहुत ही सुन्दर तरीके से, बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मैंने माननीय सदस्यों के दिये गये सुझावों पर, सकारात्मक दृष्टि से उनके द्वारा कहे गये हरेक पहलू पर विचार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो जो व्यवहार प्रतिपक्ष का रहा है वह अत्यन्त ही खेदजनक है। मैं प्रतिपक्ष से अब भी रचनात्मक, सकारात्मक सहयोग की उम्मीद करती हूं और लोकतंत्र के दूसरे मजबूत पहिये के रूप में उनका हमेशा ही सम्मान करती रही हूं और आगे भी इस स्वस्थ परम्परा को बढ़ाने में विश्वास रखूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं। उनका जो अभिभाषण था, उसके माध्यम से उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया है। हम सबके सामने उपलब्धि, नीति, विजन, विकास इन सब की जो दृढ इच्छा थी, उसको रेखांकित किया है। मैं तो धन्यवाद देना चाहती थी नेता प्रतिपक्ष श्री डूडीजी को और पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों को जिन सबने मिलकर अपने सुझाव दिये। बहुत अच्छे सुझाव थे सबके और इतने अच्छे तरीके से जनता की समस्याओं को उठाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सत्ता और विपक्ष का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम लोग प्रदेश की जनता की सेवा करें। उनके काम में खरे उतरें और सब लोग मिलकर उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटें। यह मैंने बार-बार कहा है कि राजनीति में सत्ता के सुख के लिए नहीं बल्कि हम लोग सेवा का माध्यम बनकर जनता के सामने खड़े हैं। यह गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि हम लोग अपने बलबूते पर इतने भारी बहुमत से यहां बैठे हुए हैं। यह सही है कि 7 करोड़ जो प्रदेशवासी हैं और जो राजस्थान के प्रदेशवासी बाहर रहते हैं, उन सब लोगों की मेहरबानी है। यह सत्ता उन्हीं की सत्ता है। मैं कहती हूं कि उन्होंने हमको जिम्मेदार समझकर, लायक समझकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है। उसके लिए हम लोग हमेशा-हमेशा उनके आभारी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मानती हूं कि हम लोगों का जो प्रथम धर्म है वह जनता की सेवा है और लक्ष्य उनका विकास है। राजस्थान खुशहाल हो, सम्पन्न हो, 36 की 36 कौम खुश रहें और हर वर्ग, हर मजहब का उत्थान हो, यही हम सबका ध्येय है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता का आभार मानना चाहती हूं कि उन्होंने सबसे पहले तो विधान सभा के अन्दर, उसके बाद लोक सभा के अन्दर, उसके बाद नगर निकायों के अन्दर और अब पंचायतों में इतनी ऐतिहासिक विजय हम सबको दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम सबकी बारी है, हमको भी अब डिलीवर करना पड़ेगा। मैं मानती हूं कि हम सब मिलकर जनता की इस कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। जनता का सम्बल ही हमारे लिए सबसे अमूल्य है। मेहनत करने में हम लोग कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। विकास ही हमारा राजधर्म है। विकास ही हमारी राजनीति है। हम मैसेज की राजनीति में बिलीव नहीं करते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के 67 साल निकल गये हैं जिसमें सबसे ज्यादा समय 53 वर्ष कांग्रेस के लोगों को मिला है। जनता ने उन्हें बार-बार मौका दिया लेकिन वे अपेक्षाओं के ऊपर खरे नहीं उतर पाये। सत्ता को उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझा, किन्तु आखिर में जनता ने उनको नकार ही दिया। इतना समय हमको मिलता तो मैं समझती हूं कि राजस्थान की तस्वीर ही अलग होती। लगे-लगे आप देखिए कि मध्य प्रदेश है और गुजरात स्टेट दोनों हमारे से लगे हुए प्रदेश हैं। एम पी को तो मैं बहुत करीब से जानती हूं। मैं यह कहना चाहूंगी कि 25 साल हो गये अब मेरे को झालावाड़ के अन्दर, जब मैं पहली दफा झालावाड़ आयी थी तो झालावाड़ एक तरफ है दूसरी तरफ है मध्य प्रदेश। झालावाड़ की तरफ मैं खड़ी थी तो मध्य प्रदेश के अन्दर सिर्फ अंधियारा दिखाई देता था, बिजली वगैरह कुछ नहीं होती थी और वहां के लोग इस तरफ आकर राजस्थान में यह कहा करते थे कि काश, हमारी सरकार भी हमारे लिए कोई देखभाल करती तो हमारी यह स्थिति नहीं होती। यह तो उनके 25 साल पहले की स्थिति थी। पिछड़ेपन को हटाने के लिए ठोस फैसले तो तब हुए जब जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिये। दोनों ने मिलकर, जनता ने भी मिलकर और साथ में सरकार ने भी मिलकर एक विकास की नयी कहानी लिखी। मैं समझती हूं कि वह हम सबके सामने है। अब मध्य प्रदेश बीमारू नहीं है और गुजरात भी आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ भी आगे निकल गया। मैं यह मानती हूं कि 15 साल ही उनको मिले हैं, ज्यादा समय नहीं। कांग्रेस को 53 साल मिले, इनको तो एक तिहाई समय भी नहीं मिला और इस एक तिहाई समय के अन्दर अगर इतना बदलाव कर सकते हैं तो 53 साल में क्यों नहीं कर सकते थे? यह हम सबके मन के अन्दर प्रश्न है। इमेजिन, कितना ये उसके साथ काम कर सकते थे। और इमेजिन, कितनी बैस्ट अपर्चुनिटी उनके सामने रही।

राजस्थान को कांग्रेस ने अब जिस स्थिति के अन्दर खड़ा कर दिया है, उसमें से प्रदेश को बाहर निकालने में आसान काम नहीं होगा। एक व्यक्ति कर पाएगा, यह तो हो ही नहीं सकता। बदलना है तो हम सबको मिलकर बदलना होगा। यह सिर्फ एक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

ही मेहनत, मेहनत और मेहनत ही मंत्र है, तभी मैं समझती हूं कि पार पड़ेगी। नहीं तो यह आसान काम नहीं है। एवरेस्ट पर भी जो कभी कोई चढ़ा था तो उसको भी समय लगा था, वह आसानी से नहीं चढ़ पाया था। अब जो जनता है, वह न तो नारे में विश्वास करती है, न वायदे में और न आश्वासन में। वह चाहती है कि विजन हो, प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, एक्शन हो। ऐसी सरकार चाहती है और मैं समझती हूं कि हम लोगों को मिलकर उनको ऐसी सरकार देनी है।

अब विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो भ्रम फैलाने में माहिर हैं। आजकल हम लोग जहां भी जाते हैं तो हमको सुनने को मिलता है कि वे हिसाब मांग रहे हैं, एक साल का हिसाब दो। यह काम नहीं हुआ है, वह काम नहीं हुआ है, हमें इसके बारे में बताओ। अब जिन लोगों ने कभी भी एक साल, हम तो एक साल तो छोड़ दो, पांच साल के अन्दर हिसाब नहीं दिया, आज वही लोग हिसाब से मांग रहे हैं। पांच साल तो छोड़ो कभी भी अपने समय में उन्होंने हिसाब नहीं दिया। हमसे हिसाब मांग रहे हैं? मैं तो यह कहना चाहती हूं कि कोई भी जिम्मेदार सरकार होती है तो वह अपना हिसाब तो वैसे भी रखती है, वैसे भी देगी। मैंने पहले भी दिया था और फिर आगे भी दूंगी, यह मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। एनुअल रिपोर्ट जो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में प्रस्तुत की है, उसका हमने सरलीकरण किया है। उसको हमने स्पष्ट किया है ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। ऐसी स्थिति में उसको लाया है तो हम क्यों नहीं जिम्मेदारी के साथ कि सरकार ने क्या किया है, उसको हिसाब क्यों नहीं देंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने कहा कि एक साल में हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो मैंने तो एक पूरी लिस्ट यहां पर बना कर रखी है कि क्या-क्या काम हम लोगों ने किये हैं। उसको तो मैं सदन की पटल पर रख दूंगी, पर मैं मानती हूं कि इतना सारा जो काम हो गया है वह एक वर्ष की उपलब्धि है। ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक वर्ष की उपलब्धि है। अगर इतना हम एक वर्ष के अन्दर कर सकते हैं तो मैं यह मानती हूं कि जो अभी तक हमने वायदे किये हैं, उन वायदों को पूरा करने में हम पूरी तरह से सफल रहेंगे।

मैं दाद देती हूं राजस्थान की जनता को जो इनकी सबकी बातों में नहीं आयी। उन्होंने हमारे प्रयास को समझा, हमारा साथ दिया और इतनी अच्छी विजय हम सबको दिलायी। चुनाव में पार्टियां एक दूसरे के साथ भले ही लड़ती हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की खिलाफत करती है लेकिन मैं यह जानती हूं कि जब एक पार्टी जीत जाती है और उसकी सरकार बन जाती है तो पूरा प्रदेश उसका हो जाता है। एक परिवार जैसे हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि उस पूरे प्रदेश को अपना मानकर उसी हिसाब से उसकी सम्भाल करे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर परम्परा है कि जो जन हित के काम पिछली सरकार छोड़ जाती है, उसका भले ही आकलन कर लें, भले ही चैक कर लें, परन्तु ज्यादातर नयी सरकार जो आती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। हम जब हम आये तो हमने भी आकलन किया और हमने जो ठीक-ठीक काम पाये, उनको आगे बढ़ाने में हमने कोई कोताही नहीं बरती। इन्होंने क्या किया, सब काम को रोक दिया, पूरे काम रोक दिये और फिर इसका नुकसान भी इनको झेलना पड़ा और 21 लोग आकर यहां बैंच पर बैठ गये।

बिजली के मामले में हमने कुछ अच्छे कदम भी उठाये। उन्हें आगे बढ़ाया होता तो मैं समझती हूं कि बिजली कम्पनियों को आर्थिक तंगी नहीं होती और उनको इतनी कठिनाई में से निकलना नहीं होता। नियामक आयोग ने बिजली की दर तो बढ़ा दी, इमीजिएटली विरोध किया। आप भी, यह सब लोग भी जानते थे कि 19 अक्टूबर, 2011 का जो एम ओ यू था वह साइन जब इन्होंने किया तो वे भी समझ रहे थे कि हम कठिनाई में से निकल रहे हैं, नहीं तो साइन नहीं करते। इसमें इन्होंने नोट कर दिया है अपने एम ओ यू के अन्दर कि प्रति वर्ष बिजली की दरें बढ़ाएंगे। यह उसमें एक शर्त है। एक अन्य शर्त यह है कि फ्यूल सरचार्ज को हर छह महीने में आटोमेटिकली वे बिजली के बिल के अन्दर जोड़ देंगे। ये तो इतनी सारी तमाम शर्तें थीं, उनके बीच में ये दो शर्तें थीं और यह भी उन्होंने साइन किया है। तीन बार इन्होंने दाम बढ़ाये, पर वाहवाही लूटनी थी, इनकी आदत है, तो वाहवाही लूटनी थी। तो जो सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को सब्स्यूम अपने अन्दर करने की कोशिश की। जब उन्होंने सब्सिडी दी, अपने आप ले ली तो उसका कर्जा बढ़ा। जब कर्जा बढ़ा तो उस कर्ज को हटाने के लिए शार्ट टर्म लोन लिये। जब शार्ट टर्म लोन लिये तो हालत खराब हो गयी, पैसा नहीं रहा। तो उनके वेन्डर्स ने कहा कि हम आपको सामान नहीं देंगे, आप लोगों को जल्दी-जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान कहीं अन्धेरे में नहीं पड़ जाए, उस स्थिति को समझते हुए उन्होंने ये सब कदम उठाये।

मैं यह बताना चाहती हूं कि पेमेंट यदि नहीं होगा तो राजस्थान अन्धेरे में पड़ जाता है। बिजली कम्पनी के कर्ज इतने हो गये थे कि आप समझो कि किन्हीं-किन्हीं राज्यों से भी ज्यादा, किन्हीं-किन्हीं राज्यों की मुश्किलों से भी ज्यादा इस बिजली कम्पनी के हाथ में थी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2008-09 में 15663 करोड़ का राजस्व घाटा था, 2013-14 में 5 साल बाद यह 77453 करोड़ का राजस्व घाटा हो गया। यानी 61690 करोड़ रुपये सिर्फ 5 साल में? मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे थे। आखिर में यह डैट ट्रैप में तो ऐसे में तो फंसना ही था। आज हम इसमें लगे हैं कि किस तरीके से इसको अलग किया जाए, किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए। हम इसके साथ जुझ रहे हैं। मैं यह विश्वास करती हूं कि इसमें

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

समय तो लगेगा, बाकी यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें कमर हम सबको कसनी पड़ेगी। परन्तु आगे चलकर हम सब लोगों ने मिलकर इसको सम्भाला तो राजस्थान के इस संकट को हम सब बहुत जल्दी निपटा भी सकेंगे। यह इनको भी मालूम है और इसीलिए इन्होंने इसको साइन किया है। क्रिटिसिज्म फार द सेक आफ क्रिटिसिज्म, मैं समझती हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है। फिर जाते-जाते, यह तो किया सो किया, परन्तु जाते-जाते भी क्योंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव के अन्दर वोट कैसे मिलेंगे, वोट को किस तरह से अपनी जेब में डाला जाएगा, ये भूल गये कि राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है। सबसे पहले तो उन्होंने युवाओं के साथ खेल किया, युवाओं को उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी भर्ती खोल दी। ये जानते थे कि इसको कोर्ट में उलझा देंगे। कोर्ट में उलझाया, नीयत साफ बिलकुल भी न थी। यह सबको अब मालूम पड़ गया है। इस सबको फिर से ठीक करना, हम लोग एक-एक, अलग-अलग डिपार्टमेंट उसमें लगा हुआ है। अपने बजट की जो घोषणा हुई थी उसमें उन्होंने 15 कालेज खोले थे। चुनाव नजदीक आते दिख गये तो इन्होंने उनको 42 कालेज कर दिया, आउट आफ बजट। इन बजट तो इन्होंने खाली कालेज किये थे। बिना प्लानिंग के, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के। यूजफुलनैस को देखते हुए इन्होने कालेजों को नाम दे दिये कि सब लोगों को खुश कर देंगे और सबके वोटों को हम पा लेंगे। युवाओं के भविष्य के साथ यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था और अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है उसके बारे में।

एक और चीज, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन काड्र्स बनाये। राशन कार्ड तो इतने बना दिये कि जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा राशन कार्ड। लोग कहते हैं कि 80 लाख हो सकते हैं ज्यादा, कहते हैं कि 85 लाख ज्यादा हो सकते हैं। अब फिर हमसे पूछ रहे हैं कि राशन क्यों नहीं पहुंच रहा है सबके पास। फिर बनाने के बाद में हम लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने यह काम क्यों नहीं किया है। मैंने कहा है कि राशन कार्ड की व्यवस्था को हम ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा-सा समय उसकी चैकिंग में, उसको ठीक करने में लगेगा परन्तु हम उसको करके ही छोड़ेंगे। शुरूआत हो चुकी है।

फिर आप आइए पेंशन पर-विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बुजुर्ग पेंशन। पेंशन मिलनी ही चाहिए, चुनावी फायदे को अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। अनाप-शनाप दायरे बना लिये, कोई चालीस साल के, कोई पैंतालीस साल के को भी। जिसको भी लेना था उन सबको दे दिया। जिनको मिलना चाहिए था। उनको नहीं मिला और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया। मैं यह कह रही हूं कि जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए उनको हम अवश्य देंगे और यह भी देखेंगे कि उसमें कोई लीकेज न हो। अब सब कुछ हो गया तो अब आप सब व्हाइट पेपर मांग रहे हैं। मैं कह रही हूं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इन परिस्थतियों के अन्दर से भी हम लोग रास्ता निकालने वाले हैं। मैं समझती हूं किएक गेम चेंजिंग परिस्थिति को हम लोगों को बनाना है and we are working on the interventions. We will do something differently. मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये सब चीजें जो अभी उलझी हुई थीं, उनको सुलझाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे।

अब आपकी कुछ बातें। सपोटरा, झुंझुनूं, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपनी चर्चा के अन्दर सरकार से कुछ-कुछ बातें पूछी थीं। सरकार आपके द्वार के बारे में कोई प्रश्न उठे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि चुनाव के बहुत जल्दी बाद हम सब लोगों ने, मंत्रिमण्डल, अफसर, सब लोगों ने भरतपुर सम्भाग में दौरा करने का काम अपने हाथ में लिया। मुझे याद है, जब हमने यह शुरू किया तो कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि ये जा रहे हैं ऐसे अखबारा बाजी करवाने के लिए और यहां कुछ देखने को मिलेगा नहीं। परन्तु जब सब लोगों ने दौरा किया और करने के बाद जब वापस लौटे तो सबके मन में यह बात थी कि हमने अच्छी बात की कि जयपुर छोड़कर हम यहां तक आये। हम लोगों ने वाकई में क्या समझा था जयपुर के अन्दर बैठे फील्ड के अन्दर हमको क्या देखने को मिला। उनके बीच में कितना फर्क था, वह भी हमको देखने को मिला। हम लोगों ने बैठकर कुछ आइडियाज बनाकर सोचकर तय किया कि इनको किस तरीके से हम मिलकर ठीक कर सकते हैं।

हम लोगों ने इस कार्यक्रम में तीन सम्भाग के अन्दर 2.5 करोड़ लोगों के बीच जाकर, 14 जिले, 97 पंचायत समिति, 3639 पंचायतों पर जाकर जनता की समस्याओं को सुना। यह सही है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, पर कोई गया ही नहीं उनके पास, कोई सुनने वाला नहीं है उनके पास। यहां विपक्ष के नेता तो आराम से कह रहे हैं कि नहीं, वे बस में बैठकर फिर कहां गये, कहां चिट्ठी लिखी, कितना पैसा खर्च किया। उनको कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो उनके गांव में उनके घर के ऊपर गये। हमने उनसे पूछा, उनसे कागज लिये। हम मानते हैं कि आज दिन तक का समय लगा, परन्तु ज्यादातर उन कागज का निपटारा हो चुका है। मुझे खुशी है कि हमने इतनी मेहनत इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर की। और इसको हम आगे बढ़ाएगें, क्योंकि यह जरूरी है कि हम जनता के और निचले स्तर तक पहुंचकर उनके दुख और दर्द को समझने की कोशिश करें।

राजस्थान सम्पर्क, उसमें से निकला राजस्थान सम्पर्क पोर्टल। ई-मित्र कियोस्क को हमने और मजबूत किया और बहुत जल्दी अटल सेवा केन्द्र के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

साथ इनको मिलाते हुए हम लोग इस चीज को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।

पंचायत और ग्रामीण विकास के बारे में झुंझुनूं, फतेहपुर, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने बात की थी। हमने जो चुनाव था उसमें शिक्षा को अनिवार्य बनाया। मैं समझती हूं कि उनको भी खुशी होनी चाहिए थी कि ये हमने किया, यह फारवर्ड लुकिंग स्टैप है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कितना पैसा आपकी पंचायतों के ऊपर जाता है। इतना पैसा है, उस पैसे को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक कायाकल्प आपको देखने को मिलेगा। आज शिक्षित होकर बच्चे वहां से जीतकर आये हैं, मैं मानती हूं कि वहां पीजी किये हुए लोग हैं बीए किये हुए लोग हैं, एलएलबी किये हुए लोग हैं, आईआईटी, बिजनेस मैनेजमेंट, हास्पिटेलिटी इन सबके लोग, पढ़े-लिखे डिग्री होल्डर्स वहां हैं। मैं मानती हूं कि वे अपनी पंचायतों में चेंज लाने की, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर चेंज लाने की, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यही आशा हमारी थी जिसकी वजह से हम लोगों ने इस चीज को अनिवार्य बनाया। इन लोगों ने तो विरोध किया। परन्तु मैं मानती हूं कि शिक्षित और विकसित राजस्थान का सपना जो हम सबने देखा है, उसकी तरफ एक बहुत अच्छा और ठोस कदम इसके द्वारा हमने उठाया है।

पंचायती राज चुनाव लडने के लिए प्रत्याशी के घर में हमने कहा कि शौचालय भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अपने घर के अन्दर शौचालय बना लीजिए। इसको भी अनिवार्य हम लोगों ने किया। मैं खुशी के साथ यह कह सकती हूं कि इस पीरियड के अन्दर 478300 शौचालय बने और यह हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में 2018 तक शौचालयों का निर्माण हो जाएगा। अच्छी नयी बात जब भी होती है तो उसकी आलोचना तो होती ही होती है। यह तो एक्सपैक्टेशन हमें रखना चाहिए। डिफिकल्टीज होंगी। और कब नहीं होती हैं? उनको सुलझाया जाएगा। But all in all I think, यह तो एक step in the right direction है।

एक नयी चीज हम लोगों ने निकाली है, वह है अन्नपूर्णा भण्डार। हमने अपनी इस यात्रा के अन्दर भी और जब हम डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर गये तो वहां हमने देखा कि जब राशन की दुकान पर लोग जाते हैं तो एक लम्बी कतार होती है, राशन की दुकान अट्रैक्टिव नहीं होती, लोगों को बहुत दुःख पाना पड़ता है। हमने सोचा कि इन राशन की दुकानों को अपने को थोड़ा चेंज

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करना चाहिए। अन्नपूर्णा भण्डार के नाम से हम लोगों ने इनको विकसित करने का निर्णय लिया। उदयपुर डिवीजन के अन्दर जब अपन दौरा करने गये थे तो एक टामटिया गांव के अन्दर हम लोग गये थे, उसके अन्दर मैंने देखा। इसलिए राशन के साथ ही नहीं, परन्तु जीएसएस के साथ भी इसको जोड़ने का हमने सोचा है। जब हम गये थे तो उस गांव के अन्दर हमने देखा कि कितनी तो अच्छी दुकानें बनी थीं और साथ में उन्होंने बैंक भी बना रखा था। बैंक के साथ-साथ उन्होंने सीमेंट बोरी रखने का सामान, यूरिया रखने का सामान, सब उसके साथ बनाया था। उसकी वजह से वहां जो भी जनता आती थी, उनके लिए आराम था। हमने समझा कि इस तरीके से अन्नपूर्णा भण्डार हम बनाएं और उसके माध्यम से उपभोक्ताओं को सिर्फ राशन ही नहीं क्वालिटी सामग्री अगर हम कर सकें from approved suppliers, wholesale suppliers, multi-retail distributors, branded or packaged stuff अच्छा हो, वह अगर वहां मिले, सस्ती दरों पर मिले, राशन व जीएसएस की दुकानों के अन्दर हम अगर यह कर सकें तो लोगों को उसका भी बहुत फायदा होगा। आने वाले समय में हम चाहते हैं कि पाइंट आफ सेल मशीन और कम्प्यूटर्स भी वहां लग जाएंगे तो लोगों को उसमें और आसानी हो जाएगी। इसकी शुरूआत भी अब हो चुकी है।

सडकों के बारे में, बस्सी, मकराना, बूंदी, बानसूर, किशनगढ़, सूरजगढ़, आहोर, भीम, जोधपुर, टोडाभीम, लूणकरणसर से आने वाले सदस्यों ने यहां चर्चा की। पिछले 14 महीनों में 5361 करोड़ रोड्स के अन्दर खर्च हुए हैं, 6303 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और करीबन 1950 गांव जुडे हैं। यह तो हम सब मानते हैं कि सड़कों का सुधार हम लोगों को जल्दी करना चाहिए और उस सुधार के लिए हम सब लगे हुए हैं। मैं मानती हूं कि आर्थिक विकास को अगर हमें गति देनी है तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुदृढ बनाना है। चाहे वह बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे पीने का पानी हो, हम लोगों को कई कदम आगे बढ़ना होगा। हमने अपने समय में रिडकोर कम्पनी का गठन किया था, स्टेट मेगा हाइवेज का हम लोगों के साथ मिलकर जिसने निर्माण किया। इसके अलावा हमने गांव की सड़कों को जोड़ने का काम भी किया था। मैं मानती हूं कि इन लोगों ने तो इस रिडकोर के ऊपर या कोई भी रोड के ऊपर काम करने की मंशा नहीं रखी। पहले तो इधर-उधर करते हुए, उधेडबुन करते गये और आखिर में जब उनको लगा कि हमारे रोड नहीं बनने जा रहे हैं तो फिर उन्होने दौड़ादौड़ी करके रिडकोर के साथ साझा करके रिडकोर के साथ काम करना शुरू कर दिया। But it was too late. अगर पहले कर लिया

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

होता, यह अच्छा प्लान था। जब उसको लेना ही था, पांचवे साल में लेना था तो पहले ही साल में ले लेते तो राजस्थान को उसका फायदा मिल जाता और मैं समझती हूं कि यह बहुत अच्छा होता।

आज कई लोगों ने हमसे यह बात कही कि गौरव पथ कहां है, कब होगा, क्या यह सपना है। तो हमने यह सपना देखा है। पिछली बार हमने शहरी गौरव पथ बनाये थे, इस बार हम लोगों ने तय किया है हम गांव के गौरव पथ बनाएंगे, क्योंकि महिलाओं को कीचड़ में जो चलना पड़ता है, वे उस स्थिति में न आएं। मेन रोड जो भी गांव का है, उस गांव के रोड को हम लोग यदि सीमेंट और कंक्रीट का रोड बना लें और ग्रामीण गौरव पथ बन जाए तो उससे कई महिलाओं को फायदा मिलेगा। इसलिए हमारे स्वीकृत ग्रामीण गौरव पथ 2154 हैं और जो कार्य शुरू हो चुका है वे हैं 509 । यहां तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि एक भी शुरू नहीं हुआ है, कहां है ग्रामीण गौरव पथ? 509 के अन्दर शुरू किया है और जो कार्य इस साल के अन्दर पूर्ण हो गये हैं वे करीबन 61 हैं। काफी काम हो चुका है और अच्छा काम हुआ है, उसको हम लोग मिलकर पूरा करेंगे।

(19.00 बजे)

हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि नाबार्ड में 900 करोड़ रुपये का लोन लेकर गांव के अन्दर आवश्यक सड़क करेंगे। जो हमारे मिसिंग लिंक्स हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। जो खस्ता हालत है रोड की, उसको देखकर जो पड़ौसी राज्य हैं, उन्होंने यह कह दिया कि इतनी खस्ता हालत के अन्दर हम हमारी बसों को नहीं भेजने वाले क्योंकि हमारी बसें बिगड़ जाएंगी। इसलिए कई ने तो अपनी बसों का राजस्थान के अन्दर जाना ही रोक दिया। यह तो तब की हालात थी। अब यह हालत हमारे समय के अन्दर नहीं होगी। मैं यह नहीं कह सकती हूं कि 5-6 महीने या एक महीने में कायाकल्प हो जाएगा, पर हां, पांच साल के अन्दर फर्क सबको दिखने लगेगा और सब देख लेंगे और समझेंगे कि जब सरकार काम करती है तो इस तरीके से होता है।

जहां तक रोजगार का सवाल है, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने इसको उठाया, फिर नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा और हैरान होकर उन्होंने कहा कि एक सवाल निकल गया, 15 लाख लोगों को कहां रोजगार मिलेगा। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं 15 लाख लोगों को एक साथ एक साल के अन्दर नौकरी दूंगी। मैंने यह कहा था कि पांच साल के अन्दर 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रहेगी। हमने उसको ध्यान में रखते हुए

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम चालू कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि अभी ग्रामीण स्किल योजना के अन्दर हम लोगों ने 200 स्किल डवलपमेंट सेण्टर, 44 पार्टनर्स और उनके साथ एम.ओ.यूज., 63 सेण्टर्स के ऊपर काम चालू कर दिया है, पांच हजार युवा अभी उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। 150 नये स्किल डवलपमेंट सेण्टर, एम्प्लायमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने चालू किये हैं जिनमें 72 पार्टनर्स और उनके साथ एम.ओ.यूज. हो चुके हैं। 2013 से 2015 तक 2280 प्रशिक्षण बैचेज आयोजित करके 55539 युवाओं को हास्पिटेलिटी, आई.टी., रिटेल, सिक्योरिटी, गारमेंट मेकिंग, बैकिंग, बी.पी.ओ. इनके अन्दर ट्रेनिंग करा दी गयी है और इनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। पिछली सरकार ने 2012-13 और 2013-14 के अन्दर 22 और फिर 23 करोड़ यानी 46 करोड़ रुपये खर्च किये थे आन स्किल डवलपमेंट। हमने एक ही वर्ष के अन्दर 70 करोड़ और 2015-16 के अन्दर 500 करोड़ तक ले जाने का सोचा है। मैं समझती हूं कि इसको खर्च करने से बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा। अब दोनों को अगर जोड़ लो तो 55539 जो स्किल डवलपमेंट के थ्रू हैं और 19509 जो सरकार के थ्रू हैं, तो करीबन 75 हजार बच्चों को रोगजार मिला है और बहुत सारे इसके थ्रू अवसर भी सृजित हुए हैं।

इसके साथ-साथ रोजगार का एक अंग इन्वैस्टमेंट के थ्रू है तो राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2014 की हमने घोषणा कर दी है। उसके द्वारा नवम्बर के महीने में रिसर्जेंट राजस्थान का एक बहुत बड़ा फंक्शन, हम करने जा रहे हैं जिसके अन्दर प्रधानमंत्री खुद आएंगे, जिसके अन्दर कई उद्योगपति आएंगे। मेरा विश्वास है कि नये उद्योग के बारे में, नये इन्वैस्टमेंट्स के बारे में एम.ओ.यू. साइन तो करेंगे ही करेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग उसके पहले भी जमीन पर आ जाएंगे। यह हमारी कोशिश है। सी.आई.आई. की पार्टनरशिप समिट में बहुत सारे बाहर के उद्यमी आये और उन्होंने बहुत सारा इंटरैस्ट भी हमें दिखाया। मैं खाली यह कहना चाहती हूं कि हमारा रिप्स जो राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है वो 2014 में अभी किया, जब मैंने पीछे का देखा कि पिछले पांच साल में क्या हुआ, तो मैंने देखा कि राजस्थान इन्वैस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2007 वैसे की वैसे है। पांच साल के अन्दर एक भी मात्रा उसके अन्दर नहीं लगायी, एक भी पैराग्राफ उसमें नहीं जोड़ा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और वो सोच रहे हैं कि इन्वैस्टमेंट क्यों नहीं आया, किसी को नौकरी क्यों नहीं मिली। तो दोनों हो कैसे सकते हैं जब इस डायरेक्शन में कोई काम ही नहीं हुआ। सिंगापुर भी हम लोग होकर आये हैं,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सिंगापुर का इंटरैस्ट हुआ है। सिंगापुर के फारेन मिनिस्टर अभी होकर गये हैं और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि वो पूरी तरह से हम लोगों का सपोर्ट करेंगे। 2-3 विषयों में-क्लीन वाटर एण्ड स्किल डवलपमेंट सेण्टर्स के ऊपर प्लस होपफुली इन द स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी, उसके अन्दर हमारी मदद करने में वो आगे बढ़ेंगे।

इन्वैस्टमेंट के लिए यह आवश्यक है कि एक बहुत अच्छा ला एण्ड आर्डर सिचुएशन हो जाए। यहां तो सबसे आसान है पुलिस के ऊपर ठोकना। सबसे आसान है यह कह देना कि कोई ला एण्ड आर्डर सिचुएशन ही नहीं है। जब तक अच्छा ला एण्ड आर्डर सिचुएशन नहीं होता है तो इन्वैस्टमेंट करने कोई आएगा भी नहीं और मैं समझती हूं कि इसके ऊपर हमारा पूरा-पूरा ध्यान है। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि इनके 2012 के अन्दर जो हमारे अपराध दर्ज हुए थे, करीबन 14 परसेंट थे, वे घटकर हमारे समय के अन्दर 7.23 परसेंट पर आये। जो एस.सी. और एस.टी. पर अत्याचार थे, उनके समय 2013 के अन्दर जो 17.45 परसेंट थे, वे घटकर 3.6 परसेंट अपने समय के अन्दर हुए। तो मैं मानती हूं कि फर्क तो हुआ है।

इसमें आल्सो आटोक्रीएट जाब्स, पर्यटन हमारे लिए एक इकोनोमिक मल्टीप्लायर हो जाता है और इस पर्यटन के ऊपर हम लोगों ने इस बार ध्यान दिया है। हम चाहते हैं, एक नयी ट्यूरिज्म पालिसी जो अब बन चुकी है, वह अब हाउस में आ जाएगी। एक फैस्टिवेल का कलेण्डर, एक अच्छा इंटरेस्टिंग युवाओं को जोड़ने वाला ऐसा कलेण्डर हम लोगों ने अब बना दिया है, बहुत जल्दी हम आपके सामने उसको रखेंगे। राजस्थान दिवस के साथ जो राजस्थान का स्वाभिमान और गौरव जुड़ा था, उसको हमने वापस करके एक हफ्ते का, जिस तरीके से पहले हुआ करता था, उसी तरीके से हम लोग फिर से उसका प्रस्तुतीकरण करने वाले हैं। आमेर के फोर्ट का काम चालू हो चुका है और उसके साथ नाइट ट्यूरिज्म के लिए हमने उसको भी खोल दिया है, जिसका बहुत ही अच्छा और सक्सैसफुल एग्जाम्पल हमको मिला है। मैं समझती हूं कि वह अपने लिए अच्छा ही रहा।

शिक्षा के बारे में कोलायत, निवाई, लक्ष्मणगढ़, बानसूर, ओसियां, टोडाभीम, जोधपुर, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी बातें उठायीं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि राज्य में सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर 186 उच्च माध्यमिक विद्यायल, 66 का संचालन शुरू हो गया है। अंग्रेजी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

के माध्यम से जो स्कूल बने हैं, विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूल, उनको वह नाम दिया है। 2 हजार स्कूलों में सैटेलाइट एजुकेशन सिस्टम आरम्भ कर दिया है। और एक नयी चीज है जिसको हम इस साल से जोड़ रहे हैं एक से बारहवीं कक्षा, उसमें 4,988 उच्च माध्यमिक विद्यालय हर पंचायत मुख्यालय पर हम खोलना चाहते हैं। अभी जो पंचायत शेष रह जाती हैं, उनमें भी ऐसे विद्यालय हम खोलेंगे ताकि जो आने वाला समय है, उसमें हमारे बच्चों को भविष्य अच्छा हो जाएगा। हमने यह माना है कि यह एक नया प्रयोग है। मैं समझती हूं कि दो किलोमीटर की परिधि के अन्दर जो बच्चे हैं, वे अपने आप डायरेक्टली आ जाएंगे। परन्तु उसके जो बाहर हैं, उनके लिए बस या ट्रांसपोर्ट वाउचर्स का सिस्टम बनाया जाएगा ताकि वे यहां आ सकें। एक अच्छा प्रिंसिपल फुल आपके आर्टस के टीचर्स, जहां साइंस की जरूरत है वहां फुल साइंस के टीचर्स, कम्प्यूटराइजेशन की वहां पर अच्छी क्लासेज लगकर पूरे के पूरे टीचर्स वहां पर भी लगें। 40 मिनट से कम क्लास न हो, ऐसी परिस्थिति। उसके बाद गेम्स जरूर हों, तो गेम्स के टीचर्स भी वहां हों। एक घंटा वहां स्कूल में पढ़कर बच्चे वापस घर जाएं, किताबें उनको वापस ले जाने की जरूरत ही न हो, ऐसी स्थिति हम बनाना चाहते हैं। सुबह-सुबह जो बच्चे जल्दी जाते हैं, थोड़ा-सा एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। इसीलिए मैंने तो यह तय किया था, हो सकता है, बात ही चली थी, तय भी हुआ था। यह बात चली थी कि जो बच्चा आता है, वह 15 मिनट एक्सरसाइज कर लेगा। थोड़ा-सा प्राणायाम, चार-छह सूर्य नमस्कार, थोड़ा-सा मैडिटेशन और फिर अपने क्लास में जाने की तैयारी में चला जाएगा। मैं हैरान हूं सुनकर, जब अखबार में पढ़ती हूं कि कहीं कोई, कहीं कोई इसके ऊपर विरोध जता रहा है। सूर्य नस्कार तो एक एक्सरसाइज है और यह तो पूरी दुनिया में माना गया है। भूल जाइये कि योग दिवस भी मनाया गया है। 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस माना गया है। पूरी दुनिया इस चीज को मानती है पर सिर्फ हम ही लोग इस बात को करेंगे तो मैं समझती हूं, इससे अपने को आगे बढ़ने की जरूरत अब है।

आठवीं बोर्ड के बारे में यात्रा के अन्दर हमको सुनने का मिला था, बहुत सारे लोगों ने हमें यह कहा, अब सेण्टर ने कह दिया है कि कोई एग्जाम्स करने की जरूरत नहीं है। बच्चे सीधे चले जाएंगे, उन्हें आठवीं तक कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यहां तक तक कि ट्राइबल एरियाज के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोगों ने हमको यह कहा कि यह एक षड्यंत्र है कि हम लोगों के बच्चों को ये लोग चाहते नहीं हैं कि वो कम्पीटिशन में बैठें। इसलिए आप परीक्षा फिर से चालू करवाइये। हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है और इस बार एक लाख से अधिक बच्चों ने उसमें भाग लिया और इस व्यवस्था को हम आगे अनिवार्य रूप से चलाएंगे। मैं समझती हूं कि उसके लिए यह बहुत अच्छी चीज है। सुराज संकल्प पत्र के अन्दर ये दो परीक्षाएं हो रही थीं और आप सबको याद है, सब लोगों ने कहा, कि परीक्षाएं होती हैं उनसे हमें बहुत मुसीबत होती है। तो हमने उसको एक परीक्षा कर दी। रीट परीक्षा का नाम है और उसके माध्यम से अध्यापकों की भर्ती होने लगी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, शायद अभी होने ही जा रही है जो कमप्लीट हो जाएगी। तो यह अपना उस समय का प्रोमिस था, उसको हमने पूरा किया है। मैं आज पढ़ रही थी अखबार के अन्दर, शायद डीएनए के अन्दर आया था या कोई एक अखबार के अन्दर पाया था, जिसमें उन्होंने रीट के बारे में यह बात रखी है। रीट इज इन, आरटेट इज आउट एण्ड जाब्स फोर 20,000 टीचर्स। यानी लिखना शुरू किया है। यह बात सही है, लोंगों को मिलेगी नौकरी, टीचर्स को भी हम भर्ती करेंगे।

जहां तक चिकित्सा की बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि यह कहां से बात उठती है कि फ्री दवा की योजना को हम बंद कर देंगे। कहीं भी बंद नहीं हुई है। इन फैक्ट हम लोगों ने जहां उनका बजट था 255 करोड़ रुपये का, हम लोगों ने उसको शायद बढ़ाया है। 98 करोड़ रुपये हम लोगों ने बढ़ाया है। इतना तो हम लोगों ने बढ़ाया है, तो उसमें कहां रही बात बंद करने की? आपको मैं यह खुशी से बता सकती हूं कि साढ़े छह करोड़ मरीज को तो नि:शुल्क दवा योजना के अन्दर हमने लाभ दिया है और साढ़े चार करोड़ मरीजों को नि:शुल्क जांच करवायी है। यह तो बहुत अच्छा और बड़ा काम हुआ है। कहीं रुकावट नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इनके पास कहां से बात आयी।

अब स्वाइन फ्लू की बात आयी। स्वाइन फ्लू को लेकर पूरी दुनिया के अन्दर भ्रम फैलाने का काम इन्होंने किया है। ये हमारी मदद कर सकते थे, हमारे साथ जुड सकते थे। लोगों को कह सकते थे कि अगर इनके थोड़े से भी सिम्पटम्स होते हैं तो तुरन्त आप अस्पताल में पहुंचिये, परन्तु इन्होंने यह नहीं किया। मैं यहां आपको यह कहना चाहती हूं कि यह बहुत ही अनफार्चुनेट

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है, क्योंकि एक नेशनल एपिडेमिक है। पर हमने यह कहा कि एक भी जान जाती है, वह हमारे लिए दु:खद है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हो। और हम लोग कोई भी नहीं चाहते। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं चिकित्सा डिपार्टमेंट को, चिकित्सा डिपार्टमेंट के साथ-साथ सब डाक्टर्स को जिन्होंने दिन और रात एक करके, मेहनत करके लोगों की जान बचायी है।

मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि भर्ती होने के एक से चौथे दिन तक 69 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई एण्ड दैन भर्ती होने के प्रथम नौ दिवस के अन्दर 92.7 प्रतिशत की मृत्यु हुई। तो अगर समय पर लोग आ जाते तो शायद इतना बड़ा फिगर होता ही नहीं। जो अन्य राज्यों की तुलना के अन्दर परसेंटेज है। उमुलेटिव डैथ्स की, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 15.14 प्रतिशत, फिर महाराष्ट्र में 8.2 प्रतिशत, फिर गुजरात में 6.1 प्रतिशत और राजस्थान में 4.7 प्रतिशत। मैं यह कहना चाहती हूं, आउट आफ द पेशेंट्स हू-टैस्टेड पाजिटिव, बिकाज डैथ तो हुई हैं आपकी 257, परन्तु जो टैस्टेड पाजिटिव थे, वे भी बहुत सारे लोग थे। उसमें से 95.3 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो ठीक होकर बाहर निकले। उनके बारे में अपन कोई कुछ नहीं कह रहे हैं। इतने सारे लोगों को ठीक करना, आइसोलेशन वार्ड को मैन करना, टेमी फ्लू और दवाई को सबको देना और नाइट और डे उसके लिए काम करना, यह कोई छोटा काम नहीं था। मैं उन सब डाक्टर्स को आपके थ्रू धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने लगकर, मेहनत करके लोगों की जान बचायी।

इसके साथ-साथ जल संसाधन की बात रानीवाड़ा, आहोर और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्यों ने कही कि यहां क्या हो रहा है। तो मैं यह बताना चाहती हूं कि वह नदी जोड़ने का प्रोग्राम हमने हाथ में ले लिया है। 2014-15 में चम्बल और माही मिलाकर 62 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की सैंक्शन हुई थी, जिसमें से हमने 28 अभी पूरे कर लिये हैं, टोटल 59, 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे। मैं समझती हूं कि हमने जिस तरीके से एक-एक रिवर बेसिन को कमप्लीट करते हुए, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का जो प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के साथ लगकर थ्रू रिवर बेसिन अथोरिटी हम इसको पूरा करना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि यह भी मेहनत का काम है, पर इसको हम लोग पूरा कर सकेंगे।

दैन पिछली सरकार ने अगेन बिना बजट के और आपाधापी के साथ 67 पेयजल की योजनाएं घोषित कर दी थीं, स्वीकृत कर दी थीं। हम लोगों ने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसको चैक किया, उसको समझने की कोशिश की और पहले चरण में 12 परियोजनाएं लीं, जिनमें से 11 परियोजनाएं 31 मार्च तक कम्प्लीट हो जाएंगी। एक परियोजना जो बचती है, वह भी अप्रैल-मई तक हम लोग पूरा कर देंगे। बाकी जो बची हैं, उनकी फिजिबिलिटी को देखते हुए उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वर्षवार हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ कहने की बात ही कह रही हूं कि अगर हमने भी वही बात कर दी होती कि अब कोई काम जो प्रीवियस सरकार ने किया, हम नहीं करेंगे तो मैं समझती हूं कि हम भी उसी स्थिति में पहुंच जाते जिस स्थिति में वे पहुंच थे। इसलिए इन चीजों को हाथ में लेते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम बहुत ही जल्दी कर रहे हैं।

सेम की समस्या के बारे में सब लोगों ने बहुत सारी बात उठायी, इसलिए मैं समझती हूं, इसको भी मैं रिकार्ड पर लाना चाहूंगी कि अपने पिछली कार्यकाल में सेम की समस्या के लिए जब हमने दौरा किया था उस एरिया में तो लोगों ने हमारे सामने उस समस्या को लाया था। पांच करोड़ रुपये से हम लोगों ने शुरुआत की थी और अब हम यह कोशिश में हैं कि इसको हम थोड़ा-सा आगे और बढ़ाएंगे। हमने देखा कि पिछले तीन वर्ष में पम्प बंद पड़े हैं। वह तक आपने चालू नहीं किये। इतना जोर-जोर से बोले हैं अभी, परन्तु पम्प तक चालू नहीं किये। वहां पम्प लगे हुए थे, उनको बंद रखा। वैसे ही बंद पड़े रहे। अब हमने फिर दो करोड़ रुपये कन्सल्टेंसी के लिए दिया है क्योंकि वहां सेम की समस्या है, वह बहुत फैल गयी है। जो पहले थी, उससे कहीं ज्यादा है। उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए दो करोड़ रुपये देकर हमने एक साइंटिफिक स्टडी चालू कर दी है। मैं समझती हूं कि उसका रिप्लाई जब आ जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए सेम की समस्या को भी हाथ में लेने का काम हम लोग करेंगे।

भामाशाह योजना के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पूछा। लक्ष्मणगढ़, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की। यह हमारी एक पुरानी स्कीम है। अगर बंद नहीं कर दिया होता तो मालूम नहीं, अब तक तो कहां पहुंच गई होती। परन्तु अब हमने फिर से शुरू किया है। जनधन के साथ जोड़ दिया है, आधार के साथ जोड़ दिया है और मोबाइल के साथ भी इसको जोड़ दिया है। इसका भी फायदा हम लोगों को मिलेगा। इस योजना में परिवार का मुख्य बिन्दु हमने महिला को बनाकर डेढ़ करोड़ से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अधिक महिलाओं को इससे लाभान्वित किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि रोज नयी-नयी तकनीक आ रही हैं, इनको हम इन्कारपोरेट करते जाएंगे। कोशिश करके इनको इनकारपोरेट करेंगे। यह सब, मैं मानती हूं, अगर कांग्रेस ने पहले पांच साल के अन्दर कर लिया होता तो हम बहुत आगे इसमें पहुंच जाते। यह एक काम्प्रिहैंसिव स्कीम है, एक गेम चेंजिंग आइडिया है। इसको ध्यान में रखते हुए, सावधानी के साथ ठोस व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है, थोड़ी-सी देर भी हो रही है। हम चाह रहे हैं कि इसके अन्दर गैर नकद लाभ भी हम जोड़ लें। बहुत ही जल्दी, चिकित्सा विभाग के साथ बात करने के बाद, यह हमने तय किया है कि 30,000 से तीन लाख तक की स्वास्थ्य बीमा की योजना भी हम इसके साथ अच्छी तरह से जोड़ देंगे। इसका भी लाभ लोगों को मिल जाएगा। यह व्यवस्था पंचायत समिति, पंचायत स्तर पर एक परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी तो डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसकी बात सब लोग करते हैं, वह इसके थ्रू आसानी से हो जाएगा।

अब कुछ तो काम हम लोगों ने अच्छा ही किया होगा इस साल के अन्दर और इसके लिए हम लोगों को पुरस्कार भी मिले हैं। इन पुरस्कारों के बारे में भी थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहूंगी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर उत्कृष्ट कार्य के लिए हमको सोलर एनर्जी में प्रधान मंत्रीजी ने पुरस्कृत किया है। बैस्ट स्टेट इन स्किल डवलपमेंट का अवार्ड, गोल्ड कैटेगरी, इसमें एसोचेम ने राजस्थान को प्रथम मानकर हम लोगों को वह भी दिया है। पिछले कुछ महीनों के अन्दर ये दो अवार्डस जो हमारे लिए मैं समझती हूं कि बहुत अच्छे हैं, उनको हमने पाया है।

अभी-अभी फरवरी महीने के अंत में बरसात हुई है और मेरे ध्यान में है कि कुछ दिनों में इसका कुछ तो लोग कहते हैं कि अच्छा फायदा भी हुआ, परन्तु कुछ कहते हैं कि इसका कई जगह नुकसान भी हुआ है। इसकी शिकायत भी हमारे पास आयी है। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात कर ली है, रिलीफ डिपार्टमेंट को भी कहा है कि नुकसान है, उसका अपन सर्वे करवाएं जितना जल्दी हो सके। उसका आदेश हमने दे दिया है। जो सर्वे वापस आ जाएगा, उसमें जो अपन ने पहले भी पैकेज बनाया था, उस पैकेज को देखते हुए जरूरत पड़ेगी तो उसको भी इस्तेमाल करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे।

एक पाइंट इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय। बिजली के लिए भी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि इतने सारे हम लोगों को पहले

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कनेक्शन मिलते थे, वे अब कनेक्शन नहीं मिलते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 40,000 कनेक्शन देने थे इस साल, आलरेडी 35,000 कनेक्शन हमारे हो चुके हैं और 4,000 कनेक्शन हम बहुत जल्दी दिलवा देंगे। तो जो हमारा इस साल का कोटा था, वह पूरा भी हो जाएगा।

जहां तक सोलर पावर है, सोलर पावर के अन्दर 35,000 मेगावाट के तो हम लोगों ने आलरेडी एमओयू तैयार कर दिये हैं। एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन हुआ है किसानों के साथ जहां किसान डाइरेक्टली साझा कर सकता है उन लोगों के साथ जो सोलर पावर लगा रहे हैं। हम बीच में कहीं नहीं हैं। पहले तो जमीन को जाकर आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता था और बहुत सारी मुसीबतों से निकलना पड़ता था। अब वह कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह डाइरेक्टली अपना साझा उनके साथ कर सकते हैं और उनके लिए उसमें बहुत फायदा है। यह एक बिगिनिंग है।

जहां तक बड़े लोगों की बात है तो वह तो है- आई एन एफ एस आये हैं, अडाणी आये हैं, रिलायंस पावर आये हैं, ईजियो पावर आये हैं, सन एडीशन आये हैं, बहुत सारी बड़ी-बड़ी कम्पनीज आयी हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्यों प्राब्लम हो रही है। ये कम्पनीज तो उनके साथ भी काम किया करती थीं। कम्पनीज तो कम्पनीज हैं, वो सरकार से मतलब थोड़ी ही रखते हैं, वे तो काम से मतलब रखते हैं और कोई भी सरकार होगी उनका काम तो वो करते ही हैं।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी, मोदीजी ने यह तय किया है, अपने देश को दुनिया के अन्दर एक सबसे मजबूत देश बनाने का उन्होंने एक प्रण लिया है और उन्होंने यह कह दिया है कि ऐसा करने के लिए स्टेट्स को भी मजबूत करना पड़ेगा। मैं समझती हूं कि एक साल में हम लोगों ने भी विकास की एक मजबूत नींव रखी है, उसके ऊपर एक अच्छी इमारत हम लोग खड़ा करना चाहेंगे। उसके लिए सब लोग सेन्टर के साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं।

अगेन मैं यह कहना चाहती हूं कि हम कोई अकेले काम नहीं कर सकते। प्रतिपक्ष का अगर सकारात्मक सोच हो और हमारे साथ अगर वह काम करे तो हम लोग जो सेवा कर रहे हैं, वह दोनों मिलकर राजस्थान की सेवा करें। यह जरूरी है कि एक सरकार या दूसरी सरकार, उसका तो मामला बनता ही नहीं है, जो भी हैं वे हम लोग सब राजस्थान के ही हैं। कभी हम लोग इधर बैठे हैं, कभी वो लोग यहां बैठे हैं। हम लोगों की सबकी ड्यूटी है कि हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोग मिलकर राजस्थान का काम करें। इसलिए मैंने तब भी कहा, आज भी कह रही हूं और आगे भी कहूंगी कि यह काम बिना अपोजिशन के नहीं हो सकता है। एक अपोजिशन साथ देता है जो सही समय के ऊपर इश्यूज को पाइन्ट आउट करता है। ऐसे अपोजिशन की जरूरत है और अगर ऐसा अपोजिशन मिलता है तो हम लोग दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और उसका फायदा प्रदेश को मिल सकता है। Criticism for the sake of criticism is not welcomed but constructive criticism is very welcomed. Irresponsible statements are not welcomed. और मैं यह हमेशा कहती हूं कि सोच समझकर क्योंकि कोई भी इतनी इम्पोर्टेंट पोजिशन में पहुंचता है तो यह जरूरी है कि सोच समझकर बात करे। क्योंकि यह बात पूरे राजस्थान के अन्दर जाती है और लोग भ्रमित भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। चेंजेज तभी हो सकते हैं जब पक्ष और विपक्ष, एनजीओज, सिविल सोसायटी एण्ड प्रेस सब मिलकर साथ काम करें। तभी हम लोग अपने प्रदेश का फ्यूचर बदल सकते हैं।

आज मैं हमारे प्रेस के बंधुओं को भी यह कहना चाहूंगी कि राजस्थान का नव-निर्माण तभी सम्भव रहेगा जब पूरे प्रदेश में सकारात्मक वातावरण बने और लोगों की ऊर्जा जो है वह विकास की गति देने में लग जाए। ऐसा माहौल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेस भी निभा सकती है। प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जो बिना यानी नि:स्वार्थ भाव के साथ अच्छा काम करते हैं, प्रेरणादायी काम करते हैं। ऐसे लोगों को अपन फ्रंट पेज पर कभी-कभी रखें। लोगों को बताएं कि ऐसा अच्छा काम कुछ लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। इससे एक नयी दिशा, एक नयी सोच और प्रेरणा दूसरों को मिलेगी जो अख़बार पढ़ते हैं। मैंने देखा है, ऐसा एक आजकल समाचार पत्र है जो अपने फ्रंट पेज पर एक दिन के लिए ऐसे अच्छे समाचार यानी फ्रंट पेज को अच्छा रखता है। मैं सबको यह कहना चाहती हूं कि अगर वो ये कर सकते हैं तो बैक एण्ड फ्रंट पेज दोनों के ऊपर अगर सुबह-सुबह हम लोगों को यह पढ़ने को मिलेगा तो इससे जो ऊर्जा होती है आदमी के अन्दर, वह उसे आफिस में जाकर अच्छा काम करने में लगाएगा। पूरे राजस्थान प्रदेश के लोग उसमें लग जाएंगे, इसका फायदा हमारे पूरे राजस्थान को मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि चौथे पिलर के रूप में पक्ष, विपक्ष, एनजीओज, सिविल सोसायटी और प्रेस मिलकर राजस्थान के फ्यूचर को बदलने का काम करें।

मुझे खुशी है, जो शुरूआत हुई है। मैं खुश हूं, अभी एक साल के अन्दर जो हम लोगों ने काम किया है उसकी मुझे खुशी है। मैं इतना ही कहना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चाहती हूं, आने वाले समय के अन्दर हम लोगों का तो उद्देश्य यह है कि सुराज को आगे लेकर हम चलें। नारा हमारा है कि सबका साथ रहे, विजन हमारा है कि सबका विकास हो, संकल्प हमारा है कि स्वच्छ समृद्ध और राजस्थान का नव निर्माण हो और सपना जो हमारा है, वो यह है कि हमारे राजस्थान के चेहरे, सब चेहरों के ऊपर मुस्कान हो। मैं तो कहना चाहती थी कि सब लोग साथ मिलें, साथ मिलकर चलें और एक नये राजस्थान का निर्माण करें ताकि राजस्थान की जनता की अच्छी सेवा हो और हमारा प्रदेश जो है वह बहुत अच्छा और आगे बढ़े।

कुछ ही दिनों के अन्दर होली है, इसकी मैं आप लोग सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और दो पंक्ति होली पर मैं आप सबको समर्पित करना चाहती हूं:-

मत करो कोई भी तकरार...

अब है नहीं, हम लोग तो कोई तकरार नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में तो फिर भी।

मत करो कोई भी तकरार, आयी होली है।

अच्छा इधर उधर मत देखना आप, आयी होली है इसलिए कह रही हूं।

करो एक दूजे से प्यार, आयी होली है।

तोड़ दो मतभेद की दीवार, आयी होली है।

आओ मिलकर चलें साथ, आयी होली है।

इतना कह कर आप सबको धन्यवाद। मैं विश्वास करती हूं कि आने वाले समय के अन्दर इसको मैं कमेंट करूंगी। थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, सदस्य विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सबको होली की मुबारकबाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.26 बजे सोमवार, दिनांक 9 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

झुन्झुनूं की सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पद

75. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में सहकारी समितियां कहां-कहां, कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में कौन-कौनसी सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में व कब-कब उपलब्ध करवाई जाती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समितियों के संचालन हेतु व्यवस्थापकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किन-किन समितियों के पद भरे हुए हैं व किन-किन में पद रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

(4) क्या उक्त समितियों का वार्षिक अंकेक्षण होता है? यदि हां, तो गत पांच वर्ष में किन-किन समितियों का कब-कब अंकेक्षण किया गया तथा इनमें क्या-क्या अनियमितताएं पायी गईं व अनियमितताओं के आधार पर किन-किन व्यवस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार झुन्झुनूं में अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में विभिन्न वर्गों की 136 समितियां कार्यरत हैं। समितियों का विवरण पंजीयन क्रमांक सहित परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभिन्न वर्गों की सहकारी समितियों के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां वर्ष भर संचालित की जाती हैं। वर्ष 2013-14 में विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में कार्यरत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति के उपनियम में मुख्य कार्यकारी का पद स्वीकृत होता है। मुख्य कार्यकारी के भरे हुए पदों एवं रिक्त पदों की सूचना

(सहकारिता राज्य मंत्री)

परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों (मुख्य कार्यकारी) के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया व प्रावधान विभाग स्तर पर विचाराधीन है जिस पर निर्णय पश्चात भर्ती प्रक्रिया की जा सकेगी।

(4) जी हां। 97वें संविधान संशोधन के अनुसार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति का वार्षिक अंकेक्षण करवाना समिति का वैधानिक दायित्व है। विधान सभा क्षेत्र झुंझुनुं में 99 आडिट योग्य समितियां हैं। इन समितियों में अंतिम पांच वर्षों के अंकेक्षण से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किसी भी समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट में अनियमितता नहीं पायी गई है। किसी भी व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। सहकारी समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समितियों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिन सहकारी समितियों के सेवा नियम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से जारी किये हुए हैं उनके सम्बन्ध में सेवा नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही विभाग की स्वीकृति उपरांत की जाती है।

झुंझुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., में 12 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के सम्बन्ध में भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिखित परीक्षा माह मार्च में आयोजित की जा रही है एवं माह जून तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी सम्भावित है। झुंझुनूं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में सीधी भर्ती की स्वीकृति विचाराधीन है। क्रय-विक्रय सहकारी समितियों तथा सहकारी होलसेल भण्डार में व्यवस्थापकों के पदों पर विभागीय निरीक्षक कार्यरत है इनके अतिरिक्त रिक्त पदों में सीधी भर्ती के सम्बन्ध में व्यवसाय की समीक्षा कर निर्णय लिया जायेगा। अन्य वर्गों की समितियों में भर्ती हेतु समितियों के संचालक मण्डल द्वारा स्वयं के स्तर पर सेवा नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

पदोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई रोक नहीं है। समितियों द्वारा सेवानियमों के अनुसार पदोन्नति की जाती है। रिक्त पदों पर पदोन्नति से सम्बन्धित कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-76

(स्थगित)

प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं

77. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बिल्डर्स, श्रम ठेकेदारों व निर्माण कम्पनियों से कर के रूप में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु आय का एक निश्चित हिस्सा वसूला जा रहा है? यदि हां, तो योजना किस नियम के अन्तर्गत संचालित की जा रही है? योजना का नाम, योजना की मार्गदर्शिका एवं योजना से सम्बन्धित समस्त प्रावधानों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उक्त योजना कब से प्रारम्भ की गई? उक्त योजनान्तर्गत किन-किन को लाभार्थी की श्रेणी में माना गया है? उन्हें किस प्रकार लाभान्वित किया जाता है तथा कौन-कौनसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कर की राशि किस प्रकार की श्रम संस्थाओं, ठेकेदारों, बिल्डर्स, निर्माण कम्पनियों पर लगाये जाने की व्यवस्था है? उक्त सब से किस रूप में एवं किस प्रकार उक्त कर राशि वसूल किये जाने की व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत योजना के लागू होने से वर्तमान तक कितनी कर राशि वसूल की गई है तथा वसूल की गयी राशि से अब तक कितने श्रमिकों को लाभान्वित किया गया व उक्त योजना में कौन-कौन से श्रम संगठन पंजीकृत हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गैर संगठित क्षेत्र मजदूर बीमा योजना में कितने कामगार पंजीकृत हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर सरकार द्वारा निर्माण कार्यों से जुडे नियोजकों/ठेकेदारों से प्राप्त किया जाता है। उक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 एवं अधिनियम के तहत बने केन्द्रीय नियम 1998 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत राज्य नियम दिनांक 30.04.2009 को अधिसूचित किए गए तथा राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल का गठन अधिसूचना दिनांक 27.07.2009 द्वारा किया गया। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं के लिए हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। मण्डल द्वारा पंजीकृत हिताधिकारियों तथा उनके आश्रितों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1996 की धारा 2(डी) (प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न) में परिभाषित सभी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य, 10 लाख रुपये तक की निर्माण लागत के निजी आवास के निर्माण कार्य के अतिरिक्त, से सम्बन्धित नियोजकों पर उपकर लगाया जाता है। उक्त उपकर राशि निर्माण कार्यों से जुडे नियोजकों एवं ठेकेदारों से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों यथा यूआईटी, नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जन स्वा. अभि. विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, विद्युत वितरण निगम, आवासन मण्डल, रीको तथा श्रम विभाग द्वारा उनके नियंत्रण में होने वाले निर्माण कार्यों पर वसूल कर राज्य सरकार के राजस्व बजट हैड में जमा कराई जाती है।

(4) उपरोक्त योजनान्तर्गत अब तक 879.31 करोड़ की राशि जनवरी, 2015 तक वसूल की गई है। मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 58968 हिताधिकारियों एवं उनके आश्रितों को लाभान्वित किया गया है। उक्त योजना से जुडे हुए पंजीकृत श्रमिक संगठनों की सूची परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(5) मण्डल द्वारा गैर संगठित क्षेत्र मजदूर बीमा योजना संचालित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव

78. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत बनाई गई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं?

(श्री कैलाश चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत बनाई गई सड़कों के पुनरुद्वार और रख-रखाव के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों के रख-रखाव का विचार रखती है? हां, तो किस प्रकार व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में जनवरी, 2007 से पूर्व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित की गई सड़कों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। कुछ आंशिक क्षतिग्रस्त सड़कों को छोड़कर अधिकांश सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों के पुनरुद्धार एवं रख-रखाव के लिये अलग से बजट का प्रावधान नहीं है, परन्तु इन सड़कों को निर्माण पश्चात् पांच वर्ष की दोष निवारण अवधि (डी.एल.पी.) समाप्त हो जाने पर विभाग की संधारण सूची (मेन्टीनेन्स लिस्ट) में शामिल कर राज्य सरकार के सड़क मरम्मत के विभिन्न मदों के तहत, आवश्यकतानुसार समय-समय पर पैच मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य करवाकर रख-रखाव किया जाता है।

उक्त पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों पर आवश्यकतानुसार करवाये गये नवीनीकरण कार्य का विवरण भी परिशिष्ट-1 पर अंकित है। शेष क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में भूमिहीन किसानों को खेती के लिए वन भूमि का आबंटन

79. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डग में वन भूमि में गौ चरनोट एवं सिवाय चक भूमि भी सम्मिलित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत चार वर्षों में जिन मजदूरों ने कार्य किया उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैं? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामचन्द्र)

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की वन भूमि को भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिये उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रक्रिया के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग में वन विभाग की भूमि में 46 ग्रामों के 123 खसरों की 3226.86 हैक्टेयर (12907 बीघा 9 बिस्वा) चरागाह (गौ चरनोट) भूमि तथा 5 ग्रामों के 20 खसरों की 100.125 हैक्टेयर (400 बीघा 10 बिस्वा) सिवायचक भूमि शामिल है। विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है। यह समस्त भूमि वन भूमि के रूप में अधिसूचित होने से वन भूमि है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिये वन विभाग की जमीन उपलब्ध करवाने के कोई नियम/प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फूटोलाव (जमवारामगढ़) की स्वीकृत पेयजल योजना

80. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव के लिए पेयजल योजना कब किस स्कीम व कितनी राशि की स्वीकृत की गई? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांव फूटोलाव की स्वीकृत पेयजल स्कीम पर कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे तथा कौन-कौन से गावों के लिए उक्त स्कीम स्वीकृत की गई है? प्रस्तावित योजना की कार्य योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्कीम के कार्य के टेण्डर जारी हो गये हैं? यदि हां, तो कब? टेण्डर की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की ग्राम पंचायत फूटोलाव के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ग्राम फूटोलाव सहित कुल 6 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय जल योजना, फूटोलाव-राधागोविन्दपुरा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 17.8.2013 को राशि रुपये 291.85

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

लाख की जारी की गई । स्वीकृति आदेश की वांछित प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) उक्त क्षेत्रीय जल योजना ग्राम पंचायत, फूटोलाव के 6 ग्राम क्रमश: राधागोविन्दपुरा, फूटोलाव, भोंडाखेड़ा, ईश्वरसिंहपुरा, सरपुरा एवं कोलीवाड़ा हेतु स्वीकृत की गई है । योजना में स्वीकृत कार्य एवं इन पर व्यय की जाने वाली राशि सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है ।

(3) जी हां । उक्त योजना की निविदा दिनांक 12.09.2014 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 31.10.2014 को प्राप्त की गई एवं वित्तीय बिड दिनांक 21.11.2014 को खोली गई । योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 8.12.2014 को कार्यादेश दिया जा चुका है तथा योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । कार्यादेश अनुसार यह योजना माह सितम्बर, 2015 में पूर्ण की जानी निर्धारित है । निविदा आमंत्रण सूचना एवं शर्तों सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वालों के पुनर्वास की योजना

81. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भिक्षावृत्ति करना व कराना कानूनी अपराध है?

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा शहर सहित प्रदेश के अन्य विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति हो रही है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम व भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षो में कितने लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया गया व कितनों को पुनर्वास व रोजगार उपलब्ध कराये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा बच्चों से भिक्षावृत्ति कराये जाने वाले समूहों या व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो की गई कार्यवाही का गत 3 वर्षों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि भिक्षावृत्ति कराना कानूनी अपराध है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

भिक्षावृत्ति करवाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा-363(क) में दण्ड का प्रावधान है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा-24 के तहत भिक्षावृत्ति करवाना दण्डनीय अपराध है।

(2) जी हां। कोटा शहर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर भिक्षावृत्ति होना पाया गया है। इसकी रोकथाम व भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 को राज्य में 25 सितम्बर, 2014 से प्रभावी कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त अधिनियम में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के लिये पुनर्वास गृहों की स्थापना, स्वरोजगार व नौकरी के लिये प्रशिक्षण आदि का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(3) विगत 3 वर्षो में 157 लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर परिवार एव बाल गृहों में पुनर्वासित किया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) सरकार द्वारा बच्चों से भिक्षावृति करवाये जाने वाले समूहों या व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गयी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जमाखोरी रोकने हेतु कार्य योजना

82. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई पर रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कारगर कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि मंहगाई का मुख्य कारण जमाखोरी है? यदि हां, तो जमाखोरी रोकने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है व नहीं, तो किन-किन कारणों से मंहगाई बढ़ रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जमाखोरी रोकने हेतु नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से कब-कब तथा नियम बनाने के पश्चात् भी जमाखोरी नहीं रूकने के क्या कारण हैं?

(डा. किरोड़ी लाल)

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम (रेस्मा) लागू करने के बाद भी सरकार द्वारा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं तो गत 5 वर्षों में जमाखोरी के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बढ़ती मंहगाई पर रोकथाम तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के उपायों पर विचार-विमर्श हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में सचिव स्तरीय अधिकारियों के समूह का गठन कर प्रयास जारी है। इस सम्बन्ध में जारी पत्र क्रमांक एफ 17(3) खा.वि./न्याय/1994-II दिनांक 08.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में जमाखोरी के अतिरिक्त थोक भाव व खुदरा भावों की कीमतों में अधिक अन्तर होना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन का अनुपात उपयोग (खपत) से कम होना, बरसात का समय पर न होना, सूखे-अकाल के कारण उत्पादन कम होना इत्यादि कारणों से मंहगाई बढ़ी है। उक्त सचिव स्तरीय गठित कमेटी कालाबाजारी को रोकने के लिये व्यवस्था में सुधारात्मक उपयोग के लिये प्रयासरत है। इस सम्बन्ध में समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई, 2014 के तहत आलू, प्याज के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1980 की अनुसूची-I में आलू एवं प्याज को जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2014 में जोड़ा गया है। जारी अधिसूचनाओं की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। गत पांच वर्षो में जमाखोरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर की ग्राम पंचायतों में लैम्पस की स्थापना

83. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर का पूरा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं कई ग्राम पंचायतें मिलाकर एक लैम्पस है?

(श्री अमृतलाल)

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में लैम्पस खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर का पूरा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अनेक लैम्पस के कार्यक्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्तमान में 68 ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र में 26 लैम्पस कार्यरत हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) के गठन हेतु निर्धारित मानदण्डानुसार प्रस्ताव जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में दो खानों के मध्य दूरी के मानदण्ड

84. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खनन हेतु निर्धारित नियमों में दो खानों के मध्य कितनी दूरी रखे जाने का प्रावधान है? सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर के कोटपूतली व आमेर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी खानें आबंटित हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन खानों के मध्य निर्धारित मानदण्ड से कम दूरी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम बिलोंची तहसील आमेर जिला जयपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1539 से 1541, 1545 व अन्य के पास कितनी खानें आबंटित हैं। उक्त खानों की भूमि से दूरी कितनी है? दो खानों के मध्य वर्जित क्षेत्र में कौन-कौन व्यक्ति/फर्म खनन कार्य कर रहे हैं एवं क्यों तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? मय सूची विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारियों तथा अवैध खनन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अप्रधान खनिजों के खनन हेतु खान आबंटन के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 बनाये गये हैं जिसमें दो खानों के मध्य दूरी रखे जाने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। प्रधान खनिजों के खनन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये खनिज रियायत नियम 1960 में भी ऐसे प्रावधान नहीं है।

(2) जिला जयपुर के कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में 242 खनन पट्टे एवं आमेर विधान सभा क्षेत्र में 311 खनन पट्टे आबंटित हैं जिनकी सूचना क्रमश: परिशिष्ट-"अ" व "ब" पर उपलब्ध है।

(3) खनन पट्टों के बीच दूरी नियमों में निर्धारित नहीं की गई है। अत: निर्धारित से कम दूरी का ऐसा कोई खनन पट्टा नहीं है।

(4) ग्राम बिलूची तह. आमेर जयपुर वर्तमान में 27 खनन पट्टे खनिज चेजा पत्थर हेतु स्वीकृत हैं। खसरा संख्या 1539 से 1541 तथा 1545 से निकटतम खनन पट्टा 204 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। दो खानों के बीच वर्जित क्षेत्र में अवैध खनन नहीं हो रहा है। पूर्व में ग्राम बिलूची में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 171/90 तथा 380/90 के मध्य गेप क्षेत्र में अवैध खनन पाये जाने पर दिनांक 20.08.2008 को पंचनामा बनाया गया, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शास्ती राशि रुपया 100550/- दिनांक 13.1.2012 एवं 25.1.2012 को वसूल किये जा चुके हैं। अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(5) विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है एवं अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है एवं यदि भविष्य में अवैध खनन किये जाने से विभाग का कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना

85. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की सरकार की योजना है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक प्रदेश में

(डा. राजकुमार शर्मा)

कितने बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार आगामी 5 वर्षों में 15 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजन किये जाने की घोषणा की गई है। इसके अन्तर्गत आगामी 4 वर्षों में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार हेतु कौशल विकास से जोड़ा जायेगा। आईटीआई, पोलीटेक्नीक, राजस्थान आजीविका योजना, स्वयं सहायता समूह तथा उद्योगों की भागीदारी से किये जाने वाले प्रशिक्षण के माध्यम से लगभग 9 लाख युवाओं को जोड़ेंगे।

(2) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से 1 जनवरी, 2014 से अब तक विभिन्न योजनाओं में 2100 से अधिक प्रशिक्षण बैंचों के अन्तर्गत 52410 युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स क्रमशः होस्पीटेलिटी, सूचना एवं संचार तकनीक (ICT), रीटेल, सिक्यूरीटी, ट्रेवल एवं टयूरिज्म, इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स, लोजिस्टिक्स, निर्माण, मोटरवाहन मरम्म्त, गारमेन्ट मेकिंग एवं मल्टी स्किलस यथा बैंकिंग, होटल मैनेजमेन्ट, टेली कालर इत्यादि क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़ कर प्रशिक्षित किया गया। योजनावार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से 19884 इच्छुक युवाओं को निजी क्षेत्र की संस्थाओं क्रमशः बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, कैफे काफी डे, G4S सिक्यूरिटी, युरेका फोरब्स, नवभारत फर्टीलाइजर, बजाज कैपिटल इत्यादि में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। शेष प्रशिक्षित युवाओं में से इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं का योजनावार विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
1	रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	44806
2	पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	259

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या
3	नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम	1985
4	परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (ATDC)	3723
5	कौशल विकास पहल योजना (SDIS)	1637
	कुल योग	**52410**

जोबनेर-रेनवाल सड़क का निर्माण

86. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोबनेर से रेनवाल सड़क का निर्माण किस योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है और उक्त कार्य किस निजी कम्पनी को किन शर्तों पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क का निर्माण कब शुरू किया गया और कब तक पूर्ण किया जाना था? सरकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर सम्बन्धित फर्म/कंपनी पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक उक्त सड़क मार्ग पर कितनी राशि का क्या-क्या कार्य कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त सड़क का कार्य अब कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जोबनेर से रेनवाल सड़क का निर्माण चौमूं महला सड़क मार्ग के दो लेन निर्माण कार्य के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, बिल्ट, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रांसफर) आधार पर किया जा रहा है।

उक्त कार्य का आबंटन मैसर्स यूनिटी इन्फ्रा. प्रोजेक्ट लिमिटेड, मुंबई को बिडर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर किया गया है, जिसके द्वारा गठित एस.पी.वी. मैसर्स चौमूं महला टोल रोड प्राइवेट मुंबई के साथ कार्य निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुबन्ध किया गया है।

यह कार्य भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा प्रदत्त मानक रियायत अनुबन्ध (माडल कन्सेशन एग्रीमेन्ट) के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कन्सेशनर के साथ किये गये कन्सेशन अनुबन्ध में निहित शर्तों पर दिया गया है। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस प्रोजेक्ट सड़क का निर्माण कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 15 जून, 2012 को प्रारम्भ किया जाकर प्रोजेक्ट कार्य प्रारम्भ तिथि से 550 दिन में अर्थात 16 दिसम्बर, 2013 को पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

इस प्रोजेक्ट सड़क कार्य के पूर्ण करने में कन्सेशनर द्वारा देरी किये जाने के कारण सम्बन्धित कन्सेशनर को सक्षम स्तर से विभिन्न नोटिस व मुख्य अभियन्ता के पत्र क्रमांक डी-1623 दिनांक 08.07.2014 अनुबन्ध के प्रावधानुसार कन्सेशनर के विरुद्ध डेमेजेज फोर डिले' राशि रुपये 5.85783 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है जो कि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इसी प्रकार मुख्य अभियन्ता (पथ) द्वारा पत्र क्रमांक डी-1485 दिनांक 19.5.2014 अनुबन्ध की धारा 37.1.2 के अनुसार टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उक्त सड़क मार्ग पर विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं इंडिपेंडेन्ट इंजिनियर सर्विस का ही भुगतान किया गया है जो जनवरी 2014 से जनवरी, 2015 तक राशि रुपये 6,48,37,996/- का है। इन कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार के पत्रांक एफ.7(1478)अनु-II/207/डी-166 दिनांक 24.06.13 के द्वारा राशि रुपये 42.34 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। उक्त कार्य के निर्माण पर होने वाला व्यय कन्सेशनर द्वारा वहन किया जा रहा है।

(4) उक्त सड़क का कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में मनरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन

87. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या व कब तथा उक्त योजना कितनी लाभदायक है?

(2) क्या प्रदेश में उक्त योजना का सर्वे हुआ है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्रीमती अलका सिंह)

(3) उक्त योजना में कब-कब कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(4) क्या उक्त योजनान्तर्गत कराये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता की जांच की गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के लागू होने के उपरान्त से परिवर्तन किया गया है। इसके तहत अनुमत कार्यों की सूची में नये कार्य जोड़े गये हैं, श्रमिकों की मजदूरी भुगतान तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता का भुगतान सीधे ही बैंक खाते में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

दिनांक 3.1.2014 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 एवं 2 में संशोधन उपरान्त पुनः अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार पुनः दिनांक 21.7.2014 को अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। संशोधित अनुसूची दिनांक 3.1.2014 एवं 21.7.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण परिवारों के लिए अत्यन्त लाभदायक योजना है। इसके तहत रोजगार की मांग किये जाने पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीशुदा अकुशल श्रमिक रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यह योजना अत्यन्त पारदर्शी योजना है एवं योजना की समस्त गतिविधियां अधिकृत वैबसाइट पर आमजन के लिए उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं।

(3) योजना के लागू होने से आदिनांक तक योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। योजनान्तर्गत, प्रत्येक पखवाड़े की समाप्ति के उपरान्त, किये गये समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाकर किये गये कार्य की माप सम्बन्धित कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा की जाती है एवं तदनुसार ही भुगतान किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु फिल्टर प्लान्ट की स्थापना

88. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सरकार द्वारा वर्तमान में फिल्टर पेयजल सप्लाई किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु अलवर में पेयजल फिल्टर प्लांट लगाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में सम्मिलित शहर अलवर एवं पंचायत समिति, उमरैण के 5 आबाद राजस्व ग्रामों में भू-जल आधारित जल योजनाओं से, पेयजल गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र, अलवर शहर में उक्तानुसार भू-जल आधारित जल योजनाओं से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित की जा रही है।

सतही जल स्रोत चम्बल नदी से अलवर जिले हेतु परियोजना निर्माण बाबत आवश्यक सर्वे, अनुसंधान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, निविदा प्रपत्र इत्यादि तैयार करने हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 121.65 लाख की संशोधित स्वीकृति दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को जारी की गई । उक्त कार्य हेतु मैसर्स पीडीकोर, जयपुर को राशि रुपये 121.65 लाख का कार्यादेश दिनांक 17.9.2014 को जारी किया जाकर कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह मार्च, 2015 तक पूर्ण करना निर्धारित है । कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना के निर्माण की स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

परिशिष्ट 'अ'

Office of the Additional Chief Engineer
Public Health Engineering Department
NCR Region Alwar

No.ACE/NCR/ALW/2014-15/2515 Date : 17.09.2014

Mr. Ribinder Singh
Chief Executive Officer
PDCOR Ltd.
1st Floor, LIC Jeevan Nidhi Building
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road
Jaipur, Rajasthan

Sub. : Enhancement of work order for survey and feasibility study for providing water supply to alwar district from Chambal river.

Ref : 1. Work Order no. ACE (Reg-Jpr)/F--/PHED/2012-13/6577-87 dated 23.07.2012

2. Letter of Ace (P), Bharatpur no. 1625-27 dated 5.8.2014

3. Your letter no. 298 dated 1.9.2014

4. This office letter no. Spl.-1 dated 13.8.2014

5. CE (SP) letter no. 3815-18 dated 11.9.2014

In reference to above, the work order for work of "survey and feasibility study for providing water supply to Alwar district from Chambal River" was awarded to you by the above referred letter amounting to Rs. 101.90 lacs. As per decision taken by the Govt. of Rajasthan, in the existing assignment of survey and preparation of feasibility report/DPR for providing Chambal water to Alwar district, an additional scope of survey and preparation of feasibility report/DPR for left out areas of Bharatpur and Dholpur districts from Chambal River is also to be included. Therefore, above work order is hereby enhanced to amounting to Rs. 121.65 Lacs. The completion Date for this consultancy assignment is stipulated as 31.12.2014 Details of additional scope of work enclosed at Annex-1.

The Other terms and condition of the contract/agreement and earlier work order will remain same.

Encl. : As above

Addl. Chief Engineer
PHED Region NCR Alwar

सिकराय के छात्रावासों में रिक्त पद

89. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त छात्रावासों में बालक-बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्याएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिन छात्रावासों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं, उनमें बच्चों को कम्प्यूटर सिखाने के लिए अध्यापक की व्यवस्था है? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त छात्रावासों में बच्चों के खाने-पीने, नहाने, पहनने एवं अन्य कार्यों पर कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में वर्तमान में 3 राजकीय एवं 1 अनुदानित छात्रावास संचालित हैं, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति एवं 3 अनुसूचित जनजाति के छात्रावास हैं। जिनमें प्रवेशित बालक/बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के तीन विभागीय छात्रावासों में अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1 पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही में करीब एक वर्ष का समय लग सकता है। प्रकरण में छात्रावास अधीक्षक की शैक्षणिक योग्यता सीनियर सैकेण्डरी के स्थान पर स्नातक किया गया है। कार्यवाही पूर्ण होने पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(3) उक्त तीन राजकीय छात्रावासों में कुल 7 कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। कम्प्यूटर सिखाने के लिए विभाग में कम्प्यूटर अध्यापक के पद स्वीकृत नहीं हैं। विभाग द्वारा राजकीय छात्रावास अधीक्षकों को कम्प्यूटर कार्य हेतु विभागीय स्तर पर मुख्यालय पर एवं सम्भागीय मुख्यालयों पर प्रशिक्षण दिया गया था।

(4) उक्त छात्रावासों में बच्चों के खाने-पीने, नहाने, पहनने एवं अन्य कार्यों पर 1900.00 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह की दर से राशि 9.5 माह हेतु व्यय करने का प्रावधान है। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

90. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में एक ग्राम पंचायत पर कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं? राशन डीलरों की नियुक्ति व लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सरकार द्वारा राशन डीलरों की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राशन डीलर कौन-कौनसी सामग्री वितरण हेतु अधिकृत हैं? क्या राशन डीलर द्वारा पंजीकृत राशनकार्डधारकों को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार द्वारा खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत बी.पी.एल., ए.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों के व्यक्तियों को कितनी-कितनी खाद्य सामग्री आबंटित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(4) क्या सरकार नये राशन डीलर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम पंचायतवार कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राशन डीलरों की नियुक्ति व लाईसेन्स लेने की प्रक्रिया एवं नियुक्ति की अवधि सम्बन्धी जारी विस्तृत आदेश/दिशा-निर्देश क्रमांक एफ 17(9)खा.वि./विधि/2012 दिनांक 9.2.2015 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में राशन डीलर गेहूं, चीनी, केरोसीन इत्यादि नियंत्रित वस्तुएं वितरण करने हेतु अधिकृत हैं। राशन डीलरों द्वारा पंजीकृत राशनकार्डधारियों को समय पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

(3) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. परिवारों के व्यक्तियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह एवं अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह तथा अन्य पात्र ए.पी.एल. लाभार्थियों को समानुपातिक रूप से गेहूं आबंटित किया जा रहा है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 9.2.2015 को जारी किये जा चुके है। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है, यथाशीघ्र राशन दुकान डीलर नियुक्ति करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में नव सृजित ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों की स्थापना

91. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सहकारी समितियां खोले जाने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं खोली गई हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में नव सृजित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में नई ग्राम

(श्री नारायण सिंह देवल)

सेवा सहकारी समितियां खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है (गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)।

वर्तमान में 4105 (670 नवसृजित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए) ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं खोली गई है, जिनमें उक्तानुसार पूर्व मे जारी मानदण्ड पूर्ण करने पर गठन की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।

(2) जी हां। 670 नवसृजित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट-1

ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन के मानदण्ड

(मंत्रिमण्डल की आज्ञा डी.124/मं.मं./2011 दिनांक 21.9.11 राज्य में जीएसएसएस गठन के मानदण्ड सम्बन्धी विभागीय आदेश दिनांक 26.9.11 के अनुसार

(जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) क्षेत्र को छोड़कर)

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण ग्राम पंचायत होगा।
2. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।
3. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।
4. सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत 1.00 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि 75000.00 रुपये होगी।
5. किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं होंगी।
6. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या डी. 125/मं.मं./2013 दिनांक 27.6.2013 (जैसलमेर जिले के आई.जी.एन.पी. (सी.ए.डी.) (द्वितीय चरण हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मानदण्डों में शिथिलीकरण आदेश दिनांक 11.7.13

1. नव गठित समिति की न्यूनतम सदस्य संख्या 500 होगी।

2. न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5.00 लाख होगी।

3. सदस्यों से न्यूनतम अमानत रुपये 1.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अमानत राशि रु. 75000.00 होगी।

4. किसी भी एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जा सकेंगी।

5. नई प्रस्तावित ग्राम सेवा सहकारी समिति पूर्व गठित ग्राम सेवा सहकारी समिति के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित नहीं की जा सकेगी।

6. नवगठित सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र में कम से कम 1000 हैक्टेयर सिंचित भूमि होगी।

7. नई समितियों में फर्नीचर व फिक्सचर्स हेतु 50,000/- रुपये पैक्स विकास कोष से दिया जायेगा।

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अधिकारियों की समिति विचार कर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करेगी :

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद	सदस्य
4. उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

उप रजिस्ट्रार (आयोजना एवं ई-गवर्नेंस)
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

नागौर के गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग का नियम विरुद्ध विक्रय

92. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या सरकार द्वारा गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग लिमिटेड (चौहान ब्रदर्स) को 10 किलोमीटर का माइनिंग एरिया नागौर जिले के गोटन में आबंटित किया गया था? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त फर्म द्वारा अपनी 10 किलोमीटर गोटन लाइम खनिज उद्योग की भूमि को अल्ट्राट्रेक सीमेन्ट को विक्रय कर दी गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त 10 किलोमीटर खनिज क्षेत्र का सरकार द्वारा माइनिंग लीज निरस्त कर कब्जा ले लिया गया है?

(4) क्या उक्त प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ. आई.आर. नं. 173/2014 दर्ज की है? यदि हां, तो गोटन खनिज उद्योग लिमिटेड व अल्ट्राट्रेक सीमेन्ट के किन-किन निदेशकों एवं सरकार के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध? एफ.आई.आर. की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त विक्रय, माइनिंग लीज के मानदण्डों के अनुसार गैर कानूनी है? यदि हां, तो किस आधार पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्वश्री गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग, गोटन के पक्ष में खनिज लाइम स्टोन हेतु 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का खनन पट्टा निकट ग्राम धनापा, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में स्वीकृत किया गया था, जिसका तृतीय नवीनीकरण शासन के आदेश दिनांक 29.12.93 से स्वीकृत किया गया। स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त फर्म द्वारा खनन पट्टे का हस्तान्तरण सर्वश्री गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग प्रा.लि. के पक्ष में किये जाने हेतु दिनांक 28.03.2012 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निदेशालय के आदेश दिनांक 25.04.2012 से हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। मैसर्स गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग प्रा.लि. द्वारा दिनांक 9.8.2012 को अवगत कराया गया कि दिनांक 23.07.2012 को कम्पनी के पूर्व चार निदेशक रिटायर होकर तीन नये निदेशक सम्मिलित किए गए एवं उक्त कम्पनी बोम्बे स्टाक एक्सचेन्ज में अल्ट्राटेक सीमेन्ट की सब्सिडरी के रूप में सूचीबद्ध हुई।

(3) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.12.2014 द्वारा खनन पट्टा खण्डित कर कब्जा दिनांक 16.12.2014 को राज्याधीन लिया गया।

(खान राज्य मंत्री)

खण्डित आदेश के विरुद्ध मैसर्स गोटन लाइम स्टोन खनिज उद्योग प्रा.लि. द्वारा याचिका संख्या 9669/2014 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गई जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 273/2014 दर्ज की गई। एफ.आई.आर. की प्रति परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है। उक्त एफ.आई.आर. गोटन खनिज उद्योग, अल्ट्राटेक सीमेन्ट के जिन व्यक्तियों तथा विभाग के जिन अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज की गई है, उनके नाम एफ.आई.आर. में अंकित हैं।

(5) जी हां। राजस्थान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 15 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से खनन पट्टा खण्डित किया गया । विवरण खण्डित आदेश दिनांक 16.12.2014 में अंकित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में श्रमिक कार्डो का नवीनीकरण

93. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संनिर्माण श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त श्रमिक कार्ड से श्रमिकों को क्या-क्या लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त लाभकारी योजनाओं से जिला अलवर में गत एक वर्ष में सरकार द्वारा क्या-क्या लाभ कब-कब दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण भी किया जाता है? यदि हां, तो कितने समय में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सभी श्रमिक कार्डो का नवीनीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक नवीनीकरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पंजीयन के लिए आवेदन पत्र श्रम विभाग के कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक अपनी

(श्रम राज्य मंत्री)

तीन रंगीन फोटो, 25/- रुपये पंजीयन शुल्क, 60/- रुपये वार्षिक अंशदान एवं एक वर्ष में 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं 60 वर्ष से कम होना आवश्यक है।

विधिवत पंजीयन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं निर्माण श्रमिक होने के नियोजक अथवा ठेकेदार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग के श्रम निरीक्षक एवं पंजीकरण हेतु अधिकृत अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा विवरण की संतुष्टि एवं आवेदन शुल्क की रसीद के पश्चात् श्रमिक का पूर्ण विवरण दर्ज कर हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया जाता है एवं पंजीकृत हिताधिकारी को परिचय-पत्र जारी किया जाता है।

(2) मण्डल द्वारा पंजीकृत हिताधिकारियों को लाभान्वित किये जाने वाली योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है-

1. जनश्री (समूह) बीमा योजना
2. दुर्घटना में तत्काल सहायता योजना
3. अंत्येष्टि/अनुग्रह सहायता योजना
4. विवाह सहायता योजना
5. शिक्षा सहायता योजना
6. प्रसूति सहायता योजना
7. मेधावी छात्र/छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना
8. साईकिल वितरण योजना
9. गम्भीर बीमारी चिकित्सा व्यय पुनर्भरण योजना
10. निजी आवास के निर्माण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना
11. एन.पी.एस. स्वावलम्बन पेंशन योजना
12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

नोट - क्रम संख्या-1 से 3 पर अंकित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014 लागू की गई है। यह योजना दिनांक 31.3.2013 से लागू की गई है। क्रम सं.-8 पर अंकित योजना 31 मार्च, 2014 तक लागू थी।

(3) अलवर जिले में उक्त योजनाओं में गत एक वर्ष से अब तक दिए गए लाभ का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। सूचना का संधारण विधान सभा क्षेत्रवार नहीं रखा जाता है। सूचना जिलेवार संधारित की जाती है।

(श्रम राज्य मंत्री)

(4) नियमों में कार्ड के नवीनीकरण का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु श्रमिक को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत रहने के लिए प्रतिवर्ष 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करना आवश्यक है। श्रमिकों द्वारा हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने के समय 60/- रुपये की राशि अंशदान के रूप में दी जाती है। एक वर्ष की अवधि के पश्चात् नियमित रूप से अंशदान जमा कराने व प्रतिवर्ष 90 दिवस निर्माण कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर हिताधिकारी का पंजीयन नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक वैध रहता है।

(5) अलवर जिले में अंशदान जमा कराने वाले उक्त सभी श्रमिकों/ आवेदकों का आगामी अवधि के लिए पंजीयन प्रभावी कर दिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कार्यालय उप श्रम आयुक्त, अलवर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न सहायताओं की सूची

तहसील का नाम	विवाह		साइकिल सहायता		प्रसूति सहायता		अन्त्येष्टि		छात्रवृत्ति सहायता	
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15
ALWAR	75	35	417	149	8	2	6	2	0	0
BANSUR	3	7	2	5	0	0	0	1	0	0
BEHROR	7	0	9	2	1	0	0	0	0	0
KATHUMAR	49	5	39	6	0	0	0	0	0	0
KISHANGARH	29	9	66	16	2	0	3	0	0	0
KOTKASIM	2	1	1	1	0	0	0	3	0	0
LAXMANGARH	21	6	42	18	1	0	1	0	0	0
MUNDAWAR	3	1	3	11	0	0	0	1	0	0
RENI	7	4	40	27	0	0	1	0	0	0
RAJGARH	48	18	133	43	4	3	0	0	0	0
RAMGARH	13	9	82	17	0	0	2	2	0	0
THABGAJI	27	15	75	38	2	3	3	1	0	0
TIZARA	5	1	17	2	0	0	2	1	0	0
TOTAL	**289**	**111**	**926**	**335**	**18**	**8**	**18**	**11**	**0**	**0**

उप श्रम आयुक्त

अलवर

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बांदीकुई की क्षतिग्रस्त सड़कें

91. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल कितने किलोमीटर सड़कें बनी हुई हैं? सड़कों का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की सड़कों की वर्तमान में बहुत दयनीय स्थिति है एवं अधिकांश सड़कें जीर्ण-शीर्ण हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में गत पांच वर्षों में सड़क मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? सड़कवार मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस सड़क की मरम्मत पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में निम्नानुसार कुल 436.675 कि.मी. सड़क लम्बाई है:-

स्टेट हाइवे	40.575 कि.मी.
मुख्य जिला सड़कें (एम.डी.आर.)	78.00 कि.मी.
अन्य जिला सड़कें (ओ.डी.आर.)	37.600 कि.मी.
ग्रामीण सड़कें (वी.आर.)	280.50 कि.मी.

उक्त सड़कों की सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें संतोषजनक स्थिति में हैं। सड़कों पर मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है। पेचेबल सड़कों पर समय-समय पर आवश्यकतानुसार पेच मरम्मत कार्य करवाकर रखरखाव किया जा रहा है। बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में सड़क मरम्मत पर किये गये व्यय का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की नोन पेचेबल सड़कों में से कुछ सड़कों का नवीनीकरण टी.एफ.सी. एवं आर.आई.डी.एफ.-20 योजना में प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। शेष नोन पेचेबल सड़कों का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है, इनका नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निगम की बसों को यात्रियों के लिए सुविधा युक्त करने की योजना

92. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निजी बसों की तुलना में निगम की बसों का किराया अधिक है व सुविधायें भी उपयुक्त नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के हित में निगम की बसों में सुविधायें बढ़ाने व किराया कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार के समक्ष पुरानी बसों की मरम्मत कराने की कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं । राजस्थान परिवहन निगम द्वारा बसों का यात्री किराया परिवहन विभाग की निर्धारित अधिसूचना अनुसार निर्धारित है । उसी के अनुरूप निगम की बसों का यात्री किराया का निर्धारण कर वसूल किया जा रहा है। निजी वाहन स्वामी भी परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित यात्री किराया लेने हेतु पाबन्द है ।

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ 7(100)/71/परि/नियम/मु./2013/49215 दिनांक 27.5.2014 द्वारा माह मई, 2014 में प्रचलित डीजल दरों एवं संचालन लागत के अन्य घटकों के आधार पर मंजिली गाड़ियों के सम्बन्ध में निर्धारित किए गए यात्री भाडा दरों की तुलना में निगम द्वारा वर्तमान में उससे भी कम यात्री किराया लिया जा रहा है। निगम स्तर पर यात्री किराये में कमी किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

निगम द्वारा वर्तमान में साधारण एवं द्रुतगामी सेवाओं तथा उच्च श्रेणी की बसों यथा डीलक्स, वातानुकूलित एवं वोल्वो बसों का संचालन किया जा रहा है । यात्रियों की सुविधा हेतु आनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के साथ-साथ परिचालकों द्वारा ईटीआईएम के माध्यम से टिकिटें जारी की जा रही हैं। Go Green Concept को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से पेपर लेस यात्रा भी करवाई जा रही है ।

(परिवहन मंत्री)

निगम द्वारा यात्रियों की सुरक्षा एवं सतर्कता को दृष्टिगत रखते हुए लम्बी दूरी की 2382 वाहनों में बसों के अन्दर सीसीटीवी कैमरे एवं बस की Current Location को Real Time पर देखने हेतु व्हीकल ट्रेकिंग डिवाईस तथा बस स्टैण्डों पर यात्रियों की सुविधा हेतु वाहनों के आवागमन की सूचना हेतु पीआईएस लगाने हेतु अनुबन्ध किया गया है एवं परियोजना प्रक्रियाधीन है।

(2) निगम में वाहनों की मरम्मत करने के लिए प्रत्येक आगार में कार्यशाला संचालित है जहां वाहनों की नियमित रूप से मरम्मत की जाती है । मेजर मरम्मत/दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए निगम में तीन केन्द्रीय कार्यशालाएं जयपुर, अजमेर व जोधपुर में संचालित हैं । जहां वाहनों की हैवी डाकिंग/आर.सी. (रीकन्डीशनिंग)/मेजर रिपेयर कार्य किये जाते हैं ।

वाहनों को मरम्मत/नई करने की इसके अतिरिक्त पृथक से अन्य कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में डाक बंगलों का पी.पी.पी. माडल पर संचालन की योजना

93. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में किस-किस जिले में कहां-कहां पर डाक बंगले स्थित हैं एवं उनमें कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार प्रदेश के डाक बंगलों को पी.पी.पी. माडल पर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन डाक बंगलों को एवं क्यों? प्रत्येक डाक बंगले के गत पांच वर्षो के आय-व्ययक के विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 208 डाक बंगले हैं, जिलेवार सूची मय उपलब्ध जमीन का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सरकार प्रदेश के वित्तीय व्यवहार्यता योग्य डाक बंगलों को पी.पी.पी. माडल पर चलाने का विचार रखती है, प्रथम चरण में चिन्हित 11 (ग्यारह) डाक बंगलों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता एवं परियोजना दस्तावेज बनाने हेतु कन्सलटेंसी की निविदायें प्राप्त की जा चुकी हैं, जो कि स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

राज्य के समस्त डाक बंगलों के पिछले पांच वर्षों के आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पड़ौसी राज्यों की तुलना में वाहन कर में असमानता

94. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में हल्के व भारी चौपहिया वाहनों की बिक्री में किस-किस प्रकार के टैक्स लगाये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में उक्त वाहनों की टैक्स दर पड़ोसी राज्यों से अधिक है? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वाहनों पर लगने वाले करों की दरों को पड़ोसी राज्यों के समान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) गत दो वर्षों में प्रदेश के बाहर के पंजीकृत वाहन कितने समय से स्थायी रूप से राजस्थान में चल रहे हैं? क्या इसके लिये सरकार द्वारा कोई सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने वाहन हैं और उससे सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में हल्के व भारी चौपहिया वाहनों पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के कर देय हैं।

1. एकबारीय कर : गैर परिवहन यानों पर।
2. एक मुश्त कर : परिवहन यानों पर।
3. पथ कर : एक मुश्त कर से मुक्त परिवहन यानों पर।
4. विशेष पथ कर : एक मुश्त कर से मुक्त परिवहन यानों पर पथ कर के अतिरिक्त विशेष पथ कर भी देय है।
5. अधिभार : उपरोक्तानुसार वर्णित करों पर निर्धारित दर अधिभार देय है।
6. ग्रीन टैक्स : सभी वाहनों पर उपरोक्त वर्णित करों के अतिरिक्त ग्रीन टैक्स देय है।

(2) राजस्थान में अधिकांश श्रेणी के वाहनों पर देय कर की दर अधिकांश पड़ोसी राज्यों के लगभग समतुल्य है। तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(3) जी नहीं। राजस्थान में अधिकांश श्रेणी के वाहनों पर देय कर की दर अधिकांश पड़ोसी राज्यों के लगभग समतुल्य है। अत: कर की दरों में पड़ोसी राज्यों के अनुसार परिवर्तन विचारणीय नहीं है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार के वाहनों के लिए प्रदेश स्तर पर कोई सर्वे नहीं करवाया गया है।

विभाग द्वारा जयपुर शहर में स्थित अधिकृत सर्विस स्टेशन, वाहन इंश्योरेन्स कम्पनियों के रिकार्ड आदि के आधार पर जयपुर जिले में ऐसे 2700 वाहनों की पहचान की गई है। इन वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये गए हैं। इनके जवाब प्राप्त होने पर तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। अन्य राज्यों से अनेक वाहनों का राजस्थान राज्य में प्रतिदिन आना जाना होता रहता है जिससे स्थाई रूप से राज्य में संचालन की वास्तविक गणना किया जाना सम्भव नहीं है। इस कारण इस सम्बन्ध में होने वाली राजस्व हानि की गणना किया जाना भी सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आउटपुट एवं परफारमेंस बेस्ट रोड कान्टेक्ट योजना के तहत सड़कों का रखरखाव

95. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आउटपुट एवं परफारमेंस बेस्ट रोड कान्टेक्ट योजना क्या है? इस योजना के क्या-क्या प्रावधान हैं एवं राज्य को इस योजना से किस प्रकार लाभ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस योजना में 8 वर्षों तक सम्पूर्ण जिले की समस्त सड़कों का कान्ट्रेक्ट एक ही फर्म के पास होगा, जिससे एक ही फर्म के पास सभी मार्गों के निर्माण, नवीनीकरण सहित पेचवर्कों व सुधार का कान्ट्रेक्ट होने से विकास में कमी एवं धीमी गति से निर्माण व सुधार की समस्याएं होंगी?

(3) क्या सरकार इस योजना को जिला स्तर पर बेहतर ढंग से लागू किया जाने से पूर्व प्रयोग के तौर पर केवल उपखण्ड स्तर पर लागू करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत सरकार द्वारा अलवर

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

एवं धौलपुर जिले को 2372 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो इस स्वीकृत राशि से क्या-क्या विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सड़क नवीनीकरण एवं मरम्मत इत्यादि कार्य कर, सड़क उपभोक्ता को एक निश्चित स्तर की सेवा प्रदान करने के आधार पर फर्म को भुगतान करने की पद्धति के अनुबन्ध को उत्पादन एवं निष्पादन आधारित सड़क अनुबन्ध (ओ.पी.आर.सी.) कहते हैं।

सेवा स्तर को सड़क का उपयोग करने, वाहन चलाने की गति, सड़क सतह की स्थिति, सुरक्षा उपाय एवं सड़क किनारे सहायता प्रबन्ध के आधार पर परिभाषित किया गया है।

इस योजना में 4 प्रकार के प्रावधान हैं:-

1. सड़कों के प्रबन्धन एवं मरम्मत सेवा
2. सड़कों का पुन: निर्माण कार्य

(i) प्रारम्भिक एवं प्रत्येक वर्ष

(ii) निर्धारित मानकों तक सड़कों का पुनरुद्धार

3. सुधारात्मक कार्य:-यातायात अनुसार सड़कों में सुधारात्मक कार्य
4. आपातकालीन कार्य:-आकस्मिक आपदाओं के उपरान्त सड़क मरम्मत कार्य

इस योजना के लागू होने पर सड़क मरम्मत कार्य सतत् रूप से जारी रहेगा एवं उपभोक्ता को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।

(2) जी हां। यह सही है कि इस योजना में 8 वर्षों तक कान्ट्रेक्ट से पूर्व की निर्मित सड़कें एक ही फर्म के पास रखरखाव व पुनरुद्धार हेतु सम्मिलित होगी। नवीन मार्गों का निर्माण इस योजना के कान्ट्रेक्ट में शामिल नहीं होगा।

जी नहीं। एक ही सक्षम फर्म के पास सभी मार्गों के नवीनीकरण सहित अन्य पेचवर्को व सुधार का कान्ट्रेक्ट होने से बेहतर प्रबन्ध के कारण विकास को गति मिलेगी।

(3) जी नहीं। जिला स्तर से पूर्व अनुप्रयोग के तौर पर केवल उपखण्ड स्तर पर लागू करने का कोई विचार नहीं है।

(4) जी हां। इस योजनान्तर्गत सरकार द्वारा अलवर व धौलपुर जिले के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

लिए 2371.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। इस राशि से करवाये जाने वाले कार्य परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर अधूरी सड़क के कारण टोल वसूली पर रोक

96. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर जोबनेर से कालवाड़ के बीच कुछ किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो कितने किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य किन कारणों से नहीं हुआ है? सरकार द्वारा अब कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त सड़क निर्माण कार्य नहीं होने पर भी टोल वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अविलम्ब टोल वसूली को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर नागौर मेगा हाइवे का सड़क कार्य आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है उसमें जोबनेर से कालवाड़ के बीच 3.20 किलोमीटर लम्बाई में सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य अभी नहीं हुआ है। जोबनेर से कालवाड़ के बीच में कि.मी. 33/900 से 37/100 तक अर्थात कुल 3.20 कि.मी. लम्बाई में वर्तमान में 5.50 मीटर चौड़ाई की डामर सड़क उपलब्ध है। इस लम्बाई में ढाणी नागान (जोबनेर) के स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा वर्तमान सड़क भूमि को राजस्व रिकार्ड में उनकी खातेदारी में बताये जाने के कारण सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य नहीं करने दिया गया है। राजस्व रिकार्ड में भी वर्तमान में विद्यमान सड़क की भूमि काश्तकारों के नाम पर ही दर्ज है। उक्त सड़क का 3.20 कि.मी. लम्बाई में शेष रहा चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु काश्तकारों की आपसी सहमति अथवा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही द्वारा भूमि उपलब्ध किया जाना विचाराधीन है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। जयपुर नागौर सड़क का विकास कार्य राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बी.ओ.टी. योजनानुसार किया गया है। इस सड़क की कुल लम्बाई 158.120 कि.मी. में से 154.920 कि.मी. लम्बाई में अर्थात् 98.00 प्रतिशत सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत 'भागत: आनुपातिक फीस का करार के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सड़क लम्बाई का 50 प्रतिशत से अधिक का संनिर्माण होने के पश्चात् ही उद्ग्रहण अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि कम से कम 50 कि.मी. लम्बी सड़क संनिर्मित हो गई हो' टोल वसूली किये जाने का प्रावधान है। फीस अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर-नागौर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य बी.ओ.टी. परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है। आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा नाबार्ड से इस बी.ओ.टी. परियोजना के लिये ऋण लिया गया है और इस ऋण का भुगतान राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत टोल वसूल करके किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित पावटा से दांतिल नारेहड़ा सड़क की मरम्मत

97. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गईं तथा किन-किन का निर्माण पूर्ण हो गया तथा कितनी निर्माणाधीन हैं?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने राजस्व गांव सड़कों से जुडे हुए नहीं हैं तथा उक्त गांवों को कब तक सड़कों से जोड़ा जाएगा?

(3) वर्ष 2008–2009 से 2013-14 में कितने नये राजस्व गांव बनाये गये हैं तथा जो गांव जनसंख्या का मानदण्ड पूरा करते हैं, उन्हें कब तक सड़कों से जोड़ दिया जाएगा?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित पावटा से दांतिल नारेहड़ा सड़क की मरम्मत या नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़क कार्य एवं इनकी वर्तमान में पूर्ण/निर्माणाधीन स्थिति सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार 6 राजस्व गांव सड़कों से जुडे हुए नहीं हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इन गांवों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पिछले 5 वर्ष 2008-09 से 2013-14 में कुल 24 राजस्व गांव नये बनाये गये हैं। इनमें से तीन गांव डामर सड़क से जुडे हुए हैं एवं एक गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। शेष नव घोषित राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(4) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पावटा से दांतिल नारेहड़ा सड़क, अन्य जिला सड़क संख्या 16 है, जिसकी लम्बाई 25 कि.मी. है। इस सड़क पर स्टोन क्रेशर, ईंट भट्टे, धूली हुई बजरी के फिल्टर प्लान्ट एवं गीली बजरी के परिवहन से पानी के रिसाव तथा भारी वाहनों के आवागमन से यह सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है एवं नान पेचेबल श्रेणी में है। इस सड़क के नवीनीकरण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में जलग्रहण योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

98. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जल ग्रहण योजना कब लागू हुई?

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के ग्रामों में क्या-क्या कार्य करवाया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ जांच एजेन्सी से कराने का विचार रखती है?

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

(4) क्या यह सही है कि उक्त योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में करवाये गये कार्यों में अनियमितता पाई गई है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(5) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किये गये भुगतान को मय पैनल्टी वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रदेश में जल ग्रहण योजना सन् 1991 को लागू हुई ।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1994 से 2004 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय द्वारा संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS) में सात जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। इन परियोजनाओं में कराये गये कार्यों की सूची ग्राम पंचायत वार एवं ग्राम वार परिशिष्ट संख्या-1 पर संलग्न है।

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम (NWDP) अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से 2007-08 में छह जल ग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इन परियोजनाओं में कराये गये कार्यों की सूची ग्राम पंचायत वार एवं ग्राम वार परिशिष्ठ संख्या-2 पर संलग्न है।

वर्तमान में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मत्रांलय दवारा संचालित एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP), अन्तर्गत आठ जलग्रहण परियोजनाऐं वर्ष 2009-10 से संचालित की जा रही है। इनमें परियोजनावार, ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट संख्या-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रारम्भिक चरण के कार्यों का मूल्यांकन भोपाल युवा पर्यावरण शिक्षण संस्था, भोपाल से कराया गया।

अब भारत सरकार के निर्देशानुसार बस्सी विधान सभा में संचालित जल ग्रहण परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य अर्पण सेवा संस्थान को आबंटित किया गया ।

पूर्व में सुनिश्चित रोजगार योजना (EAS) एवं राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम (NWDP) अन्तर्गत स्वीकृत जल ग्रहण परियोजनाओं में कराये गये कार्यो के मूल्यांकन विभागीय स्तर पर किया जाता था एवं इसके उपरांत

(पंचायती राज मंत्री)

ही उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किये जाते थे। अत: वर्तमान में उक्त कार्यों का मूल्यांकन किसी विशेषज्ञ से जांच कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत आईडब्लयूएमपी-द्वितीय परियोजना में ग्राम पंचायत राजपुरा पातलवास में अनियमितता पायी गयी । जल ग्रहण समिति राजपुरा पातलवास के सचिव श्री गिर्राज सेन द्वारा योजनान्तर्गत वितरित कुट्टी मशीन के हेतु कृषकों से प्राप्त अशंदान राशि रुपये 17,500/-समय पर जमा नहीं कराई गई । सचिव जलग्रहण समिति राजपुरा पातलवास द्वारा उक्त राशि दिनांक 23 जुलाई, 2014 को बैंक आफ इंडिया शाखा तूंगा में जलग्रहण विकास कोष के खाते में जमा करा दिया गया है।

(5) नहीं। क्योंकि सहायक अभियंता एवं पीआईए, बस्सी द्वारा सचिव राजपुरा पातलवास को विलम्ब से राशि जमा कराने एवं भविष्य में इस तरह की पुनरावृति नहीं करने हेतु चेतावनी दी है जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या-4 पर संलग्न है ।

अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

महानरेगा में बी.एस.आर. दर पर कार्य कराने की योजना

99. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार महानरेगा के तहत कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया आदि के प्रावधानों के सरलीकरण हेतु बी.एस.आर. दरों पर कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की संशोधित

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

अनुसूची प्रथम के बिन्दु संख्या 23 के अनुरूप ग्राम पंचायतों एवं कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही सामग्री का क्रय किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के द्वारा निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरलीकरण किया गया है, तदनुसार ही महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामग्री का क्रय किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के संशोधित अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 21 के प्रावधानानुसार ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करवाया जाना अनुमत नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगानेर पंचायत समिति का नाम परिवर्तन करने की योजना

100. श्री कैलाश वर्मा (बगरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू की 30 पंचायतों में कौन-कौन से पद कब-कब से स्वीकृत हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों में पदस्थापित कर्मचारी कब-कब से कार्यरत हैं तथा कौन-कौनसे पद कब से रिक्त चल रहे हैं? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति सांगानेर का नाम बगरू कर उसका मुख्यालय बगरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बगरू की पंचायतों में स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	**नाम पद**	**स्वीकृत पद**	**कब से स्वीकृत हैं**
1	ग्राम सेवक पदेन सचिव	25	वर्ष 1995
2	ग्राम पंचायत एलडीसी	50	वर्ष 2013
3	रोजगार सहायक	25	वर्ष 2008

(पंचायती राज मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू की पंचायत में पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण 'अ' पर उपलब्ध है। विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायतों में रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार से है

1. ग्राम पंचायत एलडीसी	21
2. ग्राम रोजगार सहायक	10

जी हां। नियमित श्रेणी के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की कार्यवाही वर्ष 2013 में की गई थी जो बोनस अंकों की संख्या के सम्बन्ध में विवाद माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय उपरान्त तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खडीनों के आगोर (जैसलमेर) में डिग्गी निर्माण करने की योजना

101. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नरेगा योजना में बरसाती पानी को रोककर पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु खडीनों के आगोर (जैसलमेर) में डिग्गी निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। खडीनों के आगोर में डिग्गी निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है।

जालौर जिला परिषद/पंचायत समितियों में नियमित भर्ती की कार्य योजना

102. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जालौर जिले में महानरेगा योजना में जिला परिषद/पंचायत समितियों में संविदा पर कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस-किस केडर के एवं कब से? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर नियमित भर्ती करने का विचार

(श्री नारायल सिंह देवल)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार कार्मिकों का नियोजन संविदा/प्रतिनियुक्ति पर ही किये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला परिषद (ग्राविप्र) जालौर

जिला-जालौर

क्र.सं.	पद नाम	संविदा कार्मिक कार्यरत संख्या	कार्य ग्रहण वर्ष
1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	7	2007-08
		6	2008-09
		4	2009-10
		6	2010-11
		3	2012-13
	योग	**26**	
2	जिला/ब्लाक एमआईएस मैनेजर	1	2008-09
		4	2009-10
		2	2011-12
	योग	7	
3	आईईसी समन्वयक	1	2009-10
4	लेखा सहायक	4	2008-09
		1	2009-10
		8	2010-11
	योग	**13**	
5	डाटा एन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर आपरेटर मय मशीन	5	2007-08
		5	2008-09
		7	2009-10
		13	2010-11
		1	2011-12
	योग	**31**	2011-12
6	ग्राम रोजगार सहायक	16	2007-08
		92	2008-09

क्र.सं.	पद नाम	संविदा कार्मिक कार्यरत संख्या	कार्य ग्रहण वर्ष
		12	2009-10
		6	2010-11
		1	2011-12
	योग	**127**	
7	सहायक कर्मचारी	2	2007-08
		4	2008-09
		1	2011-12
	योग	**7**	

प्रदेश में शौचालय निर्माण की कार्य योजना

103. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस योजना के तहत कितने शौचालयों का निर्माण करवाया गया?

(2) प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रतिशत जनसंख्या शौचालय की सुविधा से वंचित है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्य किये जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा 19 का संशोधन अध्यादेश 2014 जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय का होना एवं उसके परिवार द्वारा उसका उपयोग अनिवार्य किया गया है। (अध्यादेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।) भारत सरकार ने शौचालय निर्माण करने एवं उसका उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि बढाकर रुपये 12000/- प्रति परिवार कर दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2,86,433 एवं चालू वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2015 तक 7,92,552 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 63 प्रतिशत परिवार

(ग्रामीण विकास मंत्री)

शौचालय की सुविधा से वंचित हैं। इस दिशा में कुल शौचालय विहीन परिवारों में से वर्ष 2015-16 में 20 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 35 प्रतिशत एवं 2017-18 में शेष 45 प्रतिशत परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखते हुए सम्पूर्ण राज्य को 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त किये जाने की कार्य योजना बनाई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में बी.ए.डी.पी. योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

104. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द जिले में जिला परिषद के माध्यम से किन-किन स्वयंसेवी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के कार्यरत हैं? श्रेणीवार कर्मचारियों के नामवार व कार्यरत क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से मई, 2014 तक बी.ए.डी.पी. योजनान्तर्गत हुए कार्यों की वर्षवार, कार्यवार, लागतवार पूर्णता व अपूर्णता की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में जिला परिषद के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) के कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है ।

(2) वर्ष 2009 से मई, 2014 तक बीएडीपी योजनान्तर्गत हुए कार्यों की वर्षवार, कार्यवार, लागतवार पूर्णता व अपूर्णता की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले के ग्रामों में फ्लोराइड रहित पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्य योजना

105. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले के कितने गांवों के पानी में फ्लोराइड की समस्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को जिला दौसा के 38 ग्राम/ढाणियों के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है । विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिले के उक्त फ्लोराइड प्रभावित 38 ग्राम/ढाणियों में से 25 ग्राम/ढाणियों को सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

2 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। जिले के शेष 11 ग्राम/ढाणियों हेतु तकनीकी संभाव्यता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार प्रस्ताव बनाये जाकर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा । 13 ग्राम/ढाणियों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

106. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत चार वर्षों में पेयजल आपूर्ति हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व कब? योजना का नाम व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण जनता को पेयजल हेतु टैंकरों के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में तथा कितना-कितना?

(3) क्या सरकार पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने के लिये वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 की अवधि में कुल 39 संवर्धन/पुनर्गठित पेयजल योजनाएं अनुमानित राशि रुपये 4953.33 लाख, 423 सिंगल फेस नलकूप अनुमानित राशि रुपये 1130.71 लाख एवं 601 हैण्डपम्प अनुमानित राशि रुपये 621.79 लाख की स्वीकृतियां जारी की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

गई। योजनावार स्वीकृति सम्बन्धी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

पेयजल समस्या के दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के प्रथम पैकेज में इनटेक वैल, जलशोधन संयंत्र, मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन इत्यादि तथा द्वितीय पैकेज में विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम की तहसील नादौती के 63 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 109 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा लाभान्वित करने हेतु उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2013 को राशि रुपये 567.00 करोड़ की जारी की गई। नादौती तहसील के 63 ग्रामों सहित 109 ग्रामों को उक्त पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 23 सितम्बर, 2013 को राशि रुपये 234.90 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(2) जी हां । विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के 12 ग्रामों में पेयजल की कमी वाले स्थानों पर ग्रीष्म 2014 में पेयजल परिवहन का कार्य किया गया है । वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की नादौती तहसील के 63 ग्रामों को चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना से लाभान्वित करने हेतु उक्तानुसार राशि रुपये 234.90 करोड़ की स्वीकृत योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । कार्यादेश अनुसार यह योजना माह अप्रैल, 2016 तक पूर्ण की जानी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

107. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3852/1999 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2013 में दिये गये निर्णय से पूर्व भी निर्णय/आदेश पारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? पारित आदेशों/निर्णयों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या न्यायालय के निर्णय की सरकार द्वारा पालना कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? सरकार द्वारा अब कब तक पालना कर दी जायेगी।

(4) क्या यह सही है कि जिस कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है, उसका निधन हो गया है? यदि हां, तो कब? क्या सरकार द्वारा उक्त को सरकारी कर्मचारी मानकर उसके आश्रितों को नियमानुसार दी जाने वाली राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि मृतक कर्मचारी की विधवा को पारिवारिक पेंशन एवं आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों? अब पारिवारिक पेंशन एवं अनुकम्पा नियुक्ति कब तक दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3852/1999 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच द्वारा दिनांक 25.11.2013 को दिये गये निर्णय की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2013 से पूर्व इस प्रकरण से सम्बन्धित निम्नलिखित निर्णय हुए हैं:-

- श्रम न्यायालय नं. 1, जयपुर केस नं. एल.सी.आर. 95/94 द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.03.99

- अवार्ड के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 3852/1999 का निर्णय दिनांक 29.07.99 में बैक वेजेज पर स्थगन किया एवं श्रमिक को दो सप्ताह में सेवा बहाली के निर्देश दिये गये ।

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 3852/1999 का निर्णय दिनांक 27.07.2009 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17(बी) का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। वांछित प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-ब, स एवं द पर संलग्न हैं।

(3) सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2013 की पालना में राशि रुपये 2,71,460/- का भुगतान दिनांक 02.09.2014 को किया जा चुका है।

(4) जी हां। श्री मदन लाल की मृत्यु दिनांक 01.11.2009 को हो चुकी है। निर्णय के क्रम में नियमानुसार देय राशि का भुगतान आश्रितों को उक्तानुसार किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(5) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पालना की जा चुकी है एवं निर्णय से परे अन्य कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में पेयजल समितियों का गठन

108. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिए वार्डवार निगरानी समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो अब तक किस-किस जिले में, किन-किन वार्डों में, कब-कब समितियों का गठन किया जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वार्ड समितियों के गठन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के जयपुर शहर में पेयजल समस्याओं के निस्तारण के लिये वार्डवार निगरानी समितियों के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर के समस्त माननीय विधायकों से प्रस्ताव मांगे गये हैं तथा इनके प्राप्त होने के उपरांत अंतिम रूप से निर्णय लिया जायेगा। यह जयपुर शहर में "पायलेट प्रोजेक्ट" के आधार पर आरम्भ की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार ।

किशनगढ़ बास में पेयजल योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि

109. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सरकार द्वारा गत एक वर्ष में कितनी थ्री-फेस बोरिंग, सिंगल-फेस बोरिंग, टंकी का निर्माण, हैंडपंप व पाइप लाइन दबाने के कार्य कब-कब व कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण होने पर सुचारु रूप से चालू कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कहां-कहां व किन कारणों से चालू नहीं हुये हैं और अब कब तक सुचारु रूप से चालू कर दिये जायेंगे? इसमें कौन-कौन से अधिकारी/

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कर्मचारी दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाये रखने हेतु विभाग द्वारा गत वर्ष माह जनवरी, 2014 से माह दिसम्बर, 2014 के मध्य 16 संवर्धन/परिवर्तित योजनाओं में 23 थ्री-फेस नलकूप व 24 भू-तल जलाशयों का निर्माण, 32.00 किलोमीटर पेयजल पाइप लाइनें बिछाने तथा इनके अतिरिक्त 2 सिंगल फेस नलकूप एवं 28 हैण्डपम्पों के निर्माण कार्यों हेतु कुल 414.20 लाख रुपये की स्वीकृतियां जारी की गईं। वांछित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत 16 संवर्धन/परिवर्तित योजनाओं में से 13 योजनाओं अन्तर्गत 18 थ्री-फेस नलकूपों का वेधन (1 नलकूप चालू) एवं 17 भू-तल जलाशयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष रही योजनाओं/कार्यों को चरणबद्ध रूप से माह मार्च, 2015 से जून, 2015 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। इस प्रकार समस्त कार्य स्वीकृति के एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिये जायेंगे। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

उक्त योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है अत: कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण

110. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में वर्ष 2013 से 2014 तक अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों एवं छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है? लाभान्वितों की संख्या एवं राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया? वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में सीकर जिले में कितने मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को छात्रवृत्ति वितरित की गई? वर्षवार प्रदत्त राशि का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(4) क्या यह सही है कि समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार इस हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभान्वितों की संख्या एवं वितरित छात्रवृत्ति की राशि का वर्षवार एवं श्रेणीवर विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला सीकर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मानसिक रूप से अपरिपक्व एवं विमंदित बच्चों को वितरित छात्रवृत्ति एवं लाभान्वितों की संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र समस्त छात्र-छात्राओं को नियमानुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विकलांग छात्र/छात्राओं को देय सुविधा

111. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, विराटनगर में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने विकलांग छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया गया? वर्षवार व श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिह्नित विकलांगों की सहायतार्थ कौन-कौन से उपकरण कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में अस्थि विकलांग एवं अधिगम विकलांग हेतु मोटर ट्राई साइकिल हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में माह जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हित विशेष योग्यजन छात्र-छात्राओं का वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत चिन्हित विशेष योग्यजन कर सहायतार्थ एलिम्को, कानपुर द्वारा फंक्शनल असेसमेन्ट कैम्प के दौरान चयनित किये गये विशेष योग्यजनों को उपलब्ध करवाये गये उपकरणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त अवधि में मोटराइज्ड ट्राई साइकिल हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में सामाजिक सुरक्षा की संचालित योजनाएं

112. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया और उन्हें किस प्रकार की कितनी सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में किन-किन व्यक्तियों के आवेदन कब से व किस कारण से लम्बित हैं? लम्बित आवेदनों का कब तक निपटारा किया जाकर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक लाभान्वित व्यक्तियों एवं प्रदान की गई सहायता का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विभाग की योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के कोई भी आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में रसोई गैस की आपूर्ति में अनियमितता

113. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितने रसोई गैस उपभोक्ता एवं कितनी गैस वितरण एजेन्सी किस नाम से कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एजेन्सियों पर उपभोक्ता की मांग अनुसार प्रतिमाह कितने गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की जा रही है? गत एक वर्ष में प्रति माह उपभोक्ता की मांग एवं की गई आपूर्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के सावा क्षेत्र में संचालित गैस एजेन्सी में गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी के कारण आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति नहीं करने की सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या की अपेक्षा गैस एजेन्सियों को गैस सिलेण्डर की आधी ही आपूर्ति हो पाती है? यदि हां, तो क्या सरकार सभी गैस एजेन्सियों पर पर्याप्त गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में कुल 37179 रसोई गैस उपभोक्ता हैं एवं कुल 4 गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में प्रतिमाह उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार आपूर्ति किये गये गैस सिलेण्डरों का एजेन्सीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर एवं गत एक वर्ष में प्रतिमाह उपभोक्ताओं की मांग एवं आपूर्ति किये गये सिलेण्डरों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। गैस एजेन्सी के विरुद्ध कालाबाजारी की शिकायत नहीं होकर कम आपूर्ति के कारण सिलेण्डर देरी से देने की शिकायत श्री शिवप्रकाश पिता श्री कुन्जबिहारी निवासी सावा द्वारा की गई है। शिकायत के सन्दर्भ में गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति बढ़ाने बाबत भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के एरिया सैल्स मैनेजर को पत्र लिखा गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(4) जी हां। यह सही है कि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा अपनी सभी गैस एजेन्सियों पर पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग की अपेक्षा कम आपूर्ति की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रतिमाह गैस सिलेण्डर प्राप्त करने में असुविधा होती है। गैस एजेन्सियों पर पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु तेल कम्पनी को लिखा जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में रिक्त राशन की दुकानें

114. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निजी डीलर, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी राशन की दुकानें स्वीकृत की गईं एवं कितनी राशन की दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की नव सृजित एवं रिक्त राशन की दुकानों पर डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निजी डीलर, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खोली जाने वाली नवसृजित (स्वीकृत) दुकानों की कुल संख्या 37 एवं रिक्त दुकानों की कुल संख्या 8 है, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 09.02.2015 को जारी किये जा चुके हैं। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है, यथाशीध्र राशन दुकान डीलर नियुक्त करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तिरूपति विहार में आबंटित भूखण्ड

115. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तिरूपति विहार के नाम से आवासीय योजना हेतु ग्राम भांकरोटा कला, जयसिंहपुरा रोड जयपुर में खसरा नंबर 1575 की भूमि क्रय की गई थी? यदि हां, तो उक्त भूमि का चुकती भुगतान इकरारनामा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तिरूपति विहार आवासीय योजना में आबंटित भूखण्डधारियों की सूची एवं आवासीय योजना के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार समिति द्वारा जयपुर जिले की तहसील सांगानेर के ग्राम भांकरोटाकलां, जयसिंहपुरा रोड पर वर्ष 1997-1998 में एक आवासीय योजना तिरूपति विहार हेतु खसरा नम्बर 1575 की भूमि क्रय की गई थी। उक्त भूमि का चुकती भुगतान इकरारनामा की प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) तिरूपति विहार आवासीय योजना में आबंटित भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "2" एवं आवासीय योजना के नक्शे की प्रति परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

डग में नवीन ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना

116. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग की बड़ी ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सहकारी समिति खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग की दस ग्राम पंचायतों में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने के प्रस्ताव उप रजिस्ट्रार कार्यालय झालावाड़ में प्राप्त हो गये हैं। (सूची संलग्न परिशिष्ट-1)

(सहकारिता राज्य मंत्री)

इनमें से दो ग्राम पंचायतों यथा - अलावा एवं देवगढ़ के लिए जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा भी उक्त उप रजिस्ट्रार कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है। शेष आठ की हिस्सा राशि, सदस्य संख्या इत्यादि की पूर्ति होने के पश्चात् इनके गठन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इनकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र डग में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने हेतु कार्यालय उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, झालावाड़ में प्राप्त प्रस्तावों की सूची

1. आंकखेडी
2. अलावा
3. बर्डियाबिरजी
4. चायडा
5. रनायरा
6. पाडलिया
7. सुनारी
8. कछनारा
9. देवगढ़
10. बिस्तुनिया

नोट – डग विधान सभा क्षेत्र में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 49 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं। 10 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। शेष एक ग्राम पंचायत हरनावदा में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

उप रजिस्ट्रार (आयोजना एवं ई-गवर्नेंस)
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

प्रदेश के कुशल मजदूरों को केन्द्र के समान मजदूरी का भुगतान

117. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या श्रम एवं राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) केन्द्रीय श्रम विभाग के अनुसार खदान के कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितनी मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है तथा प्रदेश में कुशल खान

(श्री निर्मल कुमावत)

मजदूरों को वर्तमान में प्रतिदिन कितनी मजदूरी दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कुशल मजदूरों को केन्द्रीय श्रम विभाग के अनुसार मजदूरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय श्रम विभाग के आदेश दिनांक 29.9.2014 के अनुसार खदान के कुशल मजदूरों को भूमि के ऊपर कार्य करने पर रुपये 332.00 प्रतिदिन तथा भूमि के नीचे कार्य करने पर रुपये 386.00 प्रतिदिन दिये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में कुशल खान मजदूरों को श्रम मंत्रालय (केन्द्रीय) द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित मजदूरी दी जाती है। आदेश परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) खदानों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार का होने के कारण मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा ही कुशल खदान मजदूरों की मजदूरी निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण खदान मजदूरों की मजदूरी निर्धारित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बदनपुरा (जयपुर) की वन भूमि पर दीवार का निर्माण

118. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर एवं जिला जयपुर के कौन-कौन से खसरे वन भूमि में हैं? खसरे नम्बर सहित मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन भूमि पर दीवार बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के निम्न खसरा नम्बर वन खण्ड आमागढ़ 92 की वन भूमि में हैं:- 181, 182, 183, 188/560, 192/1, 213/2, 228/3, 309/2, 310, 311, 312, 313, 314/2, 387/550, 388, 389, 390, 391, 392/551, 393/552, 503/2, 504/2,

(वन राज्य मंत्री)

523/553, 526/2, 528/554, 529, 530/555, 531/556, 532/2, 538/557 एवं 539/558 मानचित्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी हां। क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार दीवार निर्माण कार्य करवाया जाता है। उपलब्ध बजट प्रावधान के अनुरूप ग्राम बदनपुरा में अब तक 1400 र.मी. पक्की दीवार बनाई गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में गोडावण के संरक्षण हेतु कार्य योजना

119. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गोडावण के संरक्षण हेतु सार्थक प्रयास नहीं होने के कारण इनकी संख्या में निरन्तर गिरावट हो रही है? यदि नहीं, तो वर्ष 2001 से 2014 की अवधि में किस-किस वर्ष में कितने-कितने गोडावण पक्षी राज्य में अधिकृत रूप से पाये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्ष 2001 से अब तक गोडावण के शिकार के लिए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं उनमें से कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश होकर सज़ा सुनाई गई? वर्षवार एवं जिलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार गोडावण के संरक्षण हेतु ठोस नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2001 से 2013 तक वन विभाग द्वारा की गई वन्य जीव गणना एवं वर्ष 2014 में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के तत्वाधान में कराए गए सर्वेक्षण अनुमान परिशिष्ट '1' पर वर्षवार, जिलेवार संलग्न प्रस्तुत है।

(2) राज्य में गोडावण शिकार के 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(वन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	एफ.आई.आर. सं.	विशेष विवरण
1	86/03 दिनांक 20.12.2012 छगनसिंह पुत्र शिंभुसिंह गांव बईया पुलिस थाना झिंझनिया जिला जैसलमेर, राजस्थान	न्यायालय में चालान पेश करने की कार्यवाही की जा रही है।
2	86/04 दिनांक 04.07.2013 अभयजीतसिंह पुत्र बलवीन्द्रजीत सिंह जाति जट सिक्ख निवासी करणपुर जिला गंगानगर राजस्थान	विभागीय स्तर पर अन्वेषण जारी है।

(3) राज्य सरकार द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में गोडावण के संरक्षण के लिये 59.86 करोड़ की राशि का एक स्टेट एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत 11000 हैक्टर क्षेत्र में क्लोजर निर्माण मय हैबिटाट इम्पूवमेंट, 5000 हैक्टर क्षेत्र में निर्बाध स्थान (इनवायोलेट स्पेस) के सृजन, जल स्रोतों का निर्माण, प्रसार एवं प्रचार, रिसर्च, Entry Point कार्य इत्यादि प्रस्तावित है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस स्टेट एक्शन प्लान में से 12.90 करोड़ की राशि के कार्य चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा "प्रोजेक्ट ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड" प्रारम्भ कर कराये जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 1.06 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2014-15 में इन कार्यों को सम्पादित करवाने के लिए राशि रुपये 4.51 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। गोडावण संरक्षण के सम्बन्ध में उपयुक्त नीति बनाने के लिए दिनांक 27.1.2015 को राज्य वन्यजीव मण्डल की एक उप समिति गठित की गई है (प्रति संलग्न)।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बाल श्रम की रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन

120. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना लागू की है? यदि हां, तो कब से एवं इसकी परिधि में कौन से श्रमिक एवं बच्चे आते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत कितनी बजट राशि

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

उपलबध कराई गई एवं कितने बच्चों को शिक्षा हेतु कुल कितनी सहायता राशि स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी राशि उपलब्ध करायी गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत तीन वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वे अथवा अन्य कार्य किये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब व क्या-क्या? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिला सीकर में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण एवं गत तीन वर्षों में उसके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना दिनांक 28 अप्रैल, 2011 से प्रभावशील है। इसकी परिधि में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों के दो बच्चों को छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक) प्रदान की जाती है।

(2) शिक्षा सहायता योजना के लिए पृथक से बजट आबंटित न किया जाकर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा जिला कार्यालयों को सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एकमुश्त बजट राशि उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा सहायता योजना के अन्तर्गत जिलेवार लाभान्वित बच्चों की संख्या, स्वीकृत राशि एवं मुहैया कराई गई राशि का विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(3) जी हां। प्रदेश में बाल श्रमिकों की पहचान हेतु सर्वे तथा निरीक्षण कार्य किए गए। किए गए निरीक्षणों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ब संलग्न है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं (एनसीएलपी) के अन्तर्गत कराए गए सर्वे की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-स संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य के सभी जिलों में बाल श्रम रोकथाम के लिए टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है। सीकर जिले में गठित टास्क फोर्स का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है। टास्क फोर्स द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में जाकर होटल, ढाबे एवं अन्य स्थलों पर कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाकर

(श्रम राज्य मंत्री)

पुनर्वास की कार्यवाही की गई। टास्क फोर्स द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 31.5.2014 व 10.2.2015 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-य तथा र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर में संयुक्त श्रम आयुक्त के पद की पुनः स्थापना

121. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त का पद अलवर के स्थान पर भरतपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में भरतपुर जिले से उद्योगों व श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त श्रम आयुक्त के पद को पुनः अलवर में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भरतपुर को सम्भाग बनाए जाने के पश्चात् वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति से दिनांक 31.5.2008 को संयुक्त श्रम आयुक्त का पद अलवर से भरतपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। विभाग में सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर संयुक्त श्रम आयुक्त का पद विद्यमान होने के कारण भरतपुर में भी संयुक्त श्रम आयुक्त का पद किया जाना सम्भाग के अधीनस्थ जिला कार्यालयों के कार्यों की निगरानी व नियंत्रण के लिए आवश्यक था।

(2) जी हां। अलवर जिले में भरतपुर जिले से उद्योगों व श्रमिकों की संख्या ज्यादा है। वर्तमान में विभाग में पदों के सैटअप के अनुसार संयुक्त श्रम आयुक्त का पद प्रत्येक सम्भाग मुख्यालय पर स्थित है। अतः भरतपुर सम्भाग मुख्यालय होने के कारण वहां स्थित पद को अलवर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-70 की प्रति)

परिशिष्ट-1

141 Drain Maint City
Pin 930141
C/O 56 APO

2032/R-A/38/E-2 23 Feb., 2015

Shri R.K. Yadav
Executive Engineer
PWD division Anupgarh

STARTED QUESTION NO. 1562 LISTED ON 3RD MARCH, 2015

1. Reference your letter No. Spl-1 dated 23 feb 2015.
2. Construction of 80.00 Mtr span Maj Pmt Br at Km 49.35 near VillI 87 DR on road Raisinghnagar-Anupgarh-Khajewala-Jagasar is included our AWP 2015-16. The Estimate for the same will be submitted within next two months to our higher HQ's and the work will be started only after the sanction of the same is received.

(V K Sharma)
Major
Officer commanding